सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

खंड़ों का क्रम

अध्याय 1

प्रारंभिक

खंड

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना ।
2. परिभाषाएं ।
3. स्थापन का रजिस्ट्रीकरण और रद्दकरण ।

अध्याय 2

सामाजिक सुरक्षा संगठन

4. कर्मचारी भविष्य निधि केंद्रीय न्यासी बोर्ड का गठन ।
5. कर्मचारी राज्य बीमा निगम का गठन ।
6. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड ।
7. राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन ।
8. किसी भी सामाजिक सुरक्षा संगठन के किसी सदस्य की निरर्हता और हटाया जाना ।
9. सामाजिक सुरक्षा संगठन के कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया आदि ।
10. केंद्रीय बोर्ड और निगम के कार्यकारी प्रधान ।
11. निगम, केंद्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, राज्य असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का अधिक्रमण।
12. राज्य बोर्ड, क्षेत्रीय बोर्ड, स्थानीय समितियां, आदि ।
13. सामाजिक सुरक्षा संगठनों को अतिरिक्त कृत्यों का न्यस्त किया जाना ।

अध्याय 3

कर्मचारी भविष्य निधि

14. केंद्रीय बोर्ड के अधिकारियों की नियुक्ति ।
15. स्कीमें ।
16. निधियां ।
17. कर्मचारियों और ठेकेदारों के संबंध में अभिदाय ।
18. निधि का 1961 के अधिनियम 43 के अधीन मान्यता प्राप्त होना ।
19. अभिदाय के संदाय का अन्य ऋणों पर अधिमान होना ।
20. अध्याय का कतिपय स्थापनों को लागू न होना ।
21. कतिपय नियोजकों को भविष्य-निधि खाते रखने के लिए प्राधिकृत करना ।

खंड

22. खातों का अंतरण ।
23. अधिकरण को अपील ।

अध्याय 4

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

24. प्रधान अधिकारी और कर्मचारिवृंद।
25. कर्मचारी राज्य बीमा निधि ।
26. वे प्रयोजन, जिनके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निधि में से व्यय किया जा सकेगा ।
27. संपत्तिधारण करना, आदि ।
28. सभी कर्मचारियों का बीमा किया जाना ।
29. अभिदाय ।
30. प्रशासनिक व्यय ।
31. नियोजक द्वारा अभिदायों, आदि के संदाय के बारे में उपबंध ।
32. प्रसुविधाएं ।
33. बीमाकृत व्यक्तियों के स्वास्थ्य, आदि के लिए उपायों को संप्रवर्तित करने की निगम की शक्ति ।
34. नियोजन के अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना के बारे में उपधारणा ।
35. विधि, आदि के भंग में कार्य करते समय घटित होने वाली दुर्घटनाएं ।
36. उपजीविकाजन्य रोग ।
37. चिकित्सा बोर्ड के प्रतिनिर्देश ।
38. आश्रित प्रसुविधा ।
39. चिकित्सा प्रसुविधा ।
40. राज्य सरकार द्वारा या निगम द्वारा चिकित्सीय उपचार का उपबंध ।
41. फायदों के बारे में साधारण उपबंध ।
42. जब कोई नियोजक रजिस्टर आदि करने में असफल रहता है तो निगम के अधिकार ।
43. कारखानों, आदि के स्वामी या अधिभोगी का अत्यधिक बीमारी-प्रसुविधा के लिए दायित्व ।
44. अन्य हिताधिकारियों के लिए स्कीम ।
45. असंगठित कर्मकारों, जिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों के लिए स्कीम ।
46. सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के कारखानों या अन्य स्थापनों को छूट ।
47. निगम के प्रतिशोध्य अभिदायों, आदि को अन्य शोध्यों से ऊपर पूर्विकता दिया जाना ।
48. कर्मचारी बीमा न्यायालय का गठन ।
49. कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मामले ।
50. कर्मचारी बीमा न्यायालय की शक्तियां ।
51. कर्मचारी बीमा न्यायालयों की कार्यवाहियां ।
52. उच्च न्यायालय को अपील ।

खंड

अध्याय 5

उपदान

53. उपदान का संदाय ।

54. निरंतर सेवा ।

55. नामनिर्देशन ।

56. उपदान की रकम का अवधारण ।

57. अनिवार्य बीमा ।

58. सक्षम प्राधिकारी ।

अध्याय 6

प्रसूति प्रसुविधा

59. कतिपय कालावधियों के दौरान स्त्रियों का नियोजन या उनके द्वारा काम का किया जाना प्रतिषिद्ध ।

60. प्रसूति प्रसुविधा के संदाय के लिए अधिकार ।

61. कुछ दशाओं में प्रसूति प्रसुविधा का बना रहना ।

62. प्रसूति प्रसुविधा के दावे की सूचना और उसका संदाय ।

63. किसी स्त्री की मृत्यु की दशा में प्रसूति प्रसुविधा का संदाय ।

64. चिकित्सीय बोनस का संदाय ।

65. गर्भपात, आदि की दशा में छुट्टी ।

66. पोषणार्थ विराम ।

67. शिशु कक्ष सुविधा ।

68. गर्भावस्था के कारण अनुपस्थिति के दौरान पदच्युति ।

69. कतिपय मामलों में मजदूरी में से कटौती का न किया जाना ।

70. प्रसूति प्रसुविधा का समपहरण ।

71. नियोजक का कर्तव्य ।

72. संदाय किए जाने का निदेश देने की निरीक्षक-सह-सुकारक की शक्ति ।

अध्याय 7

कर्मचारियों के लिए प्रतिकर

73. प्राणांतक दुर्घटनाओं और गंभीर शारीरिक क्षतियों की रिपोर्ट ।

74. प्रतिकर के लिए नियोजक का दायित्व ।

75. बागान में मृत्यु या क्षति की दशा में प्रतिकर ।

76. प्रतिकर की रकम ।

77. शोध्य हो जाने पर प्रतिकर का दिया जाना और व्यतिक्रम के लिए नुकसानी ।

78. प्रतिकर के प्रयोजनों के लिए मासिक मजदूरी का हिसाब करने की पद्धति ।

79. पुनर्विलोकन ।

खंड

80. अर्धमासिक संदायों का संराशीकरण ।

81. प्रतिकर का वितरण ।

82. सूचना और दावा ।

83. बाहरी भारतीय राज्यक्षेत्र में उद्भूत दुर्घटनाएं संबंधी विशेष उपबंध ।
84. चिकित्सीय परीक्षा ।
85. संविदाकारी ।
86. अपरिचित के विरुद्ध नियोक्ता के उपचार ।
87. नियोक्ता का दिवालिया होना ।
88. घातक दुर्घटनाओं के संबंध में नियोक्ताओं के कथनों से अपेक्षित शक्ति ।
89. करारों का रजिस्ट्रीकरण ।
90. सक्षम प्राधिकारियों को निदेश ।
91. सक्षम प्राधिकारियों की नियुक्ति ।
92. कार्यवाहियों का स्थान और अन्तरण ।
93. आवेदन का प्ररूप ।
94. प्राणान्तक दुर्घटना की दशाओं में अतिरिक्त निक्षेप अपेक्षित करने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति ।
95. सक्षम प्राधिकारियों की शक्तियां और प्रक्रिया ।
96. पक्षकारों की हाजिरी ।
97. साक्ष्य अभिलिखित करने का ढंग ।
98. मामलों को निवेदित करने की शक्ति ।
99. सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलें ।

अध्याय 8

भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और उपकर

100. उपकर का उदग्रहण और संग्रहण ।
101. उपकर के संदाय में विलम्ब पर देय ब्याज।
102. उपकर से छूट प्रदान करने की शक्ति।
103. उपकर का स्वतः निर्धारण।
104. विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपकर का संदाय नही किए जाने के लिए शास्ति ।
105. अपील प्राधिकारी को अपील ।
106. भवन निर्माण कर्मकारों का हिताधिकारियों के रूप में रजिस्ट्रीकरण ।
107. हिताधिकारी के रूप में नहीं रह जाना।
108. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि और उसका लागू होना।

खंड

अध्याय 9

असंगठित कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

109. असंगठित कर्मकारों के लिए स्कीम बनाना ।
110. राज्य सरकार की स्कीमों का निधिकरण।

111. रिकार्ड रखना ।

112. असंगठित कर्मकारों, नाव कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों, के लिए सहायता केन्द्र सुविधा केन्द्र, आदि ।

113. असंगठित कामगार का रजिस्ट्रीकरण ।

114. गिग कामगारों और प्लेटफार्म कामगारों के लिए स्कीम ।

अध्याय 10

वित्त और लेखा

115. लेखा ।

116. संवीक्षा ।

117. बजट प्राक्कलन ।

118. वार्षिक रिपोर्ट ।

119. आस्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन ।

120. [1] सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा संपत्ति आदि धृत करना ।

121. हानियों का बट्टे खाते में जाना ।

अध्याय 11

प्राधिकारी, निर्धारण, अनुपालन और वसूली

122. निरीक्षक-सह-सुकरकर्ताओं की नियुक्ति और उनकी शक्तियां ।

123. अभिलेख, रजिस्टर, विवरणी आदि का रखा जाना ।

124. नियोक्ता द्वारा मजदूरी आदि में कटौती आदि न किया जाना ।

125. नियोक्ता से शोध्यों का निर्धारण और अवधारण ।

126. अध्याय 4 से संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील ।

127. शोध्य रकम पर ब्याज ।

128. नुकसानी वसूल करने की शक्ति ।

129. शोध्य रकम की वसूली ।

130. प्रमाण पत्र की वैधता और उसका संशोधन।

131. वसूली के अन्य ढंग ।

132. आयकर अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना ।

खंड

अध्याय 12

अपराध और शास्तियां

133. अभिदाय का संदाय करने में असफलता के लिए शास्ति ।

134. पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् कतिपय मामलों में बढ़ा हुआ दंड ।

135. कंपनियों द्वारा अपराध ।

136. अपराधों का संज्ञान ।

137. अभियोजन से पहले पूर्व अवसर ।

138. अपराधों का उपशमन ।

अध्याय 13

नियोजन सूचना और मानीटरी

139. व्यवसाय केंद्रों को रिक्तियों की रिपोर्ट करना ।

140. इस अध्याय के लागू होने से अपवर्जन ।

अध्याय 14

प्रकीर्ण

141. सामाजिक सुरक्षा निधि ।

142. आधार का लागू होना ।

143. स्थापन को छूट देने की शक्ति ।

144. स्थागित या कम करने की शक्ति ।

145. स्थापन के अंतरण की दशा में दायित्व ।

146. सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारिवृंद का लोक सेवक होना ।

147. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

148. फायदों का दुरुपयोग ।

149. केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

150. स्कीम बनाने की शक्ति ।

151. कुर्की आदि के विरुद्ध संरक्षण ।

152. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति ।

153. संक्रमणकालीन उपबंध ।

154. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

155. केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

156. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

157. निगम की विनियम बनाने की शक्ति ।

खंड

158. नियमों, विनियमों आदि का पूर्व प्रकाशन ।

159. प्रतिकर के रूप में संदत धन के अन्तरण के लिए अन्य देशों के साथ ठहराव को प्रभावी करने के लिए नियम ।

160. नियमों, विनियमों और स्कीमों आदि का रखा जाना ।

161. इस संहिता से असंगत विधियों और करारों का प्रभाव ।

162. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

163. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति ।

164. निरसन और व्यावृत्तियां ।

पहली अनुसूची ।
दूसरी अनुसूची ।
तीसरी अनुसूची ।
चौथी अनुसूची ।
पांचवी अनुसूची ।
छठी अनुसूची ।
सातवीं अनुसूची ।

2020 का विधेयक संख्यांक 121

[**दि कोड आन सोशल सिक्युरिटी**, 2020 **का हिन्दी अनुवाद**]

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

संगठित या असंगठित या किन्हीं अन्य सेक्टरों में सभी कर्मचारियों और कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें ; और इस संहिता के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस संहिता के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

(4) पहली अनुसूची के स्तंभ (1) और स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अध्यायों का लागू होना इस संहिता के अन्य उपबंधों के लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस प्रकार होगा, जो उस अनुसूची के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है ।

(5) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, जहां केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किसी स्थापन के नियोक्ता द्वारा उसको किए गए आवेदन पर या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि उस स्थापन का नियोक्ता और अधिकतर कर्मचारियों ने यह सहमति दे दी है कि अध्याय 3 के उपबंध उस स्थापन को लागू होने चाहिए, तो केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अधिसूचना द्वारा ऐसे करार की तारीख से ही या करार में विनिर्दिष्ट किसी पश्चातवर्ती तारीख से उस स्थापन को उक्त अध्याय के उपबंध लागू कर सकेगा :

परंतु किसी स्थापन का नियोजक, जिसे इस उपधारा के अधीन अध्याय 3 के उपबंध लागू होते है, ऐसे लागू होने से अलग होना चाहता है, वह केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को आवेदन करेगा और यदि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि इसमें नियोजक और कर्मचारियों में से अधिकतर कर्मचारियों के मध्य इस प्रभाव का कोई करार है तो वह, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, ऐसे स्थापन लागू न होने वाले उस अध्याय के उपबंध बना सकेगा ।

(6) केन्द्रीय सरकार कम से कम दो मास की ऐसा करने की अपने आशय की सूचना देने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थापन को, जिसमें दस से अन्यून उतने व्यक्ति नियोजित है, जितने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए, इस संहिता के उपबंधों को लागू कर सकेगी ।

(7) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, जहां निगम के महानिदेशक को किसी स्थापन के नियोक्ता द्वारा उसको किए गए आवेदन पर या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि उस स्थापन का नियोक्ता और अधिकतर कर्मचारियों ने यह सहमति दे दी है कि अध्याय 4 के उपबंध उस स्थापन को लागू होने चाहिए, तो निगम का महानिदेशक अधिसूचना द्वारा ऐसे करार की तारीख से ही या करार में विनिर्दिष्ट किसी पश्चातवर्ती तारीख से उस स्थापन को उक्त अध्याय के उपबंध लागू कर सकेगा :

परंतु किसी स्थापन का नियोजक जिसे इस उपधारा के अधीन अध्याय 4 के उपबंध लागू होते है, ऐसे लागू होने से अलग होना चाहता है, वह निगम के महानिदेशक को आवेदन करेगा और यदि निगम के महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि इसमें नियोजक और कर्मचारियों में से अधिकतर कर्मचारियों के मध्य इस प्रभाव का कोई करार है तो वह, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, ऐसे स्थापन लागू न होने वाले उस अध्याय के उपबंध बना सकेगा ।

(8) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, कोई स्थापन, जिसको पहली बार में कोई अध्याय लागू होता है, उसके पश्चात् तब भी लागू होता रहेगा, यदि किसी पश्चातवर्ती समय पर उसके कर्मचारियों की संख्या उस अध्याय के संबंध में पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा से कम हो जाती है ।

परिभाषाएं ।

2. इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) ''अभिकर्ता'' से जब यह किसी स्थापन के संबंध में प्रयुक्त किया जाता है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उस रूप में नियुक्त किया गया हो या नहीं, अभिप्रेत है, जो स्वामी की ओर से कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए तात्पर्यित होते हुए ऐसे स्थापन या उसके भाग के प्रबंध, नियंत्रण, पर्यवेक्षण या निदेश में भाग लेता है ।

(2) "समूहक" से विक्रेता या सेवा प्रदाता से जोड़ने के लिए किसी सेवा के क्रेता या उपयोगकर्ता के लिए कोई डिजीटल मध्यवर्ती या कोई बाजार स्थान है, अभिप्रेत है ।

(3) "समुचित सरकार" से—

(क) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाए जाने वाले किसी स्थापन या ऐसे नियंत्रित उद्योग के संबंध में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए या मेट्रो रेल सहित रेल, खान, तेल क्षेत्र, महापत्तन, वायु परिवहन सेवाएं, दूर-संचार, बैंककारी और बीमा कंपनी या निगम का स्थापन या केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य प्राधिकरण या केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा स्थापित केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम या समनुषंगी कंपनियां या केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित प्रधान उपक्रम या स्वशासी निकाय द्वारा स्थापित समनुषंगी कंपनियां, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, ऐसे स्थापन के प्रयोजनों के लिए ठेकेदारों का स्थापन, निगम या अन्य प्राधिकरण, केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम, समनुषंगी कंपनियां या स्वशासी निकाय कोई ऐसे कंपनी जिसमें कम से कम इक्यावन प्रतिशत संदत्त शेयर पूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित है, या एक से अधिक राज्यों में विभाग रखने वाले किसी स्थापन के संबंध में केंद्रीय सरकार ; और

(ख) किसी अन्य स्थापन के संबंध में राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

स्पष्टीकरण 1--इस खंड के प्रयोजनों के लिए "मेट्रो रेल" से मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (i) के उपखंड (i) में यथापरिभाषित मेट्रो रेल अभिप्रेत है । 2002 का 60

स्पष्टीकरण 2--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात् उस पब्लिक सेक्टर में केन्द्रीय सरकार की धृति साधारण शेयर में पचास प्रतिशत से कम होने पर भी, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए समुचित सरकार बनी रहेगी ;

(4) "श्रव्य-दृश्य रचना" से भारत में पूर्णत: या भागत: रचित श्रव्य-दृश्य रचना अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत--

(i) व्यंग चित्रकारी, कार्टून चित्रण, श्रव्य-दृश्य विज्ञापन ;

(ii) डिजीटल रचना या उसके बनाने के संबंध में कोई भी क्रियाकलाप है ;

(iii) फीचर फिल्में, गैर फीचर फिल्में, टेलीविजन, वेब आधारित सीरियल, टाक शो, रियेलिटी शो और खेल संबंधी शो भी है ;

(5) "प्राधिकृत अधिकारी" से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित, यथास्थिति, केंद्रीय बोर्ड या निगम का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है ;

(6) "भवन या अन्य संनिर्माण कार्य" से भवन के संबंध में संनिर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, रखरखाव या ढा देना, गलियां, सड़क, रेलमार्ग, ट्राम पथ, विमान फील्ड, सिंचाई, जल निकास, तटबंध और नौ चालन संकर्म, बाढ़ नियंत्रण संकर्म (जिसके अंतर्गत तूफानी जल का जल निकास संकर्म भी है), विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण, जल संकर्म (जिसके अंतर्गत जल वितरण प्रणाली भी है), तेल और गैस संस्थापन, विद्युत लाइन, इंटरनेट टावर, बेतार, रेडियो, दूरदर्शन, दूरभाष, तार और विदेशी संचार, बांध, नहर, जलाशय, जलमार्ग, सुरंग, पुल, सेतु, जल नलिका, नल, टावर, शीतलन टावर, पारेषण टावर और ऐसा अन्य कार्य, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए किन्तु इसके अंतर्गत कोई ऐसा भवन या अन्य संनिर्माण कार्य, जो दस से कम कर्मकारों को नियोजित करने वाले किसी कारखाने या खान या किसी भवन या अन्य संनिर्माण कार्य से संबंधित है या जहां ऐसा कार्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के, स्वयं के आवास हेतु, स्व आवासीय प्रयोजनों से संबंधित है और ऐसे कार्य की कुल लागू पचास लाख रुपए या ऐसी उच्चतर रकम से अनधिक है और उसमें उतनी संख्या में कर्मकार नियोजित है जितने समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाए ;

(7) "भवन निर्माण कर्मकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के संबंध में, जो भाड़े पर या पारिश्रमिक पर, चाहे ऐसे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हों या विवक्षित कोई कुशल, अर्ध कुशल या अकुशल, शारीरिक, तकनीकी या लिपिकीय कार्य करने के लिए नियोजित किया गया है किन्तु इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसे प्रबंधकीय या पर्यवेक्षणीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित किया गया है ;

(8) "भवन कर्मकार का कल्याण बोर्ड" से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य भवन और अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(9) ''कैरियर केंद्र'' से ऐसी कैरियर सेवाएं (जिसके अंतर्गत या तो रजिस्टर रखकर या अन्यथा शारीरिक रूप से, डिजीटल रूप में, परोक्ष रूप या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण सूचना का संग्रहण और उसको दिया जाना भी है), प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में स्थापित और चलाए जाने वाला कोई भी कार्यालय (जिसके अंतर्गत रोजगार कार्यालय, स्थान या पोर्टल भी है) जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, जो अन्य बातों के साथ-साथ साधारणतया या विनिर्दिष्ट रूप से निम्नलिखित से संबंधित है—

(i) ऐसे व्यक्तियों से, जो कर्मचारियों को नियोजित करना चाहता हो ;

(ii) ऐसे व्यक्तियों से, जो नियोजन चाहते हों ;

(iii) रिक्तियां होने से ; और

(iv) ऐसे व्यक्तियों से, जो व्यवसायिक मार्गदर्शन और कैरियर परामर्श या स्वनियोजन प्रारंभ करने के लिए मार्गदर्शन चाहते हों ;

(10) ''केंद्रीय बोर्ड'' से धारा 4 के अधीन गठित कर्मचारी भविष्य निधि न्यासी बोर्ड अभिप्रेत है ;

(11) ''केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त'' से धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय बोर्ड का केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अभिप्रेत है ;

(12)"बालक" के अंतर्गत अध्याय 4 के प्रयोजन के लिए नवजात बालक भी है ;

(13) ''कमीशनिंग माता'' से ऐसी जैविक माता अभिप्रेत है, जो किसी अन्य महिला में प्रविष्ट किए जाने वाले किसी भ्रूण को पैदा करने के लिए अपने अंडे का उपयोग करती है ;

(14) ''कंपनी'' से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है ;

(15) ''प्रतिकर'' से अध्याय 7 के अधीन यथा उपबंधित प्रतिकर अभिप्रेत है ;

(16) ''सक्षम प्राधिकारी'' से, समुचित सरकार या राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में, यथास्थिति, अध्याय 5 के प्रयोजनों के लिए धारा 58 के अधीन नियुक्त या अध्याय 6 के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित और अध्याय 8 के प्रयोजनों के लिए धारा 91 के अधीन नियुक्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(17) ''सेवा का पूर्ण किया गया वर्ष'' से बारह मास की निरंतर सेवा अभिप्रेत है ;

(18) ''परिरोध'' से प्रसव के परिणामस्वरूप जीवित बालक को जन्म देना या गर्भधारण के छब्बीस सप्त'ह के पश्चात् प्रसव के परिणामस्वरूप किसी जीवित या मृत बालक को जन्म देना अभिप्रेत है ;

(19) ''संविदा श्रमिक'' से ऐसा कर्मकार अभिप्रेत है, जो किसी स्थापन में या स्थापन के कार्य के संबंध में नियोजित किया गया समझा जाएगा, जब उसे प्रधान नियोक्ता की जानकारी में या जानकारी के बिना किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से ऐसे कार्य के संबंध में भाड़े पर लगाया जाता है और इसके अंतर्गत अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार भी आता है किन्तु इसके अंतर्गत कोई ऐसा कर्मचारी (अल्पकालिक कर्मचारी से भिन्न) नहीं आता है, जो ठेकेदार द्वारा उसके स्थापन के किसी क्रियाकलाप के लिए नियमित रूप से नियोजित किया जाता है और उसके नियोजन की शर्तों के पारस्परिक रूप से सहमत मानकों द्वारा शासित होता है (जिसके अंतर्गत स्थायी आधार पर लगाया जाना भी है) और जो वेतन में सावधिक वेतनवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कवरेज और ऐसे नियोजन में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार अन्य कल्याणकारी फायदे प्राप्त करता है ;

(20) "ठेकेदार" से किसी स्थापन के संबंध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो—

(i) संविदा श्रमिक के माध्यम से ऐसे स्थापन को विनिर्माण के माल और वस्तुओं की केवल पूर्ति से भिन्न स्थापन के लिए निश्चित परिणाम के उत्पाद का वचन देता है ; या

(ii) स्थापन के किसी कार्य के लिए केवल मानव संसाधन के रूप में

संविदा श्रमिक की पूर्ति करता है और इसके अंतर्गत कोई उप ठेकेदार भी है ;

(21) ''अभिदाय'' से इस संहिता के अधीन नियोक्ता द्वारा, यथास्थिति, केंद्रीय न्यासी बोर्ड को और निगम को संदेय धनराशि अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस संहिता के उपबंधों के अनुसार कर्मचारी द्वारा या उसकी और से संदेय कोई रकम भी है ;

(22) ''निगम'' से धारा 5 के अधीन गठित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अभिप्रेत है ;

(23) ''प्रसव'' से किसी बालक का जन्म अभिप्रेत है ;

(24) "आश्रित" से मृतक कर्मचारी के निम्नलिखित में से कोई भी नातेदार अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(क) कोई विधवा, कोई अवयस्क धर्मज या दत्तक पुत्र, कोई अविवाहित धर्मज या दत्तक पुत्री या कोई विधवा माता :

परंतु अध्याय 4 के प्रयोजनों के लिए धर्मज दत्तक पुत्र, जिसकी आयु पच्चीस वर्ष है, मृतक कर्मचारी का आश्रित होगा ;

(ख) यदि कर्मचारी की मृत्यु के समय उसके उपार्जन पर पूर्णतः आश्रित हो, तो कोई धर्मज या दत्तक पुत्र या कोई पुत्री, जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और जो शिथिलांग है ; अध्याय 4 के प्रयोजनों के सिवाए, जिसमें इस उपखंड में आने वाले "अठारह" शब्द के स्थान पर "पच्चीस" शब्द रखा गया समझा जाएगा ;

(ग) यदि कर्मचारी की मृत्यु के समय उसके उपार्जन पर पूर्णतः या भागतः आश्रित हो, तो—

(i) कोई विधुर ;

(ii) किसी विधवा माता से भिन्न कोई माता-पिता ;

(iii) कोई अवयस्क अधर्मज पुत्र, कोई अविवाहित अधर्म पुत्री या कोई धर्मज या अधर्मज या दत्तक पुत्री, यदि विवाहित है और अवयस्क है या यदि विधवा है और अवयस्क है ;

(iv) कोई अवयस्क भाई या कोई अविवाहित बहिन या कोई विधवा बहिन, यदि अवयस्क हो ;

(v) कोई विधवा पुत्रवधु ;

(vi) किसी पूर्व मृत पुत्र का कोई अवयस्क बालक ;

(vii) किसी पूर्व मृत पुत्री का कोई अवयस्क बालक, जहां बालक के माता-पिता जीवित न हो ; या

(viii) कोई पितामह-पितामही, यदि कर्मचारी के माता-पिता जीवित न हों ।

स्पष्टीकरण—उपखंड (ख) और उपखंड (ग) की मद (vi) और मद (ix)

के प्रयोजनों के लिए किसी पुत्र, पुत्री या बालक के निर्देश के अंतर्गत क्रमश: कोई दत्तक पुत्र, पुत्री या बालक भी हैं ।

(25) "गोदी-कार्य" से किसी पत्तन के सामीप्य में या उसके आसपास पोत या अन्य जलयान, पत्तन, गोदी, भंडारण स्थान या माल उतराई स्थान में या उससे स्थौरा की लदाई, माल उतराई, संचलन या भंडारण के संबंध में या उसके लिए अपेक्षित या उसके आनुषांगिक कोई कार्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत—

(i) स्थौरा या लीविंग पत्तन की प्राप्ति या अवतारणा के लिए पोतों और अन्य जलयानों की तैयारी के संबंध में कार्य ;

(ii) पोत के फलक पर या गोदी में पेटा, टैंक संरचना या उत्थापक मशीनरी या कोई अन्य भंडारण क्षेत्र से संबंधित सभी मरम्मत और रखरखाव प्रक्रियाएं ; और

(iii) पोत के फलक पर या गोदी में पेटा, टैंक संरचना या उत्थापक मशीनरी या कोई अन्य भंडारण क्षेत्र में चिप्पी लगाना, रंग-रोगन करना या उसे साफ करना ।

(26) "कर्मचारी" से चाहे ऐसे नियोजन के सीधे या ठेकेदार के माध्यम से निबंधन अभिव्यक्त हों या विवक्षित, कोई कुशल, अर्ध कुशल या अकुशल, शारीरिक, प्रचालनात्मक, पर्यवेक्षणीय, प्रबंधकीय, प्रशासनिक, तकनीकी, लिपिकीय कार्य या कोई अन्य कार्य करने के लिए किसी स्थापन द्वारा मजदूरी पर सीधे या ठेकेदार के माध्यम से, नियोजित कोई व्यक्ति (शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन लगाए गए किसी शिक्षु से भिन्न) अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा कर्मचारी होना घोषित किया गया कोई व्यक्ति भी है किन्तु इसके अंतर्गत संघ के सशस्त्र बलों का कोई सदस्य नहीं है :

परंतु कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम और अध्याय 4 के सिवाय अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए ''कर्मचारी'' पद का अभिप्राय केवल ऐसा कर्मचारी होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा क्रमश: उन अध्य'यों के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित मजदूरी की सीमा के कम या बराबर मजदूरी लेता है और इसके अंतर्गत ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग भी है,, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा कर्मचारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु यह और कि किसी स्थापन को, यथास्थिति, अध्याय 3 और अध्याय 4 के अधीन लाने हेतु कर्मचारियों की गणना के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कर्मचारियों जिनकी मजदूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार अधिसूचित मजदूरी की सीमा से अधिक है, को भी हिसाब में लिया जाएगा :

परंतु यह भी कि अध्याय 7 के प्रयोजनों के लिए ''कर्मचारी'' पद का अभिप्राय केवल ऐसे व्यक्ति होंगे, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हों और ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग होगा, जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उस सरकार के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा उक्त अनुसूची में सम्मिलित करे ।

(27) "नियोजक" से कोई ऐसा व्यक्ति, जो या तो प्रत्यक्ष रूप से या किसी व्यक्ति के माध्यम से या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति की ओर से अपने स्थापन में एक या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करता है, अभिप्रेत है और जहां स्थापन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा चलाया जाता है, वहां इस निमित्त ऐसे विभाग के अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या जहां इस प्रकार कोई प्राधिकारी विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, वहां विभागाध्यक्ष और किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए जाने वाले किसी स्थापन के संबंध में उस प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(क) किसी ऐसे स्थापन के संबंध में, जो कोई कारखाना है, कारखाने का अधिभोगी ;

(ख) किसी खान के संबंध में खान का स्वामी या तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अपेक्षित अर्हता रखने वाला तथा इस रूप में खान के स्वामी या अभिकर्ता द्वारा नियुक्त अभिकर्ता या प्रबंधक ;

(ग) किसी अन्य स्थापन के संबंध में वह व्यक्ति या वह प्राधिकरण, जो स्थापन के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण रखता है और जहां उक्त कार्य किसी प्रबंधक या प्रबंध निदेशक को न्यस्त कर दिए जाते हैं, वहां ऐसा प्रबंधक या प्रबंध निदेशक ;

(घ) ठेकेदार ; और

(ङ) किसी मृतक नियोजक का विधिक प्रतिनिधि ।

(28) "नियोजन-क्षति" से किसी कर्मचारी को, उसके नियोजन से होने वाली या उसके नियोजन के दौरान हुई कोई वैयक्तिक क्षति अभिप्रेत है,-

(i) अध्याय 4 के प्रयोजनों के लिए, यदि कर्मचारी धारा 28 के अधीन बीमाकृत या बीमायोग्य कर्मचारी है तो क्या ऐसी दुर्घटना या आजीविकाजन्य रोग का होना, भारत की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर या उसके बाहर हुई है ; और

(ii) अध्याय 7 के प्रयोजनों के लिए क्या ऐसी दुर्घटना या उपजीविकाजन्य रोग का होना भारत की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर या उसके बाहर हुई है ;

(29) "स्थापन" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) कोई स्थान, जहां कोई उद्योग, व्यापार, कारबार, विनिर्माण या उपजीविका चलाई जाती है ;

(ख) कोई कारखाना, कोई मोटर परिवहन उपक्रम, कोई समाचार पत्र स्थापन, कोई श्रवण-दृश्य रचना, भवन और अन्य संनिर्माण कार्य या कोई बागान ;

(ग) कोई खान या पत्तन या पत्तन का सामीप्य क्षेत्र जहां गोदी कार्य किया जाता है ;

स्पष्टीकरण–अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए जहां किसी स्थापन में भिन्न-भिन्न

विभाग या शाखाएं है, चाहे वे एक ही स्थान पर हो या भिन्न-भिन्न स्थानों पर हों, सभी विभागों या शाखाओं को उसी स्थापन का भागरूप समझा जाएगा ।

(30) "कार्यपालक अधिकारी" से समुचित सरकार का ऐसा अधिकारी, जो अध्याय 13 के प्रयोजनों के लिए उस सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए या उस अध्याय के अधीन कार्यपालक अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(31) "छूट प्राप्त कर्मचारी" से अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है, जिसको धारा 15 में निर्दिष्ट कोई भी स्कीम किन्तु इस संहिता के अधीन प्रदत्त छूट के लिए लागू होगी और अध्याय 4 के प्रयोजनों के लिए ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है जिसकी मजदूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और जो कर्मचारी अभिदाय के संदाय का दायी नहीं है ;

(32) "कारखाना" से अपनी प्रसीमाओं सहित कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है, जिसमें—

(क) दस या अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से की जा रही है या आम तौर से इस तरह की जाती है ; या

(ख) बीस या अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता के बिना की जा रही है या आम तौर से ऐसे की जाती है,

किन्तु इसके अंतर्गत कोई खान या संघ के सशस्त्र बल की चलती-फिरती युनिट या रेलवे, रेलवे रनिंग शेड या होटल, उपाहारगृह या भोजनालय नहीं आते हैं ।

स्पष्टीकरण 1—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, कर्मचारियों की संख्या की संगणना करने के लिए दिन के (विभिन्न समूहों और टोलियों के) सभी कर्मचारियों को गिना जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, केवल इस तथ्य का क्या किसी परिसर या उसके किसी भाग में कोई इलेक्ट्रानिक डाटा प्रसंस्करण यूनिट या कोई कम्प्यूटर यूनिट संस्थापित की गई है, यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह कारखाना है, यदि ऐसे परिसर या उसके भाग में कोई विनिर्माण प्रक्रिया नहीं की जा रही है ;

(33) "कुटुम्ब" से, यथास्थिति, किसी कर्मचारी या किसी असंगठित कर्मकार के निम्नलिखित सभी या कोई नातेदार अभिप्रेत हैं, अर्थात् :—

(क) पति या पत्नी ;

(ख) अवयस्क धर्मज या दत्तक बालक, जो, यथास्थिति, किसी कर्मचारी या किसी असंगठित कर्मकार का आश्रित हो ;

(ग) कोई बालक, जो, यथास्थिति, किसी कर्मचारी या किसी असंगठित कर्मकार के उपार्जनों पर पूर्णतः आश्रित हो और जो—

(i) शिक्षा प्राप्त कर रहा हो, जब तक वह इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले ; और

(ii) कोई अविवाहित पुत्री ;

(घ) कोई बालक, जो शारीरिक या मानसिक अप्रसामान्यत: या क्षति के कारण शिथिलांग है और, यथास्थिति, किसी कर्मचारी या किसी असंगठित कर्मकार के उपार्जनों पर पूर्णत: आश्रित है, जब तक अंग शैथिल्य बना रहता है ;

(ङ) आश्रित माता-पिता (जिसके अंतर्गत किसी महिला कर्मचारी के सास-श्वसुर भी हैं) जिनकी आय सभी स्रोतों से ऐसी आय से अधिक नहीं है जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ;

(च) यदि, यथास्थिति, किसी कर्मचारी या किसी असंगठित कर्मकार अविवाहित है और उसके माता-पिता जीवन नहीं हैं, तो बीमाकृत व्यक्ति के उपार्जनों पर पूर्ण रूप से आश्रित अवयस्क भाई या बहिन ;

(34) "नियत अवधि नियोजन" से किसी नियत अवधि के लिए नियोजन की किसी लिखित संविदा के आधार पर किसी कर्मकार को नियोजित करना अभिप्रेत है:

परंतु—

(क) उसके कार्य के घंटे, मजदूरी, भत्ते और अन्य फायदे, वही कार्य या उसी प्रकृति का कार्य करने वाले किसी स्थायी कर्मकार से कम नहीं होंगे ; और

(ख) वह, उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि के अनुसार आनुपातिक रूप से, स्थायी कर्मकार को उपलब्ध सभी कानूनी फायदों के लिए पात्र होगा, चाहे उसके नियोजन की अवधि कानून में अपेक्षित नियोजन की अर्हित अवधि तक की नहीं भी हो ;

(35) "गिग कर्मकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी कार्य के इंतजाम में कार्य करता है या भाग लेता है और पारंपरिक नियोजक-कर्मचारी संबंधों से अलग ऐसे क्रियाकलापों से उपार्जन करता है ;

(36) "गृह आधारित कर्मकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी नियोजक के लिए अपने गृह में या नियोजक के कार्य स्थल से भिन्न अपने इच्छित स्थान पर पारिश्रमिक के बदले इस बात पर विचार किए बिना कि नियोजक उसे उपस्कर, सामग्रियां या अन्य इनपुट देता है या नहीं, माल और सेवाओं के उत्पादन में लगा हुआ है ;

(37) "निरीक्षक-सह-सुकारक" से धारा 122 के अधीन नियुक्त कोई निरीक्षक-सह-सुकारक अभिप्रेत है ;

(38) "बीमाकृत व्यक्ति" से धारा 28 के निर्दिष्ट बीमाकृत व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(39) "बीमा निधि" से धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन स्थापित डिपाजिट-लिंक्ड बीमा निधि अभिप्रेत है ;

(40) “बीमा स्कीम” से धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन विरचित डिपाजिट-लिंक्ड बीमा स्कीम अभिप्रेत है ;

(41) "अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे नियोजन के लिए किसी करार या अन्य ठहराव के अधीन नियोजित है और—

(i) किसी अन्य राज्य में स्थित ऐसे स्थापन में नियोजन के लिए नियोजक द्वारा सीधे या एक राज्य में ठेकेदार के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भर्ती किया गया है ; या

(ii) जो एक राज्य से स्वयं आया है और दूसरे राज्य के किसी स्थापन में नियोजन अभिप्राप्त किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् गंतव्य राज्य कहा गया है) या जिसने तत्पश्चात् गंतव्य राज्य के भीतर स्थापन में परिवर्तन किया है,

और जो अट्ठारह हजार रुपए से अधिक या ऐसी उच्चतर रकम, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, अनधिक मजदूरी प्राप्त करता है ।

(42) "विनिर्माण प्रक्रिया" से निम्नलिखित के लिए कोई भी प्रक्रिया अभिप्रेत है—

(i) किसी वस्तु या पदार्थ को, उसके उपयोग, विक्रय, परिवहन, परिदान या व्ययन की दृष्टि से बनाना, परिवर्तित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका अलंकरण करना, उसे परिरूपित करना, उसमें तेल देना, उसे धोना, साफ करना, तोड़ना, ढह देना, परिष्कृत करना या उसका अन्यथा उपचार या अनुकूलन करना ; या

(ii) तेल, जल, मल या किसी अन्य पदार्थ को पम्प करना ; या

(iii) विद्युत का उत्पादन, परिवर्तन या पारेषण करना ; या

(iv) अनुचित्रित मुद्रण, लेटर प्रेस द्वारा मुद्रण, शिला मुद्रण, फोटोग्रेव्यूर स्क्रीन मुद्रण, तीन या चार आयामी मुद्रण, फोटो टाइपिंग, फ्लेक्सोग्राफी के प्रकारों या मुद्रण प्रक्रिया या जिल्द साजी के अन्य प्रकारों का संकलन करना ; या

(v) अपपोतों या जलयानों का संनिर्माण, पुन:संनिर्माण, उसकी मरम्मत करना, उसकी पुन:फिटिंग करना, उसका परिरूपण करना या तोड़ना ; या

(vi) किसी वस्तु को शीतागार में परिरक्षण या भंडारण करना ; या

(vii) ऐसी अन्य प्रक्रियाएं, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचित करे ;

(43) अध्याय 4 के संबंध में “प्रसूति प्रसुविधा” से धारा 60 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संदाय अभिप्रेत है ;

(44) "चिकित्सा व्यवसायी" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस संहिता के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा व्यवसायी के रूप में अर्हित होना घोषित किया जाए, अभिप्रेत है :

परंतु केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अर्हता रखने वाले चिकित्सा व्यवसायी के विभिन्न वर्ग इस संहिता के अध्याय 4 के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा और अन्य अध्यायों के लिए समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकेंगे ;

(45) "गर्भ का चिकित्सीय समापन" से गर्भ से चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के अधीन अनुज्ञेय गर्भ का समापन अभिप्रेत है ; 1971 का 34

(46) 'खान" का वही अर्थ है जो खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (य) में उसका है ; 1952 का 35

(47) "अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है ;

(48) "गर्भपात" से गर्भधारण के छब्बीस सप्ताह से पहले किसी अवधि में या उसके दौरान गर्भित गर्भाशय की अंतर्वस्तु का बाहर निकालना अभिप्रेत है किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा गर्भपात नहीं आता, जिसका कारित किया जाना भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय है ; 1860 का 45

(49) "राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" से धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन गठित असंगठित कर्मकारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अभिप्रेत है ;

(50) "अधिसूचना" से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र में या किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित किया जाना" पद का अर्थान्वयन इसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित तदनुसार किया जाएगा ;

(51) "उपजीविकाजन्य रोग" से तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसा रोग अभिप्रेत है, जिसका संबंध विशिष्ट रूप कर्मचारी के नियोजन से है ;

(52) "अधिभोगी" से किसी कारखाने के संबंध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कारखाने के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण रखता है :

परंतु—

(क) किसी फर्म या व्यष्टियों के किसी अन्य संगम की दशा में उसका कोई एक व्यष्टि, भागीदार या सदस्य ;

2013 का 18 (ख) किसी कंपनी की दशा में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) के अर्थांतर्गत किसी स्वतंत्र निदेशकों में से कोई एक निदेशक ;

(ग) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उनके द्वारा नियंत्रित किसी कारखाने की दशा में कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा, जो केंद्रीय सरकार विहित करे, कारखाने के कार्यों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया गया या किए गए व्यक्ति,

अधिभोगी समझे जाएंगे :

परंतु यह और कि किसी ऐसे पोत की दशा में, जिसकी किसी शुष्क गोदी में

मरम्मत की जा रही है या जिस पर रखरखाव कार्य किया जा रहा है, जो भाड़े के लिए उपलब्ध है, वहां गोदी के स्वामी को सभी प्रयोजनों के लिए अधिभोगी उन मामलों के सिवाय, समझा जाएगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, जो प्रत्यक्ष रूप से पोत की स्थिति से संबंधित है, जिसके लिए पोत का स्वामी अधिभोगी समझा जाएगा ;

1948 का 53

(53) "तेल क्षेत्र" का वही अर्थ है जो तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 3 के खंड (ड.) में उसका है ;

(54) "संगठित क्षेत्र" से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है, जो असंगठित क्षेत्र नहीं है ;

(55) "स्थायी आंशिक नि:शक्तता" से जहां नि:शक्तता स्थायी प्रकृति की है, ऐसी नि:शक्तता अभिप्रेत है, जो किसी कर्मचारी की प्रत्येक नियोजन में उपार्जन की उस क्षमता को घटा देती है, जो वह दुर्घटना के परिणामस्वरूप नि:शक्तता के समय करने के लिए समर्थ था :

परंतु चौथी अनुसूची के भाग में विनिर्दिष्ट प्रत्येक क्षति का परिणाम स्थायी आंशिक नि:शक्तता समझा जाएगा ;

(56) "स्थायी पूर्ण नि:शक्तता" से स्थायी प्रकृति की ऐसी नि:शक्तता अभिप्रेत है, जो किसी कर्मचारी को उस समस्त कार्य के लिए असमर्थ बना देती है, जो वह दुर्घटना के परिणामस्वरूप ऐसी नि:शक्तता के समय करने के लिए समर्थ था :

परंतु चौथी अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक क्षति का परिणाम या उसके भाग 2 में विनिर्दिष्ट क्षतियों के किसी संयोजन का वहां परिणाम, जहां उन क्षतियों से उक्त भाग 2 में यथाविनिर्दिष्ट उपार्जन क्षमता की हानि का कुल प्रतिशत एक सौ प्रतिशत की कोटि में आता है, स्थायी पूर्ण नि:शक्तता समझा जाएगा ;

(57) "पेंशन निधि" से धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन स्थापित पेंशन निधि अभिप्रेत है ;

(58) "पेंशन स्कीम" से धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन विरचित कर्मचारी पेंशन स्कीम अभिप्रेत है ;

(59) "बागान" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित कोई भी भूमि—

(i) चाय, काफी, रबड़, सिंकोना या इलायची उगाना, जिसका आकार पांच हेक्टेयर या अधिक है ;

(ii) कोई अन्य पौध उगाना, जिसका आकार पांच हेक्टेयर या उससे अधिक है और जिसमें दस या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन नियोजित थे, यदि केंद्रीय सरकार का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा

ऐसा निदेश दे ।

स्पष्टीकरण—यदि इस उपखंड में निर्दिष्ट किसी पौधे को उगाने के लिए प्रयुक्त किया गया किसी भूखंड का आकार पांच हेक्टेयर से कम है और वह इस प्रकार प्रयुक्त नहीं किए गए किसी अन्य भूखंड का भाग है, किन्तु इस प्रकार प्रयुक्त किए जाने के योग्य हैं और ऐसे दोनों भूखंड उसी नियोजक के प्रबंध के अध्यधीन हैं, तो इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए पहले वर्णित भूखंड को बागान तब समझा जाएगा, यदि ऐसे दोनों भूखंडों का आकार पांच हेक्टेयर या उससे अधिक है ;

(ख) कोई भी भूमि, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करे और जिसका उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी पौधे के उगाए जाने के लिए प्रयुक्त किया गया हो या प्रयुक्त किया जाना आशयित हो, इस बात के होते हुए भी कि उसका आकार पांच हेक्टेयर से कम है :

परंतु ऐसी भूमि के संबंध में, जिसका आकार इस संहिता के प्रारंभ से ठीक पहले पांच हेक्टेयर से कम है, ऐसी कोई घोषणा नहीं की जाएगी ; और

(ग) कार्यालय, अस्पताल, औषधालय, विद्यालय और उपखंड (क), उपखंड (ख) के अर्थांतर्गत किसी बागान से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त कोई अन्य परिसर ; किन्तु इसके अंतर्गत परिसर में कारखाना नहीं आता है ;

(60) "प्लेटफार्म कार्य" से पारंपरिक नियोजक - नियोक्ता संबंध से बाहर कार्य का प्रबंध अभिप्रेत है, जिसमें संगठन या व्यष्टि अन्य संगठनों या व्यष्टियों तक किसी आनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से विनिर्दिष्ट समस्याओं का समाधान करने के लिए पहुंच बनाते हैं या विनिर्दिष्ट सेवाएं या कोई ऐसे अन्य क्रियाकलाप उपलब्ध कराते हैं, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा संदाय के विनिमय के लिए अधिसूचित किया जाए ;

(61) "प्लेटफार्म कर्मकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो प्लेटफार्म कार्य में लगा है या कार्य करता है ;

(62) "पत्तन" का वही अर्थ है जो भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 3 के खंड (4) में उसका है ; 1908 का 15

(63) "भविष्य निधि" से धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन स्थापित कर्मचारी भविष्य निधि अभिप्रेत है ;

(64) "भविष्य निधि स्कीम" से धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन विरचित कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम अभिप्रेत है ;

(65) "विहित" से इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया गया अभिप्रेत है ;

(66) "रेल" का वही अर्थ है जो रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (31) में उसका है ; 1989 का 24

(67) "रेल कंपनी" के अंतर्गत कोई भी ऐसे व्यक्ति आते हैं, जो चाहे निगमित हो या नहीं, रेल के स्वामी या पट्टेदार या रेल में काम करने के लिए किसी करार के पक्षकार हैं ;

(68) "वसूली अधिकारी" से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय बोर्ड या निगम का कोई भी अधिकारी अभिप्रेत है, जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संहिता के अधीन वसूली अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाए ;

(69) "विनियम" से इस संहिता के अधीन निगम द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(70) "सेवानिवृत्ति" से किसी कर्मचारी की अधिवर्षिता से भिन्न सेवा की समाप्ति अभिप्रेत है ;

(71) "विक्रय संवर्धन कर्मचारी" से विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 की धारा 2 के खंड (घ) में यथा परिभाषित विक्रय संवर्धन कर्मचारी अभिप्रेत है ;

1976 का 11

(72) "अनुसूची" से इस संहिता की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(73) "नाविक" से किसी पोत के कर्मी दल का भाग बनने वाला कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है किन्तु इसके अंतर्गत पोत का मास्टर नहीं आता है ;

(74) "मौसमी कारखाना" से ऐसा कारखाना अभिप्रेत है, जो अनन्य रूप से निम्नलिखित एक या अधिक विनिर्माण प्रक्रियाओं में लगा हुआ है, अर्थात्, कपास ओटना, कपास या जूट प्रेसिंग, मूंगफली की छिपाई, नील, लाख, चीनी (जिसके अंतर्गत गुण भी है) का विनिर्माण या कोई विनिर्माण प्रक्रिया जो पूर्वोक्त प्रक्रियाओं में से किसी के आनुषंगिक या संबंधित है, किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा कारखाना भी है, जो एक वर्ष में सात मास की अनधिक अवधि के लिए किसी ऐसी विनिर्माण प्रक्रिया में लगा हुआ है, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ;

(75) "स्वनियोजित कर्मकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नियोजक द्वारा नियोजित नहीं है किन्तु जो मासिक उपार्जन की ऐसी रकम के अध्यधीन, जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, असंगठित क्षेत्र में किसी आजीविका में स्वयं को लगाया हुआ है या जो ऐसी सीमा के अध्यधीन, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, कृषि योग्य भूमि का धारक है ;

(76) "दुकान" से किसी राज्य के संबंध में दुकान से संबंधित और उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति में यथा परिभाषित दुकान अभिप्रेत है ;

(77) "रुग्णता"से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है, जिसमें चिकित्सीय उपचार और परिचर्या की अपेक्षा है तथा जिसके कारण चिकित्सीय आधार पर कार्य से अनुपस्थिति आवश्यक होती है ।

(78) "सामाजिक सुरक्षा" से किसी कर्मचारी, असंगठित कर्मकार, जिग कर्मकार और प्लेटफार्म कर्मकार को स्वास्थ्य देखरेख तक पहुंच सुनिश्चित करने के

लिए और इस संहिता के अधीन प्रतिष्ठापित अधिकारों और विरचित स्कीमों के माध्यम से विशिष्टतया वृद्धावस्था, बेरोजगारी, रुग्णता, अविधिमान्यता, कार्य-क्षति, प्रसूति या कमाने वाले की हानि के मामलों में आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपलब्ध संरक्षण के उपाय अभिप्रेत हैं ;

(79) "सामाजिक सुरक्षा संगठन" से इस संहिता के अधीन स्थापित निम्नलिखित में कोई संगठन अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(क) धारा 4 के अधीन गठित केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि न्यासी बोर्ड ;

(ख) धारा 5 के अधीन गठित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ;

(ग) धारा 6 के अधीन गठित असंगठित कर्मकार राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ;

(घ) धारा 6 के अधीन गठित राज्य असंगठित कर्मकार राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ; और

(ङ) धारा 7 के अधीन गठित राज्य भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ;

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा संगठन के रूप में घोषित कोई अन्य संगठन या विशेष प्रयोजन यान ;

(80) "राज्य सरकार" के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(क) विधान मंडल वाले किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में संघ राज्यक्षेत्र की सरकार ; और

(ख) बिना विधान मंडल वाले किसी राज्यक्षेत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन उसका प्रशासक के रूप में नियुक्त प्रशासक ;

(81) "राज्य असंगठित कर्मकार"बोर्ड से धारा 6 की उपधारा (9) के अधीन गठित राज्य असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अभिप्रेत है ;

(82) "अधिवर्षिता" से किसी कर्मचारी के संबंध में कर्मचारी द्वारा ऐसी आयु प्राप्त करना अभिप्रेत है, जो संविदा या सेवा शर्तों में ऐसी आयु प्राप्ति के रूप में नियत है, जिसको कर्मचारी नियोजन छोड़ देगा :

परंतु अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए अधिवर्षिता की आयु 58 वर्ष होगी ;

(83) "अस्थायी नि:शक्तता" से किसी नियोजन क्षति के परिणामस्वरूप कोई ऐसी स्थिति अभिप्रेत है, जिसमें चिकित्सा उपचार अपेक्षित है और जो किसी कर्मचारी को ऐसी क्षति के परिणामस्वरूप ऐसा कार्य करने के लिए अस्थायी रूप से असमर्थ कर देती है, जो वह क्षति से पहले उसके समय कर रहा था ;

1947 का 14

(84) "अधिकरण" से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7क के अधीन समुचित सरकार द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण अभिप्रेत है ;

(85) "असंगठित क्षेत्र" से व्यष्टियों या स्वनियोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन कोई उद्यम अभिप्रेत है और जो जिस भी प्रकार के माल के उत्पादन

या विक्रय या सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और जहां उद्यम में कर्मकार नियोजित किए जाते हैं, वहां ऐसे कर्मकारों की संख्या दस से कम है ;

(86) "असंगठित कर्मकार" से असंगठित क्षेत्र में गृह आधारित कर्मकार, स्वनियोजित कर्मकार या कोई मजदूरी कर्मकार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत संगठित क्षेत्र में ऐसा कर्मकार भी है, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या इस संहिता के अध्याय 3 से अध्याय 7 के अंतर्गत नहीं आता है ;

1947 का 14

(87) "रिक्ति" से अध्याय 13 के प्रयोजनों के लिए किसी पद में किसी व्यक्ति को नियोजित करने के प्रयोजन के लिए और पारिश्रमिक वाले किसी काडर या उपजीविका में कोई खाली पद अभिप्रेत है (जिसके अंतर्गत नया सृजित पद, प्रशिक्षु का पद, शिक्षु के माध्यम से भरा गया पद या किसी स्थापन में किन्हीं अन्य माध्यमों द्वारा कोई खाली पद भी है)

(88) "मजदूरी" से धन के रूप में अभिव्यक्त या इस प्रकार अभिव्यक्त हो सकने वाला वह समस्त पारश्रमिक, चाहे वह वेतन या भत्तों के रूप में हो या अन्यथा, अभिप्रेत है, जो किसी नियोजित व्यक्ति को, यदि नियोजन के अभिव्यक्ति या विवक्षित निबंधनों की पूर्ति हो गई होती तो, उसके नियोजन की बाबत या ऐसे नियोजन में किए गए कार्य की बाबत उसे संदेय होता, और निम्नलिखित इसके अंतर्गत है, —

(क) मूल वेतन ;

(ख) महंगाई भत्ता ;

(ग) प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो ;

किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं—

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संदेय कोई बोनस, जो नियोजन के निबंधनों के अधीन संदेय पारिश्रमिक का भाग नहीं होता है ;

(ख) किसी गृहवास सुविधा का या रोशनी, जल, चिकित्सीय परिचर्या या अन्य सुख-सुविधा के प्रदाय का या समुचित सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा मजदूरी की संगणना से अपवर्जित किसी सेवा का मूल्य ;

(ग) किसी पेंशन या भविष्य-निधि में नियोजक द्वारा संदत्त कोई अभिदाय और ब्याज जो उस पर प्रोद्भूत हुआ हो ;

(घ) कोई वाहन भत्ता या किसी यात्रा रियायत का मूल्य ;

(ङ) किसी नियोजित व्यक्ति को उसके नियोजन की प्रकृति द्वारा उस पर विशेष व्यय को चुकाने के लिए संदत्त कोई राशि ;

(च) मकान किराया भत्ता ;

(छ) पक्षकारों के बीच किसी अधिनिर्णय या समझौता या किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेश के अधीन संदेय पारिश्रमिक ;

(ज) कोई समयोपरि भत्ता ;

(झ) कर्मचारी को संदेय कोई कमीशन ;

(ञ) नियोजन की समाप्ति पर संदेय कोई भी उपदान ; या

(ट) कर्मचारी को संदेय कोई छंटनी प्रतिकर या अन्य सेवानिवृत्ति फायदा या नियोजन की समाप्ति पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे किया गया कोई अनुगृहपूर्वक संदाय :

परंतु इस खंड के अधीन मजदूरी की संगणना करने के लिए, यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को खंड (क) से (झ) के अधीन किए गए कोई संदाय इस खंड के अधीन संगणित सभी पारिश्रमिकों के आधे या ऐसी अन्य प्रतिशत, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, से अधिक होते हैं तो ऐसी रकम, जो ऐसी आधी रकम या इस प्रकार अधिसूचित प्रतिशत से अधिक होती है, को पारिश्रमिक समझा जाएगा और तदनुसार उसे इस खंड के अधीन मजदूरी में जोड़ा जाएगा :

परंतु यह और कि सभी स्त्री-पुरुषों के लिए समान मजदूरी के प्रयोजन के लिए और मजदूरी के संदाय के प्रयोजन के लिए खंड (घ), खंड (च), खंड (छ) और खंड (ज) में विनिर्दिष्ट परिलब्धियों को मजदूरी की संगणना के लिए लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—जहां किसी कर्मचारी को उसे संदेय संपूर्ण या भाग मजदूरी के स्थान पर कोई पारिश्रमिक उसके नियोजक द्वारा पूर्णतः या भागतः वस्तु के रूप में दिया जाता है, तो वस्तु के रूप में ऐसे पारिश्रमिक का मूल्य, जो उसको संदेय कुल मजदूरी के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होता है, को ऐसे कर्मचारी की मजदूरी का एक भाग समझा जाएगा ।

(89) "मजदूरी सीमा" से मजदूरीकी ऐसी रकम अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अध्याय 3 और अध्याय 4 के अधीनसदस्य बनने के लिए अधिसूचित की जाए ;

(90) "मजदूरी कर्मकार" से असंगठित क्षेत्र में नियोजित कोई व्यक्ति, जो किसी नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या किसी ठेकेदार के माध्यम से कार्य स्थल को विचार में लाए बिना, चाहे अनन्य रूप से एक नियोजक के लिए या एक से अधिक नियोजकों के लिए, चाहे नकद में या वस्तु रूप में पारिश्रमिक के लिए, चाहे गृह आधारित कर्मकार के रूप में या अस्थायी या आकस्मिक कर्मकार के रूप में या प्रवासी कर्मकार के रूप में या गृहस्थियों द्वारा नियोजित कर्मकार अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत ऐसी इतनी रकम की मासिक मजदूरी सहित जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, घरेलू कर्मकार भी है ;

(91) "महिला" से किसी स्थापन में मजदूरी के लिए चाहे प्रत्यक्ष रूप से या किसी ठेकेदार के माध्यम से नियोजित कोई महिला अभिप्रेत है :

परंतु अध्याय 4 के प्रयोजनों के लिए कोई महिला, जो ऐसी कर्मचारी है या थी, जिसकी बाबत उक्त अध्याय के अधीन अभिदाय संदेय है या था तथा जो उस कारण से उक्त अध्याय के अधीन उपबंधित किसी भी फायदे की हकदार है, को 'बीमाकृत महिला'कहा जाएगा और इसके अंतर्गत,--

(i) एक ऐसी प्रारंभ करने वाली महिला, जो एक जैव माता है, जो एक बालक की वांछा करती है और किसी अन्य महिला में भ्रूण स्थापित करने को अधिमान देती है ;

(ii) कोई महिला, जो विधिपूर्वक तीन मास तक के किसी बालक को गोद लेती है ।

स्थापन का रजिस्ट्रीकरण और रद्दकरण ।

3. (1) प्रत्येक ऐसा स्थापन, जिसको यह संहिता लागू होती है, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, इलैक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा :

परंतु ऐसे स्थापन, जो तत्समय किसी अन्य केंद्रीय प्रवृत्त श्रम विधि के अधीन पहले ही रजिस्ट्रीकृत है, इस अधिनियम के अधीन फिर से रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और ऐसा स्थापन इस संहिता के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा :

(2) कोई स्थापन जिसको अध्याय 3 या अध्याय 4 लागू होता है और जिसके कारबार संबंधी क्रियाकलाप बंद होने की प्रक्रिया में हैं, इस धारा के अधीन मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण रद्द करने हेतु आवेदन करने की रीति, शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण को रद्द किया जाएगा और रद्दकरण की प्रक्रिया और उससे संबंधित अन्य विषय वे होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

अध्याय 2

सामाजिक सुरक्षा संगठन

कर्मचारी भविष्य निधि केंद्रीय न्यासी बोर्ड का गठन ।

4. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, अध्याय 3 और उस अध्याय से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि केंद्रीय न्यासी बोर्ड नामक केंद्रीय बोर्ड का गठन उसमें ऐसी रीति में,जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, न्यस्त निधियों के प्रशासन के लिए कर सकेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ;

(ख) पांच से अनधिक व्यक्ति, जो इसके पदधारियों में से केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ;

(ग) ऐसे राज्यों की सरकारों का, जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रतिनिधित्व करने वाले पन्द्रह से अनधिक व्यक्ति, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ;

(घ) ऐसे स्थापनों के, जिनको धारा 15 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम लागू होती है, कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस व्यक्ति, जो कर्मचारियों के ऐसे संगठनों से, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्रदान की जाए, परामर्श के पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ;

(ङ) ऐसे स्थापनों के, जिनको धारा 15 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विरचित स्कीम लागू होती है, कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस व्यक्ति, जो कर्मचारियों के ऐसे संगठनों से, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्रदान की जाए, परामर्श के पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ; और

(च) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त – पदेन ।

(2) केंद्रीय बोर्डकर्मचारी भविष्य निधि केंद्रीय न्यासी बोर्ड नामक एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, केंद्रीय बोर्ड को उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए, ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों में से एक कार्य समिति का गठन कर सकेगी ।

(4) केंद्रीय बोर्ड, आदेश द्वारा, ऐसी संरचना की, जो उसके कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करने के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक या अधिक समितियां गठित कर सकेगा ।

(5) केंद्रीय बोर्ड, आदेश द्वारा अपने अध्यक्ष या कार्यपालक समिति या अपने किन्हीं अधिकारियों को इस संहिता के अधीन अपनी शक्तियां और कृत्य, जो वह धारा 12 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीमों के अधीन प्रभावी प्रशासन के लिए आवश्यक समझे तथा धारा 12 के अधीन गठित राज्य बोर्ड अपने अध्यक्ष या अपने किन्हीं अधिकारियों को ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(6) केंद्रीय बोर्ड और कार्य समिति के सदस्यों के निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत पदावधि भी है, जिसके अध्यधीन वे अपने-अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, ऐसे होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं :

परंतु केंद्रीय बोर्ड का कोई सदस्य उसकी पदावधि का अवसान होने पर भी उसका उत्तरवर्ती नियुक्त किए जाने तक पद धारण करता रहेगा ।

(7) केंद्रीय बोर्ड इस संहिता में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त ऐसे अन्य कृत्यों का पालन भी ऐसी रीति में करेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का गठन ।

5. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए,कर्मचारी राज्य बीमा नामक निगम की अध्याय 4 और उस अध्याय से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के प्रशासन के लिए, ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, निगम का गठन कर सकेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ख) उपाध्यक्ष, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ग) पांच से अनधिक व्यक्ति, जो इसके पदधारियों में से केंद्रीय सरकार

द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ;

(घ) ऐसे राज्यों में प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति, ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ;

(ङ) संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, एक व्यक्ति, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(च) नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस व्यक्ति, जो नियोजकों के ऐसे संगठनों से, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्रदान की जाए, परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ;

(छ) नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस व्यक्ति, जो कर्मचारियों के ऐसे संगठनों से, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्रदान की जाए, परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ;

(ज) चिकित्सा व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, जो चिकित्सा संगठनों से, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्रदान की जाए, परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ;

(झ) तीन सांसद, जिनमें से दो लोक सभा से और एक सदस्य राज्य सभा से होगा, जिन्हें क्रमश: लोक सभा के सदस्य और राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित करेंगे ; और

(ञ) निगम का महानिदेशक– पदेन ।

(2) निगम कर्मचारी राज्य बीमा निगम नामक एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, निगम के सदस्यों में से, ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, स्थायी समिति का गठन कर कर सकेगी ।

(4) निगम के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन स्थायी समिति—

(क) निगम के कार्यों का प्रशासन करेगी और निगम की किसी भी शक्ति का प्रयोग और किसी भी कृत्य का पालन ऐसी रीति में कर सकेगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ;

(ख) निगम के विचारार्थ और विनिश्चय के लिए ऐसे सभी मामले और विषय प्रस्तुत करेगी, जो इस निमित्त बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं ; और

(ग) अपने विवेकानुसार निगम के विनिश्चय के लिए कोई अन्य मामला या विषय प्रस्तुत कर सकेगी ।

(5) (क) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, चिकित्सा फायदों के प्रशासन से संबंधित निगम के कृत्यों के पालन में उसकी सहायता करने के लिए ऐसी संरचना की चिकित्सा फायदा समिति गठित कर सकेगी,

जो उसके द्वारा विहित की जाए ।

(ख) चिकित्सा फायदा समिति ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(6) निगम, आदेश द्वारा, ऐसी संरचना की, जो उसके कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करने के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक या अधिक समितियां गठित कर सकेगी ।

(7) निगम और स्थायी समिति के सदस्यों के निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत पदावधि भी है, जिसके अध्यधीन वे अपने-अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, ऐसे होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं :

परंतु निगम का कोई सदस्य उसकी पदावधि का अवसान होने पर भी उसका उत्तरवर्ती नियुक्त किए जाने तक पद धारण करता रहेगा ।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड ।

6. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, इस संहिता के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और उसको सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए गठित करेगी ।

(2) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् : —

(क) केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री – अध्यक्ष ;

(ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय का सचिव – उपाध्यक्ष;

(ग) चालीस सदस्य, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जिनमें से—

(i) असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात सदस्य होंगे ;

(ii) असंगठित क्षेत्र के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात सदस्य होंगे ;

(iii) सिविल सोसाइटी से ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात सदस्य होंगे ;

(iv) लोक सभा का प्रतिनिधित्व का करने वाले दो सदस्य और राज्य सभा से एक सदस्य होगा ;

(v) केंद्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालय और विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस सदस्य होंगे ;

(vi) राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य होंगे ; और

(vii) संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य होगा ; और

(घ) श्रम कल्याण महानिदेशक- पदेन सदस्य-सचिव ।

(3) सभी सदस्यों के सिवाय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य

सदस्य श्रम कल्याण, प्रबंध, वित्त, विधि और प्रशासन के क्षेत्रों में ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों में से होंगे ।

(4) उपधारा (2) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रवर्ग से सदस्यों के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के सदस्यों को नामनिर्देशित किए जाने की रीति, संख्या, सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें, सदस्यों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, उनमें हुई रिक्तियों को भरने की रीति ऐसी होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए :

परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ।

(5) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की अवधि तीन वर्ष होगी ।

(6) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड एक वर्ष में कम से कम तीन बार ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(7) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) केंद्रीय सरकार को असंगठित कर्मकारों, जिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों को विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त स्कीमों की सिफारिश करना ;

(ख) केंद्रीय सरकार को इस संहिता के प्रशासन से उद्भूत होने वाले ऐसे विषयों पर सलाह देगा, जो उसको निर्दिष्ट किए जाएं ;

(ग) असंगठित कर्मकारों, जिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों के लिए ऐसी सामाजिक कल्याण स्कीमों को मानीटर करेगा, जिसका प्रशासन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है ;

(घ) राज्य स्तर पर पालन किए गए अभिलेख रखने के कृत्यों का पुनर्विलोकन करेगा ;

(ङ) विभिन्न स्कीमों के अधीन निधियों और लेखे से व्यय का पुनर्विलोकन करेगा ; और

(च) ऐसे अन्य कृत्य करेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा उसे समय-समय पर सौंपे जाते हैं ।

(8) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, असंगठित कर्मकारों से संबंधित इस संहिता के प्रशासन से उद्भूत होने वाले ऐसे विषयों पर और ऐसे अन्य विषयों पर, जो केंद्रीय सरकार उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट करे, केंद्रीय सरकार को सलाह देने के लिए एक या अधिक सलाहकारी समिति गठित कर सकेगी ।

(9) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस संहिता के अधीन (राज्य का नाम) असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड नामक बोर्ड का गठन उसको प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करने के लिए और उसको सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, करेगी ।

(10) प्रत्येक राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) संबंधित राज्य का श्रम और रोजगार मंत्री, अध्यक्ष - पदेन ;

(ख) प्रधान सचिव या सचिव (श्रम), उपाध्यक्ष ;

(ग) श्रम और रोजगार मंत्रालय से केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति ;

(घ) बत्तीस सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जिनमें से—

(i) असंगठित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात सदस्यहोंगे ;

(ii) असंगठित कर्मकारों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात सदस्य होंगे ;

(iii) संबंधित राज्य की विधान सभा का प्रतिनिधित्व का करने वाले दो सदस्य ;

(iv) सिविल सोसाइटी से ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य होंगे ;

(v) राज्य सरकार के संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस सदस्य होंगे ; और

(ङ) राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, सदस्य-सचिव ।

(11) सभी सदस्यों के सिवाय राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य श्रम कल्याण, प्रबंध, वित्त, विधि और प्रशासन के क्षेत्रों में ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों में से होंगे ।

(12) उपधारा (10) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट राज्य असंगठित कर्मकार बोर्डके प्रत्येक प्रवर्ग से सदस्यों को नामनिर्देशित करने की रीति, संख्या, पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें, सदस्यों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, उनमें हुई रिक्तियों को भरने की रीति ऐसी होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए :

परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ।

(13) राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड की अवधि तीन वर्ष होगी ।

(14) राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड तीन मास में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(15) राज्य बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) राज्य सरकार को असंगठित कर्मकारों को विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त

स्कीमों को बनाने की सिफारिश करेगा ;

(ख) राज्य सरकार को इस संहिता के प्रशासन से उद्भूत होने वाले ऐसे विषयों पर सलाह देगा, जो उसको निर्दिष्ट किए जाएं ;

(ग) असंगठित कर्मकारों के लिए ऐसी सामाजिक कल्याण स्कीमों को मानीटर करेगा, जिसका प्रशासन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ;

(घ) जिला स्तर पर पालन किए गए अभिलेखपालक कृत्यों का पुनर्विलोकन करेगा ;

(ङ) असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के रजिस्ट्रीकरण और कार्ड जारी करने की प्रगति का पुनर्विलोकन करेगा ;

(च) विभिन्न स्कीमों के अधीन व्यय का पुनर्विलोकन करेगा ; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्य करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा उसे समय-समय पर सौंपे जाते हैं ।

(16) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, असंगठित कर्मकारों से संबंधित इस संहिता के प्रशासन से उद्भूत होने वाले ऐसे विषयों पर और ऐसे अन्य विषयों पर, जो राज्य सरकार उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट करे, राज्य सरकार को सलाह देने के लिए एक या अधिक सलाहकारी समिति गठित कर सकेगी ।

राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन ।

7. (1) प्रत्येक राज्य सरकार ऐसी तारीख से, जो अधिसूचना द्वारा नियत की जाए, (राज्य का नाम.....) के लिए उसे इस धारा और अध्याय 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने के लिए भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड नामक बोर्ड का गठन करेगी ।

(2) भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक सदस्य और पन्द्रह से अनधिक संख्या में इतने अन्य सदस्य होंगे, जो उसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएं :

परंतु भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में राज्य सरकार, नियोजकों और भवन निर्माण कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले बराबर संख्या में सदस्य सम्मिलित किए जाएंगे और बोर्ड की कम से कम एक सदस्य कोई महिला होगी ।

(4) भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें तथा संदेय वेतन और भत्ते तथा भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सदस्यों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति ऐसे होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(5) (क) भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड एक सचिव की और ऐसे अन्य

अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, जो वह इस संहिता के अधीन बोर्ड के अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ;

(ख) भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का सचिव उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा ;

(ग) भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव तथा अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें तथा संदेय वेतन और भत्ते ऐसे होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(6) भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) किसी फायदाग्राही या उसके किसी आश्रित को मृत्यु और निःशक्तता फायदे प्रदान करना ;

(ख) ऐसे फायदाग्राहियों को पेंशन का संदाय करना, जिन्होंने साठ वर्ष की आयु पूरी कर ली है ;

(ग) फायदाग्राहियों की समूह बीमा स्कीम के लिए प्रीमियम के संबंध में ऐसी रकम का संदाय करना, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ;

(घ) फायदाग्राहियों के बालकों के फायदे के लिए ऐसी शैक्षिक स्कीमें विरचित करना, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ;

(ङ) किसी फायदाग्राही या ऐसे आश्रित की गंभीर व्याधि के उपचार के लिए ऐसे चिकित्सा व्ययों की पूर्ति करना, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किए जाएं ;

(च) फायदाग्राहियों को प्रसूति फायदे का संदाय करना ;

(छ) फायदाग्राहियों के लिए कौशल विकास और जागरूकता स्कीमें विरचित करना ;

(ज) फायदाग्राहियों को मार्गस्थ वास-सुविधा या छात्रावास सुविधा प्रदान करना ;

(झ) केंद्रीय सरकार की सहमति से राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण कर्मकार फायदाग्राहियों के लिए कोई अन्य कल्याण स्कीम बनाना ; और

(ञ) ऐसे अन्य कल्याण उपाय और सुविधाओं का उपबंध करना और उनमें सुधार करना, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(7) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, भवन निर्माण कर्मकारों से संबंधित इस संहिता के प्रशासन से उद्भूत होने वाले ऐसे विषयों पर और ऐसे अन्य विषयों पर, जो राज्य सरकार उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट करे, राज्य सरकार को सलाह देने के लिए एक या अधिक सलाहकारी समिति गठित कर सकेगी ।

किसी भी सामाजिक सुरक्षा

8. (1) किसी भी ऐसे व्यक्ति को किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन या किसी समिति

संगठन के किसी सदस्य की निरर्हता और हटाया जाना ।

के सदस्य के रूप में नहीं चुना जाएगा या सदस्य होना जारी नहीं रहेगा, जो—

(क) दिवालिया है या किसी भी समय न्यायनिर्णीत कर दिया गया है ;

(ख) जो पागल होना पाया गया है या विकृत्तचित हो गया है ;

(ग) किसी ऐसे अपराध का दोषसिद्ध है या कर दिया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है ;

(घ) किसी स्थापन में नियोजक है और इस संहिता के अधीन किन्हीं शोध्यों के संदाय में व्यतिक्रम किया है ;

(ङ) सांसद या किसी राज्य विधान सभा का सदस्य होते हुए किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन का कोई सदस्य है, जब वह यथास्थिति, सांसद या राज्य विधान सभा का सदस्य नहीं रहता है ; या

(च) सांसद या किसी राज्य विधान सभा का सदस्य होते हुए किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन का कोई सदस्य है और वह—

(i) केंद्रीय या राज्य सरकार का मंत्री बन जाता है ; या

(ii) लोक सभा या किसी राज्य विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बन जाता है ;

(iii) राज्य सभा का उपसभापति बन जाता है ।

स्पष्टीकरण 1—यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति खंड (घ) के अधीन निरर्हित है या नहीं, तो उसे समुचित सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे किसी भी प्रश्न पर समुचित सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

स्पष्टीकरण 2—खंड (च), ऐसे व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होगा, जो मंत्री होने के आधार पर सामाजिक सुरक्षा संगठन के पदेन सदस्य हैं ।

(2) केंद्रीय बोर्ड, निगम और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के मामले में केंद्रीय सरकार और राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड और भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मामले में राज्य सरकार ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन के ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगी,—

(क) जो उपधारा (1) में वर्णित किसी निरर्हता के अध्यधीन है या हो गया है ; या

(ख) जो उस सामाजिक सुरक्षा संगठन की अनुमति के बिना, जिसका वह सदस्य है, सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी किसी समिति की तीन से अधिक लगातार बैठकों में अनुपस्थित हो गया है ;

(ग) जिसने ऐसी सरकार की राय में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिससे उसके पद पर बने रहना लोकहित के लिए हानिकर है या जो ऐसी सरकार की राय में ऐसे सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अन्यथा अयोग्य या अनुपयुक्त हो गया है :

परंतु खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन किसी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे यह हेतुक दर्शित करने का, कि उसे क्यों नहीं हटा दिया जाना चाहिए, अवसर न दे दिया गया हो :

परंतु यह और कि केंद्रीय बोर्ड की कार्य समिति या निगम की स्थायी समिति का कोई सदस्य पद पर नहीं रहेगा यदि वह, यथास्थिति, केंद्रीय बोर्ड या निगम का सदस्य नहीं रहता है ।

(3) सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी किसी समिति का सदस्य, यथास्थिति, उस केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को, जिसने उसकी नियुक्ति की थी, संबोधित हस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय अपने पद का त्याग कर सकेगा और ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार किए जाने पर उसका पद रिक्त हो जाएगा ।

(4) यदि किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी किसी समिति में, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की यह राय है कि—

(क) यथास्थिति, नियोजकों या कर्मचारियों या असंगठित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाला उसका कोई सदस्य इस प्रकार से यथोचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है ; या

(ख) किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाला उसका कोई भी सदस्य तत्पश्चात् उस क्षेत्र में पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं रखने वाला पाया जाता है ; या

(ग) ऐसी सरकार में परिस्थितियों या सेवाओं की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसी सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला उसका सदस्य, सरकार को प्रतिनिधित्व करने के लिए बना नहीं रह सकता,

तो ऐसी सरकार आदेश द्वारा ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगी :

परंतु खंड (क) या खंड (ख) के अधीन कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उसे यह हेतुक दर्शित करने का, कि उसे क्यों नहीं हटा दिया जाना चाहिए, अवसर न दे दिया गया हो ।

(5) यदि किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी किसी समिति का कोई भी सदस्य, जो किसी कंपनी का निदेशक है और जिसका ऐसे निदेशक के रूप में सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी किसी समिति के विचारार्थ आने वाले किसी मामले में कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय हित हो गया है, तो वह हित के ऐसे तथ्य को उसकी जानकारी में आने के पश्चात् यथाशीघ्र हित की प्रकृति को प्रकट करेगा और ऐसे प्रकटन को, यथास्थिति, सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी समिति की कार्यवाहियों में लेखबद्ध किया जाएगा और तत्पश्चात् ऐसा सदस्य सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी किसी समिति की उस मामले से संबंधित किसी कार्रवाई या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा।

सामाजिक सुरक्षा संगठन के कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया आदि ।

9. (1) कोई सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी कोई भी समिति ऐसे अंतरालों पर बैठक करेगी और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार की बाबत ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा

विहित की जाए ।

(2) सामाजिक सुरक्षा संगठन के सभी आदेशों और विनिश्चयों को, क्रमिक सामाजिक सुरक्षा संगठन के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, महानिदेशक, श्रम कल्याण महानिदेशक, राज्य के प्रधान सचिव या सचिव (श्रम) या ऐसे अन्य अधिकारी के, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा और सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा जारी अन्य लिखतों को इस प्रकार विहित ऐसे अधिकारी जो संबंधित सामाजिक सुरक्षा संगठन के किसी आदेश द्वारा प्राधिकृत किया जाए ।

(3) किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी किसी भी समिति द्वारा किए गए किसी कार्य या कार्यवाही को केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि, यथास्थिति, सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है । किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी किसी भी समिति के ऐसे सदस्य, ऐसी फीस और भत्तों के हकदार होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(4) सामाजिक सुरक्षा संगठन या किसी समिति के ऐसे सदस्य, ऐसी फीस और भत्तों के हकदार होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

केंद्रीय बोर्ड और निगम के कार्यकारी प्रधान ।

10. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त और महानिदेशक, यथास्थिति, केंद्रीय बोर्ड या निगम के पूर्णकालिक अधिकारी होंगे और केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे, जो उनके पद से संबंधित नहीं हैं ।

निगम, केंद्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, राज्य असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का अधिक्रमण।

11. (1) यदि केंद्रीय बोर्ड, निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की दशा में केंद्रीय सरकार की और राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड या भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की दशा में राज्य सरकार की यह राय है कि, यथास्थिति, निगम या केंद्रीय बोर्ड या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड या भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या उसकी कोई समिति अपने कृत्यों का पालन करने में असमर्थ है या उसने अपने कृत्यों के निर्वहन में बार-बार विलंब किया है या अपनी शक्तियों अथवा अधिकारिता को पार किया है या उनका दुरुपयोग किया है, तो ऐसी सरकार अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, निगम या केंद्रीय न्यासी बोर्ड या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड या भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या उसकी किसी समिति को अधिक्रांत कर सकेगी और ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, उसका पुनर्गठन कर सकेगी :

परंतु इस उपधारा के अधीन इसमें विनिर्दिष्ट किसी आधार पर किसी अधिसूचना के जारी किए जाने से पहले ऐसी सरकार, यथास्थिति, निगम या केंद्रीय न्यासी बोर्ड या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड या भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या उसकी किसी समिति को यह हेतुक दर्शित करने के लिए कि उसे अधिक्रांत क्यों न कर दिया जाना चाहिए, अवसर देगी और उसके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों और किए गए आक्षेपों पर विचार करेगी तथा उस पर समुचित कार्रवाई करेगी ।

(2) यथास्थिति, निगम या केंद्रीय न्यासी बोर्ड या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड

या राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड या भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या उसकी किसी समिति के अधिक्रमण के पश्चात् और उसके पुनर्गठन किए जाने तक, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के प्रशासन के प्रयोजन के लिए ऐसे अनुकल्पी इंतजाम करेगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(3) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसी भी दशा हो, इस धारा के अधीन उसके द्वारा की गई किसी कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई के लिए होने वाली परिस्थितियों की पूरी रिपोर्ट, यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष शीघ्रतम अवसर पर और किसी भी दशा में उपधारा (1) के अधीन जारी अधिक्रमण की अधिसूचना की तारीख से तीन मास के अपश्चात् रखवाएगी ।

राज्य बोर्ड, क्षेत्रीय बोर्ड, स्थानीय समितियां, आदि ।

12. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा,—

(i) और किसी राज्य की सरकार के साथ परामर्श के पश्चात् उस राज्य के लिए एक न्यासी बोर्ड (जिसे इस संहिता में इसके पश्चात् राज्य बोर्ड कहा गया है) का गठन कर सकेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा सौंपे जाएं ;

(ii) किसी राज्य बोर्ड के गठन की रीति, उसके सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें तथा उसकी बैठकों में प्रक्रिया और उससे संबंधित अन्य कार्यवाहियां विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ; और

(2) निगम, आदेश द्वारा ऐसे क्षेत्र में और ऐसी रीति में ऐसे कृत्यों का पालने करने में और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में, जो विनियमन में विनिर्दिष्ट किए जाएं, क्षेत्रीय बोर्ड और स्थानीय समितियां नियुक्त कर सकेगी ।

सामाजिक सुरक्षा संगठनों को अतिरिक्त कृत्यों का न्यस्त किया जाना ।

13. इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा,—

(i) किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन को ऐसे अतिरिक्त कृत्य, जिसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा से संबंधित किसी अन्य अधिनियम या स्कीम का प्रशासन भी है, ऐसे उपबंधों के अध्यधीन सौंप सकेगी, जो अधिसूचना में इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परंतु जब किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन को इस खंड के अधीन अधिनियम या स्कीम को प्रशासित करने के अतिरिक्त कृत्य सौंपे जाते हैं, तब ऐसे संगठन का अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे ऐसा कृत्य सौंपा गया है, ऐसी रीति में, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे कृत्य के निर्वहन के लिए अपेक्षित अधिनियमित या स्कीम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा :

परंतु यह और कि सामाजिक सुरक्षा संगठन ऐसे अतिरिक्त कृत्य विद्यमान अधिकारियों को सौंप सकेंगे या इस प्रयोजन के लिए आवश्यक नए अधिकारियों को नियुक्त कर सकेंगे या लगा सकेंगे, यदि ऐसे कृत्यों का, अतिरिक्त कृत्यों को सौंपे जाने से ठीक पहले यथाविद्यमान उसके कार्मिकों की सहायता से पालन नहीं किया जा सके या पूरे किए जा सकें ;

(ii) सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा खंड (i) के अधीन कृत्यों के निर्वहन के निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगी ;

(iii) यह उपबंध कर सकेगी कि खंड (i) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्यय, जिसके अंतर्गत ऐसे कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक कार्मिकों की नियुक्ति या लगाया जाना भी है, केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ;

(iv) ऐसी शक्तियां विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनका सामाजिक सुरक्षा संगठन, खंड (i) में विनिर्दिष्ट कृत्यों का निर्वहन करते समय प्रयोग करेगा ; और

(v) यह उपबंध कर सकेगी कि खंड (iii) में निर्दिष्ट कोई भी व्यय सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा ।

अध्याय 3

कर्मचारी भविष्य निधि

केंद्रीय बोर्ड के अधिकारियों की नियुक्ति ।

14. (1) केंद्रीय सरकार, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त नियुक्त कर सकेगी, जो केन्द्रीय बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रधान के रूप में कृत्य भी करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, "कर्मचारी भविष्य निधि संगठन" पद से केन्द्रीय बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर बना संगठन अभिप्रेत है।

(2) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस संहिता के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में केन्द्रीय बोर्ड के साधारण नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन होगा ।

(3) केंद्रीय सरकार भी केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी नियुक्त करेगी ।

(4) केंद्रीय बोर्ड, इतने अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उप भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सहायक भविष्य निधि आयुक्त और ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा, भविष्य निधि स्कीम, पेंशन स्कीम और बीमा स्कीम के दक्ष प्रशासन या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर केंद्रीय बोर्ड को सौंपे गए अन्य उत्तरदायित्वों के लिए आवश्यक समझे जाएं ।

(5) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या किसी अतिरिक्त भविष्य निधि आयुक्त या किसी वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखाधिकारी या केंद्रीय बोर्ड के अधीन किसी ऐसे अन्य पद पर, जिनका वेतनमान केंद्रीय सरकार के अधीन किसी भी समूह 'क' या समूह 'ख' के वेतनमान के समतुल्य है, नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के पश्चात् ही की जाएगी अन्यथा नहीं :

परंतु ऐसी किसी नियुक्ति की बाबत ऐसे परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी,—

(क) जो एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए है ; या

(ख) यदि नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति, अपनी नियुक्ति के समय—

(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य है ; या

(ii) केंद्रीय सरकार या केंद्रीय बोर्ड की सेवा में समूह 'क' या समूह 'ख' पद पर है ।

(6) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त और वित्तीय सलाहकार तथा लेखाधिकारी की

भर्ती की पद्धति, वेतन और भत्ते, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसा वेतन और भत्ता, भविष्य निधि में से संदत्त किए जाएंगे ।

(7) (क) अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उप भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सहायक भविष्य निधि आयुक्त तथा केंद्रीय बोर्ड के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति, वेतन और भत्ते, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा केंद्रीय सरकार के तत्स्थानी वेतनमान के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू नियमों और आदेशों के अनुसार विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परंतु जहां केंद्रीय बोर्ड की यह राय है कि पूर्वोक्त किन्हीं विषयों की बाबत उक्त नियमों और आदेशों से अंतर करने की आवश्यकता है, वहां वह केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा :

परन्तु और यह कि इस खंड में विनिर्दिष्ट अधिकारियों के वेतन और भत्ते भविष्य निधि स्कीम में उपबंधित क्रमशः वेतनमान से अधिक नहीं होगी ।

(ख) खंड (क) के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों के तत्स्थानी वेतनमान को अवधारित करने में केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की शैक्षणिक अर्हताओं, भर्ती की पद्धति, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखेगा और किसी शंका की दशा में केंद्रीय बोर्ड मामले को केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट करेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

स्कीमें ।

15. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा—

(क) कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम नामक स्कीम विरचित कर सकेगी, जिसके लिए कर्मचारियों के लिए या कर्मचारियों के किसी वर्ग के लिए इस अध्याय के अधीन भविष्य निधि स्थापित की जाएगी और ऐसे स्थापनों या स्थापनों के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसको उक्त स्कीम लागू होगी ;

(ख) कर्मचारी पेंशन स्कीम नामक स्कीम निम्नलिखित का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए विरचित कर सकेगी, —

(i) किसी स्थापन के कर्मचारियों के लिए या स्थापनों के वर्ग के लिए, जिसे यह अध्याय लागू होता है, अधिवर्षिता पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन, स्थायी पूर्ण निःशक्तता पेंशन ; और

(ii) ऐसे कर्मचारियों के फायदाग्राहियों को संदेय विधवा या विधुर पेंशन, बालक पेंशन या अनाथ पेंशन ; और

(iii) नामनिर्देशिती पेंशन ;

(ग) किसी स्थापन के कर्मचारियों को या स्थापनों के वर्गों को, जिसे यह अध्याय लागू होता है, जीवन बीमा फायदे प्रदान करने के प्रयोजन के लिए कर्मचारी बीमा संबद्ध निक्षेप स्कीम नामक स्कीम विरचित कर सकेगी ; और

(घ) इस संहिता के अधीन स्वनियोजित कर्मकारों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग के लिए, सामाजिक सुरक्षा फायदों को उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के

लिए कोई अन्य स्कीम या स्कीमों को विरचित कर सकेगा ;

(ङ) खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी स्कीम को भूतलक्षी या भविष्यलक्षी रूप में बढ़ाकर, उसमें संशोधन करके या उसमें फेरफार करके उपांतरित कर सकेगी ।

(2) इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट स्कीमों में पहली अनुसूची के भाग क, भाग ख और भाग ग में क्रमशः विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा ।

(3) स्कीम में यह उपबंध किया जा सकेगा कि इसके सभी या कोई उपबंध ऐसी तारीख से ही, जो स्कीम में उस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, भूतलक्षी या भविष्यलक्षी रूप में प्रभावी होंगे ।

निधियां ।

16. (1) केंद्रीय सरकार,—

(क) भविष्य निधि स्कीम के प्रयोजनों के लिए एक भविष्य निधि स्थापित कर सकेगी, जहां नियोजक द्वारा संदत्त किया जाने वाला अभिदाय, प्रत्येक कर्मचारी (चाहे उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियोजित हो या किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से) को तत्समय संदेय मजदूरी का दस प्रतिशत होगा और कर्मचारी का अभिदाय उसके संबंध में नियोजक द्वारा संदेय अभिदाय के बराबर होगा और यदि कोई कर्मचारी ऐसी वांछा करे, तो इस शर्त के अध्यधीन कि नियोजक इस धारा के अधीन संदेय उसके अभिदाय से अधिक किसी भी अभिदाय का संदाय करने की बाध्यता के अधीन नहीं होगा, उसकी मजदूरी के दस प्रतिशत से अधिक रकम हो सकेगी :

परंतु किसी स्थापन या स्थापनों के वर्ग को इसके लागू होने में, जो केंद्रीय सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगी । यह धारा इस उपांतरण के अध्यधीन होगी कि दस प्रतिशत शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, बारह प्रतिशत शब्द रखे जाएंगे :

परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, अधिसूचना द्वारा कर्मचारियों के अभिदाय की दर और उस अवधि को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके लिए ऐसी दर कर्मचारियों के किसी वर्ग के लिए लागू होगी ;

(ख) पेंशन स्कीम के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा उस स्कीम में विनिर्दिष्ट रीति में एक पेंशन निधि स्थापित कर सकेगी जिसमें प्रत्येक ऐसे कर्मचारी के संबंध में, जो पेंशन स्कीम का कोई सदस्य है, समय-समय पर निम्नलिखित का संदाय किया जाएगा—

(i) खंड (क) के अधीन कर्मचारी के अभिदाय से मजदूरी के आठ और एक तिहाई प्रतिशत से अनधिक ऐसी राशियां या मजदूरी का ऐसा प्रतिशत, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(ii) धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त ऐसे स्थापनों के, जिसको पेंशन स्कीम लागू होती है, नियोजकों द्वारा पेंशन निधि में अभिदाय के रूप में संदेय ऐसी राशियां, जो पेंशन स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं ;

(iii) ऐसी राशियां, जो केंद्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा विधि द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात् विनिर्दिष्ट करे ;

(ग) बीमा स्कीम के प्रयोजन के लिए उस सरकार द्वारा उस स्कीम में विनिर्दिष्ट रीति में निक्षेप संबद्ध बीमा निधि स्थापित कर सकेगी, जिसमें नियोजक द्वारा ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में, जिसका वह नियोजक है, समय-समय पर, ऐसी रकम का, जो मजदूरी के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी या ऐसे कर्मचारी के संबंध में तत्समय संदेय मजदूरी का ऐसा प्रतिशत, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, संदाय किया जाएगा :

परंतु नियोजक बीमा निधि में धन की ऐसी और राशियों का संदाय करेगा, जो अभिदाय के एक-चौथाई से अधिक नहीं होगी, जिसके लिए इस खंड के अधीन करने के लिए उससे अपेक्षा की जाती है, जो बीमा स्कीम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित किसी फायदे की लागत के मद्दे व्ययों से भिन्न बीमा स्कीम के प्रशासन के संबंध में सभी व्ययों को पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार समय-समय पर अवधारित करे ।

(2) भविष्य निधि, पेंशन निधि और बीमा निधि ऐसी रीति में, जो क्रमशः स्कीमों में विनिर्दिष्ट की जाए, केंद्रीय बोर्ड में निहित होगी और उसके द्वारा प्रशासित होगी ।

कर्मचारियों और ठेकेदारों के संबंध में अभिदाय ।

17. (1) किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित किसी कर्मचारी के संबंध में किसी नियोजक द्वारा संदत्त या संदेय निधि के प्रशासन की लागत को पूरा करने के लिए अभिदाय की रकम (अर्थात् किसी स्कीम के अनुसरण में नियोजक के अभिदाय के साथ ही साथ कर्मचारी का अभिदाय और बीमा स्कीम के अनुसरण में नियोजक का अभिदाय) और अन्य प्रभार ऐसे नियोजक द्वारा ठेकेदार से या तो किसी संविदा के अधीन ठेकेदार को संदेय किसी रकम की कटौती करके या ठेकेदार द्वारा संदेय किसी ऋण के रूप में वसूल किए जा सकेंगे ।

(2) कोई ठेकेदार, जिससे उसके द्वारा या माध्यम से नियोजित किसी कर्मचारी के संबंध में उपधारा (1) में उल्लिखित रकम वसूल की जा सकेगी, ऐसे कर्मचारी को संदेय मजदूरी से कटौती द्वारा किसी स्कीम के अधीन कर्मचारी का संदाय ऐसे कर्मचारी से वसूल कर सकेगा ।

(3) किसी संविदा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई ठेकेदार, उसके द्वारा या माध्यम से नियोजित किसी कर्मचारी को संदेय मजदूरी से उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियोजक का अभिदाय या प्रभार की कटौती करने के लिए या ऐसे कर्मचारी से ऐसा अभिदाय या प्रभार अन्यथा वसूल करने का हकदार नहीं होगा ।

निधि का 1961 के अधिनियम 43 के अधीन मान्यता प्राप्त होना ।

18. आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रयोजनों के लिए भविष्य निधि को उस अधिनियम की धारा 2 के खंड (38) के अर्थांतर्गत मान्यताप्राप्त निधि समझा जाएगा : 1961 का 43

परंतु उक्त अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात भविष्य निधि स्कीम के किसी उपबंध को अप्रभावी करने के लिए प्रवर्तित नहीं होगी (जिसके अधीन भविष्य निधि को स्थापित

किया गया है), जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के विरुद्ध है ।

अभिदाय के संदाय का अन्य ऋणों पर अधिमान होना ।

19. तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन देय शोध्य कोई रकम ऐसे स्थापन की आस्तियों पर भार होगी, जिससे वह संबंधित है और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, के उपबंधों के अनुसार अधिमानत: संदत्त की जाएगी । 2016 का 31

अध्याय का कतिपय स्थापनों को लागू न होना ।

20. (1) यह अध्याय निम्नलिखित को लागू नहीं होगा—

(क) पचास से कम व्यक्तियों को नियोजित करने वाले विद्युत की सहायता के बिना कार्य करने वाले सहकारी सोसाइटी से संबंधित सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 या किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्थापन को ; या 1912 का 2

(ख) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन किसी अन्य स्थापन को और जिसके कर्मचारी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विरचित ऐसे फायदों को शासित करने वाली किसी स्कीम या नियम के अनुसार अभिदायी भविष्य निधि या वृद्धावस्था पेंशन के फायदे के हकदार हैं ; या

(ग) किसी केंद्रीय, राज्य या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन स्थापित किसी अन्य स्थापन को और जिसके कर्मचारी उस विधि के अधीन विरचित ऐसे फायदों को शासित करने वाली किसी स्कीम या नियम के अनुसार अभिदायी भविष्य निधि या वृद्धावस्था पेंशन के फायदे के हकदार हैं ; या

(घ) इस संहिता के प्रारंभ से तुरंत पूर्व किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियमिति के अधीन भविष्य निधि का फायदा प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को ।

(2) यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि किसी वर्ग के स्थापन की वित्तीय स्थिति और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, भूतलक्षी या भविष्यलक्षी रूप में उस वर्ग के स्थापन को ऐसी अवधि के लिए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, इस अध्याय के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकेगी ।

कतिपय नियोजकों को भविष्य-निधि खाते रखने के लिए प्राधिकृत करना ।

21. (1) केन्द्रीय सरकार एक सौ या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन के संबंध में नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या द्वारा इस निमित्त उसको किए गए आवेदन पर, लिखित आदेश द्वारा नियोजक को स्थापन के संबंध में भविष्य निधि खाता, ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो भविष्य निधि स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं, रखने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा :

परंतु यदि ऐसे स्थापन के नियोजक ने, भविष्य निधि अभिदाय के संदाय में कोई व्यतिक्रम किया था या ऐसे प्राधिकरण की तारीख से ठीक पूर्व तीन वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य अपराध किया था तो ऐसा प्राधिकरण इस उपधारा के अधीन नहीं किया जाएगा ।

(2) जहां किसी स्थापन को उपधारा (1) के अधीन भविष्य-निधि खाता रखने के

लिए प्राधिकृत किया गया है वहां ऐसे स्थापन के संबंध में नियोजक ऐसा खाता रखेगा, ऐसी विवरणी देगा, ऐसी रीति से अभिदाय निक्षिप्त करेगा, निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, ऐसे प्रशासनिक प्रभार संदत्त करेगा और ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा जो भविष्य निधि स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) इस धारा के अधीन किया गया कोई प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित आदेश द्वारा उस दशा में, रद्द किया जा सकेगा यदि नियोजन प्राधिकरण के निबंधनों और शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में असफल हो जाता है या जहां वह इस संहिता के किसी उपबंध के अधीन कोई अपराध करता है :

परंतु प्राधिकरण रद्द करने के पूर्व, केन्द्रीय सरकार नियोजक को सुने जाने का उचित अवसर देगी ।

खातों का अंतरण ।

22. जहां कोई कर्मचारी—

(क) किसी ऐसे स्थापन में नियोजित है जिसे यह अध्याय लागू होता है, वहां से अपना नियोजन छोड़ देता है और किसी ऐसे अन्य स्थापन में, जिसे यह अध्याय लागू होता है या नहीं होता है, नियोजन अभिप्राप्त कर लेता है ;

(ख) किसी ऐसे स्थापन में नियोजित है जिसे यह अध्याय लागू नहीं होता है, वहां से अपना नियोजन छोड़ देता हे और किसी ऐसे स्थापन में, जिसे यह अध्याय लागू होता है, नियोजन अभिप्राप्त कर लेता है,

वहां, यथास्थिति, उसके भविष्य-निधि खाते में या पेंशन खाते में संचयित रकम, ऐसी रीति में, भविष्य निधि स्कीम या पेंशन स्कीम, जो भी स्थिति हो, विनिर्दिष्ट की जायें, अंतरित कर दी जाएगी या उसका निपटान किया जाएगा ।

अधिकरण को अपील ।

23. (1) कोई व्यक्ति, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित है, केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित अधिकरण में अपील कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) अध्याय 3 के संबंध में धारा 125 के अधीन शोध्यों का अवधारण और निर्धारण; और

(ख) अध्याय 3 के संबंध में धारा 128 के अधीन उद्ग्रहण की नुकसानी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर की जाएगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए ।

(3) नियोजक द्वारा उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन की गई कोई अपील अधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं की जायेगी, जब तक कि धारा 125 के अधीन किसी अधिकारी द्वारा यथा अवधारित उसके द्वारा शोध्य रकम का पच्चीस प्रतिशत सम्बद्ध सामाजिक सुरक्षा संगठन को जमा नहीं कर दिया जाए ।

(4) अधिकरण, उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, जब उसे अपील की गई, अधीन का विनिश्चय करने की प्रयास करेगा ।

अध्याय 4

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

प्रधान अधिकारी और कर्मचारिवृंद।

24. (1) केन्द्रीय सरकार, निगम का एक महानिदेशक और एक वित्त आयुक्त नियुक्त कर सकेगी जो निगम के प्रधान अधिकारी होंगे ।

(2) महानिदेशक और वित्त आयुक्त पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए पद धारण करेगा जो उसे नियुक्त करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु यदि पदावरोही महानिदेशक या वित्त आयुक्त अन्यथा अर्हित हों तो वह पुनः नियुक्ति का पात्र होगा ।

(3) महानिदेशक और वित्त आयुक्त को ऐसे वेतन और भत्ते मिलेंगे जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(4) महानिदेशक और वित्त आयुक्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाये और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विनियमनों में विहित किया जाए ।

(5) यदि कोई व्यक्ति धारा 8 में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी के अध्यधीन है तो वह महानिदेशक और वित्त आयुक्त के रूप में नियुक्ति किए जाने या होने के लिए निरर्हित होगा ।

(6) केन्द्रीय सरकार महानिदेशक और वित्त आयुक्त को किसी भी समय पद से हटा सकेगी और यदि उसे ऐसे हटाए जाने की सिफारिश निगम के उस प्रयोजन के लिए बुलाए गए विशेष अधिवेशन में पारित और निगम की कुल सदस्य-संख्या के दो तिहाई से अन्यून मतों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा की गई है, तो उसे हटाएगी ।

(7) निगम ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियोजित कर सकेगा जिसमें अधिकारी और सेवक हों और जो उसके कारबार के दक्ष संव्यवहार के लिए और केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम को समय-समय पर सौंपे गए किन्हीं अन्य दायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों :

परंतु ऐसे वेतन से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, उससे अधिक के अधिकतम मासिक वेतन के किसी भी पद के सृजन के लिए केन्द्रीय सरकार की मंजूरी अभिप्राप्त की जाएगी ।

(8) (क) निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति, वेतन और भत्ते, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो तत्समान वेतनमान पाने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए :

परन्तु निगम में चिकित्सा विशेषज्ञों और अति विशेषज्ञों जो तुल्य अर्हताएं और विशेषज्ञता रखते है, के ऐसे पदों के वेतन और भत्ते सहित सेवा के निबंधन और शर्तें, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या चिकित्सा विज्ञान के स्नातकोत्तर संस्थान या अन्य समरूप संस्थानों में विशेषज्ञ और, अति विशेषज्ञों के समतुल्य पदों के क्रमशः समरूप होंगे

परन्तु यह और कि जहां निगम की यह राय है कि पूर्वोक्त किन्हीं विषयों के संबंध में उक्त नियमों या आदेशों का हटाया जाना आवश्यक है, वहां वह केन्द्रीय सरकार का

पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा :

परन्तु यह भी कि यह उपधारा संविदा आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त परामर्शियों और विशेषज्ञयों की नियुक्ति पर लागू नहीं होगी ।

(ख) निगम, खंड (क) के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों के तत्समान वेतनमान अवधारित करने में केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की शैक्षिक अर्हताएं, भर्ती की पद्धति, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखेगा और किसी शंका की दशा में, निगम उस विषय को केन्द्रीय सरकार के पास निर्दिष्ट करेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

(9) केन्द्रीय सरकार के अधीन समूह 'क' और समूह 'ख' राजपत्रित पदों के तत्समान पदों, जो चिकित्सीय नर्सिंग या पराचिकित्सीय पदों से भिन्न है, पर हर नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके की जाएगी :

परंतु इस उपधारा के उपबंध एक वर्ष से अनधिक की कालावधि की किसी स्थानापन्न या अस्थायी नियुक्ति को लागू नहीं होगी :

परंतु यह और कि ऐसी स्थानापन्न या अस्थायी नियुक्ति, नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और उस हैसियत में की गई सेवाओं की गणना न तो ज्येष्ठता के मद्दे, न ही अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए विनियमों में विनिर्दिष्ट निम्नतम अर्हक सेवा के मद्दे की जाएगी ।

(10) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई पद केन्द्रीय सरकार के अधीन के समूह 'क' और समूह 'ख' के तत्समान है या नहीं तो वह प्रश्न केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

कर्मचारी राज्य बीमा निधि ।

25. (1) इस अध्याय के अधीन दिए गए सभी अभिदाय और उपभोग प्रभार और निगम की ओर से प्राप्त अन्य सभी धन (जिसे इसमें इसके पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा निधि कहा गया है) कर्मचारी राज्य बीमा निधि नामक निधि में संदत्त किए जाएंगे जो इस संहिता के प्रयोजनों के लिए निगम द्वारा धारित और प्रशासित की जाएगी ।

परन्तु धारा 44 में विनिर्दिष्ट अन्य हिताधिकारियों से संग्रहित उपभोग प्रभार, अभिदाय समझा जाएगा और कर्मचारी राज्य बीमा निधि, के भाग होंगे ।

(2) निगम, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से किसी स्थानीय प्राधिकारी या व्यष्टि या निकाय से, चाहे वह निगमित हो या न हो, इस अध्याय के सभी प्रयोजनों या किसी भी प्रयोजन के लिए अनुदान, संदान, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि और दान प्रतिगृहीत कर सकेगा ।

(3) इस संहिता में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों और इस निमित्त बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन रहते हुए यह उक्त निधि को प्रोद्भूत या संदेय सभी धन, ऐसे बैंक या बैंकों में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएं, कर्मचारी राज्य बीमा निधि खाता अभिनामक एक खाते में जमा किए जाएंगे ।

(4) कर्मचारी राज्य बीमा निधि या कोई अन्य धन, जो निगम द्वारा धारित किया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में जमा किया जाएगा या उसका विनिधान किया जाएगा । और उपधारा (3) में निर्दिष्ट खाता ऐसे अधिकारियों द्वारा चलाया जाएगा जिन्हें धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात्

स्थायी समिति कहा गया है। निगम के अनुमोदन से प्राधिकृत करे।

वे प्रयोजन, जिनके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निधि में से व्यय किया जा सकेगा ।

26. इस अध्याय और इससे संबंधित उस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निधि में से व्यय केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) धारा 28 में निर्दिष्ट बीमाकृत व्यक्तियों को प्रसुविधाओं का संदाय तथा चिकित्सीय उपचार और परिचर्या का उपबंध और जहां चिकित्सा प्रसुविधा उनके कुटुंब के लिए भी विस्तारित की गई हो वहां इस अध्याय और उससे संबंधित नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार उनके कुटुंबों के लिए ऐसी चिकित्सा प्रसुविधाओं का उपबंध और उससे संबद्ध प्रभारों और खर्चों का चुकाया जाना;

(ख) निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा प्रसुविधा समिति या उसकी अन्य समितियों के सदस्यों को फीसों और भत्तों का संदाय ;

(ग) निगम के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के वेतनों, छुट्टी और पद-ग्रहणकाल के भत्तों, यात्रा भत्तों और प्रतिकर भत्तों, उपदानों और अनुकंपा भत्तों, पेंशनों, भविष्य निधि या अन्य प्रसुविधा निधि में अभिदायों का संदाय और इस अध्याय से संबंधित इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए स्थापित अधिकारियों और कर्मचारिवृंद और अन्य सेवाओं की बाबत हुए व्यय की पूर्ति ;

(घ) धारा 28 में निर्दिष्ट बीमाकृत व्यक्तियों के फायदे के लिए और जहां चिकित्सा प्रसुविधा उनके कुटुंबों के लिए विस्तारित की गई हो, वहां उनके कुटुंबों के फायदे के लिए अस्पतालों, औषधालयों और अन्य संस्थाओं का स्थापन और अनुरक्षण तथा चिकित्सा और अन्य आनुषांगिक सेवाओं का उपबंध ;

(ङ) धारा 28 में निर्दिष्ट बीमाकृत व्यक्तियों के फायदे के लिए, और जहां चिकित्सा प्रसुविधा उनके कुटुंबों के लिए विस्तारित की गई हो, वहां उनके कुटुंबों के लिए, उपबंधित चिकित्सीय उपचार और परिचर्या के व्यय लेखे, जिसके अंतर्गत किसी भवन और उपस्कर का व्यय आता है, किसी राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या किसी प्राइवेट निकाय या व्यष्टि को, किसी ऐसे करार के अनुसार अभिदायों का संदाय जो निगम द्वारा किया गया है ;

(च) निगम के लेखाओं की संपरीक्षा के और उसकी आस्तियों और दायित्वों के मूल्यांकन के खर्च का (जिसके अंतर्गत तत्संबंधी सब व्यय आते हैं) चुकाया जाना ;

(छ) इस अध्याय के अधीन स्थापित कर्मचारी बीमा न्यायालयों के खर्चे का (जिसके अंतर्गत तत्संबंधी सब व्यय आते हैं) चुकाया जाना ;

(ज) निगम या स्थायी समिति द्वारा, या निगम या स्थायी समिति द्वारा उस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए की गई किसी संविदा के अधीन किन्हीं राशियों का संदाय ;

(झ) निगम के विरुद्ध या अपने कर्तव्य के निष्पादन में किए गए किसी कार्य के लिए उसके अधिकारियों या कर्मचारिवृंद में किसी के विरुद्ध हुई किसी न्यायालय या अधिकरण की डिक्री, आदेश या अधिनिर्णय के अधीन या निगम के

विरुद्ध संस्थित या किए गए किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही या दावे के समझौते या परिनिर्धारण के अधीन राशियों का संदाय ;

(ञ) इस अध्याय से संबंधित इस संहिता के अधीन की गई किसी कार्रवाई से उद्भूत किन्हीं सिविल या दांडिक कार्यवाहियों को संस्थित करने या उनमें प्रतिरक्षा करने के खर्च और अन्य प्रभारों का चुकाया जाना ;

(ट) धारा 28 में निर्दिष्ट बीमाकृत व्यक्तियों के स्वास्थ्य और उनके कल्याण की अभिवृद्धि के और उन बीमाकृत व्यक्तियों के, जो निःशक्त या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पुनर्वासन और पुनर्नियोजन के उपायों पर निगम से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित परिसीमाओं के भीतर व्यय चुकाना ; तथा

(ठ) अन्य ऐसे प्रयोजन जो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निगम द्वारा प्राधिकृत किए जाएं ।

संपतिधारण करना, आदि ।

27. (1) निगम ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए भी, जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम से परामर्श करने के पश्चात् विहित की जाए, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्तिका अर्जन और धारण कर सकेगा, किसी ऐसी जंगम और स्थावर संपत्तिको, जो इसमें निहित हो गई हो या जिसे उसने अर्जित कर लिया हो, बेच या अन्यथा अंतरित कर सकेगा और उन प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी बातें कर सकेगा, जिनके लिए निगम स्थापित हुआ है ।

(2) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम से परामर्श करने के पश्चात् विहित की जाएं, निगम समय-समय पर ऐसे धनों को विनिहित कर सकेगा जो इस संहिता के अधीन उचित रूप से चुकाए जाने योग्य व्ययों के लिए तुरंत अपेक्षित नहीं है और यथापूर्वोक्त अधीन रहते हुए, समय-समय पर ऐसे विनिधानों को पुनर्विहित या आस कर सकेगा ।

(3) निगम, केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से और ऐसे निबंधनों से, जो विहितए किए जाएं, ऐसे ऋणों से उन्मुक्त होने के लिए ऋण ले सकेगा या उपाय कर सकेगा ।

(4) निगम, अपने अधिकारियों और कर्मचारिवृंदों या उनकी किसी श्रेणी के लिए, भविष्य निधि या अन्य फायदा निधि, जैसा उचित समझे, का गठन कर सकेगा ।

सभी कर्मचारियों का बीमा किया जाना ।

28.(1) उस स्थापन के, जिसे इस संहिता के उपबंध लागू हैं, प्रत्येक कर्मचारी का बीमा इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा ऐसी रीति से किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(2) कोई ऐसा कर्मचारी, चाहे अभिदाय की बाबत उसका अभिदाय उपधारा (1) के अधीन बीमाकृत है अथवा बीमा योग्य हैं या उसका संदाय किए थे और जो इस अध्याय के अधीन किसी शाखा से उपबंधित फायदे का हकदार होगा, "बीमाकृत व्यक्ति" कहलाएगा ।

अभिदाय ।

29. (1) किसी कर्मचारी की बाबत इस अध्याय के अधीन संदेय अभिदाय में नियोजक द्वारा संदेय अभिदाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक-अभिदाय कहा गया है) और कर्मचारी द्वारा संदेय अभिदाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् कर्मचारी-अभिदाय कहा गया है) समाविष्ट होगा और निगम को दिया जाएगा ।

(2) अभिदायों (नियोजक अभिदाय और कर्मचारी अभिदाय दोनों) का संदाय ऐसी दरों पर किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) किसी कर्मचारी के संबंध में मजदूरी कालावधि विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट वह इकाई होगी जिसकी बाबत इस अध्याय के अधीन सभी अभिदाय संदेय होंगे ।

(4) हर एक मजदूरी कालावधि की बाबत संदेय अभिदाय मामूली तौर पर उस मजदूरी कालावधि के अंतिम दिन शोध्य होंगे, और जहां कि कोई कर्मचारी मजदूरी कालावधि के भाग के लिए नियोजित है, या एक ही मजदूरी कालावधि के दौरान दो या अधिक नियोजकों के अधीन नियोजित है, वहां अभिदाय ऐसे दिनों को शोध्य होंगे जो विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

प्रशासनिक व्यय ।

30. ऐसे व्ययों के प्रकार, जिन्हें प्रशासनिक व्यय कहा जा सकेगा और निगम की आय की वह प्रतिशतता, जो ऐसे व्ययों के लिए खर्च की जा सकेगी उतनी होगी जितनी केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए और निगम, अपने प्रशासनिक व्ययों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार विहित परिसीमा के भीतर रखेगा ।

नियोजक द्वारा अभिदायों, आदि के संदाय के बारे में उपबंध ।

31. (1) प्रत्येक नियोजक, कर्मचारी की बाबत, चाहे वह कर्मचारी सीधे उसके द्वारा नियोजित हों, या ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित हो, नियोजक-अभिदाय और कर्मचारी-अभिदाय दोनों देगा ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किंतु इस संहिता के उपबंधों के और तद्धीन इस निमित्त बनाए गए नियमों और विनियमों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, ठेकेदार नियोजक सीधे अपने द्वारा नियोजित कर्मचारी की दशा में (जो छूट-प्राप्त कर्मचारी न हो) कर्मचारी-अभिदाय कर्मचारी से उसकी मजदूरी में से कटौती करके, न कि अन्यथा, वसूल करने का हकदार होगा :

परंतु ऐसी कोई भी कटौती, ऐसी मजदूरी से जो उस कालावधि या कालावधि के भाग से संबंधित है जिसकी बात अभिदाय संदेय है, भिन्न किसी मजदूरी में से, या उस कालावधि के लिए कर्मचारी-अभिदाय के रूप में राशि से अधिक, नहीं की जाएगी ।

(3) किसी तत्प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, न तो नियोजक और न ठेकेदार नियोजक ही नियोजक-अभिदाय कर्मचारी को संदेय मजदूरी में से काटने का या उससे अन्यथा वसूल करने का हकदार होगा ।

(4) किसी ऐसी राशि के बारे में, जो नियोजक द्वारा इस अध्याय के अधीन मजदूरी में से काट ली गई है, यह समझा जाएगा कि कर्मचारी ने उसे वह राशि ऐसा अभिदाय देने के प्रयोजनार्थ नियोजक को सौंपी है जिसकी बाबत वह काटी गई थी ।

(5) नियोजक निगम को अभिदाय प्रेषित करने के व्यय वहन करेगा ।

(6) वह नियोजक, जिसने किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारी की बाबत अभिदाय दिया है, इस प्रकार दिए गए अभिदाय की रकम (अर्थात् नियोजक अभिदाय तथा यदि कोई हो तो कर्मचारी-अभिदाय) उससे, या तो किसी ऐसी रकम में से कटौती करके जो नियोजक द्वारा प्रदान किसी संविदा के अधीन उसे संदेय है, या उस अव्यवहित नियोजक द्वारा संदेय ऋण के रूप में वसूल करने का हकदार होगा ।

(7) ठेकेदार, विनियमों मे यथा उपबंधित अपने द्वारा या अपने माध्यम से नियोजित कर्मचारियों का एक रजिस्टर रखेगा और उसे उपधारा (6) के अधीन संदेय किसी रकम के परिनिर्धारण के पूर्व, प्रधान नियोजक को प्रस्तुत करेगा ।

(8) उपधारा (6) में निर्दिष्ट दशा में संविदाकार, कर्मचारी-अभिदाय, अपने द्वारा या अपने माध्यम से नियुक्त कर्मचारी से, मजदूरी में से कटौती करके, न कि अन्यथा, उपधारा (2) के परंतुक में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, वसूल करने का हकदार होगा ।

(9) इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए निगम, इस अध्याय के अधीन संदेय अभिदायों के संदाय और संग्रहण से संबंधित किसी विषय के लिए विनियम बना सकेगा ।

प्रसुविधाएं ।

32. (1) इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, बीमाकृत व्यक्ति, उनके आश्रित या इसके पश्चात् वर्णित व्यक्ति निम्नलिखित प्रसुविधाओं के हकदार होंगे, अर्थात् :—

(क) किसी भी बीमाकृत व्यक्ति को कालिक संदाय (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् बीमारी प्रसुविधा कहा गया है) उसकी ऐसी बीमारी की दशा में, जिसे सम्यक् रूप से नियुक्त किसी चिकित्सा व्यवसायी ने या किसी अन्य व्यक्ति ने जो ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखता हो जैसा निगम विनियमों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रमाणित किया हो;

(ख) प्रसवावस्था की, गर्भपात की या गर्भावस्था, प्रसवावस्था, समयपूर्व शिशु जन्म या गर्भपात से उद्भूत बीमारी की दशा में किसी ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को, जो एक स्त्री है, कालिक संदाय (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् प्रसूति प्रसुविधा कहा गया है), जिसे विनियमों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए गए प्राधिकारी ने ऐसे संदायों के लिए पात्र प्रमाणित किया हो;

(ग) किसी ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को कालिक संदाय (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् निःशक्तता-प्रसुविधा कहा गया है), जो इस अध्याय के प्रयोजन के लिए कर्मचारी के रूप में उसे हुई किसी नियोजन क्षति के परिणामस्वरूप हुई निःशक्तता से ग्रस्त है और जिसे विनियमों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए गए प्राधिकारी ने ऐसे संदायों के लिए पात्र प्रमाणित किया हो ;

(घ) किसी ऐसे बीमाकृत व्यक्ति के, जो इस अध्याय के प्रयोजन के लिए कर्मचारी के रूप में उसे हुई किसी नियोजन-क्षति के परिणामस्वरूप मर जाता है, ऐसे आश्रितों को कालिक संदाय (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् आश्रित-प्रसुविधा कहा गया है) जो इस अध्याय के अधीन हकदार है ;

(ङ) बीमाकृत व्यक्तियों के लिए चिकित्सीय उपचार और परिचर्या (जिसे इसमें इसके पश्चात् चिकित्सा-प्रसुविधा कहा गया है) ; तथा

(च) मृत बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर व्यय के लिए ऐसे बीमाकृत व्यक्ति के, जो मर गया है, कुटुंब के ज्येष्ठतम उत्तरजीवी सदस्य को, या जहां बीमाकृत व्यक्ति का कोई कुटुंब नहीं था या वह अपनी मृत्यु के समय अपने कुटुंब के साथ

नहीं रह रहा था वहां उस व्यक्ति को, जो मृत बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर वस्तुतः व्यय उपगत करता है, संदाय जिसे अंत्येष्टि व्यय के रूप में जाना जाएगा :

परंतु इस खंड के अधीन ऐसे संदाय की रकम ऐसी रकम से अधिक नहीं होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए और ऐसे संदाय के लिए दावा बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के तीन मास के भीतर या इस खंड के अधीन ऐसी विस्तारित कालाविधि के भीतर, जिसे निगम या इसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया अधिकारी या प्राधिकारी अनुज्ञात करे, किया जाएगा ।

(2) निगम, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों में अधिकथित की जाएं, चिकित्सा-प्रसुविधा बीमाकृत व्यक्ति के कुटुंब के लिए भी विस्तारित कर सकेगा ।

(3) किसी व्यक्ति की बीमारी प्रसुविधा, प्रसूति प्रसुविधा, निर्योग्यता प्रसुविधा और आश्रित प्रसुविधा की अर्हता और ऐसी शर्तें जिनके अधीन रहते हुए ऐसी प्रसुविधाएं दी जा सकेंगी, उसकी दर और अवधि वह होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(4) इस संहिता के उपबंधों के और इस अध्याय के संबंध में बनाए गए नियमों अधीन रहते हुए निगम, इस अध्याय के अधीन संदेय प्रसुविधाओं के प्रोद्भूत होने और उनके संदाय से संबंधित या उनके आनुषांगिक किसी विषय के संबंध में विनियम बना सकेगा ।

बीमाकृत व्यक्तियों के स्वास्थ्य, आदि के लिए उपायों को संप्रवर्तित करने की निगम की शक्ति ।

33. निगम बीमाकृत व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण की अभिवृद्धि के लिए और उन बीमाकृत व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्नियोजन के लिए, जो दिव्यांगता और क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उपाय इस अध्याय में विनिर्दिष्ट प्रसुविधाओं के अतिरिक्त संप्रवर्तित कर सकेगा और ऐसे उपायों के बारे में व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निधि में से ऐसी परिसीमाओं के भीतर उपगत किया जा सकेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

नियोजन के अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना के बारे में उपधारणा ।

34. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी के नियोजन के अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना के बारे में तत्प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में यह उपधारणा की जाएगी कि वह दुर्घटना भी उस नियोजन से उद्भूत हुई है ।

(2) कर्मचारी को किसी ऐसे परिसर में या परिसर के निकट, जहां वह अपने नियोजन के व्यापार या कारबार के प्रयोजन के लिए तत्समय नियोजित है, हुई दुर्घटना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उसके नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत हुई है, यदि वह तब घटित होती है, जब वह उस परिसर में वास्तविक या अनुमित आपात होने पर, ऐसे व्यक्तियों को, जो क्षतिग्रस्त हैं या जोखिम में पड़ गए हैं, या वैसे समझे जाते हैं, या जिनके विषय में यह समझा जाता है कि वे संभवतः क्षतिग्रस्त हो गए हैं या जोखिम में पड़ गए हैं, बचाने, उन्हें सहायता देने या उनके संरक्षण के लिए या संपत्तिको गंभीर नुकसान से बचाने या ऐसा नुकसान कम से कम करने के लिए, कदम उठा रहा है ।

(3) किसी कर्मचारी के साथ, कर्तव्य के लिए उसके निवास से नियोजन के स्थान तक आते समय या कर्तव्य पालन करने के पश्चात् नियोजन के स्थान से उसके निवास तक जाते समय होने वाली किसी दुर्घटना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह नियोजन के अनुक्रम में हुई है यदि उन परिस्थितियों, समय और स्थान, जिन पर दुर्घटना हुई है और नियोजन के बीच संबंध स्थापित हो जाता है ।

(4) कर्मचारी के किसी यान द्वारा अपने काम के स्थान को या उससे, नियोजक की अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से यात्री के रूप में यात्रा करते समय हुई दुर्घटना के बारे में, इस बात के होते हुए भी कि वह उस यान से यात्रा करने के लिए अपने नियोजक के प्रति किसी बाध्यता के अधीन नहीं है, यह समझा जाएगा कि वह दुर्घटना उसके नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत हुई है, यदि,—

(क) दुर्घटना इस प्रकार उद्भूत हुई उस दशा में समझी जाती जिसमें कि वह ऐसी बाध्यता के अधीन होता ; और

(ख) दुर्घटना के समय यान—

(i) नियोजक द्वारा या उसकी ओर से या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें उसका उपबंध उस व्यक्ति के नियोजक के साथ किए गए किसी ठहराव के अनुसरण में किया गया है ; और

(ii) लोक परिवहन सेवा के मामूली अनुक्रम में नहीं चलाया जा रहा है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "यान" के अंतर्गत जलयान और वायुयान आते हैं ।

विधि, आदि के भंग में कार्य करते समय घटित होने वाली दुर्घटनाएं ।

35. इस बात के होते हुए भी कि दुर्घटना के समय कर्मचारी उसे लागू किसी विधि के उपबंधों के या उसके नियोजक द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किन्हीं आदेशों के उल्लंघन में कार्य कर रहा है या अपने नियोजक के अनुदेशों के बिना कार्य कर रहा है, दुर्घटना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह कर्मचारी के नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत हुई है, यदि—

(क) दुर्घटना इस प्रकार उद्भूत हुई उस दशा में समझी जाती जिसमें कि कार्य, यथास्थिति, यथापूर्वोक्त उल्लंघन में या अपने नियोजक के अनुदेशों के बिना न किया गया होता ; और

(ख) कार्य, नियोजक के व्यापार या कारबार के प्रयोजनार्थ और उसके संबंध में किया जाता है ।

उपजीविकाजन्य रोग ।

36. (1) यदि तृतीय अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में नियोजित किसी कर्मचारी को कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस भाग में ऐसे उपजीविकाजन्य रोग के रूप में विनिर्दिष्ट है, जो उस नियोजन में विशिष्टतः होता है या यदि अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट नियोजन में छह मास से अन्यून की निरंतर कालावधि तक नियोजित कर्मचारी को कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस भाग में ऐसे उपजीविकाजन्य रोग के रूप में विनिर्दिष्ट है, जो उस नियोजन में विशिष्टतः होता है या यदि उस अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में, ऐसी निरंतर कालावधि तक जैसी निगम विनियमों द्वारा ऐसे प्रत्येक नियोजन के बारे में विनिर्दिष्ट करे,

नियोजित कर्मचारी को कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस भाग में ऐसे उपजीविकाजन्य रोग के रूप में विनिर्दिष्ट है, जो उस नियोजन में विशिष्टतः होता है तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो जाए, यह समझा जाएगा कि रोग का लग जाना नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत "नियोजन क्षति" है ।

(2) उपधारा (1) द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय, किसी रोग के लिए कोई भी प्रसुविधा कर्मचारी को तब तक संदेय न होगी जब तक रोग उसके नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना द्वारा हुई किसी विनिर्दिष्ट क्षति के फलस्वरूप प्रत्यक्षतः हुआ न माना जा सकता हो ।

(3) धारा 34 की उपधारा (1) के उपबंध ऐसी दशा में लागू नहीं होंगे जिसकों यह धारा लागू होता है।

चिकित्सा बोर्ड के प्रतिनिर्देश ।

37. (1) यह प्रश्न कि—

(क) सुसंगत दुर्घटना के परिणामस्वरूप स्थायी निःशक्तता हुई है या नहीं ; अथवा

(ख) उपार्जन-सामर्थ्य की हानि का परिणाम अनंतिम रूप से निर्धारित किया जा सकता है या अंतिम रूप से ; अथवा

(ग) उपार्जन-सामर्थ्य की हानि के अनुपात का निर्धारण अनंतिम है या अंतिम ; अथवा

(घ) अनंतिम निर्धारण की दशा में ऐसा निर्धारण कितनी अवधि के लिए प्रभावी रहेगा,

विनियमों के उपबंधों के अनुसार गठित चिकित्सक बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् चिकित्सक बोर्ड कहा गया है) द्वारा अवधारित किया जाएगा और ऐसा प्रश्न इसके पश्चात् "निःशक्तता का प्रश्न" कहा जाएगा ।

(2) स्थायी निःशक्तता-प्रसुविधा के लिए किसी बीमाकृत व्यक्ति का मामला निःशक्तता के प्रश्न को अवधारित करने के लिए निगम द्वारा चिकित्सक बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा और यदि, उस या किसी उत्तरवर्ती निर्देश पर अनंतिम रूप से यह निर्धारित कर लिया जाता है कि बीमाकृत व्यक्ति की उपार्जन-सामर्थ्य की कितनी हानि हुई है तो वह प्रश्न उस कालावधि की जो अनंतिम निर्धारण में विचार में ली गई थी, समाप्ति के अनुपरांत पुनः उसी प्रकार चिकित्सक बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा ।

(3) इस अध्याय के अधीन चिकित्सक बोर्ड के किसी भी विनिश्चय का किसी भी समय चिकित्सीय बोर्ड द्वारा उस दशा में पुनर्विलोकन किया जा सकेगा जब उसने नए साक्ष्य द्वारा यह समाधान कर लिया हो कि विनिश्चय कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी तात्विक तथ्य के अप्रकटन या दुर्व्यपदेशन (चाहे अप्रकटन या दुर्व्यपदेशन कपटपूर्ण रहा हो या नहीं) के परिणामस्वरूप दिया गया था ।

(4) सुसंगत नियोजन-क्षति के परिणामस्वरूप कितनी निःशक्तता हुई है इस बात के निर्धारण का भी चिकित्सक बोर्ड द्वारा उस दशा में पुनर्विलोकन किया जा सकेगा जब कि उसने यह समाधान कर लिया हो कि निर्धारण के पश्चात् सुसंगत क्षति के परिणामों में सारवान और अनवेक्षित अपवृद्धि हुई है :

परंतु इस उपधारा के अधीन निर्धारण का पुनर्विलोकन नहीं होगा जब तक चिकित्सक बोर्ड की यह राय न हो कि निर्धारण द्वारा विचार में ली गई कालावधि को

और पूर्वोक्त किसी अपवृद्धि की संभाव्य अस्तित्वावधि को ध्यान में रखते हुए उसका पुनर्विलोकन न करने से सारवान् अन्याय होगा ।

(5) चिकित्सा अपील अधिकरण की इजाजत के बिना निर्धारण का, उसकी तारीख से पांच वर्ष के पूर्व या अनंतिम निर्धारण की दशा में छह मास के पूर्व किए गए किसी आवेदन पर उपधारा (4) के अधीन पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा और ऐसे पुनर्विलोकन पर उस कालावधि में, जो किसी पुनरीक्षित निर्धारण द्वारा विचार में ली जाएगी, आवेदन की तारीख के पूर्व की कोई कालावधि सम्मिलित नहीं होगी ।

(6) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए, चिकित्सक बोर्ड पुनर्विलोकन के मामले पर कार्यवाही किसी भी ऐसी रीति से कर सकेगा जिसमें वह उसे मूल निर्देश होने पर कर सकता था, और विशिष्टतः पुनर्विलोकनाधीन निर्धारण के अंतिम होते हुए भी अनंतिम निर्धारण कर सकेगा और उपधारा 2) के उपबंध इस उपधारा के अधीन के पुनर्विलोकन के आवेदन को और ऐसे आवेदन के संबंध में चिकित्सक बोर्ड के विनिश्चय को ऐसे ही लागू होंगे जैसे वे उस उपधारा के अधीन दिव्यांगता-प्रसुविधा के किसी मामले की और ऐसे मामले के संबंध में चिकित्सक बोर्ड के विनिश्चय को लागू होते हैं ।

(7) (क) यदि बीमाकृत व्यक्ति या निगम चिकित्सक बोर्ड के किसी विनिश्चय से व्यथित है तो, यथास्थिति, बीमाकृत व्यक्ति या निगम केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर निम्नलिखित को अपील कर सकेगाः—

(i) विनियमों के उपबंधों के अनुसार गठित चिकित्सा अपील अधिकरण को; या

(ii) सीधे कर्मचारी बीमा न्यायालय को :

परंतु किसी बीमाकृत व्यक्ति द्वारा इस उपधारा के अधीन कोई अपील नहीं होगी यदि ऐसा व्यक्ति ने चिकित्सा बोर्ड के विनिश्चय के आधार पर दिव्यांगता प्रसुविधा के संराशीकरण के लिए आवेदन किया है, और प्रसुविधा के संसशित मूल्य प्राप्त हो गए हैं :

परंतु यह और कि निगम द्वारा इस उपधारा के अधीन कोई अपील नहीं होगी यदि निगम को चिकित्सा कोई के विनिश्चय के आधार पर चिकित्सा कोई के विनिश्चय के आधार पर दिव्यांगता प्रसुविधा का संरशित मूल्य दिया गया हो ।

(ख) जहाँ उस खंड के उपखंड (ii) के अधीन कर्मचारी बीमा न्यायालय के बजाय खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन चिकित्सा अपील अधिकरण के समक्ष बीमाकृत व्यक्ति या निगम की अपील प्रस्तुत किया जाता है तो वह या यह यथास्थिति, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जो समुचित सरकार द्वारा विदित की जाए कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष दूसरा अपील फाइल करने का अलिखित अधिकार होगा ।

आश्रित प्रसुविधा ।

38. (1) यदि कोई बीमाकृत व्यक्ति इस अध्याय के अधीन कर्मचारी के रूप में उसे हुई किसी नियोजन क्षति के परिणामस्वरूप मर जाता है (चाहे उसे क्षति की बाबत अस्थायी दिव्यांगता के लिए कोई कालिक संदाय मिलता था या नहीं) तो धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (क) और उपखंड (ख) में विनिर्दिष्ट उसके आश्रितों को ऐसी दरों पर और ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए संदेय होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(2) यदि बीमाकृत व्यक्ति अपने पीछे यथापूर्वोक्त आश्रितों को छोड़े बिना मर जाता है, तो आश्रित-प्रसुविधा मृतक के अन्य आश्रितों को ऐसी दरों पर और ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए दी जाएगी ।

(3) इस अध्याय के अधीन आश्रित-प्रसुविधा अधिनिर्णीत करने वाली किसी भी विनिश्चय का किसी भी समय निगम द्वारा उस दशा में पुनर्विलोकन किया जा सकेगा जब उसने नए साक्ष्य द्वारा यह समाधान करा लिया हो कि विनिश्चय दावेदार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी तात्विक तथ्य के अप्रकटन या दुर्व्यपदेशन के (चाहे अप्रकटन का दुर्व्यपदेशन कपटपूर्ण रहा हो या नहीं) परिणामस्वरूप दिया गया था या यह कि विनिश्चय किसी जन्म या मृत्यु के कारण या दावेदार के विवाह या पुनर्विवाह के कारण या अंग-शैथिल्य हो जाने के कारण या दावेदार द्वारा पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लिए जाने पर अब ऐसा नहीं रह गया है जो इस अध्याय के अनुसार हों ।

(4) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निगम उपधारा (3) के अधीन पुनर्विलोकन पर यह निदेश दे सकेगा कि आश्रित-प्रसुविधा चालू रखी जाए, बढ़ा दी जाए, घटा दी जाए या बंद कर दी जाए ।

चिकित्सा प्रसुविधा ।

39. (1) बीमाकृत व्यक्ति या जहां ऐसी चिकित्सा-प्रसुविधा उसके कुटुंब के लिए भी विस्तारित की गई है वहां उसके कुटुंब का कोई सदस्य, जिसकी दशा में चिकित्सीय उपचार और परिचर्या की अपेक्षा है, चिकित्सा-प्रसुविधा पाने का हकदार होगा ।

(2) ऐसी चिकित्सा-प्रसुविधा या तो किसी अस्पताल या औषधालय, क्लीनिक या अन्य संस्था में बाह्य रोगी के रूप में उपचार और परिचर्या के रूप में या बीमाकृत व्यक्ति के घर पर जाकर या किसी अस्पताल या अन्य संस्था में अंतःरोगी के रूप में उपचार के रूप में दी जाएगी ।

(3) किसी बीमाकृत व्यक्ति और (जहां ऐसी चिकित्सा-प्रसुविधा उसके कुटुंब तक विस्तारित है) उसको कुटुंब की चिकित्सा-प्रसुविधा का दावा करने की अर्हता और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए ऐसी प्रसुविधाएं दी जा सकेंगी, पैमाना और उसकी अवधि वह होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए :

परंतु ऐसे व्यक्ति की बाबत, जिसकों इस अध्याय के अधीन देंय होने वाला अभिदाय नहीं रह जाता है, ऐसी अवधि और रीति से जो विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएँ चिकित्सा प्रसुविधा अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु यह और कि ऐसा बीमाकृत व्यक्ति जिसने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर ली है, ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन सेवानिवृत्त हो जाता है या समयपूर्व सेवानिवृत्ति ले लेता है और उसकी पत्नी या उसका पति अभिदाय के संदाय और ऐसी अन्य शर्तों के, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, अधीन रहते हुए, चिकित्सा प्रसुविधाएं प्राप्त करने के पात्र होंगे :

परंतु यह और कि ऐसा बीमाकृत व्यक्ति, जिसका बीमा योग्य नियोजन स्थायी निःशक्तता के कारण समाप्त हो जाता है, अभिदाय के संदाय और ऐसी अन्य शर्तों के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, अधीन रहते हुए, चिकित्सा-प्रसुविधा प्राप्त करता रहेगा :

परन्तु यह भी कि नियोजन के दौरान बीमाकृत व्यक्ति की चोट के लिए चिकित्सीय

फायेद अनुदत्त करने की शर्तें वह होंगी जो विनियमों में विनिर्दिष्ट हों ।

(4)(क) निगम, उनकी सेवाओं की क्वालिटी में सुधार की दृष्टि से अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थाएँ जिनके अंतर्गत आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर सकेगा ।

(ख) खंड (क) में, निर्दिष्ट आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थाओं के लिए ऐसे समय और ऐसे रीति से, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, निगम की सेवा के लिए, अपने विधार्थियों से आदेश करेगा ।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट ऐसे आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्था और प्रशिक्षण संस्थान जो निगम द्वारा स्वयं या निगम के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई पब्लिक सेक्टर उपक्रम या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य निकाय द्वारा चलाया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "अन्य निकाय" पद से व्यक्तियों का ऐसा संगठन अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार उपधारा (4) में निर्दिष्ट महाविद्यालयों और प्रशिक्षण संस्थाओं को चलाने के लिए समर्थ समझती है ।

(6) निगम बीमाकृत व्यक्तियों के कल्याण के लिए निवारण और रक्षोपाय करने के उद्देश्य से ऐसी, रीति में जो विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य और कार्यकरण शर्तों के निधारण के लिए ऐसे व्यवसाय तथा महामारी विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण और अध्ययन को कार्यान्वित कर सकेगा ।

राज्य सरकार द्वारा या निगम द्वारा चिकित्सीय उपचार का उपबंध ।

40. (1) राज्य सरकार बीमाकृत व्यक्तियों और (जहां ऐसी प्रसुविधा उनके कुटुंबों के लिए भी विस्तारित की गई है वहां) उनके कुटुंबों के लिए राज्य में युक्तियुक्त चिकित्सीय और शल्य तथा प्रसूति चिकित्सा का उपबंध करेगी :

परंतु राज्य सरकार, निगम के अनुमोदन से, चिकित्सा व्यवसायियों के क्लीनिकों में चिकित्सीय उपचार की व्यवस्था ऐसे निबंधनों और शर्तों पर कर सकेगी जिनका करार हो जाए ।

(2) जहां यह पाया जाए कि बीमाकृत व्यक्तियों के बीमारी-प्रसुविधा संदाय का आपतन किसी राज्य में अखिल भारतीय औसत से अधिक हो गया है, वहां ऐसे आधिक्य की राशि निगम और राज्य सरकार द्वारा ऐसे अनुपात में बांट ली जाएगी जैसा उनके बीच करार द्वारा नियत कर दिया जाए :

परंतु निगम किसी भी मामले में उस पूरे अंश की या उसके किसी भाग की जिसका वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है, वसूली का अधित्यजन कर सकेगा ।

(3) निगम उस चिकित्सीय उपचार की (जिसके अंतर्गत भवन, उपस्कर, औषधियां और कर्मचारिवृंद का उपबंध किया जाना आता है) प्रकृति और पैमाने के बारे में, जो बीमाकृत व्यक्तियों को और (जहां ऐसी चिकित्सा-प्रसुविधा उनके कुटुंबों के लिए भी विस्तारित की गई है वहां) उनके कुटुंबों को उपबंधित की जानी चाहिए, और उसके खर्च और बीमाकृत व्यक्तियों की बीमारी प्रसुविधा से आपतन में के किसी आधिक्य के निगम और राज्य सरकार के बीच बांटे जाने के लिए करार राज्य सरकार के साथ कर सकेगा ।

(4) निगम और किसी राज्य सरकार के बीच यथापूर्वोक्त करार के अभाव में उस चिकित्सीय उपचार की प्रकृति और विस्तार, जिसका राज्य सरकार द्वारा उपबंध किया जाना है और वह अनुपात जिसमें उसके खर्चे और बीमारी-प्रसुविधा के आपतन के आधिक्य निगम और उस राज्य सरकार के बीच बांटे जाएंगे, एक मध्यस्थ द्वारा अवधारित किया जाएगा जिसे केन्द्रीय सरकार के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(5) राज्य सरकार, इस संहिता के अधीन निगम के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से बीमारी, प्रसूति और नियोजन क्षति की दशा में कर्मचारियों के लिए कतिपय फायदों का उपबंध करने के लिए ऐसे संगठन (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो) की स्थापना कर सकेगी :

परंतु इस अध्याय से संबंधित इस संहिता में राज्य सरकार के प्रति किसी निर्देश में, जब कभी ऐसा संगठन राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, उस संगठन के प्रति निर्देश भी सम्मिलित होगा ।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट संगठन की संरचना ऐसी होगी और वह ऐसे कृत्यों का निर्वहन, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे क्रियाकलाप करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(7) निगम, राज्य में ऐसे अस्पतालों, औषधालयों और अन्य चिकित्सीय और शल्य चिकित्सीय सेवाओं को, जिन्हें वह बीमाकृत व्यक्तियों और (जहां ऐसी चिकित्सा-प्रसुविधा उनके कुटुंबों के लिए भी विस्तारित की गई है) वहां उनके कुटुंबों के हित के लिए ठीक समझे, स्थापित और अनुरक्षित कर सकेगा ।

(8) निगम किसी क्षेत्र में बीमाकृत व्यक्तियों (जहां ऐसी चिकित्सा-प्रसुविधा उनके कुटुंबों के लिए भी विस्तारित की गई है) व उनके कुटुंबों के लिए चिकित्सीय उपचार और परिचर्या का उपबंध किए जाने के बारे में और उसके खर्च बांटे जाने के बारे में करार किसी स्थानीय प्राधिकारी, प्राइवेट निकाय या व्यष्टि के साथ कर सकेगा ।

(9) निगम, चिकित्सीय उपचार और बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके कुटुम्बों बीमाकृत व्यक्तियों को और जहां ऐसी चिकित्सा-प्रसुविधा उनके कुटुंबों के लिए भी विस्तारित की गई है, वहां उनके कुटुंबों के लिए चिकित्सीय उपचार और परिचर्या का उपबंध किए जाने के बारे में तृतीय पक्ष की भागीदारी के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों को कमीशन करने और उन्हें चलाने के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय निकाय या प्राइवेट निकाय के साथ करार भी कर सकेगा ।

(10) इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, निगम, राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य के बीमाकृत व्यक्तियों के लिए (जहां ऐसी चिकित्सा-प्रसुविधा उनके कुटुंबों के लिए भी विस्तारित की गई है) वहां ऐसे बीमाकृत व्यक्तियों के कुटुंबों के लिए, चिकित्सा-प्रसुविधा का उपबंध करने का उत्तरदायित्व इस शर्त के अधीन अपने ऊपर ले सकेगा कि राज्य सरकार ऐसी चिकित्सा-प्रसुविधा का खर्च ऐसे अनुपात में बंटाएगी जैसा राज्य सरकार और निगम के बीच करार हो जाए ।

(11) निगम के, उपधारा (10) के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करने की दशा में इस अध्याय के अधीन चिकित्सा-प्रसुविधा के संबंध में यथाशक्य ऐसे लागू होंगे मानो

उनमें राज्य सरकार के प्रतिनिर्देश निगम के प्रतिनिर्देश हों ।

(12) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी राज्यों में अवस्थित स्थापनों के संबंध में, जहां चिकित्सा प्रसुविधा निगम द्वारा दी जाती है, वहां केन्द्रीय सरकार, समुचित सरकार होगी ।

फायदों के बारे में साधारण उपबंध ।

41. (1) विनियमों में यथा उपबंधित के सिवाए कोई भी व्यक्ति इस अध्याय के अधीन अनुज्ञेय किसी निःशक्तता-प्रसुविधा का एकमुश्त राशि के रूप में संराशीकरण कराने का हकदार नहीं होगा ।

(2) विनियमों में यथा उपबंधित के सिवाएं, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे दिन को जिसको वह काम करता है या छुट्टी या अवकाश पर रहता है, जिसकी बाबत वह मजदूरी पाता या किसी ऐसे दिन को जिसको वह हड़ताल पर रहता है, अस्थायी निःशक्तता के लिए बीमारी-प्रसुविधा या निःशक्तता-प्रसुविधा का हकदार नहीं होगा ।

(3) वह व्यक्ति, जो (स्थायी निःशक्तता के आधार पर अनुदत्त प्रसुविधा से भिन्न) बीमारी-प्रसुविधा या निःशक्तता-प्रसुविधा पाता है—

(क) इस अध्याय के अधीन उपबंधित औषधालय, अस्पताल, क्लीनिक या अन्य संस्था में चिकित्सीय उपचार के अधीन रहेगा और अपने भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सीय परिचारक द्वारा दिए गए अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा ;

(ख) उपचाराधीन रहते हुए कोई ऐसी बात नहीं करेगा जो उसके स्वास्थ्य लाभ की गति को मंद करे या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले ;

(ग) उस चिकित्सक अधिकारी, चिकित्सीय परिचारक या अन्य ऐसे प्राधिकारी की, जो विनियमों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुज्ञा के बिना वह क्षेत्र नहीं छोड़ेगा जिसमें इस अध्याय द्वारा उपबंधित चिकित्सीय उपचार किया जा रहा है ;

(घ) सम्यक् रूप से नियुक्त चिकित्सक अधिकारी या निगम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा अपनी परीक्षा किए जाने देगा ।

(4) बीमाकृत व्यक्ति एक ही कालावधि के लिए—

(क) बीमारी-प्रसुविधा और प्रसूति-प्रसुविधा दोनों ; अथवा

(ख) बीमारी-प्रसुविधा और अस्थायी निःशक्तता के लिए निःशक्तता-प्रसुविधा दोनों ; अथवा

(ग) प्रसूति-प्रसुविधा और अस्थायी निःशक्तता के लिए निःशक्तता-प्रसुविधा दोनों,

पाने का हकदार नहीं होगा ।

(5) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (4) में वर्णित प्रसुविधाओं में से एक से अधिक का हकदार है, वहां वह यह चयन करने का हकदार होगा कि वह कौन-सी प्रसुविधा लेगा ।

(6) यदि किसी व्यक्ति की किसी ऐसी अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है जिसके लिए वह इस अध्याय के अधीन नकद प्रसुविधा का हकदार है तो उसकी मृत्यु के दिन

तक की, जिसके अंतर्गत मृत्यु का दिन भी है, ऐसी प्रसुविधा की रकम किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मृत व्यक्ति द्वारा ऐसे प्ररूप में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, लिखित रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया हो या यदि ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं है तो मृत व्यक्ति के वारिस या विधिक प्रतिनिधि को दी जाएगी।

(7)(क) इस अध्याय के अधीन आश्रित या दिव्यांगता प्रसुविधा का उपभोग करने के लिए पात्र कोई व्यक्ति अध्याय 7 के अधीन उसके नियोजक से कर्मचारी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

(ख) इस अध्याय के अधीन प्रसूति प्रसुविधा का उपभोग करने के लिए पात्र कोई स्त्री कर्मचारी अध्याय-6 के अधीन उसके नियोजक से प्रसूति प्रसुविधा का दावा करने की हकदार नहीं होगी ।

(8) जहां किसी व्यक्ति ने इस अध्याय के अधीन कोई प्रसुविधा या संदाय तब प्राप्त किया है जब वह विधिपूर्वक उसका हकदार नहीं है तो वह निगम को, ऐसी प्रसुविधा का मूल्य या ऐसे संदाय की रकम का प्रतिदाय करने का दायी होगा या मृत्यु की दशा में उसका विधिक प्रतिनिधि, मृतक की ऐसी आस्तियों से, जो उसको न्यागत हुई हैं, उसका प्रतिदाय करने का दायी होगा ।

(9) नकद संदाय से भिन्न प्राप्त किसी प्रसुविधा का मूल्य का अवधारण ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जो इस निमित्त बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसे प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(10) इस धारा के अधीन वसूली योग्य रकम की वसूली धारा 131 से धारा 132 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में की जाएगी ।

जब कोई नियोजक रजिस्टर आदि करने में असफल रहता है तो निगम के अधिकार ।

42. (1) यदि कोई नियोजक,—

(क) धारा 28 के अधीन बीमा करने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है तो कोई कर्मचारी, अपनी नियुक्ति के समय या ऐसी विस्तारित कालावधि के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी इस अध्याय के अधीन की प्रसुविधा के लिए अनाधिकृत हो गया है ; या

(ख) धारा 28 के अधीन कर्मचारी का ऐसी दुर्घटना की तारीख को या उसके पश्चात् बीमा करता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे कर्मचारी को वैयक्तिक क्षति हुई है, जो ऐसे कर्मचारी को, निगम से आश्रित प्रसुविधा या दिव्यांगता प्रसुविधा प्राप्त करने हेतु हकदार बनने में प्रभाव डालती है ; या

(ग) कोई ऐसा अभिदाय देने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है जिसे किसी कर्मचारी की बाबत इस अध्याय के अधीन देने के लिए वह दायी है और ऐसा होने के कारण ऐसा कर्मचारी किसी प्रसुविधा के लिए अनधिकृत हो गया है या किसी निचले पैमाने पर प्रसुविधा का हकदार हो गया है,

तो निगम, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में यह समाधान हो जाने पर कि कर्मचारी को प्रसुविधा दी जानी चाहिए थी, कर्मचारी उस प्रसुविधा का संदाय ऐसी दर पर कर सकेगा जिसका वह हकदार है या उस दशा में हकदार होता, यदि असफलता या उपेक्षा नहीं हुई होती और निगम, नियोजक से, उसे सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात्, कर्मचारी को दी गई प्रसुविधा का, ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की

जाए, संगणित पूंजीकृत मूल्य वसूल करने का हकदार होगा :

परंतु संगणित किए जाने वाले पूंजीकृत मूल्य को किसी ऐसे अभिदाय और ब्याज या नुकसानी के संदाय के लिए समायोजित किया जा सकेगा, जिसका नियोजक, ऐसे अभिदाय के संदाय या असंदाय में विलंब के लिए संदाय का दायी है ।

(2) इस धारा के अधीन वसूली योग्य रकम ऐसे वसूल की जा सकेगी मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो या धारा 129 से धारा 132 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में वसूल की जाएगी ।

कारखानों, आदि के स्वामी या अधिभोगी का अत्यधिक बीमारी-प्रसुविधा के लिए दायित्व ।

43. (1) जहां निगम समझता है कि बीमाकृत व्यक्तियों में बीमारी का आपतन—

(क) किसी कारखाने या स्थापन में काम करने की अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के कारण या कारखाने या अन्य स्थापन के स्वामी या अधिभोगी द्वारा किन्हीं ऐसे स्वास्थ्य विनियमों का जो उस पर तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन व्यादिष्ट है, अनुपालन करने में उपेक्षा किए जाने के कारण ; या

(ख) बीमाकृत व्यक्तियों के अधिभोग में के किन्हीं वासगृहों या वासों की अस्वच्छ दशाओं के कारण, जो अस्वच्छ दशाएं किन्हीं ऐसे स्वास्थ्य विनियमों की, जिनका अनुपालन करने के लिए वासगृहों या वासों का स्वामी तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के द्वारा या उसके अधीन व्यादिष्ट है, उस स्वामी द्वारा उपेक्षा किए जाने के कारण मानी जा सकती है,

तो अत्यधिक बढ़ जाता है वहां निगम, यथास्थिति, उस कारखाने या स्थापन के स्वामी या अधिभोगी को या उन वासगृहों या वासों के स्वामी को इस अतिरिक्त व्यय की रकम का संदाय करने के लिए दावा भेज सकेगा जो बीमारी प्रसुविधा के रूप में निगम ने उपगत किया है ; और यदि दावा सहमति द्वारा निपटाया नहीं जाता तो निगम वह मामला, अपने दावे के समर्थन में कथन सहित, समुचित सरकार को सिद्ध नहीं हुआ हैं, कर सकेगा ।

(2) यदि समुचित सरकार की राय हो कि जांच प्रथमदृष्ट्या कोई मामला प्रकट होता है तो वह उपधारा (1) में निर्दिष्ट उस मामले में जांच करने के लिए सक्षम व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी ।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन ऐसी जांच पर, जांच करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को समाधान प्रदान करने वाले रूप में यह साबित हो जाता है कि बीमाकृत व्यक्तियों में अत्यधिक बीमारी का कारण, यथास्थिति, कारखाने या स्थापन के स्वामी या अधिभोगी का या, वासगृहों या वासों के स्वामी द्वारा व्यतिक्रम या उपेक्षा है तो उक्त व्यक्ति बीमारी प्रसुविधा के रूप में उपगत अतिरिक्त व्यय की रकम को और जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों द्वारा ऐसी संपूर्ण राशि या उनका कोई भाग निगम को दिया जाएगा उसे या उन्हें अवधारित करेगा या करेंगे ।

(4) उपधारा (3) के अधीन किया गया अवधारण इस प्रकार प्रवर्तित किया जा सकेगा मानो वह किसी वाद में सिविल न्यायालय द्वारा पारित धन के संदाय की कोई डिक्री हो ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए या वासगृहों या वासों के "स्वामी" के अंतर्गत स्वामी का कोई अभिकर्ता और कोई ऐसा व्यक्ति आता है, जो स्वामी के पट्टेदार के रूप

में वासगृहों या वासों का भाटक संग्रहीत करने का हकदार है ।

अन्य हिताधिकारियों के लिए स्कीम ।

44. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अन्य हिताधिकारियों और उनके कुटुंब के सदस्यों के लिए किसी क्षेत्र में निगम द्वारा स्थापित किसी अस्पताल में, जो अल्प उपयोगिता वाला है, उपयोक्ता प्रभारों के संदाय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ढ़ाचा, परिवर्तित विखंडित स्कीम विरचित कर सकेगी और ऐसे निबंधन और शर्तें विहित कर सकेगी जिनके अधीन रहते हुए स्कीम प्रवर्तित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अन्य हिताधिकारियों" से धारा 28 के अधीन बीमाकृत कर्मचारी से भिन्न व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ख) "अल्प उपयोगिता अस्पताल" से ऐसा अस्पताल अभिप्रेत है जिसका धारा 28 के अधीन बीमाकृत कर्मचारियों द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाता है ;

(ग) "उपयोक्ता प्रभार" से वह रकम अभिप्रेत है जो ऐसी चिकित्सा सुविधाओं के लिए जो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अन्य हिताधिकारियों से प्रभारित की जानी है ।

असंगठित कर्मकारों, जिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों के लिए स्कीम ।

45. (1) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अंसगठित कर्मकारों, जिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों तथा उनके कुटुंब के सदस्यों के लिए निगम द्वारा, इस अध्याय के अधीन अनुज्ञेय प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्कीम विरचित कर सकेगी ।

(2) अभिदाय, उपयोक्ता प्रभार, प्रसुविधाओं का पैमाना, अर्हता और पात्रता शर्तें और अन्य ऐसे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए स्कीम प्रवर्तित की जाएगी, वह होगी, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए ।

सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के कारखानों या अन्य स्थापनों को छूट ।

46. समुचित सरकार, निगम से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, सरकार से संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के किसी कारखाने या अन्य स्थापन को, इस अध्याय के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी यदि ऐसे कारखाने या अन्य स्थापन में के कर्मचारी, इससे अन्यथा, इस अध्याय के अधीन सारभूत रूप से समान या उच्चतर प्रसुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं ।

निगम के प्रतिशोध्य अभिदायों, आदि को अन्य शोध्यों से ऊपर पूर्विकता दिया जाना ।

47. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन शोध्य कोई रकम, ऐसे स्थापन की आस्तियों पर भारित होंगी जिससे वह संबंधित है और वह दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की के उपबंधों के अनुसार पूर्विकता के आधार पर संदत्त होगी ।

2016 का 31

कर्मचारी बीमा न्यायालय का गठन ।

48. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिए जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए एक कर्मचारी बीमा न्यायालय गठित करेगी ।

(2) कर्मचारी बीमा न्यायालय उतने न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जितने राज्य

सरकार ठीक समझे ।

(3) कोई भी व्यक्ति जो न्यायिक अधिकारी है या रह चुका है या पांच वर्ष की अवस्थिति का विधि-व्यवसायी है, कर्मचारी बीमा न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित होगा ।

(4) राज्य सरकार दो या अधिक स्थानीय क्षेत्रों के लिए एक ही न्यायालय या एक ही स्थानीय क्षेत्र के लिए दो या अधिक कर्मचारी बीमा न्यायालय नियुक्ति कर सकेगी ।

(5) जहां एक ही स्थानीय क्षेत्र के लिए एक से अधिक कर्मचारी बीमा न्यायालय नियुक्त किए गए हैं, वहां राज्य सरकार उनके बीच कामकाज का वितरण साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनियमित कर सकेगी ।

कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मामले ।

49. (1) यदि निम्नलिखित के बारे में कोई प्रश्न या विवाद या दावा उद्भूत होता है—

(क) कोई व्यक्ति इस संहिता के अर्थ में कर्मचारी है या नहीं अथवा वह कर्मचारी अभिदाय देने के लिए जिम्मेदार है या नहीं ; या

(ख) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी की मजदूरी की दर या औसत दैनिक मजदूरी ; या

(ग) इस अध्याय के अधीन किसी कर्मचारी की बाबत नियोजक द्वारा संदेय अभिदाय की दर ; या

(घ) वह व्यक्ति, जो इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी कर्मचारी की बाबत नियोजक है या था ; या

(ङ) इस अध्याय के अधीन किसी प्रसुविधा के लिए किसी व्यक्ति का अधिकार और उसका परिमाण तथा उसकी अस्तित्वावधि ;या

(च) इस अध्याय के अधीन आश्रित प्रसुविधाओं के किसी संदाय के पुनर्विलोकन पर निगम द्वारा निकाला गया कोई निदेश ; या

(छ) कोई अन्य विषय, जो इस अध्याय से संबंधित इस संहिता के अधीन संदेय या वसूलीय किसी अभिदाय या प्रसुविधा या अन्य शोध्य राशियों की बाबत इस अध्याय से संबंधित नियोजक और निगम के बीच या नियोजक और ठेकेदार के बीच या किसी व्यक्ति या निगम के बीच या इस अध्याय से संबंधित कर्मचारी और नियोजक या ठेकेदार के बीच विवादग्रस्त हो ;

(ज) इस अध्याय से संबंधित संहिता के अधीन नियोजक से अभिदायों की वसूली का दावा ;

(झ) किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त प्रसुविधाओं के मूल्य या रकम की वसूली के लिए धारा 41 की उपधारा (8) के अधीन उस दशा में दावा जिसमें वह व्यक्ति उनका विधिपूर्ण रूप से हकदार नहीं है ;

(ञ) नियोजक के विरुद्ध धारा 42 के अधीन दावा ;

(ट) अध्याय 4 के संबंध में धारा 126 के अधीन अपील प्राधिकारी का

आदेश ;

(ठ) इस अध्याय से संबंधित संहिता के अधीन किसी ठेकेदार से अभिदायों को वसूल करने के लिए नियोजक द्वारा दावा ; या

(ड) इस अध्याय के अधीन अनुज्ञेय किसी फायदा की वसूली के लिए कोई अन्य दावा,

तो ऐसे विषयों का विनिश्चय कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा किया जाएगा ।

(2) कोई ऐसा मामला, जो किसी नियोजक और निगम के बीच इस अध्याय के अधीन किसी अभिदाय या किसी अन्य देय के बारे में विवाद है, नियोजक द्वारा, कर्मचारी बीमा न्यायालय में तब तक नहीं उठाया जाएगा जब तक उसने निगम द्वारा यथा दावाकृत उससे देय रकम का पचास प्रतिशत न्यायालय के पास जमा न कर दिया हो :

परंतु कर्मचारी बीमा न्यायालय, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, इस उपधारा के अधीन जमा की जाने वाली रकम को अधित्यजित या कम कर सकेगा ।

(3) किसी भी सिविल न्यायालय को उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट किसी प्रश्न या विवाद का विनिश्चय करने या उस पर कोई कार्यवाही करने की या किसी ऐसे दायित्व पर, जिसका विनिश्चय इस अध्याय से संबंधित इस संहिता द्वारा या उसके अधीन किया जाना है, न्यायनिर्णयन देने की अधिकारिता नहीं होगी ।

कर्मचारी बीमा न्यायालय की शक्तियां ।

50. (1) कर्मचारी बीमा न्यायालय को, साक्षियों को समन करने और उन्हें हाजिर कराने, दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों के प्रकटीकरण और पेश करने को विवश करने, शपथ दिलाने और साक्ष्य अभिलिखित करने के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होगी और ऐसा न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के अर्थ में सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

1974 का 2

(2) कर्मचारी बीमा न्यायालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जैसी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए ।

(3) कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष की किसी भी कार्यवाही के आनुषांगिक सभी खर्चे ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, न्यायालय के विवेकाधीन होंगे ।

(4) कर्मचारी बीमा न्यायालय का आदेश इस प्रकार प्रवर्तनीय होगा मानो वह किसी सिविल न्यायालय द्वारा बाद में पारित डिक्री हो ।

कर्मचारी बीमा न्यायालयों की कार्यवाहियां ।

51. (1) कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के प्रारंभ की रीति और फाइल करने की फीस और उसकी प्रक्रिया वह होगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए :

परंतु कर्मचारी बीमा न्यायालय में व्यथित व्यक्ति द्वारा कार्यवाहीं प्रारंभ के लिए परिसीमा वह तारीख जिसको वाद हेतुक उद्भूत होता है, तीन वर्ष होगी :

परंतु यह है कि बीमाकृत व्यक्ति या आश्रित द्वारा; नियोजक से अभिदाय (हितों और नुकसानी सहित) वसूली के लिए निगम उस के द्वारा "वाद हेतुक को उद्भूत" के बारे में; और ठेकेदार से अभिदाय वसूली के लिए नियोजक द्वारा दावा और समय के भीतर

जिसे ऐसा दावा और समय के भीतर जिसे ऐसा दावा करता है या जिसे निगम द्वारा नियोजक से वसूल करता है और ठेकेदार से नियोजक द्वारा अभिदाय की वसूली, इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट होगा ।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा कर्मचारी बीमा न्यायालय को किए जाने के लिए अपेक्षित आवेदन या उसके समक्ष की जाने के लिए अपेक्षित (किसी व्यक्ति की ऐसी हाजिरी से भिन्न जो साक्षी के रूप में उसकी परीक्षा की जाने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो) कोई हाजिरी या किए जाने के लिए अपेक्षित कोई कार्य किसी विधि-व्यवसायी द्वारा या रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के ऐसे अधिकारी जिसे ऐसे व्यक्ति ने लिखित रूप में प्राधिकृत किया हो या न्यायालय की अनुज्ञा से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, किया जा सकेगा ।

(3) कर्मचारी बीमा न्यायालय कोई भी विधि-प्रश्न उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निवेदित कर सकेगा और यदि वह ऐसा करती है, तो वह अपने समक्ष लंबित प्रश्न को ऐसे विनिश्चय के अनुसार विनिश्चित करेगा ।

उच्च न्यायालय को अपील ।

52. (1) उसके सिवाय जैसा कि इस धारा में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, कर्मचारी बीमा न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी;

(2) यदि कर्मचारी बीमा न्यायालय के आदेश में कोई सारवान् विधि प्रश्न अंतर्वलित है तो उसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी ।

(3) इस धारा के अधीन कोई अपील, कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा किए गए आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी ।

1963 का 36

(4) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 और धारा 12 के उपबंध इस धारा के अधीन की अपीलों को लागू होंगे ।

(5) जहां निगम ने कर्मचारी बीमा न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कोई अपील उपस्थापित की है वहां वह न्यायालय, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उस आदेश द्वारा दिए जाने के लिए निर्दिष्ट राशि का संदाय अपील पर विनिश्चय होने तक के लिए रोक सकेगा और यदि उच्च न्यायालय द्वारा उसे ऐसा निदेश दिया जाए तो रोक देगा ।

अध्याय 5

उपदान

उपदान का संदाय ।

53. (1) कम से कम पांच वर्ष की निरंतर सेवा कर लेने के पश्चात् कर्मचारी के नियोजन के पर्यवसान पर उसको, –

(क) उसकी अधिवर्षिता पर ; या

(ख) उसकी निवृत्ति या पद त्याग पर ; या

(ग) किसी दुर्घटना अथवा रोग के कारण उसकी मृत्यु अथवा निःशक्तता पर ;

(घ) नियतकालिक नियोजन के अधीन उसकी संविदा अवधि की समाप्ति पर ;

(ङ) कोई ऐसी घटना के घटित होने पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए :

परंतु श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 2 के खंड (च) में यथा परिभाषित श्रमजीवी पत्रकार, इस उपधारा में आने वाले पद "पांच वर्ष" होने के लिए तीन वर्ष समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी करना आवश्यक नहीं होगी जहां किसी कर्मचारी के नियोजन का समापन मृत्यु या अक्षमता या नियोजन की निश्चित अवधि के समापन या किसी अन्य घटना के होने के कारण हुआ हो, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए :

परंतु यह और कि किसी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में, उसे संदेय उपदान उसके नामनिर्देशिती को या, यदि कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है तो, उसे वारिसों को दिया जाएगा, और जहां कोई ऐसा नामनिर्देशिती या वारिस अवयस्क है वहां ऐसे अवयस्क का अंश ऐसे सक्षम प्राधिकारी के पास जमा किया जाएगा जिसे समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, जो उसे ऐसे अवयस्क के फायदे के लिए किसी ऐसे बैंक या अन्य वित्तीय संस्था में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, उस अवयस्क के वयस्कता प्राप्त करने तक, विनिहित करेगा ।

(2) नियोजक कर्मचारी को, सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए अथवा छह मास से अधिक के उसके भाग के लिए, संबद्ध कर्मचारी द्वारा सबसे अंत में प्राप्त की गई मजदूरी की दर पर आधारित पंद्रह दिनों की मजदूरी या संबंधित कर्मचारी द्वारा अंतिम आहरण मजदूरी की दर पर आधारित पंद्रह दिनों की मजदूरी या संबंधित कर्मचारी द्वारा अंतिम आहरण मजदूरी की दर पर आधारित उतने दिनों की मजदूरी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए :

परंतु मात्रानुपाती दर से मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी की दशा में, दैनिक मजदूरी उसके नियोजन के पर्यवसान के ठीक पूर्ववर्ती तीन मास की कालावधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त कुल मजदूरी की औसत पर संगणित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए, किसी अतिकालिक कार्य के लिए संदत्त मजदूरी गणना में नहीं ली जाएगी :

परंतु यह और कि ऐसे कर्मचारी की दशा में जो मौसमी स्थापन में नियोजित है और जो वर्ष भर ऐसे नियोजित नहीं है, नियोजक प्रत्येक मौसम के लिए सात दिन की मजदूरी की दर से उपदान का संदाय करेगा :

परंतु यह भी कि नियतकालिक नियोजन पर नियोजित किसी कर्मचारी की दशा में या मृत कर्मचारी की दशा में, कर्मचारी को अनुपाततः के आधार पर उपदान का संदाय किया जाएगा ।

(3) कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम ऐसी रकम से अधिक नहीं होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ।

(4) किसी ऐसे कर्मचारी को संदेय उपदान की संगणना के प्रयोजन के लिए जो अपनी निःशक्तता के पश्चात्, घटी हुई मजदूरी पर नियोजित किया गया है, उसकी निःशक्तता के पूर्व की कालावधि के लिए उसकी मजदूरी उसके द्वारा उस कालावधि के

दौरान प्राप्त की गई मजदूरी मानी जाएगी और उसकी निःशक्तता के पश्चात् की कालावधि के लिए उसकी मजदूरी इस प्रकार घटी हुई मजदूरी मानी जाएगी ।

(5) इस धारा की कोई बात किसी पंचाट अथवा नियोजक के साथ करार या संविदा के अधीन उपदान के और अच्छे निबंधन प्राप्त करने के कर्मचारी के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(6) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) जिस कर्मचारी की सेवाएं उसके किसी ऐसे कार्य या जानबूझकर किए गए ऐसे लोप अथवा उपेक्षा के कारण, जिनसे कि नियोजक की संपत्तिकी हानि, नुकसान अथवा विनाश हुआ है, समाप्त कर दी गई है, उसका उपदान इस प्रकार हुए नुकसान या हानि की मात्रा तक समपहृत कर लिया जाएगा ;

(ख) कर्मचारी को संदेय उपदान पूर्णतः या भागतः समपहृत किया जा सकेगा—

(i) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाएं उसके बलवात्मक अथवा उपद्रवी आचरण अथवा उसकी ओर से किए गए किसी अन्य हिंसात्मक कार्य के कारण समाप्त कर दी गई हैं, अथवा

(ii) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाएं किसी ऐसे कार्य के कारण समाप्त कर दी गई हैं जो नैतिक अधमता वाला अपराध है, बशर्ते यह तब जब कि ऐसा अपराध अपने नियोजन के दौरान किया जाता है ।

स्पष्टीकरण 1—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, कर्मचारी के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किए हुए है और जो किसी अन्य अधिनियम द्वारा या उपदान संदाय का उपबंध करने वाले किसी निगम द्वारा शासित होता है ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, दिव्यांगता से, ऐसी दिव्यांगता के परिणामस्वरूप कार्य करने के लिए किसी कर्मचारी की असमर्थता के रूप में ऐसी दिव्यांगता अभिप्रेत है जिसको करने के लिए वह दुर्घटना या बीमारी से पहले समर्थ था ।

स्पष्टीकरण 3—इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी मासिक दर से मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी की दशा में पंद्रह दिनों की मजदूरी की मासिक दर को, छब्बीस से भाग करके और भागफल को पंद्रह से गुणा करके परिकलित किया जाएगा ।

निरंतर सेवा ।

54. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, —

(अ) किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह किसी कालावधि के लिए निरंतर सेवा में है यदि वह उस कालावधि के लिए अविच्छिन्न सेवा में रहा है, जिसके अंतर्गत वह सेवा है जो बीमारी, दुर्घटना, छुट्टी, छुट्टी के बिना कर्तव्य से अनुपस्थिति (जो ऐसी अनुपस्थिति नहीं है जिसके संबंध में स्थापन के कर्मचारियों को शासित करने वाले स्थायी आदेशों, नियमों या विनियमों के अनुसार अनुस्थिति को सेवा में भंग के रूप में मानने वाला कोई आदेश पारित किया गया

है), कामबंदी, हड़ताल या तालाबंदी अथवा ऐसे कार्यावरोध, जो कर्मचारी की किसी त्रुटि के कारण न हो, से विच्छिन्न हुई हो, चाहे ऐसी अविच्छिन्न या विच्छिन्न सेवा इस संहिता के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात् की गई हो ;

(आ) जहां कोई कर्मचारी (जो किसी मौसमी स्थापन में नियोजित कर्मचारी नहीं है) एक वर्ष या छह मास की किसी कालावधि के लिए खंड (अ) के अर्थ में निरंतर सेवा में नहीं है वहां उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह नियोजक के अधीन—

(क) एक वर्ष की उक्त कालावधि के लिए निरंतर सेवा में है यदि उस कर्मचारी ने उस तारीख के, जिसके प्रतिनिर्देश से संगणना को जानी है, पूर्ववर्ती बारह कैलेंडर मास की कालावधि के दौरान नियोजक के अधीन—

(i) उस कर्मचारी की दशा में, जो किसी खान में भूमि के नीचे या किसी ऐसे स्थापन में नियोजित है, जो एक सप्ताह में छह दिन से कम के लिए कार्य करता है, कम से कम एक सौ नब्बे दिन के लिए ; और

(ii) किसी अन्य दशा में, कम से कम दो सौ चालीस दिन के लिए,

वास्तव में कार्य किया है ;

(ख) छह मास की उक्त कालावधि के लिए निरंतर सेवा में है यदि उस कर्मचारी ने उस तारीख के, जिसके प्रतिनिर्देश से संगणना की जानी है, पूर्ववर्ती छह कैलेंडर मास की कालावधि के दौरान नियोजक के अधीन—

(i) उस कर्मचारी की दशा में, जो किसी खान में भूमि के नीचे या किसी ऐसे स्थापन में नियोजित है, जो एक सप्ताह में छह दिन से कम के लिए कार्य करता है कम से कम पचानवे दिन के लिए ; और

(ii) किसी अन्य दशा में, कम से कम एक सौ बीस दिन के लिए,

वास्तव में कार्य किया है ;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए उन दिनों की संख्या में, जिनमें किसी कर्मचारी ने नियोजक के अधीन वास्तव में कार्य किया है, वे दिन भी सम्मिलित होंगे जिनमें—

(i) वह किसी करार के अधीन या औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन बनाए गए स्थायी आदेशों द्वारा यथा अनुज्ञात, या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन, या स्थापन को लागू किसी अन्य विधि के अधीन कामबंदी पर रहा है ;

1946 का 20

1947 का 14

(ii) वह, पूर्ववर्ष में अर्जित, पूर्ण मजदूरी सहित छुट्टी पर रहा है ;

(iii) वह उसके नियोजन से और उसके अनुक्रम में होने वाली दुर्घटना से कारित अस्थायी निःशक्तता के कारण अनुपस्थित रहा है ; और

(iv) किसी महिला की दशा में, वह प्रसूति छुट्टी पर रही है, किंतु ऐसा तब जब प्रसूति छुट्टी की कुल कालावधि छब्बीस सप्ताह से अधिक नहीं है ;

(इ) जहां कोई कर्मचारी, जो मौसमी स्थापन में नियोजित है, एक वर्ष या छह मास की किसी कालावधि के लिए खंड (अ) के अर्थ में निरंतर सेवा में नहीं है वहां वह नियोजक के अधीन ऐसी कालावधि के लिए निरंतर सेवा में समझा जाएगा यदि उसने उन दिनों के, जिनमें स्थापन ऐसी कालावधि के दौरान चालू था, कम से कम पचहत्तर दिन वास्तव में कार्य किया है ।

नामनिर्देशन ।

55. (1) प्रत्येक कर्मचारी जिसने सेवा का एक वर्ष पूरा कर लिया है, ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, नामनिर्देशन करेगा ।

(2) कर्मचारी अपने नामनिर्देशन में, इस अधिनियम के अधीन उसे संदाय उपदान की रकम, एक से अधिक नामनिर्देशिती के बीच वितरित कर सकेगा ।

(3) यदि नामनिर्देशन करने के समय कर्मचारी का कोई कुटुंब नहीं है तो नामनिर्देशन कुटुंब के एक अथवा अधिक सदस्यों के पक्ष में किया जाएगा तथा ऐसे कर्मचारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन, जो उसके कुटुंब का सदस्य नहीं है, शून्य होगा ।

(4) यदि नामनिर्देशन करने के समय कर्मचारी का कोई कुटुंब नहीं है तो नामनिर्देशन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकेगा किंतु यदि तत्पश्चात् कर्मचारी का कोई कुटुंब हो जाता है, तो ऐसा नामनिर्देशन तत्काल अविधिमान्य हो जाएगा और कर्मचारी, उतने समय के भीतर, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए, अपने कुटुंब के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में नया नामनिर्देशन करेगा ।

(5) उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नामनिर्देशन का उपांतरण, कर्मचारी द्वारा किसी भी समय, नियोजक को ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना, ऐसे प्ररूप में और रीति से, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, देने के पश्चात् किया जा सकेगा ।

(6) यदि नामनिर्देशिती की मृत्यु कर्मचारी से पहले हो जाती है तो नामनिर्देशिती का हित कर्मचारी को प्रतिवर्तित हो जाएगा और कर्मचारी ऐसे हित के संबंध में समुचित सरकार द्वारा, विहित प्ररूप में, नया नामनिर्देशन करेगा ।

(7) यथास्थिति, प्रत्येक नामनिर्देशन, नया नामनिर्देशन अथवा नामनिर्देशन में परिवर्तन, कर्मचारी द्वारा अपने नियोजक को भेजा जाएगा जो उसे अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ।

उपदान की रकम का अवधारण ।

56. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन उपदान का संदाय प्राप्त करने का पात्र है या उसकी ओर से कार्य करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति, नियोजक को, ऐसे उपदान के संदाय के लिए उतने समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में जो समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए, लिखित आवेदन भेजेगा ।

(2) जैसे ही उपदान संदेय हो जाता है नियोजक, चाहे उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन किया गया है अथवा नहीं, उपदान की रकम अवधारित करेगा और उस व्यक्ति को जिसे उपदान संदेय है तथा सक्षम प्राधिकारी को भी इस प्रकार अवधारित उपदान की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित सूचना देगा ।

(3) नियोजक उपदान की रकम उस व्यक्ति को जिसको उपदान देय है, उपदान देय होने की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर संदाय करने की व्यवस्था करेगा ।

(4) यदि उपधारा (3) के अधीन देय उपदान की रकम, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नियोजक द्वारा नहीं दी जाती है तो नियोजक, उस तारीख से जिसको उपदान देय होता है उस तारीख तक जिसको वह दिया जाता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दीर्घकालीन निक्षेपों के प्रतिसंदाय के लिए अधिसूचित दर से अनधिक ऐसी दर से, जो वह सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें, साधारण ब्याज का संदाय करेगा :

परंतु ऐसा कोई ब्याज देय नहीं होगा यदि संदाय में विलंब कर्मचारी की त्रुटि के कारण हुआ है और नियोजक ने इस आधार पर विलंबित संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुज्ञा अभिप्राप्त कर ली है ।

(5)(क) यदि इस अध्याय के अधीन किसी कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम के बारे में अथवा उपदान के संदाय के लिए किसी कर्मचारी के दावे की अनुज्ञेयता के बारे में अथवा उसके संबंध में, अथवा उपदान प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के बारे में कोई विवाद है तो नियोजक, उतनी रकम जितनी कि वह उपदान के रूप में अपनी ओर से संदेय स्वीकार करता है, सक्षम प्राधिकारी के पास जमा कर देगा ।

(ख) जहां खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी विषय या किन्हीं विषयों के बारे में कोई विवाद है वहां नियोजक या कर्मचारी या विवाद उठाने वाला कोई अन्य व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी को विवाद का विनिश्चय करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित प्ररूप में आवेदन कर सकेगा ।

(ग) सक्षम प्राधिकारी, सम्यक् जांच के पश्चात् तथा विवाद के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, विवादग्रस्त विषय या विषयों का अवधारण करेगा, तथा यदि ऐसी जांच के परिणामस्वरूप कोई रकम कर्मचारी को संदेय पाई जाती है तो सक्षम प्राधिकारी नियोजक को, यथास्थिति, उतनी रकम का संदाय करने या उतनी रकम का, जितनी नियोजक द्वारा पहले ही जमा की गई रकम को घटा कर आए संदाय करने का निदेश देगा ।

(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जमा की गई रकम, जिसके अंतर्गत नियोजक द्वारा जमा की गई अधिक रकम, यदि कोई हों, भी है, उसके हकदार व्यक्ति को देगा ।

(ङ) खंड (क) के अधीन रकम जमा किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, नियंत्रक प्राधिकारी उस जमा रकम का संदाय—

(i) यदि आवेदक स्वयं कर्मचारी है तो उसी को, अथवा

(ii) यदि आवेदक स्वयं कर्मचारी नहीं है तो, यदि सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि आवेदक के उपदान की रकम प्राप्त करने के अधिकार के बारे

में कोई विवाद नहीं है, कर्मचारी के, यथास्थिति, नामनिर्देशिती या ऐसे नामनिर्देशिती के संरक्षक या वारिस को,

करेगा ।

(6) उपधारा (5) के अधीन जांच करने के प्रयोजनार्थ, नियंत्रक प्राधिकारी को, निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां होंगी जो न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का विचारण करते समय होती हैं, अर्थात् :— 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

(7) इस धारा के अधीन कोई जांच भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में तथा धारा के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही होगी । 1860 का 45

(8) उपधारा (5) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर, समुचित सरकार को, अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारी को जो समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, अपील कर सकेगा :

परंतु यदि, यथास्थिति, समुचित सरकार अथवा अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर अपील नहीं कर सका था, तो उक्त सरकार या प्राधिकारी उक्त अवधि को साठ दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा :

परंतु यह और भी कि नियोजक की कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक अपील करने के समय अपीलार्थी या तो सक्षम प्राधिकारी का इस भाव का प्रमाणपत्र पेश करे कि अपीलार्थी ने उसके पास इतनी रकम जमा कर दी है जो उपधारा (4) के अधीन जमा की जाने के लिए अपेक्षित उपदान की रकम के बराबर है, अथवा जब तक वह अपील प्राधिकारी के पास ऐसी रकम जमा नहीं कर देता ।

(9) यथास्थिति, समुचित सरकार या अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा अथवा उलट सकेगा ।

अनिवार्य बीमा ।

57. (1) ऐसी तारीख से जो समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन, किसी नियोजक या स्थापन से भिन्न, प्रत्येक नियोजक, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, 1999 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन यथा परिभाषित प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी बीमा कंपनी से इस अध्याय के अधीन उपदान के मद्धे संदाय के लिए अपने दायित्व के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में बीमा कराएगा : 1999 का 41

परंतु भिन्न-भिन्न स्थापनों या स्थापनों के वर्ग के लिए अथवा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

(2) समुचित सरकार, ऐसी शर्तों के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अधीन रहते हुए, ऐसे प्रत्येक नियोजक को, जिसने अपने कर्मचारियों की बाबत पहले ही अनुमोदित उपदान निधि की स्थापना कर ली हो और जो ऐसी व्यवस्था चालू रखना चाहता है और ऐसे प्रत्येक नियोजक को जिसने पांच सौ या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित किए हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में अनुमोदित उपदान निधि की स्थापना करता है, उपधारा (1) के उपबंधों से छूट दे सकेगी ।

(3) इस धारा के उपबंधों के प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक नियोजक, उतने समय के भीतर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, अपने स्थापन को विहित रीति में सक्षम प्राधिकारी के पास रजिस्टर कराएगा और किसी भी नियोजक को इस धारा के उपबंधों के अधीन तब तक रजिस्टर नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने उपधारा (1) में निर्दिष्ट बीमा न करा लिया हो या उपधारा (2) में निर्दिष्ट अनुमोदित उपदान निधि की स्थापना न कर ली हो ।

(4) समुचित सरकार, अनुमोदित उपदान निधि के न्यासी बोर्ड की संरचना के लिए और ऐसे किसी अन्य बीमाकर्ता से, जिससे उपधारा (1) के अधीन बीमा कराया गया है, या अनुमोदित उपदान निधि के न्यासी बोर्ड से, किसी कर्मचारी को देय उपदान की रकम की सक्षम प्राधिकारी द्वारा वसूली किए जाने के लिए ऐसी रीति में जो विहित ऐसी रीति में जो विहित की जाएं, उपबंध किया जा सकेगा ।

(5) जहां कोई नियोजक उपधारा (1) में निर्दिष्ट बीमा के संबंध में या उपधारा (2) में निर्दिष्ट अनुमोदित उपदान निधि के अभिदाय के रूप में कोई संदाय करने में सफल रहेगा, तो वह इस अधिनियम के अधीन देय उपदान की रकम (जिसके अंतर्गत विलंबित संदाय के लिए ब्याज, यदि कोई है, भी है) तुरंत सक्षम प्राधिकारी को संदाय करने के दायित्वाधीन होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "अनुमोदित उपदान निधि" का वही अर्थ है जो उसका आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (5) में है ।

1961 का 43

सक्षम प्राधिकारी ।

58. (1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी अर्हताएं और अनुभव वाले किसी व्यक्ति को, जो उस सरकार द्वारा विहित की जाए, ऐसे क्षेत्र के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अध्याय के किसी उपबंध के कार्यान्वयन के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी ।

(2) जहां किसी क्षेत्र के लिए एक से अधिक सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की गई है वहां समुचित सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उनके बीच कारबार के वितरण को विनियमित कर सकेगी ।

(3) कोई सक्षम प्राधिकारी, इस अध्याय के अधीन विनिश्चय के लिए उसे निर्दिष्ट किसी विषय का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए, उससे संबंधित जांच करने में उसे सहायता देने के लिए निर्देशाधीन विषय से सुसंगत किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों का चुनाव कर सकेगा ।

अध्याय 6

प्रसूति प्रसुविधा

कतिपय कालावधियों के दौरान स्त्रियों का नियोजन या उनके द्वारा काम का किया जाना प्रतिषिद्ध ।

59. (1) कोई भी नियोजक किसी स्त्री को उसके प्रसव गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन के दिन के अव्यवहित पश्चात्वर्ती छह सप्ताह के दौरान किसी स्थापन में जानते हुए नियोजित न करेगा ।

(2) कोई भी स्त्री अपने प्रसव गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन के दिन के अव्यवहित पश्चात्वर्ती छह मास के दौरान किसी स्थापन में काम नहीं करेगी ।

(3) धारा 62 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी भी गर्भवती स्त्री से इस निमित्त उसके द्वारा प्रार्थना किए जाने पर, उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान उसके नियोजक द्वारा कोई ऐसा काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जो कठिन प्रकृति का हो या जिसमें दीर्घकाल तक खड़ा रहना अपेक्षित हो या जिससे उसके गर्भवतित्व में या भ्रूण के प्रसामान्य विकास में किसी भी प्रकार विघ्न होना संभाव्य हो या जिससे उसका गर्भपात कारित होना या अन्यथा उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य हो ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट कालावधि निम्नलिखित होगी—

(क) उसके प्रत्याशित प्रसव की तारीख के पूर्व के छह सप्ताह की कालावधि के अव्यवहित पूर्ववर्ती एक मास की कालावधि ;

(ख) उक्त छह सप्ताह की कालावधि के दौरान की कोई कालावधि जिसके लिए वह गर्भवती स्त्री अनुपस्थिति की छुट्टी का उपभोग धारा 6 के अधीन नहीं करती ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन के लिए पद "कठिन प्रकृति का कोई कार्य" से कोई ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिससे श्रम शाध्य उद्दम अन्तर्वलित या अपेक्षित है अथवा कठिन है और प्रकृति से थका देने वाला है।

प्रसूति प्रसुविधा के संदाय के लिए अधिकार ।

60. (1) इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, हर स्त्री अपनी वास्तविक अनुपस्थिति की कालावधि, अर्थात् अपने प्रसव के दिन के अव्यवहित पूर्ववर्ती कालावधि, अपने प्रसव के वास्तविक दिन और उस दिन की अव्यवहित पश्चात्वर्ती किसी कालावधि के लिए औसत दैनिक मजदूरी की दर पर प्रसूति प्रसुविधा के संदाय की हकदार होगी और उसका नियोजक उसके लिए दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "औसत दैनिक मजदूरी" से उस तारीख के, जिससे वह स्त्री प्रसूति के कारण अनुस्थित होती है, अव्यवहित पूर्ववर्ती तीन कैलेंडर मासों की कालावधि के दौरान के उन दिनों के लिए जिन दिनों उसने काम किया है उसको संदेय उसकी मजदूरी को ऐसा औसत अभिप्रेत है जो मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन नियत या पुनरीक्षित मजदूरी की न्यूनतम दर के अध्यधीन है । 2019 का 29

(2) कोई भी स्त्री प्रसूति प्रसुविधा की तब तक हकदार न होगी, जब तक उसने अपने प्रत्याशित प्रसव की तारीख के अव्यवहित पूर्ववर्ती बारह मासों में अस्सी दिन से अन्यून की कालावधि पर्यंत उस नियोजक के जिससे प्रसुविधा का वह दावा करती है किसी स्थापन में वस्तुतः काम न किया हो ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के अधीन उन दिनों की जिन दिनों स्त्री ने स्थापन में वस्तुतः काम किया संगणना करने के प्रयोजनार्थ, उन दिनों को गणना में लिया जाएगा

जिन दिनों उसके प्रसव की प्रत्याशित तारीख के अव्यवहित पूर्ववर्ती बारह मास की कालावधि के दौरान उसकी कामबंदी की गई हो या वह ऐसे अवकाश पर हो जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजदूरी सहित अवकाश घोषित किया गया हो ।

(3) अधिकतम अवधि, जिसके लिए कोई महिला प्रसूति फायदे के लिए दायी होगी, छब्बीस सप्ताह होगी, जिसमें से उसके प्रत्याशित प्रसव की तारीख से पूर्व अवधि आठ सप्ताह की अवधि से अधिक नही होगी :

परन्तु दो और अधिक जीवित बच्चे रखने वाली महिला प्रसूति फायदे के लिए अधिकतम बारह सप्ताह की दायी होगी, जिसमें से उसके प्रत्याशित प्रसव की तारीख से पूर्व अवधि छह सप्ताह की अवधि से अधिक नही होगी :

परन्तु यह और कि जहां किसी महिला की इस अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, वहाँ प्रसूति फायदे उसकी मृत्यु के दिन तक सम्मिलित करते हुए दिनों तक के लिए ही संदेय होंगे :

परन्तु यह भी कि जहां महिला ने बालक को जन्म दिया है, उसकी प्रसव के दौरान या उसके प्रसव की तारीख के तुरंत पश्चात अवधि, जिसके लिए वह प्रसुति फायदे के लिये दायी है, दोनों में से किसी भी मामले में बालक को छोड़कर मृत्यु हो जाती है, नियोजक संपूर्ण अवधि के लिए प्रसूति फायदे के लिए दायी होगा, किंतु यदि बालक की भी उक्त अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो बालक की मृत्यु की तारीख को सम्मिलित करते हुए दिनों तक के लिए दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "बालक" में मृतजात शिशु सम्मिलित है ।

(4) कोई स्त्री, जो विधिमान्य रूप से तीन मास से कम आयु का दत्तक ग्रहण करती है या कोई अधिकृत माता, उस तारीख से, जिसको, यथास्थिति, दत्तक माता या अधिकृत माता को शिशु सौंपा जाता है, बारह मास की अवधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की हकदार होगी।

(5) उस दशा में, जहां किसी स्त्री को सौंपा गया कार्य ऐसी प्रकृति का है कि वह घर से कार्य कर सकती है वहां नियोजक उसे प्रसूति प्रसुविधा उपभोग करने के पश्चात् ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर जिन पर नियोजक और स्त्री की पारस्परिक सहमति हो ऐसा करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

कुछ दशाओं में प्रसूति प्रसुविधा का बना रहना ।

61. इस अध्याय के अधीन प्रसूति प्रसुविधा पाने की हकदार हर स्त्री, उस कारखाने या अन्य स्थापन को जिसमें वह नियोजित है, अध्याय 4 के लागू होते हुए भी, तब तक पूर्ववत् हकदार बनी रहेगी जब तक वह उस अधिनियम की धारा 32 के अधीन प्रसूति प्रसुविधा का दावा करने के लिए अर्हित न हो जाए ।

प्रसूति प्रसुविधा के दावे की सूचना और उसका संदाय ।

62. (1) किसी स्थापन में नियोजित और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रसूति प्रसुविधा की हकदार स्त्री अपने नियोजक को ऐसे प्ररूप में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, यह कथन करते हुए लिखित सूचना दे सकेगी कि उसकी प्रसूति प्रसुविधा और कोई अन्य रकम, जिसकी वह इस अध्याय के अधीन हकदार हो, उसे या उस व्यक्ति को, जिसे वह सूचना में नामनिर्देशित करे संदत्त की जाए और यह कि वह

उस कालावधि के दौरान जिसके लिए वह प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त करती है किसी स्थापन में कार्य नहीं करेगी ।

(2) ऐसी स्त्री की दशा में जो गर्भवती है ऐसी सूचना में वह तारीख कथित होगी जिससे वह काम से अनुपस्थित रहेगी और वह तारीख उसके प्रत्याशित प्रसव की तारीख से छह सप्ताह के पूर्वतर की नहीं होगी ।

(3) कोई स्त्री जिसने तब सूचना न दी हो जब वह गर्भवती थी, प्रसव के पश्चात् यथासंभव शीघ्र ऐसी सूचना दे सकेगी ।

(4) उस सूचना की प्राप्ति पर नियोजक उस स्त्री को यह अनुज्ञा देगा कि वह उस कालावधि के दौरान, जिसके लिए वह प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त करती है स्थापन से अनुपस्थित रहे ।

(5) किसी स्त्री के प्रत्याशित प्रसव की तारीख की पूर्ववर्ती कालावधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की रकम, इस बात के कि वह स्त्री गर्भवती है, ऐसे सबूत के जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, पेश किए जाने पर, उस स्त्री को नियोजक द्वारा अग्रिम दी जाएगी, और पश्चात्वर्ती कालावधि के लिए देय रकम, इस बात के कि उस स्त्री ने शिशु का प्रसव किया है ऐसे सबूत के जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, पेश किए जाने के अड़तालीस घंटों के अंदर उस स्त्री को नियोजक द्वारा संदत्त की जाएगी ।

(6) इस धारा के अधीन सूचना न दे पाना किसी स्त्री को इस अध्याय के अधीन प्रसूति प्रसुविधा या किसी अन्य रकम के हक से वंचित न करेगा यदि वह ऐसी प्रसुविधा या रकम के लिए अन्यथा हकदार हो और ऐसे किसी मामले में निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता या तो स्वप्रेरणा से या उसको उस स्त्री द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसी प्रसुविधा या रकम का संदाय ऐसी कालावधि के अंदर करने का आदेश दे सकता जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो ।

किसी स्त्री की मृत्यु की दशा में प्रसूति प्रसुविधा का संदाय ।

63. यदि इस अध्याय के अधीन प्रसूति प्रसुविधा या किसी अन्य रकम की हकदार कोई स्त्री ऐसी प्रसूति प्रसुविधा या रकम को प्राप्त करने से पूर्व मर जाए तो, या जहां नियोजक धारा 60 की उपधारा (3) के द्वितीय परंतुक के अधीन प्रसूति प्रसुविधा का दायी हो वहां नियोजक ऐसी प्रसुविधा या रकम धारा 6 के अधीन दी गई सूचना में स्त्री द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति को, और उस दशा में जबकि कोई ऐसा नामनिर्देशिती न हो उसके विधिक प्रतिनिधि को, संदत्त करेगा ।

चिकित्सीय बोनस का संदाय ।

64. यदि नियोजक द्वारा प्रसवपूर्व रखने और प्रसवोत्तर देखरेख की कोई भी व्यवस्था नि:शुल्क न की गई हो तो इस अध्याय के अधीन प्रसूति प्रसुविधा की हकदार हर स्त्री अपने नियोजक से तीस हजार पांच सौ या ऐसी रकम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए का चिकित्सीय बोनस पाने की भी हकदार होगी ।

गर्भपात, आदि की दशा में छुट्टी ।

65. (1) गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन की दशा में, कोई स्त्री, ऐसा सबूत पेश करने पर, जैसा विहित किया जाए, यथास्थिति, अपने गर्भपात या अपने गर्भ के चिकित्सीय समापन के दिन के अव्यवहित पश्चात्वर्ती छह सप्ताह की कालावधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की दर पर मजदूरी सहित छुट्टी की हकदार होगी ।

(2) ट्यूबेक्टोमी शल्यक्रिया की दशा में, कोई स्त्री, ऐसा सबूत पेश करने पर, जैसा विहित किया जाए, अपनी ट्यूबेक्टोमी शल्यक्रिया के दिन के अव्यवहित पश्चात्वर्ती दो सप्ताह की कालावधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की दर पर मजदूरी सहित छुट्टी की हकदार होगी ।

(3) गर्भावस्था, प्रसव, समयपूर्व शिशु जन्म, गर्भपात, गर्भ के चिकित्सीय समापन या ट्यूबेक्टोमी शल्यक्रिया से पैदा होने वाली रुग्णता से पीड़ित स्त्री, ऐसा सबूत पेश करने पर, जैसा विहित किया जाए, यथास्थिति, धारा 62 या उपधारा (1) के अधीन उसे अनुज्ञात अनुपस्थिति कालावधि के अतिरिक्त, प्रसूति प्रसुविधा की दर पर मजदूरी सहित अधिकतम एक मास की कालावधि की छुट्टी की हकदार होगी ।

पोषणार्थ विराम ।

66. हर प्रसूता स्त्री को जो प्रसव के पश्चात् काम पर वापस आती है उसे विश्रामार्थ अंतराल के अतिरिक्त जो उसे अनुज्ञात है अपने दैनिक काम की चर्या में ऐसी कालावधि के जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं दो विराम शिशु के पोषण के लिए तब तक अनुज्ञात होंगे, जब तक वह शिशु पंद्रह मास की आयु पूरी न कर ले ।

शिशु कक्ष सुविधा ।

67. (1) ऐसे प्रत्येक स्थापन में, जिसे यह अध्याय लागू होता है, जिसमें पचास कर्मचारी या ऐसी संख्या में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, कर्मचारी नियोजित है, ऐसी दूरी के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, पृथकत: या सामान्य सुविधाओं सहित शिशु कक्ष सुविधा होगी :

परंतु नियोजक, स्त्री द्वारा शिशु कक्ष में दिन में चार बार जाने की अनुज्ञा देगा जिसके अंतर्गत उसे अनुज्ञात विश्राम अंतराल भी होगा ।

परंतु यह और कि कोई स्थापन, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिका या निजी इकाई की अथवा किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा या किसी अन्य संगठन या स्थापनों के समूह जो सामान्य शिशु-कक्ष की स्थापना के लिए उनके संसाधनों को ऐसी रीति में जिस पर वे ऐसे प्रयोजन के लिए सहमत हो, एकत्रण कर सकेंगे, द्वारा प्रदान की गई सामान्य शिशु-कक्ष सुविधा का लाभ उठा सकेंगे ।

(2) प्रत्येक स्थापन, जिसे यह अध्याय लागू होता है, प्रत्येक स्त्री को लिखित रूप में या इलैक्ट्रानिक रूप में उसकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस अध्याय के अधीन उपलब्ध प्रत्येक प्रसुविधा के संबंध में सूचित करेगा ।

गर्भावस्था के कारण अनुपस्थिति के दौरान पदच्युति ।

68. (1) जब कोई स्त्री काम पर से इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार अनुपस्थित रहती है तब उसके नियोजक के लिए यह विधिविरुद्ध होगा कि वह उसे ऐसी अनुपस्थिति के दौरान या कारण उन्मोचित या पदच्युत करे या उसे उन्मोचन या पदच्युति की सूचना ऐसे दिन दे कि वह सूचना ऐसी अनुपस्थिति के दौरान अवसित हो, या उसकी सेवा की शर्तों में से किसी में उसके लिए अहितकर फेरफार करे :

परंतु किसी स्त्री का, उसकी गर्भावस्था के दौरान किसी समय उन्मोचन या पदच्युति का प्रभाव उसे प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस से वंचित करना न होगा, यदि वह स्त्री ऐसे उन्मोचन या पदच्युति के अभाव में, इस अध्याय के अधीन प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस की हकदार होती :

परन्तु यह और कि जहां कि पदच्युति किसी ऐसी घोर अवचार के कारण जो

केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, हो वहां नियोजक स्त्री को संसूचित लिखित आदेश द्वारा उसे प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस या दोनों से वंचित कर सकेगा ।

(2) प्रसूति प्रसुविधा, या चिकित्सीय बोनस, या दोनों से, वंचित या उपधारा (1) के अधीन सेवोन्मुक्त या पदच्युत स्त्री, उस तारीख से, साठ दिन के भीतर जिसको ऐसे वंचित या सेवोन्मुक्त या पदच्युत किए जाने का आदेश उसे संसूचित किया गया हो, सक्षम प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, अपील कर सकेगी और ऐसी अपील पर उस प्राधिकारी का यह विनिश्चय अंतिम होगा कि स्त्री को प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस, या दोनों से, वंचित या सेवोन्मुक्त या पदच्युत किया जाना चाहिए या नहीं ।

कतिपय मामलों में मजदूरी में से कटौती का न किया जाना ।

69. इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रसूति प्रसुविधा की हकदार स्त्री की प्रसामान्य और प्रायिक दैनिक मजदूरी में से केवल,—

(क) धारा 59 में अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर समनुदिष्ट काम की प्रकृति ; या

(ख) धारा 66 के उपबंधों के अधीन उसे शिशु के पोषण के लिए अनुज्ञात विरामों

के कारण कोई भी कटौती नहीं की जाएगी ।

प्रसूति प्रसुविधा का समपहरण ।

70. कोई स्त्री उस अवधि के दौरान पारिश्रमिक के लिए काम करती है जिस अवधि के दौरान उसे इस अध्याय के अधीन उपबंधित प्रसूति प्रसुविधाएं उपभोग करने के लिए नियोजक द्वारा अनुज्ञात किया गया है ऐसी अवधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं होगी ।

नियोजक का कर्तव्य ।

71. इस अध्याय के उपबंधों और इससे संबंधित नियमों के सार को स्थापन के प्रत्येक भाग में जिसमें स्त्री नियोजित है, नियोजित द्वारा सहजदृश्य स्थान में परिक्षेत्र की भाषा या भाषाओं में प्रदर्शित कि्या जाएगा ।

संदाय किए जाने का निदेश देने की निरीक्षक-सह-सुकारक की शक्ति ।

72. (1) इस बात का दावा करने वाली कोई स्त्री कि—

(क) प्रसूति प्रसुविधा या कोई अन्य रकम, जिसका वह इस अध्याय के अधीन हकदार है, अनुचित रूप से विधारित की गई है, और इस बात का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति कि वह संदाय, जो इस अध्याय के अधीन शोध्य है, अनुचित रूप से विधारित किया गया है ;

(ख) उसके नियोजन ने इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार, काम से उसकी अनुपस्थिति के दौरान या उसके कारण, उसको सेवोन्मुक्त या पदच्युत कर दिया है,

निरीक्षक-सह-सुकारक को परिवाद कर सकेगी ।

(2) निरीक्षक-सह-सुकारक या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिवाद की प्राप्ति पर जांच कर सकेगा या करा सकेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि—

(क) संदाय सदोषतः विधारित किया गया है, तो वह लिखित में अपने आदेशों के अनुसार संदाय किए जाने का निदेश दे सकेगा :

(ख) स्त्री को इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार, काम से उसकी अनुपस्थिति के दौरान या उसके कारण सेवोन्मुक्त या पदच्युत किया गया है, तो वह ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार

न्यायसंगत और उचित समझा गया हों ।

(3) निरीक्षक-सह-सुकारक के उपधारा (2) के अधीन के विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको ऐसा विनिश्चय ऐसे व्यक्ति को संसूचित किया जाए, तीस दिन के भीतर अपील केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकारी को विहित कर सकेगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन कोई अपील प्राधिकारी को निर्दिष्ट की गई हो, वहां उसका और जहां ऐसी अपील न की गई हों, वहां निरीक्षक-सह-सुकारक का विनिश्चय अंतिम होगा ।

अध्याय 7

कर्मचारियों के लिए प्रतिकर

प्राणांतक दुर्घटनाओं और गंभीर शारीरिक क्षतियों की रिपोर्ट ।

73. (1) जहां कि किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि नियोजक के परिसर में घटित किसी ऐसी दुर्घटना की जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति हो गई हो, सूचना किसी प्राधिकारी को नियोजक द्वारा या उसकी ओर से दी जाए, वहां, वह व्यक्ति, जो सूचना देने के लिए अपेक्षित है, मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति के सात दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें वे परिस्थितियां बताई जाएंगी जिसमें मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति हुई है :

परंतु जहां राज्य सरकार ने ऐसा विनिर्दिष्ट किया हो, वहां सूचना देने के लिए अपेक्षित व्यक्ति, ऐसी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को भेजने के बजाय उस प्राधिकारी को भेज सकेगा जिससे सूचना देने के लिए वह व्यक्ति अपेक्षित है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "गंभीर शारीरिक क्षति" से ऐसी क्षति अभिप्रेत है जिसमें किसी अंग के उपयोग की स्थायी हानि या किसी अंग की स्थायी क्षति अथवा दृष्टि या श्रवण शक्ति की स्थायी हानि या उसे स्थायी क्षति अथवा किसी अंग में अस्थिभंग अथवा क्षत व्यक्ति की अपने काम से बीस दिन से अधिक का कालावधि के लिए मजबूरी के कारण अनुपस्थिति अंतर्वलित है या अंतर्वलित होना पूर्णतः अधिसंभाव्य है ।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) के उपबंधों का विस्तार, उस उपधारा की परिधि में आने वाले परिसरों से भिन्न परिसरों के किसी वर्ग पर कर सकेगी, और ऐसी अधिसूचना द्वारा उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजेंगे ।

(3) इस धारा की कोई भी बात उन स्थापनों को लागू नहीं होगी जिसको राज्य कर्मचारी बीमा निगम से संबंधित अध्याय 4 लागू होता है ।

प्रतिकर के लिए नियोजक का दायित्व ।

74. (1) यदि कर्मचारी को तीसरी अनुसूची में सूचीबद्ध दुर्घटना या उपजीविकाजन्य रोग द्वारा अपने नियोजन से और उनके अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना द्वारा वैयक्तिक क्षति कारित होती है तो उसका नियोजक इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर का देनदार होगा :

परंतु नियोजक निम्नलिखित के संबंध में दायी नहीं होगा,—

(क) किसी ऐसी क्षति के बारे में जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को तीन दिन से अधिक की कालावधि के लिए पूर्ण या आंशिक निःशक्तता नहीं रहती ;

(ख) दुर्घटना द्वारा हुई किसी क्षति के बारे में, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या स्थायीपूर्ण निःशक्तता नहीं हुई है और जो प्रत्यक्षतः इस कारण से हुई मानी जा सकती हो कि—

(i) उसके होने के समय कर्मचारी पर मदिरा या औषधियों का असर था, या

(ii) कर्मचारी का क्षेम सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त रूप से दिए गए किसी आदेश या अभिव्यक्ति रूप से बनाए गए किसी नियम की अवज्ञा कर्मचारी द्वारा जानबूझकर की गई थी, अथवा

(iii) कोई ऐसा रक्षोपाय या अन्य युक्ति, जिसके बारे में वह जानता था कि वह कर्मचारी का क्षेम सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उपबंधित की गई है, कर्मचारी द्वारा जानबूझकर हटाई गई थी या उसकी अवहेलना की गई थी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई दुर्घटना या उपजीविकाजन्य रोग के होते हुए भी नियोजन से और कर्मचारियों के अनुक्रम में उद्भूत समझा जाएगा कि वह उस उपधारा में निर्दिष्ट दुर्घटना के समय या उपजीविकाजन्य रोग से ग्रस्त हुआ है, उसे लागू अन्य विधि के उपबंधों के उल्लंघन में कार्य किया है या अपने नियोजन द्वारा उसके निमित्त किसी आदेश या उसके नियोजक के अनुदेशों के बिना कार्य करता है तो यदि—

(क) ऐसी दुर्घटना या ऐसी उपजीविकाजन्य रोग से ग्रस्त होने के बारे में यह समझा जाएगा कि वह, यथास्थिति, पूर्वोक्तानुसार या अपने नियोजक के अनुदेशों के बिना कार्य नहीं किया है ; और

(ख) व्यापार या कारबार के प्रयोजन के लिए और कर्मचारियों के संबंध में कार्य किया है ।

(3) यदि दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में नियोजित कर्मचारी तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी रोग से ग्रस्त है उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग उस नियोजन के सेवा में रहते समय जिसकी वह सेवा में है, छह मास से अन्यून निरंतर अवधि तक नियोजित है तब उस रोग के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के अर्थांतर्गत दुर्घटना द्वारा हुई क्षति है और जब तक साबित नहीं कर दिया जाता तब तक दुर्घटना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत हुई है ।

(4) ड्यूटी के पश्चात् नियोजन के स्थान से अपने निवास स्थान तक आते जाते समय किरी कर्मचारी की दुर्घटना हो जाती है तो उसे नियोजन के दौरान हुई दुर्घटना समझी जाएगी, यदि ऐसे स्थान और समय, जिसका परिस्थितियों के बीच हुई दुर्घटना से अंतर्संबंध है और उसका नियोजन स्थापित है ।

(5) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी भी वर्णन के नियोजन को, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम तीन मास की सूचना, अधिसूचना द्वारा, देने के पश्चात् दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियोजनों और तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपजीविकाजन्य रोग में वैसी ही अधिसूचना द्वारा, उपांतरित या जोड़ सकेगी इस प्रकार उपांतरित या जोड़े

गए नियोजनों के बारे में उन रोगों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके बारे में इस धारा के प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा कि क्रमशः उन नियोजनों में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग हैं और तदुपरि उपधारा (2) के उपबंध, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना की दशा में, उन राज्यक्षेत्रों के भीतर, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना की दशा में, राज्यक्षेत्र के भीतर ऐसे लागू होंगे, मानो इस संहिता द्वारा यह घोषित किया गया था कि वे रोग उन नियोजनों में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग है ।

(6) उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय किसी दुर्घटना या रोग के लिए कोई भी प्रतिकर कर्मचारी को तब तक संदेय न होगा जब तक कि दुर्घटना या रोग उसके नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना द्वारा हुई किसी विनिर्दिष्ट क्षति के कारण से प्रत्यक्षतः हुआ नहीं माना जा सकता ।

(7) यदि कर्मचारी ने नियोजक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में किसी दुर्घटना या रोग के लिए नुकसानी का कोई वाद संस्थित कर दिया है तो इसमें की किसी भी बात के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह कर्मचारी को उस दुर्घटना या रोग के लिए प्रतिकर पाने का कोई अधिकार प्रदान करती है, और ऐसी दुर्घटनाया रोग के लिए कर्मचारी द्वारा किसी विधि-न्यायालय में नुकसानी के लिए कोई भी वाद न चल सकेगा,—

(क) यदि उसने उस दुर्घटना या रोग के बारे में प्रतिकर का कोई दावा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष संस्थित कर दिया है, या

(ख) यदि उस दुर्घटना या रोग के लिए प्रतिकर के संदाय का उपबंध करने वाला की करार कर्मचारी और उसके नियोजन के बीच इस अध्याय के उपबंध के अनुसार हो चुका है ।

बागान में मृत्यु या क्षति की दशा में प्रतिकर ।

75. यदि बागान में नियोजक द्वारा उपलब्ध कराए गए घर के ढह जाने के परिणामस्वरूप उसके कुटुंब के किसी कर्मचारी या सदस्य की मृत्यु या क्षति होती है और उस घर का ढह जाना घर के किसी अधिभोगी के उस भाग पर गलती से या प्राकृतिक विपत्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं माना जा सकता है, तो कर्मचारी धारा 74 के अधीन संदाय प्रतिकर के लिए दायी होगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के लिए, "कर्मकार" पद से भाड़े या पारिश्रमिक पर, या तो सीधे रुप से या किसी अभिकरण के माध्यम से कुशल, अकुशल, हस्तचालित या लिपकीय जिसमें एक वर्ष से साठ दिन से अनधिक के लिए संविदा पर नियोजित व्यक्ति भी है, कोई कार्य करता है किसी बागान में नियोजित व्यक्ति अभिप्रेत है, किंतु उसमें निम्नलिखित नहीं है,—

(i) उस बागान में नियोजित चिकित्सा अधिकारी ;

(ii) उस बाग (जिसके अंतर्गत चिकित्सा कर्मचारिवृंद का सदस्य भी है) समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित रकम से अधिक, जिसका मासिक मजदूरी में नियोजित कोई व्यक्ति ;

(iii) बागान में समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा समय समय पर यथा

अवधारित रकम से अधिक मासिक मजदूरी के होने पर भी प्रारंभ में लिपकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित कोई व्यक्ति ;

(iv) भवनों, सड़कों, पुलों, नालों और नहरों के निर्माण, विकास या रख रखाव से संबंधित किसी कार्य में बागान में नियोजित कोई व्यक्ति ।

प्रतिकर की रकम ।

76. (1) इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन यह है कि प्रतिकर की रकम निम्नलिखित होगी, अर्थात् :—

(क) क्षति के परिणामस्वरुप मृत्यु हो जाती है, मृत कर्मकार की मासिक मजदूरी को सुसंगत गुणक से गुणा करके प्राप्त रकम से पचास प्रतिशत के बराबर रकम या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित रकम, इनमें से जो भी अधिक हो ;

(ख) जहां क्षति के परिणामस्वरुप स्थायी पूर्ण निःशक्तता हो जाती है, मृत कर्मकार की मासिक मजदूरी को सुसंगत गुणक से गुणा करके प्राप्त रकम के साठ प्रतिशत के बराबर रकम या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित रकम, इनमें से जो भी अधिक हो :

परंतु केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, खंड (क) और खंड (ख) में विहित प्रतिकर की रकम में वृद्धि कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए किसी कर्मचारी के संबंध में, "सुसंगत गुणक" से छठवीं अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट गुणक उसके स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि के सामने के गुणक अभिप्रेत हैं जो वर्षों की उसे संख्या को विनिर्दिष्ट करता है, जो कर्मचारी के, प्रतिकर देय होने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती, अंतिम जन्म दिवस को पूर्ण हुए वर्षों की संख्या के बराबर है ।

(ग) जहां क्षति के परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक निःशक्तता हो जाती है :—

(i) ऐसी क्षति की दशा में, जो अनुसूची चार के भाग 2 में विनिर्दिष्ट है, उस प्रतिकर का, जो स्थायी पूर्ण निःशक्तता की दशा में संदेय होता, ऐसा प्रतिशत, जो उस क्षति द्वारा कारित उपार्जन-सामथर्य की हानि के प्रतिशत के रुप में उस भाग में विनिर्दिष्ट है तथा

(ii) ऐसी क्षति की दशा में, जो अनुसूची चार में विनिर्दिष्ट नहीं है, उस प्रतिकर का, जो थायी पूर्ण निःशक्तता की दशा में संदेय होता, ऐसा प्रतिशत, जो उस क्षति द्वारा स्थायी रुप से कारित उपार्जन-सामथर्य की (जैसे अर्हित चिकित्सा व्यवसायी दवारा निर्धारित किया जाए) हानि का आनुपतिक हो ।

स्पष्टीकरण 1—इस खंड के प्रयोजन के लिए जहां कि एक ही दुर्घटना से हक से अधिक क्षतियां होती है, वहां इस शीर्षक के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम ली जाएगी किंतु किसी भी दशा में ऐसी नहीं होगी कि वह उस रकम से बढ़ जाए, जो उन क्षतियों के परिणामस्वरुप स्थायी पूर्ण निःशक्तता होने की दशा में संदेय होती ।

स्पष्टीकरण 2—उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए उपार्जन-सामथर्य का निर्धारण करने में, अर्हित चिकित्सा व्यवसायी चौथी अनुसूची में विभिनन क्षतियों के संबंध में उपार्जन-सामथर्य की हानि के प्रतिशत का सम्यक् ध्यान रखेगा ।

(घ) जहां क्षति के परिणामस्वरुप, चाहे पूर्ण चाहे अस्थायी निःशक्तता हो जाती है, कर्मचारी की मासिक मजदूरी के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम का अर्ध-मासिक संदाय उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी सक्षम प्राधिकारी, भारत के बाहर हुई किसी दुर्घटना के संबंध में किसी कर्मचारी को संदेय प्रतिकर की रकम नियत करते समय उस देश की विधि के अनुसार, जिसमें दुर्घटना हुई थी, ऐसे कर्मचारी को अधिनिर्णीत की गई प्रतिकर की रकम को, यदि कोई हो, ध्यान में रखेगा और अपने द्वारा नियत की गई रकम मे से उस देश की विधि के अनुसार कर्मचारी को अधिनिर्णित की गई प्रतिकर की रकम को घटा देगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए किसी कर्मचारी के संबंध में ऐसी मासिक मजदूरी विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे ।

(4) उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट अर्ध-मासिक संदाय, जो उस दशा में,—

(i) जिसमें ऐसी निःशक्तता अट्ठाईस दिन या उससे अधिक रहती है, निःशक्तता की तारीख की तारीख से ; या

(ii) जिसमें ऐसी निःशक्तता अट्ठाईस दिन से कम रहती है, निःशक्तता की तारीख से तीन दिन की प्रतीक्षा कालावधि के अवसान के पश्चात्, सौलहवें दिन को और तत्पश्चात् निःशक्तता के दौरान या पांच वर्ष की कालावधि के दौरान इनमें से जो भी कालावधि लघुतर हो, आधे-आधे मास पर संदेय होगा :

परंतु—

(क) किसी ऐसी एकमुश्त रकम या अर्ध-मासिक संदायों में से, जिनका कर्मचारी हकदार है, किसी संदाय या भत्ते की वह रकम काट ली जाएगी, जो कर्मचारी ने, यथास्थिति, ऐसी एकमुश्त रकम की या प्रथम अर्धमासिक संदाय की प्राप्ति से पूर्व निःशक्तता की कालावधि के दौरान प्रतिकर के रुप में नियोजक से प्राप्त की है । ऐसे वेतन और भत्ते जिसे कर्मचारी अपना चिकित्सीय उपचार के लिए नियोजक से प्राप्त करता है प्रतिकर के रुप में उसे प्राप्त वेतन या भत्ता प्रतिकर नहीं समझा जाएगा ।

(ख) कोई भी अर्ध-मासिक संदाय किसी भी दशा में इतनी रकम से, यदि कोई हो, अधिक नहीं होगा, जितनी से दुर्घटना के पहले कर्मचारी की मासिक मजदूरी की आधी रकम उस मजदूरी की आधी रकम से अधिक है, जिसे वह दुर्घटना के पश्चात् उपार्जित कर रहा है ।

(5) कर्मचारी को नियोजन के दौरान कारित क्षतियों के उपचार के लिए उसके द्वारा उपगत वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

(6) उस तारीख से पहले, जिसको कोई अर्ध-मासिक संदाय शोध्य होता है, निःशक्तता के दूर हो जाने पर, उस अर्ध-मास के लिए राशि संदेय होगी जो उस अर्ध-मास में निःशक्तता की अस्तित्वावधि की आनुपातिक हो ।

(7) यदि कर्मचारी को हुई क्षति के परिणामस्वरुप उसकी मृत्यु हो जाती है, तो

नियोजक, उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसे कर्मचारी की अंत्येष्टि के व्यय के लिए कर्मचारी के सबसे बड़े उत्तरजीवी आश्रित को, अथवा जहां कर्मचारी का कोई आश्रित नहीं है या वह अपनी मृत्यु के समय अपने आश्रितों के साथ नहीं रह रहा था वहां उस व्यक्ति को, जिसने वास्तव में ऐसा व्यय उपगत किया है, संदाय के लिए पंद्रह हजार रुपए की राशि या ऐसी रकम जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए जमा करेगा :

परंतु केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर इस उपधारा में विनिर्दिष्ट रकम में वृद्धि कर सकेगी ।

शोध्य हो जाने पर प्रतिकर का दिया जाना और व्यतिक्रम के लिए नुकसानी ।

77. (1) धारा 76 के अधीन प्रतिकर शोध्य होते ही दे दिया जाएगा ।

(2) जन दशाओं में नियोजक प्रतिकर के लिए दायित्व दावाकृत विस्तार तक प्रतिगृहित नहीं करता उनमें जिस प्रकार विस्तार तक का दायित्व वह प्रतिगृहीत करता है उस पर आधृत अनन्तिम संदाय करने के लिए वह आबद्ध होगा और ऐसा संदाय, कोई अतिरिक्त दावा करने के संबंध में कर्मचारी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति सक्षम प्राधिकारी के पास निक्षिप्त कर दिया जाएगा या कर्मचारी को दे दिया जाएगा ।

(3) जहां कोई नियोजक इस अध्याय के अधीन शोध्य प्रतिकर को उसके शोध्य हो जाने की तारीख से एक मास के भीतर देने में व्यतिक्रम करता है, वहां सक्षम प्राधिकारी—

(क) यह निदेश देगा कि नियोजक, बकाया रकम के अतिरिक्त जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी शोध्य रकम पर विनिर्दिष्ट की जाए, साधारण ब्याज का संदाय करेगा

(ख) यदि उसकी यह राय है कि विलम्ब के लिए कोई न्यायोचित्य नहीं है तो, यह निदेश देगा कि नियोजक, बकाया रकम और उस पर ब्याज के अतिरिक्त ऐसी रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक अतिरिक्त राशि का शास्ति के रुप में संदाय करेगा :

परंतु शास्ति के संदाय के लिए कोई आदेश, खंड (ख) के अधीन नियोजक को यह हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा कि उसे क्यों न पारित किया जाए ।

(4) उपधारा (3) के अधीन संदेय ब्याज और शास्ति यथास्थिति कर्मचारी या उसके आश्रित को संदत्त की जाएगी ।

प्रतिकर के प्रयोजनों के लिए मासिक मजदूरी का हिसाब करने की पद्धति ।

78. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "मासिक मजदूरी" पद से एक मास की सेवा के लिए संदेय समझी जाने वाली मजदूरी की रकम (चाहे वह मजदूरी मास के हिसाब से या किसी भी अन्य कालावधि के हिसाब से या मात्रानुपाती दरों से संदेय हो) अभिप्रेत है, और जिसका हिसाब निम्नलिखित रुप से किया जाएगा, अर्थात्—

(क) जहां कर्मचारी उस नियोजक की, जो प्रतिकर का देनदार है, सेवा में दुर्घटना से ठीक पहले के बारह मास से अन्यून की निरंतर कालावधि के दौरान रहा है, वहां कर्मचारी की मासिक मजदूरी का बारहवां भाग होगी, जो उस

कालावधि के अन्तिम बारह मासों में नियोजक दवारा उसे संदाय के लिए शोध्य हो गई है ;

(ख) जहां दुर्घटना से ठीक पहले की उस सेवा की संपूर्ण निरंतर कालावधि, जिसके दौरान कर्मचारी उस नियोजक की सेवा में था, जो प्रतिकर का देनदार है, एक मास से कम थी वहां कर्मचारी की मासिक मजदूरी वह औसत मासिक रकम होगी जिसे उसी नियोजक द्वारा उसी काम में नियोजित कोई कर्मचारी या यदि कोई कर्मचारी इस प्रकार नियोजित नहीं था तो उसी परिक्षेत्र में किसी वैसे हीकाम में नियोजित कोई कर्मचारी दुर्घटना से ठीक पहले के बारह मास के दौरान उपर्जित कर रहा था ;

(ग) अन्य दशाओं में (जिनके अंतर्गत वे दशांए आती है, जिनमे कि आवश्यक जानकारी के अभाव में खंड (ख) के अधीन मासिक मजदूरी का हिसाब करना संभव नहीं है) मासिक मजदूरी उस नियोजक से,जो प्रतिकर का देनदार है, दुर्घटना से ठीक पहले की सेवा की अंतिम निरंतर कालावधि के लिए उपार्जित कुल मजदूरी को ऐसी कालावधि में समाविष्ट दिनों की संख्यां से विभाजित करने पर प्राप्त भजनफल की तीस गुनी होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "सेवा की ऐसी कालावधि", जिसमें काम पर से चौदह दिन से अधिक की अनुपस्थिति-कालावधि के लिए विच्छेद नहीं हुआ है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए निरंतर कालावधि समझी जाएगी ।

पुनर्विलोकन ।

79. (1) पक्षकारों के बीच हुए किसी करार के अधीन के या सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अधीन के ऐसे अर्धमासिक संदाय का पुर्विलोकन, जो इस अध्याय के अधीन संदेय है सक्षम प्राधिकारी द्वारा, या तो नियोजक के या कर्मचारी के आवेदन पर,जिसके साथ अर्हित चिकित्सा व्यवसायी का यह प्रमाणपत्र होगा कि कर्मचारी की दशा में तबदीली हो गई है, या ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा विहिति किया जाए ऐसे प्रमाणपत्र के बिना किए गए आवेदन पर किया जा सकेगा ।

(2) कोई भी अर्धमासिक संदाय इस धारा के अधीन पुनर्विलोकन पर, इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, चालू रखा जा सकेगा, बढ़ाया जा सकेगा, घटाया जा सकेगा या समाप्त किया जा सकेगा, या यदि यह पाया जाए कि दुर्घटना के परिणामस्वरुप स्थायी निःशक्तता हो गई है तो, उसे ऐसी एकमुश्त राशि में संपरिवर्तित किया जा सकेगा, जिसका कर्मचारी हकदार है, किंतु उस राशि में से ऐसी रकम कम कर दी जाएगी जो उसे अर्धमासिक संदायों के रुप में पहले ही प्राप्त हो चुकी है ।

अर्धमासिक संदायों का संराशीकरण ।

80. अर्धमासिक संदाय प्राप्त करने के किसी अधिकार का मोचन, पक्षकारों के बीच के करार द्वारा, या यदि पक्षकारों में करार नहीं हो पाता और संदाय कम से कम छह मास तक किए जाते रहे हैं तो दोने पक्षकारों में से किसी के द्वारा सक्षम प्राधिकारी के किए गए आवेदन पर, ऐसी एकमुश्त रकम के संदाय द्वारा किया जा सकेगा, जो यथास्थिति, पक्षकारों द्वारा करार पाई जाए या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए ।

प्रतिकर का वितरण ।

81. (1) किसी ऐसे कर्मचारी के बारे में, जिसकी मृत्यु क्षति के परिणामस्वरुप हो गई है, प्रतिकर का कोई भी संदाय और किसी स्त्री को या विधिक निर्योग्यता के अधीन

व्यक्ति को प्रतिकर के रुप में एकमुश्त राशि का कोई भी संदाय सक्षम प्राधिकारी के पास निक्षेप करने से अन्यथा नहीं किया जाएगा, और सीधे नियोजक द्वारा कर दिए गए किसी ऐसे संदाय के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह प्रति कर का संदाय है :

परंतु मृत कर्मचारी की दशा में नियोजक किसी भी आश्रित को ऐसे कर्मचारी की तीन मास की मजदूरी के बराबर रकम का अभिदाय प्रतिकर मद्धे कर सकेगा और उतनी रकम, जितनी उस आश्रित को संदेय प्रतिकर से अधिक न हो, ऐसे प्रतिकर में से सक्षम प्राधिकारी द्वारा काट ली जाएगी और नियोजक को प्रतिसंदत्त कर दी जाएगी ।

(2) पांच हजार रुपए से अन्यून कोई अन्य ऐसी राशि, जो प्रतिकर के रुप में संदेय है, उस व्यक्ति के निमित्त, जो उसका हकदार है, सक्षम प्राधिकारी के पास निक्षिप्त की जा सकेगी ।

(3) सक्षम प्राधिकारी के पास निक्षिप्त किसी प्रतिकर के संबंध में आयुक्त की रसीद पर्याप्त उन्मोचन होगी ।

(4)(क) सक्षम प्राधिकारी किसी मृत कर्मकार के बारे में प्रतिकर के रुप में उपधारा (1) के अधीन किसी धन के निक्षेप पर, यदि वह आवश्यक समझे तो आश्रितों को ऐसी तारीख को, जिसे वह प्रतिकर का वितरण अवधारित करने के लिए नियत करे अपने समक्ष उपसंजात होने के लिए अपेक्षित करने वाली सूचना का प्रकाशन या हर एक आश्रित पर उसकी तामील ऐसी रीति से कराएगा जैसी वह उचित समझे ।

(ख) यदि सक्षम प्राधिकारी का समाधान किसी ऐसी जांच के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे हो जाता है कि कोई भी आश्रित विद्यमान नहीं है तो वह उस धन का अतिशेष, उस नियोजक को, जिसके द्वारा वह संदत्त किया गया था, प्रतिसंदत्त कर देगा ।

(ग) सक्षम प्राधिकारी किए गए, सभी संवितरणों को विस्तारपूर्वक दर्शित करते हुए एक विवरण नियोजक के आवदेन पर देगा ।

(5) किसी मृत कर्मचारी के बारे में निक्षिप्त प्रतिकर, उपधारा (1) के अधीन की गई किसी कटौती के अध्यधीन रहते हुए, मृत कर्मचारी के आश्रितों के बीच में से जिसे सक्षम प्राधिकारी ठीक समझे सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा प्रभाजित कर दिया जाएगा या सक्षम प्राधिकारी के स्वविवेकानुसार किसी एक आश्रित को आबंटित किया जा सकेगा :

परंतु सक्षम प्राधिकारी, आश्रितों की सुनवाई के बिना इस उपधारा के अधीन कोई आदेश नहीं करेगा और यदि, यथास्थिति, आश्रितों ओर उनमें से किसी के बीच ऐसे प्रतिकर का प्रभाजन किया जाता है तो आदेश के कारणों का अभिलेख करेगा ।

(6) जहां सक्षम प्राधिकारी के पास निक्षिप्त किया गया कोई प्रतिकर किसी व्यक्ति को संदेय है वहां सक्षम प्राधिकारी वह धन उसके हकदार व्यक्ति को उस दशा में जिसमें कि वह व्यक्ति जिससे प्रतिकर संदेय है स्त्री या विधिक निर्योग्यता के अधीन व्यक्ति नहीं है, देगा और अन्य दशाओं में दे सकेगा ।

(7) जहां सक्षम प्राधिकारी के पास निक्षिप्त कोई एकमुश्त राशि किसी स्त्री या विधिक निर्योग्यता के अधीन व्यक्ति को संदेय है वहां ऐसी राशि उस स्त्री के या ऐसे व्यक्ति की निर्योग्यता के दौरान उस व्यक्ति के फायदे के लिए ऐसी रीति से जैसी सक्षम

प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जाए, विनिहित की जा सकेगी, उपयोजित की जा सकेगी या अन्यथा बरती जा सकेगी, और जहां कि विधिक निर्योग्यता के अधीन व्यक्ति को कोई अर्धमासिक संदाय संदेय है वहां सक्षम प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या इस निमित्त अपने को किए गए किसी आवेदन पर, यह आदेश दे सकेगा कि संदाय उस निर्योग्यता के दौरान कर्मचारी के किसी आश्रित को या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जिसे सक्षम प्राधिकारी कर्मचारी के कल्याणार्थ उपबंध करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त समझे, किया जाए ।

(8) जहां इस निमित्त अपने को किए गए किसी आवेदन पर या अन्यथा कर्मचारी का समाधान हो जाता है कि प्रतिकर के रुप में दी गई किसी राशि के वितरण के संबंध में, या उस रीति के संबंध में, जिसमें ऐसे किसी आश्रित को संदेय कोई राशि विनिहित की जानी, उपयोजित की जानी या अन्यथा बरती जानी है, सक्षम प्राधिकारी के आदेश में फेरफार, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो माता या पिता है संतान की उपेक्षा के कारण, या किसी आश्रित की परिस्थितियों में फेरफार के कारण, या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक से किया जाना चाहिए वहां, सक्षम प्राधिकारी पूर्ववर्ती आदेश में फेरफार के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा, जैसे वह मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत समझे :

परंतु किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले ऐसा कोई भी आदेश तब तक न किया जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति को इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए अवसर न दे दिया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए, और न वह किसी ऐसी दशा में किया जाएगा, जिसमें कि उस आदेश में आश्रित द्वारा किसी ऐसी राशि का प्रतिसंदाय अंतर्वलित होता हो जो उस आश्रित को पहले ही संदत्त की जा चुकी है ।

(9) जहां सक्षम प्राधिकारी किसी आदेश में उपधारा (8) के अधीन इस तथ्य के कारण फेरफार करता है कि व्यक्ति को प्रतिकर का संदाय कपट, प्रतिरुपण या अन्य अनुचित साधनों द्वारा अभिप्राप्त किया गया है, वहां ऐसे व्यक्ति को या उसकी निमित्त इस प्रकार दी गई कोई रकम आगे धारा (10) में उपबंधित रीति से वसूल की जा सकेगी ।

(10) सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (9) में विनिर्दिष्ट कोई रकम भूराजस्व के बकाया के रुप में वसूल कर सकेगा और सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोजन के लिए राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 की धारा 5 के अर्थांतगत लोक अधिकारी समझा जाएगा ।

1890 का 1

82. (1) प्रतिकर के लिए कोई भी दावा तब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक दुर्घटना की सूचना उसके घटित होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र उस रीति से, जो इसमें इसके पश्चात् उपबंधित की गई है, न दे दी गई हो और जब तक कि दावा दुर्घटना होने के दो वर्ष के भीतर, या मृत्यु हो जाने की दशा में, मृत्यु की तारीख से दो वर्ष के भीतर, उसके समक्ष कर न दिया गया हो :

सूचना और दावा ।

परंतु जहां दुर्घटना ऐसे रोग का लगना है, जिसके संबंध में धारा 74 की उपधारा (3) के उपबंध लागू होते है, वहां दुर्घटना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उन दिनों में से पहले दिन को हुई थी, जिनके दौरान कर्मचारी उस रोग द्वारा कारित निःशक्तता के परिणास्वरुप काम पर से निरंतर अनुपस्थित रहा था :

परंतु यह भी कि ऐसा कोई रोग लगने के कारण हुई ऐसी आंशिक निःशक्तता की दशा में, जो कर्मचारी को काम से अनुपस्थित रहने के मजबूर नहीं करती, दो वर्ष की कालावधि की गणना उस दिन से की जाएगी जिसको कर्मचारी निःशक्तता की सूचना

अपने नियोजक को देता है :

परंतु यह भी कि यदि कोई कर्मचारी जो किसी नियोजन में, धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन उस नियोजन के संबंध में विनिर्दिष्ट निरंतर कालावधि के लिए नियोजित किए जा चुकने पर, इस प्रकार नियोजित नहीं रह जाता और उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले किसी उपजीविकाजन्य रोग के लक्षण नियोजन की समाप्ति केदो वर्ष के भीतर उसमें विकसित हो जाते है, दुर्घटना उस दिन हुई समझी जाएगी जिस दिन उन लक्षणों का पहले पहल पता चला था ।

(2)(क) यदि दावा कर्मचारी की ऐसी दुर्घटना के परिणामस्वरुप हुई मृत्यु के बारे में किया गया है जो नियोजन के परिसर में या किसी ऐसे स्थान में हुई थी, जहां कर्मचारी दुर्घटना के समय नियोजक या उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति के नियंत्रण के अधीन काम कर रहा था और कर्मचारी ऐसै परिसर में, या ऐसे स्थान में, या नियोजक के किसी परिसर में मरा था, या उस परिसर या स्थान का, जहां दुर्घटना हुई थी सामीप्य छोड़े बिना मरा था, अथवा

(ख) यदि नियोजक को या कई नियोजकों में से किसी एक को, या व्यवसाय या कारबार कीकिसी ऐसी शाखा के प्रबंध के लिए जिसमें क्षत नियोजित था, नियोजक के प्रति उत्तरदायी किसी व्यक्ति को दुर्घटना का ज्ञान किसी अन्य स्त्रोत के, उस समय या उस समय के आसपास हो गया था, जब वह दुर्घटना हुई थी,

के सूचना का अभाव या उसमें कोई त्रुटि या अनियमितता उपधारा (1) के अधीन सूचित किए जाने के लिए वर्जन न होगी :

परंतु इस बात के होते हुए भी कि इस उपधारा में यथाउपबंधित सम्यक् समय के भीतर सूचना नहीं दी गई है या दावा नहीं किया गया है सक्षम प्राधिकारी किसी भी मामले में, प्रतिकर के किसी भी दावे की उस दशा में ग्रहण और विनिश्चित कर सकेगा जिसमें उसका समाधान हो जाए कि, यथास्थिति, वैसे सूचना देना या दावा करने में असफलता पर्याप्त हेतुक से हुई थी ।

(3) ऐसी हर सूचना में क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नाम और पता दिया होगा और सरल भाषा में क्षति का कारण और वह तारीख जिसको दुर्घटना हुई, कथित होगी और उसकी तामील नियोजक पर या कई नियोजकों में से किसी एक पर, या व्यवसाय या कारबार कीकिसी ऐसी शाखा के, जिसमें क्षतिग्रस्त कर्मचारी नियोजित था, प्रबंध के लिए नियोजक के प्रति उत्तरदायी किसी व्यक्ति पर की जाएगी ।

(4) समुचित सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी कि विहित वर्ग के नियोजक अपने परिसर में, जिसमें कर्मचारी नियोजित है, विहित प्ररूप में एक सूचना-पुस्तक रखेंगे, जिस तक परिसर में नियोजित किसी भी क्षतिग्रस्त कर्मचारी की या सद्भावपूर्वक उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति की सभी युक्तियुक्त समयों पर आसानी से पहुंच हो सकेगी ।

(5) इस धारा के अधीन सूचना की तामील, उस व्यक्ति के, जिस पर उसकी तामील की जानी है, निवास-स्थान या किसी कार्यालय के कारबार के स्थान में परिदत्त करके या उस पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक के भेजकर, या जहां कि सूचना पुस्तक रखी

जाती है वहां सूचना पुस्तक में प्रविष्टि करके, की जा सकेगी ।

बाहरी भारतीय राज्यक्षेत्र में उद्भूत दुर्घटनाएं संबंधी विशेष उपबंध ।

83. (1) इस धारा का उपबंध, इस धारा में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन रहते हुए उन कर्मचारियों की दशा में लागू होंगे जो—

(क) पोत का मास्टर या नाविक ;

(ख) वायुयान के कर्मीदल का कप्तान और अन्य सदस्य ;

(ग) भारत में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों द्वारा भर्ती किए गए व्यक्तियों और ऐसे ही विदेश में कार्यरत व्यक्ति ;

(घ) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मोटर यानों के साथ चालक, हेल्पर, मैकेनिक, क्लीनर या अन्य कर्मचारी के रूप में विदेश में कार्य करने के लिए भेजे गए व्यक्ति । 1988 का 59

(2) क्षतिग्रस्त व्यक्ति द्वारा प्रतिकर के लिए दुर्घटना और दावा की सूचना निम्नलिखित व्यक्तियों पर तामील की जा सकेगी, जैसे यदि वे नियोजक थे—

(क) दुर्घटना की दशा में जहां क्षतिग्रस्त व्यक्ति नाविक है किंतु पोत के मास्टर के मामले में पोत का मास्टर नहीं ;

(ख) दुर्घटना की दशा में जहां क्षतिग्रस्त व्यक्ति वायुयान के कर्मीदल का मास्टर है किंतु वायुयान के कप्तान के मामले में, वायुयान का कप्तान नहीं ;

(ग) भारत में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों द्वारा भर्ती किए गए व्यक्तियों और ऐसे ही विदेश में कार्यरत व्यक्ति की दशा में कंपनी के स्थानीय अभिकर्ता के मामले में ;

(घ) चालक, हेल्पर, मैकेनिक, क्लीनर या अन्य कर्मचारी के रूप में मोटर यानों के साथ विदेश में कार्य करने के लिए भेजे गए व्यक्तियों की दशा में, दुर्घटना के देश में मोटर यान के मालिक के स्थानीय अभिकर्ता के मामले में :

परंतु, यथास्थिति, बोर्ड, पोत, वायुयान पर घटित दुर्घटना और निःशक्तता के बाद नाविक या वायुयान के कर्मीदल के सदस्य के लिए दुर्घटना की कोई सूचना देना आवश्यक नहीं होगा ।

(3) प्रतिकर का दावा—

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी के मृत्यु की दशा में उसके मृत्यु के पश्चात् एक वर्ष तक दावाकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाएगा ;

(ख) यथास्थिति, पोत या वायुयान की दशा में दोनों पंख को ध्वस्त हुआ या ध्वस्त समझा जाए, उस तारीख को जिसको पोत या वायुयान के ध्वस्त होने का अठारह मास हो गया था या हो गया है, ध्वस्त समझा जाएगा :

परंतु सक्षम प्राधिकारी किन्हीं अन्य बातों के होते हुए भी, किसी मामले में प्रतिकर का कोई दावा ग्रहण कर सकेगा यदि दावा इस धारा में यथा उपबंधित सम्यक् समय में निर्दिष्ट नहीं किया गया है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि इस प्रकार दावा करने में असफल होने का पर्याप्त कारण था ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट क्षतिग्रस्त कर्मचारी भारत के किसी भाग में या किसी

विदेश में संबोन्मुक्त या पीछे छोड़ दिया गया है तब वे व्यक्ति जिनको विदेश में कौंसलीय आफिसर द्वारा या उस भाग में किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया किसी राज्यच्युति और परिणित किया गया है वे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किए गए हैं, दावा प्रवृत्त करने के लिए कोई कार्यवाहियां साक्ष्य में अनुज्ञेय हो—

(क) यदि राज्यच्युति जिसके समक्ष न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या कौंसलीय आफिसर के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया गया है ;

(ख) यथास्थिति, यदि आश्रित या अभियुक्त व्यक्ति साक्षी का प्रतिपरीक्षा स्वयं या अपने अभिकर्ता द्वारा अवसर मांगा था ; और

(ग) यदि, राज्यच्युति सबूत के आधार पर दांडिक कार्यवाहियों के कारण किया गया था तो राज्यच्युति अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में राज्यच्युत किया गया था,

और यह ऐसा उपसंजात व्यक्ति के हस्ताक्षर या शासकीय हैसियत की दशा में किसी ऐसे राज्यच्युत हस्ताक्षर को साबित करने की और ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी । साक्षी और उस राज्यच्युति का परीक्षण का अवसर यदि दांडिक कार्यवाही अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में किया गया था जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, पर्याप्त साक्ष्य है कि उसे वह अवसर दिया गया था और उसने ऐसा किया था ।

(5) कोई अर्द मासिक संदाय वाणिज्यिक पोत से संबंधित तत्समन प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस अवधि की दशा में जिसके दौरान क्षतिग्रस्त मास्टर या नाविक देखभाल पर हुए व्यय को पूरा करे का उत्तरदायी पोत के स्वामी का है, संदेय नहीं होगा ।

(6) इस धारा द्वारा अपेक्षित समय के भीतर सूचना तामील करने या दावा करने या कार्यवाहियां आरंभ करने में असफल किसी व्यक्तिगत क्षति यदि उस तारीख से जिसको समुचित सरकार द्वारा उक्त प्रमाणपत्र कार्यवाहियां प्रारंभ करने वाले व्यक्ति को दिया गया था, से एक मास के भीतर आरंभ किया गया है इस अध्याय के अधीन ऐसी कार्यवाहियां किसी व्यक्तिगत क्षति की बाबत इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों का वर्जन नहीं होगा, किया जाएगा ।

चिकित्सीय परीक्षा ।

84. (1) जहां कर्मचारी ने दुर्घटना की सूचना दी है वहां, यदि नियोजक उस समय से, जब सूचना की तामील हुई थी, तीन दिन का अवसान होने के पहले उससे यह प्रस्थापना करता है कि कि अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उसकी परीक्षा मुफ्त कराई जाएगी तो, वह अपने को ऐसी परीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा और कोई भी कर्मचारी, जो इस अधिनियम के अधीन अर्धमासिक संदाय करता हैयदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो समय-समय पर अपने को ऐसी परीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा :

परंतु कर्मचारी उन अन्तारलों से अधिक जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, लघुतर अंतरालों पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा करने के लिए अपने को प्रस्तुत करन के लिए अपेक्षित नहीं किया जाएगा ।

(2) यदि कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय ऐसा करने के लिए

अपेक्षित किए जाने पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अपनी परीक्षा कराने के लिए अपने को प्रस्तुत करने से इंकार करता है या उसमें किसी प्रकारसे बाधा डालता है तो ऐसै इंकार या ऐसी बाधा के बने रहने के दौरान उसका प्रतिकर का अदिकार उस दशा के सिवाय निलंबित रहेगा जिसमें इंकार की दशा में वह इस प्रकार अपने के प्रस्तुत करने सेकिसी पर्याप्त कारण द्वारा निवरित हुआ था ।

(3) यदि कर्मचारी उस कालावधि के अवसान से पूर्व, जिसके भीतर वह चिकित्सीय परीक्षा के लिए अपने को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित किए जाने के लिए उपधारा (1) के अदीन दायित्वाधीन है, इस प्रकार परिक्षित हुए बिना उस स्थान के, जिसमें वह नियोजित था, से स्वेच्छापूर्व चला जाता है तो उसका प्रतिकर का अधिकार तब तक के लिए निलंबित रहेगा जब तक वह लौट नहीं आता और ऐसी परीक्षा कराने के लिए अपने को पेश नहीं कर देता :

परंतु जहां ऐसा कर्मचारी चिकित्सा व्यवसायी के समक्ष यह साबित करता है कि उसके नियंत्रण से बाहर होने वाली परिस्थितियों के कारण चिकित्सा परीक्षा के लिए वह स्वयं प्रस्तुत नहीं कर सका और वह लिखित में ऐसी सूचना विकलांग होने के कारण नहीं दे सका था, चिकित्सा व्यवसायी ऐसे कारणों को लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात् विलंब को माफ कर सकेगा और उसके प्रतिकर के अधिकार को प्रवर्तित कर देगा जैसे कि ऐसा निलंबन किया ही नही गया था ।

(4) जहां कोई कर्मचारी, जिसका प्रतिकर का अधिकार उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन निलंबित हो गया है, ऐसे उपधाराओं द्वारा यथा अपेक्षित चिकित्सा परीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत किए बिना मर जाता है, सक्षम प्राधिकारी यदि वह ठीक समझते, तो मृत कर्मचारी के आश्रितों के प्रतिकर का संदाय का निदेश दे सकेगा ।

(5) जहां उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन प्रतिकर का अधिकार निलंबित है, तो कोई भी प्रतिकर निलंबन की अवधि के संबंध में संदत्त नहीं होगा, और, यदि निलंबन की अवधि धारा 76 की उपधारा (4) के खंड (ii)निर्दिष्ट प्रतिक्षा करना अवधि की समाप्ति के पूर्व होती है प्रतिक्षा कालावधि, निलंबन चालू रहने के दौरान की अवधि द्वारा बढ़ा दी जाएगी ।

(6) जहां एक क्षतिग्रस्त कर्मचारी, चिकित्सा व्यवसायी के समक्ष हाजिर होने से इंकार किया है जिसकी सेवा नियोक्ता द्वारा नि:शुल्क दी गई हो या ऐसे स्वीकृत प्रस्ताव को ऐसे चिकित्सा व्यवसायी के निदेशों की जान-बूझकर अवहेलना किया है, तब, यदि यह साबित किया जाता है कि कर्मचारी उसके पश्चात चिकित्सा व्यवसायी के समक्ष उसके समक्ष नियमित रुप से हाजिर ऐसी हाजिरी के लिए नहीं हुआ है, या उसके निदेशों का अनुसरण करने में जान-बूझकर असफल रहता है तो ऐसे इंकार अवहेलना या असफलता होने पर मामले की परिस्थितियों में अनुचित थी और इस प्रकार उसकी क्षति गुरुतर हो गई है, क्षति और पारिणामिक निःशक्ता तब वह चोट उसी प्रकृति की समझी जाएगी और वह अवधि जिसके बारे में युक्तियुक्त रुप से अनुमानित थी, यदि कर्मचारी चिकित्सा व्यवसायी के समक्ष नियमित रुप से हाजिर हुआ था, जिनके निदेशों का अनुसरण किया था और प्रतिकर, यदि कोई है, तदनुसार संदत्त किया जाएगा ।

संविदाकारी ।

85. (1) जहां कोई व्यक्ति नियोक्ता किसी संविदाकार के साथ के साथ व्यापार या

कारबार के अनुक्रम में या प्रयोजनों के लिए संविदा करता है, निष्पादन के लिए संविदाकार के द्वारा या उसके अधीन उसके किसी कार्य के संपूर्ण या उसके भाग के लिए, जो नियोक्ता के व्यापार या कारबार का साधारणतया भाग है नियोक्ता किसी प्रतिकर के लिए कार्य के निष्पादन में नियुक्त किसी कर्मचारी को संदाय करने के लिए दायी होगा, जिसमें वह संदत्त करने के लिए दायी होता, यदि वह कर्मचारी उसके द्वारा अव्यवहित नियुक्त किया गया था प्रतिकर की रकम नियोक्ता के अधीन कर्मचारी की मजदूरी के सदंर्भ में विकलित की जाएगी, जिसमें वह अव्यवहित रुप से नियोजित है ।

(2) जहां नियोक्ता इस धारा के अधीन प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी है, वह संविदाकार द्वारा की गई क्षतिपूर्ति का हकदार होगा या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे कर्मचारी प्रतिकर को प्राप्त नहीं कर सका है और जहां संविदाकार स्वयं नियोक्ता है प्रतिकर को संदत्त करने के लिए दायी है या इस धारा के अधीन क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी है, वह किसी ऐसे व्यक्ति जो संविदाकार से संबंधित है जिससे वह कर्मचारी प्रतिकर को प्राप्त किया है, और उसके अधिकार से संबंधित उसके समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा सभी प्रश्न और ऐसी कोई क्षतिपूर्ति की रकम करार के त्रुटि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा समायोजित की जाएगी ।

(3) इस धारा की कोई बात नियोक्ता के एवज में संविदाकार से उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रतिकर के प्रतिउद्धरण से निवारित होने के रुप में समझी जाएगी।

(4) इस धारा के उपबंध उन मामलों में लागू नहीं होंगे, जहां दुर्घटना नियोक्ता के परिसर से कहीं बाहर हुई हो जहां पर नियोक्ता ने बचन दिया है या सामान्यत: बचन देता है, जैसे भी दशा हो, कार्य का निष्पादन या उसके नियंत्रण या प्रबंध के अधीन से अन्यथा हो ।

अपरिचित के विरुद्ध नियोक्ता के उपचार ।

86. जहां कोई कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से भिन्न, जिसे प्रतिकर का संदाय किया गया था कि विधिक दायित्व के सृजन की परिस्थितियों के अधीन किसी कारित क्षति के संबंध में क्षतिपूर्ति का संदाय किया गया था । ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको प्रतिकर का प्रतिउद्धरण किया गया है और कोई व्यक्ति, जिसे धारा 85 के अधीन क्षतिपूर्ति का संदाय करने के लिए कहा गया है, ऐसे व्यक्ति से क्षतिपूर्ति पाने का हकदार होगा जो उपर्युक्त क्षतियों का ऐसे संदाय के लिए दायी होगा ।

नियोक्ता का दिवालिया होना ।

87. (1) जहां कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी के साथ इस अध्याय के अधीन किसी दायित्व के संबंध में कोई संविदा करता है, तब, नियोक्ता के दिवालिया होने की दशा में या प्रशमन करता है या उसके लेनदार के साथ ठहराव की स्कीम या यदि नियोक्ता कोई कंपनी है, कंपनी के नुकसान के आरंभ होने की दशा में, दायित्व के संबंध में नियोक्ता के अधिकार किसी दिवालिया से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी बात के होने पर भी या कंपनी के परिसमापन पर कर्मचारी को अंतरित होगी और उसमें निहित होगी, और ऐसे अंतरण पर बीमाकर्ता का वही अधिकार और उपचार होंगे और उसी उत्तरदायित्वों के अधीन होगा यदि वे नियोक्ता थे, तथापि बीमाकर्ता नियोक्ता के अधीन होता वह कर्मचारी उससे किसी गुरुतर दायित्व के अधीन नहीं होगा ।

(2) यदि बीमाकर्ताओं का दायित्व कर्मचारियों के प्रति नियोक्ता के दायित्व से कम है तो कर्मचारी, सबूत का भार दिवाला प्रक्रियाओं य़ा परिसमापन के संबंध में अतिशेष के

लिए कर्मचारी पर होगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसा मामला जहां नियोक्ता की बीमाकर्ताओं के साथ संविदा की गई है वहां संविदा (प्रीमियम के संदाय के लिए अनुबद्ध से भिन्न) के किसी निबंधन और शर्तों पर नियोक्ता के भाग पर अपालन के कारण शून्य या शून्यकरणीय है, उपधारा के उपबंध ऐसे लागू होंगे जैसे यदि संविदा शून्य या शून्यकरणीय नहीं थी, और बीमाकर्ता कर्मचारी को संदत्त रकम के लिए दिवाला प्रक्रियाओं या परिसमापन के संबंध में सबूत देने के लिए हकदार होगा ।

परंतु इस उप धारा के उपबंध किसी ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे जहां कर्मचारी ने दुर्घटना के होने पर बीमाकर्ताओं को सूचना देने में असफल होता है और ऐसी विकलांगता या परिसमापन प्रक्रियाओं के संस्थित होने की जानकारी होने पर के पश्चात् यथाशीघ्र साध्य कोई पारिणामिक निःशक्तता हो।

(4) इसे ऋणों में यह सम्मिलित हुआ समझा जाएगा जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन या कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन के अधीन दिवालिया की आस्ति के वितरण में है या ऐसी कंपनी के आस्तियों का वितरण जो ऐसे सभी ऋणों को प्राथमिकता में संदत्त के परिसमापन में हो, किसी प्रतिकर के संबंध में बकाया रकम, दिवालिया के न्यायनिर्णयन के आदेश की तारीख से पूर्व उद्भूत दायित्व या परिसमापन के आरंभ की तारीख, जैसी भी दशा हो, और संहिता और अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे । 2016 का 31
2013 का 18

(5) यदि कोई प्रतिकर एक अर्द्धमासिक संदाय है तब उसके संबंध में बकाया रकम इस धारा के प्रयोजनों के लिए जिसका अर्धमासिक संदाय मोचन योग्य हो या मोचन हो गया हो, एक मुश्त रकम के रुप में ली जाएगी । यदि धारा 80 के अधीन प्रयोजन के लिए आवेदन किए गए थे और सक्षम प्राधिकारी तथा प्रमाणपत्र ऐसे राशि का रकम उसके संबंध में निश्चायक सबूत होगी ।

(6) उपधारा (4) के उपबंध ऐसे किसी रकम के संबंध में लागू होंगे जहां बीमाकर्ता उपधारा (3) के अधीन साबित करने का हकदार है, परंतु उन उपबंधो से अन्यथा में लागू नहीं होंगे जहां दिवाला व्यक्ति या कंपनी का परिसमापन हो गया है जहां ऐसे बीमाकर्ताओं के साथ, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, ऐसी संविदा किया हैं ।

(7) इस धारा के उपबंध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जहां कोई कंपनी पुनर्निर्माण या समामेलन के प्रयोजनों के लिए स्वतः परिसमापन हो गया हो ।

घातक दुर्घटनाओं के संबंध में नियोक्ताओं के कथनों से अपेक्षित शक्ति ।

88. (1) जहां कोई सक्षम प्राधिकारी किसी स्रोत से सूचना प्राप्त करता है कि कोई कर्मचारी नियोजन के अनुक्रम में किसी दुर्घटना के होने से मृत हो गया है और, रजिस्ट्रीकृत डाक के द्वारा, यदि संभव है तो वह सूचना के तामील के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कर्मचारी के अपने अपेक्षित नियोक्ता को इलैक्ट्रानिक रुप से सूचना देकर वह भेज सकेगा एक कथन राज्य सरकार द्वारा विहित ऐसे प्ररुप में, कर्मचारी की मृत्यु की परिस्थितियों के संबंध में दे सकेगा और यह इंगित करते हुए कि क्या नियोक्ता की राय में मृत्यु के संबंध में प्रतिकर को निक्षेप करने के लिए दायी है या नहीं, और ऐसी सूचना की एक प्रति सक्षम पदाधिकारी द्वारा ऐसे कर्मचारी के आश्रितों को उसी रीति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भेजी भी जाएगी।

(2) यदि नियोक्ता की यह राय है कि वह प्रतिकर का निक्षेप करने का लिए दायी है तो वह सूचना की तामीली के 30 दिनों के भीतर निक्षेप करेगा ।

(3) यदि नियोक्ता की यह राय है कि ऐसे प्रतिकर को निक्षेप करने के लिए दायी नहीं है तो वह दायित्व का दावा त्याग करता है के आधारों को इंगित करने वाला अपना विवरण देगा।

(4) जहां नियोक्ता ने ऐसे दायित्व के दावा त्याग के संबंध में इंकार किया हो तो सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, मृत कर्मचारी के आश्रितों को सूचित कर सकेगा कि यह किसी आश्रितों के ऊपर है कि वह प्रतिकर के दावा करें या जो वह ठीक समझे, अन्य सूचना दे सकेंगे ।

(5) जहां सक्षम प्राधिकारी की राय में, मृत कर्मचारी के आश्रित प्रतिकर के दावे को दाखिल करने के लिए वकील नियुक्त करने की स्थिति में नहीं है, सक्षम प्राधिकारी ऐसे आश्रित को राज्य सरकार द्वारा वकीलों के पैनल से उपलब्ध करा सकेगा ।

करारों का रजिस्ट्रीकरण ।

89. (1) जहां किसी प्रतिकर के रुप में कोई एक मुश्त राशि की रकम करार के माध्यम से निश्चित की गई हो, जहां अर्द्धमासिक संदाय मोचन के द्वारा या अन्यथा या कोई ऐसा प्रतिकर किसी महिला या कोई व्यक्ति जो विधिक अक्षमता के अधीन हो संदत्त की गई हो तो एक ज्ञापन नियोक्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा, जो रजिस्टर में ज्ञापन के अभिलेख और उसकी वास्तविकता से संतुष्ट होगा, इलैक्ट्रानिक रुप से या अन्यथा ऐसी रीति में समुचित सरकार द्वारा विहित किया जा सकेगा :

परंतु—

(क) ऐसा कोई ज्ञापन संबद्ध पक्षकारों को दी गई सूचना के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए जाने के पश्चात् सात दिनों के पूर्व अभिलिखित नहीं की जाएगी ।

(ख) सक्षम प्राधिकारी रजिस्टर का किसी भी समय अनुसमर्थन कर सकेगा ;

(ग) यदि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष यह प्रस्तुत होता है कि कोई करार एक मुश्त संदाय के लिए अर्द्धमासिक संदाय या अन्यथा के मोचन के द्वारा या संदाय प्रतिकर की रकम के रुप में कोई करार, किसी महिला या किसी ऐसे व्यक्ति को जो विधिक अक्षमता के अधीन है किसी ऐसी राशि या रकम की अपर्याप्तता के कारण रजिस्ट्रीकृत न की गई हो या किसी ऐसे करार के द्वारा किसी कपट या असम्यक असर या किसी अनुचित तरीके से प्राप्त की गई हो तो सक्षम प्राधिकारी करार के ज्ञापन को अभिलिखित करने से इंकार कर सकेगा और ऐसा कोई आदेश दे सकेगा जैसा कि सक्षम अधिकारी परिस्थितियों के अनुसार ठीक समझे ।

(2) प्रतिकर के संदाय के लिए कोई करार उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है व भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी संहिता के अधीन प्रवृत्त होगा । 1872 का 9

(3) जहां किसी करार का ज्ञापन, जिसका इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है, इस धारा के द्वारा ऐसे अपेक्षित सक्षम प्राधिकारी को नहीं भेजा गया है, नियोक्ता संपूर्ण प्रतिकर की रकम के लिए दायी होगा जहां वह इस अध्याय के उपबंधों के अधीन संदाय करने के लिए दायी है और धारा 76 की उपधारा (1) के परंतुक में किसी बात के होते हुए भी कर्मचारी के लिए किसी रकम के संदाय के आधे से अधिक कटौती

के लिए हकदार नहीं होगा जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा निदेश नहीं दिया जाता है ।

सक्षम प्राधिकारियों को निदेश ।

90. (1) यदि प्रतिकर देने के किसी व्यक्ति के दायित्व के विषय इस अध्याय के अधीन आते है कि क्षत व्यक्ति कर्मचारी है या नहीं, या प्रतिकर की रकम या अस्तित्वावधि के विषय में कोई प्रश्न (जिसके अन्तर्गत निःशक्तता के प्रकार या विस्तार विषयक प्रश्न आता है) इस अधिनियम के अधीन की किन्हीं कार्यवाहियों में उठता है तो वह प्रश्न करार के अभाव में सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाएगा ।

(2) किसी भी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे प्रश्न जिसके लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन यह अपेक्षित है कि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाए या विनिश्चित किया जाए या उसके बारे में कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाए तय करने, विनिश्चित करने या उसके बारे में कार्रवाई करने की या इस अध्याय के अधीन उपगत किसी दायित्व को प्रवर्तित कराने की अधिकारिता न होगी ।

सक्षम प्राधिकारियों की नियुक्ति ।

91. (1) राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को जो राज्य न्यायिक सेवा का पांच वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए सदस्य है या रहा है या पांच वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए अधिवक्ता या प्लीडर है या रहा है या पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए ऐसा राजपत्रित अधिकारी है या रहा है, जो कार्मिक प्रबंध, मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंधों में शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो और ऐसी अर्हताए जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, ऐसे क्षेत्र के लिए कर्मचारी प्रतिकर सक्षम प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) जहां कि किसी क्षेत्र के लिए एक से अधिक सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं वहां राज्य सरकार उनके बीच कारबार के वितरण का विनियमन साधारण या विशेष आदेश द्वारा कर सकेगी ।

(3) कोई भी सक्षम प्राधिकारी इस अध्याय के अधीन विनिश्चय के लिए अपने को निर्देशित किसी विषय को विनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को, जो जांचाधीन विषय से सुसंगत किसी विषय का विशेष ज्ञान रखते हों, जांच करने में अपनी सहायता के लिए चुन सकेगा ।

कार्यवाहियों का स्थान और अन्तरण ।

92. (1) जहां इस अध्याय के अधीन कोई बात सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसके समक्ष की जानी है वहां इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए और राज्य सरकार द्वारा उसकी ओर विहित रीति से, उस क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसके समक्ष की जाएगी जिसमें—

(क) वह दुर्घटना हुई थी जिसके परिणामस्वरूप क्षति हुई ; या

(ख) कर्मचारी या उसकी मृत्यु की दशा में प्रतिकर के लिए दावा करने वाला आश्रित साधारणतया निवास करता है ; या

(ग) नियोजक का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है :

परन्तु किसी भी मामले में ऐसे किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष या उसके द्वारा, जो उस क्षेत्र पर जिसमें दुर्घटना हुई है, अधिकारिता रखने वाले सक्षम प्राधिकारी से भिन्न है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से उसके द्वारा उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले सक्षम प्राधिकारी और संबंधित राज्य सरकार को इलेक्ट्रानिक रुप से या

अन्यथा सूचना दिए बिना, कार्यवाही नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि जहां कर्मचारी किसी पोत का मास्टर या नाविक है अथवा किसी वायुयान का कैप्टन या कर्मीदल का कोई सदस्य है अथवा किसी मोटर यान या कंपनी का कर्मचारी है, भारत से बाहर दुर्घटना का शिकार होता है वहां ऐसी कोई बात उस क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसके समक्ष की जा सकेगी, जिसमें, यथास्थिति, पोत, वायुयान या मोटर यान का स्वामी या अभिकर्ता निवास करता है या कारबार चलाता है अथवा कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है ।

(2) यदि उस सक्षम प्राधिकारी से जिसके पास धारा 81 के अधीन कोई धन जमा किया गया है, भिन्न कोई सक्षम प्राधिकारी, इस अध्याय के अधीन किसी मामले में कार्यवाही करता है तो पश्चात्वर्ती सक्षम प्राधिकारी ऐसे मामले के उचित निपटारे के लिए किसी अभिलेख के या पूर्ववर्ती सक्षम प्राधिकारी के पास शेष रहे धन के अंतरण की मांग कर सकेगा और ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर वह सक्षम प्राधिकारी उसका अनुपालन करेगा ।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लम्बित किन्हीं कार्यवाहियों से उद्भूत किसी विषय में कार्रवाई किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा चाहे वह उसी राज्य में हो या नहीं, अधिक सुविधानुसार की जा सकती है, तो इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए वह यह आदेश दे सकेगा कि ऐसा विषय या तो रिपोर्ट के लिए या निपटाए जाने के लिए ऐसे अन्य सक्षम प्राधिकारी को अन्तरित कर दिया जाए और यदि वह ऐसा करता है तो ऐसे विषय के विनिश्चय के लिए सुसंगत सभी दस्तावेजें ऐसे अन्य सक्षम प्राधिकारी को अन्तरित कर दिए जाएं और यदि वह ऐसा करता है तो ऐसे विषय के विनिश्चय के लिए सुसंगत सभी दस्तावेजें ऐसे अन्य सक्षम प्राधिकारी को तत्क्षण पारेषित करेगा, और जहां कि विषय निपटाए जाने के लिए अन्तरित किया जाता है वहां वह किसी ऐसे धन को भी विहित रीति से पारेषित करेगा जो उसके पास शेष रहा है या जो उसने कार्यवाहियों में के किसी पक्षकार के फायदे के लिए विनिहित किया हैः

परन्तु जहां कार्यवाहियों में का कोई पक्षकार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष हाजिर हुआ है, वहां सक्षम प्राधिकारी आश्रितों के बीच किसी एकमुश्त राशि के वितरण से सम्बद्ध अन्तरण का कोई आदेश, ऐसे पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना, नहीं करेगाः

(4) वह सक्षम प्राधिकारी, जिसे कोई विषय इस प्रकार अन्तरित किया जाता है, इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए उसकी जांच करेगा और यदि वह विषय रिपोर्ट के लिए अन्तरित किया गया था तो उस पर अपनी रिपोर्ट देगा या यदि वह विषय निपटाए जाने के लिए अन्तरित किया गया था तो कार्यवाहियों को ऐसे चालू रखेगा मानो वे मूलतः उसके ही समक्ष प्रारम्भ हुई थीं ।

(5) उस सक्षम प्राधिकारी से, जिसे कोई विषय उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट के लिए अन्तरित किया गया है, रिपोर्ट मिलने पर वह सक्षम प्राधिकारी, जिसके द्वारा वह निर्देशित किया गया था, निर्देशित विषय को ऐसी रिपोर्ट के अनुरूप विनिश्चय करेगा ।

(6) राज्य सरकार किसी भी मामले को अपने द्वारा नियुक्त किसी सक्षम प्राधिकारी

से अपने द्वारा नियुक्त किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को अन्तरित कर सकेगी।

आवेदन का प्ररूप ।

93. (1) जहां कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर का संदाय करने का दायित्व उद्भूत होता है वहां ऐसे प्रतिकर के लिए कोई दावा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किया जा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी विषय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए जाने के लिए कोई भी आवेदन जो आश्रित या आश्रितों द्वारा प्रतिकर के लिए किए गए आवेदन से भिन्न हों न किया जाएगा यदि और जब तक उसके संबंध में पक्षकारों के बीच ऐसा कोई प्रश्न न उठा हो जिसे वे करार द्वारा तय करने में असमर्थ रहे हों ।

(3) सक्षम प्राधिकारी को दावे के लिए आवेदन, इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा, ऐसे जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, उसके साथ फीस सहित, यदि कोई हो, उपधारा (1) के अधीन किया जाएगा या उपधारा (2) के अधीन निपटान किया जाएगा ।

(4) इस धारा के अधीन आवेदन के निपटान के लिए समय सीमा और इस धारा के अधीन प्रक्रिया के लिए आनुषांगिक खर्च सक्षम प्राधिकारी द्वारा जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए अधिरोपित किया जाएगा ।

प्राणान्तक दुर्घटना की दशाओं में अतिरिक्त निक्षेप अपेक्षित करने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति ।

94. (1) जहां कि ऐसे कर्मचारी के बारे में, जिसकी मृत्यु क्षति के परिणामस्वरूप हो गई है, संदेय प्रतिकर के रूप में कोई राशि नियोजक द्वारा निक्षिप्त की गई है और सक्षम प्राधिकारी की राय में ऐसी राशि अपर्याप्त है वहां सक्षम प्राधिकारी अपने कारणों को कथित करते हुए लिखित सूचना द्वारा नियोजक को इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए अपेक्षित कर सकेगा कि वह इतने समय के भीतर, जितना सूचना में कथित किया जाए, अतिरिक्त निक्षेप क्यों न करे ।

(2) यदि नियोजक सक्षम प्राधिकारी को समाधानप्रद रूप में हेतुक दर्शित करने में असफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी कुल संदेय रकम को अवधारित करने वाला और नियोजक से यह अपेक्षा करने वाला अधिनिर्णय दे सकेगा कि वह उतनी राशि निक्षिप्त कर दे जितनी कम है ।

सक्षम प्राधिकारियों की शक्तियां और प्रक्रिया ।

95. सक्षम प्राधिकारी को, ऐसी शपथ पर (जिसे अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा सशक्त किया जाता है) साक्ष्य लेने और साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों को पेश करने के लिए विवश करने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन की सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और सक्षम प्राधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 के और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

1908 का 5
1974 का 2

पक्षकारों की हाजिरी ।

96. किसी पक्षकार की साक्षी के रूप में उसकी परीक्षा के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हाजिरी से भिन्न कोई हाजिरी, आवेदन या कार्य जो किसी व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष या सक्षम प्राधिकारी से किए जाने के लिए अपेक्षित है, ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी विधि व्यवसायी द्वारा या बीमा कम्पनी या रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ द्वारा या धारा 122 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निरिक्षक-सह-सुकारक द्वारा या

राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अन्य आफिसर द्वारा जो ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत हो, या सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा से, इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किया जा सकेगा ।

साक्ष्य अभिलिखित करने का ढंग ।

97. जैसे-जैसे हर साक्षी की परीक्षा होती जाएगी वैसे-वैसे सक्षम प्राधिकारी उस साक्षी के साक्ष्य के सार का संक्षिप्त ज्ञापन बनाता जाएगा और ऐसा ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने हाथ से या ऐसी रीति से जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए अधिप्रमाणित किया जाएगा और अभिलेख का भाग होगाः

परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी ऐसा ज्ञापन बनाने से निवारित हो जाता है तो वह ऐसा करने की अपनी असमर्थता का कारण अभिलिखित करेगा और स्वयं बोल कर ऐसा ज्ञापन लिखित रूप में तैयार कराएगा और उसे हस्ताक्षरित करेगा और ऐसा ज्ञापन अभिलेख का भाग होगाः

परन्तु यह और कि किसी चिकित्सीय साक्षी का साक्ष्य यावत्शक्य शब्दशः लिखा जाएगा ।

मामलों को निवेदित करने की शक्ति ।

98. यदि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे तो वह विधि का प्रश्न विनिश्चय के लिए उच्च न्यायालय को निवेदित कर सकेगा और यदि वह ऐसा करता है तो वह उस प्रश्न को ऐसे विनिश्चय के अनुरूप विनिश्चित करेगा ।

सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलें ।

99. (1) इस अध्याय के अधीन सक्षम प्राधिकारी के निम्नलिखित आदेशों से अपील उच्च न्यायालय में होगी, अर्थात्:—

(क) प्रतिकर के रूप में एकमुश्त राशि को चाहे अर्धमासिक संदाय से मोचन के तौर पर या अन्यथा, अधिनिर्णीत करने वाला या एकमुश्त राशि के दावे को पूर्णतः या भागतः अननुज्ञात करने वाला आदेश;

(ख) धारा 77 के अधीन क्षतियों के माध्यम से ब्याज या शास्ति अधिनिर्णीत करने वाला आदेश;

(ग) अर्धमासिक संदाय से मोचन अनुज्ञात करने से इन्कार करने वाला आदेश;

(घ) मृत कर्मचारी के आश्रितों के बीच प्रतिकर के वितरण का उपबन्ध करने वाला आदेश या किसी ऐसे व्यक्ति के दावे को जो यह अभिकथन करता हो कि वह ऐसा आश्रित है, अनुज्ञात करने वाला आदेश;

(ङ) धारा 85 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन क्षतिपूर्ति की रकम के किसी दावे को अनुज्ञात या अननुज्ञात करने वाला आदेश; अथवा

(च) करार के ज्ञापन को रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार करने वाला या उसे रजिस्ट्रीकृत करने वाला या यह उपबन्ध करने वाला कि उसका रजिस्ट्रीकरण शर्तों के अधीन होगा, आदेशः

परन्तु जब तक कि अपील में सारवान् विधि-प्रश्न अन्तर्वलित न हो, और खण्ड (ग) में यथानिर्दिष्ट आदेश से भिन्न आदेश की दशा में जब तक कि अपील में विवादग्रस्त रकम दस हजार रुपए या ऐसी उच्चतर रकम जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे से अन्यून न हो, आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होगीः

परन्तु यह और कि किसी ऐसे मामले में, जिसमें पक्षकारों ने सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय का पालन करने के लिए कोई करार कर लिया है या जिसमें सक्षम प्राधिकारी का आदेश पक्षकारों में हुए करार को प्रभावशाली करता है, कोई भी अपील नहीं होगीः

परन्तु यह और कि जब तक कि अपील के ज्ञापन के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया इस भाव का प्रमाणपत्र न हो कि अपीलार्थी ने उसके पास वह रकम निक्षिप्त कर दी है जो उस आदेश के अधीन संदेय है जिसके विरुद्ध अपील की गई है, नियोजक द्वारा खण्ड (क) के अधीन कोई भी अपील नहीं होगी ।

(2) इस धारा के अधीन अपील के लिए परिसीमाकाल आदेश पारित करने की तारीख से साठ दिन का होगा ।

(3) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के उपबन्ध इस धारा के अधीन की अपीलें को लागू होंगे । 1963 का 36

अध्याय 8

भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और उपकर

उपकर का उदग्रहण और संग्रहण ।

100. (1) सामाजिक सुरक्षा और भवन निर्माण कर्मकारों के कल्याण के प्रयोजन के लिए उपकर, ऐसी दर से जो दो प्रतिशत से अधिक न हो, लेकिन किसी कर्मचारी द्वारा उपगत की गई निर्माण की लागत, जैसा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, के एक प्रतिशत से कम नही होगी, उदग्रहित और संग्रहित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए सन्निर्माण की लागत में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे :—

(क) भूमि की लागत ; और

(ख) कर्मचारियों या उसके रक्त संबंधियो को अध्याय 7 के अधीन संदत्त या देय कोई प्रतिकर ।

(2) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य करने वाले प्रत्येक नियोजक से, उप-धारा (1) के अधीन उद्गृहीत उपकर, ऐसी रीति से और ऐसे समय में संग्रहित किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, जिसके अन्तर्गत सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के भवन निर्माण के संबंध में स्रोत पर कटौती या स्थानीय प्राधिकारी के माध्यम से अग्रिम संग्रहण, जहां ऐसे भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन अपेक्षित है, भी है

(3) उपधारा (2) के अधीन संग्रहित उपकर के आगम, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड को, ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, जमा किए जाएगें ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन उद्गृहणीय उपकर, जिसके अन्तर्गत ऐसे उपकर का अग्रिम संदाय भी

है, अंतिम निर्धारण के अध्ययधीन रहते हुए एक रूप दर या दरों पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तवर्लित भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य की मात्रा के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, दिया जाएगा, संग्रहित किया जाएगा।

उपकर के संदाय में विलम्ब पर देय ब्याज।

101. यदि कोई नियोजक धारा 100 के अधीन संदेय उपकर की रकम का, ऐसे समय के भीतर जो समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए, संदाय करने में विफल रहता है, तो ऐसा नियोजक, संदत्त की जाने वाली उपकर की रकम पर, ऐसी अवधि के लिए, उस तारीख से, जिससे ऐसा संदाय बकाया है, उस रकम के वास्तविक रूप से संदत्त किए जाने तक, ऐसी दर पर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, ब्याज संदत्त करने के लिए दायी होगा।

उपकर से छूट प्रदान करने की शक्ति।

102. इस अध्याय में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य में किसी नियोजक या नियोजकों के किसी वर्ग को, इस अध्याय के अधीन देय उपकर के संदाय से छूट प्रदान कर सकेगी, जहां ऐसा उपकर, राज्य में तत्समय प्रकृत किसी विधि के अधीन पहले ही उदगृहित किया जा चुका है या संग्रहित किया जा चुका है।

उपकर का स्वतः निर्धारण।

103. (1) नियोजक, उसके प्रत्येक भवन और अन्य संनिर्माण के पूरा होने पर साठ दिवस के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए और केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से, दस्तावेजों के आधार पर सम्पादित सन्निर्माण की लागत पर उसके स्वत: निर्धारण के आधार पर, इस अध्याय के अधीन देय ऐसे उपकर (धारा 100 के अधीन पहले से संदत्त अग्रिम उपकर को समायोजित करते हुए) का संदाय करेगा और ऐसे उपकर के संदाय के पश्चात्, धारा 123 के खंड (घ) के अधीन विवरणी दाखिल करेगा ।

(2) यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसको या जिसे उपधारा (1) के अधीन विवरणी दाखिल की गई है, स्वत: निर्धारण के अधीन संदाय और उपधारा में निर्दिष्ट विवरणी के अधीन अपेक्षित संदाय में कोई फर्क पाता है, तब वह या वे ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात्, जैसी की वह या वे उचित समझे, समुचित निर्धारण आदेश कर सकेगा/सकेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन किया गया निर्धारण आदेश, ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिसके भीतर उपकर, यदि कोई हो, नियोजक द्वारा संदत्त किया जाएगा।

विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपकर का संदाय नही किए जाने के लिए शास्ति ।

104. यदि धारा 103 के अधीन किसी नियोजक द्वारा देय उपकर की कोई रकम, धारा 103 की उपधारा (2) के अधीन किए गए निर्धारण के आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर संदत्त नहीं की जाती है, तो उसे बकाया होना समझा जाएगा और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, नियोजक पर ऐसी शास्ति जो उपकर की रकम से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा :

परन्तु, ऐसी शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व, ऐसे नियोजक को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा और यदि ऐसी सुनवाई के पश्चात् उक्त प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि व्यतिक्रम किसी अच्छे और पर्याप्त कारण से हुआ था, तो इस धारा के

अधीन कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

अपील प्राधिकारी को अपील ।

105. (1) कोई नियोजक जो धारा 103 के अधीन किए गए निर्धारण के आदेश या धारा 104 के अधीन किए गए शास्ति अधिरोपित करने के आदेश से व्यथित है, ऐसे समय के भीतर जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, ऐसे अपील प्राधिकारी को, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपील के साथ ऐसी फीस संलग्न होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील के प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को मामले में सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात्, अपील का यथा संभव तथा शीघ्र निपटान करेगा।

(4) इस धारा के अधीन अपील में पारित किया गया कोई आदेश अंतिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

भवन निर्माण कर्मकारों का हिताधिकारियों के रूप में रजिस्ट्रीकरण ।

106. प्रत्येक भवन कर्मकार जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, लेकिन उसने साठ वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और जो पिछले बारह मास के दौरान नब्बें से अन्यून दिवस के लिए किसी भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित किया गया है, तो वह इस अध्याय के अधीन भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हिताधिकारी के रूप में, ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा ।

हिताधिकारी के रूप में नहीं रह जाना।

107. (1) एक भवन कर्मकार जो धारा 106 के अधीन हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, वह ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं रह जाएगा, जब वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है या जब वह एक वर्ष में नब्बें से अन्यून दिवसों के लिए भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित नहीं रह जाता है:

परन्तु इस धारा के अधीन नब्बें दिवसों की अवधि की गणना करने में, उसके नियोजन से उद्भूत और उसके दौरान घटित दुर्घटना द्वारा भवन कर्मकार को कारित किसी व्यक्तिगत क्षति के कारण भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य से अनुपस्थिति की किसी अवधि को अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के ठीक पहले लगातार कम से कम तीन वर्षों के लिए हिताधिकारी रह चुका था, तब, वह ऐसा फायदा प्राप्त करने का पात्र होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाए।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के अधीन भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत हिताधिकारी के रूप में तीन वर्ष की अवधि की गणना करने के लिए, किसी अवधि जिसके लिए वह व्यक्ति, बोर्ड के साथ उसके रजिस्ट्रीकरण से ठीक पहले किसी अन्य ऐसे बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत हिताधिकारी रह चुका है ।

108. (1) बोर्ड द्वारा, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के नाम

से ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा—

सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि और उसका लागू होना।

(क) धारा 100 की उपधारा (1) के अधीन उद्गृहित किसी उपकर की रकम;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड को दिए गए कोई अनुदान और ऋण; और

(ग) भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाए, प्राप्त की गई सभी राशियां।

(2) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि निम्नलिखित को पूरा करने के लिए उपयोजित की जाएगी—

(क) धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन, उसके कृत्यों के निर्वहन में भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड के व्यय; और

(ख) भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तें और पारिश्रमिक;

(ग) इस संहिता द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और अन्य प्रयोजनों के लिए व्यय।

(3) भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड, किसी वित्तीय वर्ष में, उसके सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिक तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए उस वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कुल व्ययों के पांच प्रतिशत से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगा ।

अध्याय 9

असंगठित कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

असंगठित कर्मकारों के लिए स्कीम बनाना ।

109. (1) केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित मामलों के संबंध में, असंगठित कर्मकारों के लिए समय-समय पर, उपयुक्त कल्याण स्कीमें बनायेगी और अधिसूचित करेगी—

(i) जीवन और निर्योग्यता समावेशित करना;

(ii) स्वास्थ्य और मातृत्व फायदे;

(iii) वृद्धावस्था संरक्षण;

(iv) शिक्षा; और

(v) अन्य कोई फायदे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाए।

(2) राज्य सरकार, असंगठित कर्मकारों के लिए समय-समय पर उपयुक्त कल्याण स्कीमें बनाएगी और अधिसूचित करेगी, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित से संबंधित स्कीमें है—

(i) भविष्य निधि;

(ii) नियोजन क्षति फायदा;

(iii) आवासन;

(iv) बालकों के लिए शैक्षिक स्कीमें;

(v) कर्मकारों का कौशल उन्नयन;

(vi) अन्येष्टि सहायता; और

(vii) वृद्धाश्रम।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित कोई स्कीम हों सकेगी—

(i) केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः निधित; या

(ii) भागतः केंद्रीय सरकार द्वारा निधित और भागतः राज्य सरकार द्वारा निधित; या

(iii) भागतः केंद्रीय सरकार द्वारा निधित, भागतः राज्य सरकार द्वारा निधित और भागतः स्कीम के हिताधिकारियों या कर्मचारियों से संग्रहित अभिदाय, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, के माध्यम से निधित; या

(iv) किसी अन्य स्रोत से निधित, जिसके अन्तर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के भीतर निगम सामाजिक दायित्व निधि या कोई अन्य ऐसा स्रोत, जैसा कि स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, भी है । 2013 का 18

(4) उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक स्कीम, ऐसे मामलों के लिए उपबंध करेगी, जो इस स्कीम के दक्ष क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सभी या किन्ही से संबंधित मामलें भी है, अर्थात :—

(i) स्कीम का क्षेत्र ;

(ii) स्कीम के क्रियान्वयन के लिए प्राधिकारी ;

(iii) स्कीम के हिताधिकारी ;

(iv) स्कीम के संसाधन;

(v) अभिकरण जो स्कीम का क्रियान्वन करेंगे;

(vi) शिकायतों को दूर करना ; और

(vii) अन्य कोई सुसंगत मामला,

और केंद्रीय सरकार द्वारा, ऐसी स्कीम के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए एक विशेष प्रयोजन साधन का भी गठन किया जा सकेगा।

राज्य सरकार की स्कीमों का निधिकरण ।

110. (1) धारा 109 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई स्कीम हो सकेगी—

(क) राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः निधित; या

(ख) भागतः राज्य सरकार द्वारा निधित, भागतः स्कीम के हिताधिकारियों या कर्मचारियों से संग्रहित अभिदाय, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, के माध्यम से निधित; या

(ग) किसी अन्य स्रोत से निधित, जिसके अन्तर्गत धारा 109 की उपधारा (3) के खंड (iv) में निर्दिष्ट निगम सामाजिक दायित्व निधि या कोई अन्य ऐसा स्रोत, जैसा कि स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, भी है ।

(2) राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से इसके द्वारा बनाई गई स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ऐसी अवधि के लिए स्कीमों के प्रयोजन के लिए और ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो यह ठीक समझे वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकेगी ।

रिकार्ड रखना ।

111. सरकार, इस अध्याय के अधीन बनाई और अधिसूचित स्कीमों में स्कीम से संबंधित रिकार्ड इलेक्ट्रोनिक रूप में या अन्यथा रखने के रूप और रीति तथा ऐसे प्राधिकारी का जो रिकार्ड रखेगा, उपबंध करेगी :

परंतु ऐसे रिकार्ड, यथासंभाव्य, स्कीम के उचित प्रबंधन के प्रयोजन के लिए और रिकार्डों में अतिव्याप्ति और किसी दोहरीकरण से बचने के लिए निरंतर संख्या में होंगे ।

असंगठित कर्मकारों, नाव कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों, के लिए सहायता केन्द्र सुविधा केन्द्र, आदि ।

112. समुचित सरकार निम्नलिखित किसी या अधिक एक कृत्यों को करने के लिए समय-समय पर जो आवश्यक समझे जाएं, ऐसे कामगार टोल फ्री कॉल सेन्टर या सहायता केन्द्र सुविधा केन्द्र स्थापित कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) असंगठित कामगारों नाव कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर उपलबध जानकारी का प्रचार;

(ख) असंगठित कामगारों के आवेदन पत्रों को फाइल, प्रक्रिया और अग्रेषित करने के लिए सुकर बनाना ;

(ग) स्कीम में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए असंगठित कामगार को सहयोग करना ;

(घ) सामाजिक सुरक्षा स्कीमों में रजिस्ट्रीकृत असंगठित कामगारों के नामांकन सुकर बनाना ।

असंगठित कामगार का रजिस्ट्रीकरण ।

113. (1) प्रत्येक असंगठित कामगार इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होगा, अर्थात् : —

(क) जिसने सोलह वर्ष की आयु या ऐसी आयु जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, पूरी कर ली है;

(ख) जिसने एक स्वःघोषणा इलेक्ट्रानिक रूप में या अन्यथा ऐसे रूप में, ऐसी रीति में और ऐसे प्राधिकारी को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, ऐसी जानकारी प्रस्तुत कर दी है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक पात्र असंगठित कामगार रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन ऐसे रूप में ऐसे दस्तावेजों के साथ ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, करेगा और ऐसा असंगठित कामगार ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा उसके आवेदन को एक सुभिन्य संख्यांक समनुदेशित द्वारा या आवेदक को आधार संख्यांक द्वारा लिंक करेगा ।

परन्तु समुचित सरकार द्वारा अनुरक्षित इलैक्ट्रानिक रजिस्ट्रीकरण की प्रणाली भी किसी ऐसे कर्मकार द्वारा ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार विहित करे स्वरजिस्ट्रीकरण

के लिए उपलबंध करेगी।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत असंगठित कामगार इस अध्याय के अधीन बनाई स्कीम के फायदे प्राप्त करने के लिए ऐसा अभिदाय करने पर, यदि कोई है, जो इस स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, पात्र होगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, यथास्थिति किसी स्कीम में ऐसा अभिदाय जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, करेगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, "आधार" पद या वही अर्थ होगा जो उसका धारा 142 में हैं ।

गिग कामगारों और प्लेटफार्म कामगारों के लिए स्कीम ।

114. (1) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, गिग कामगारों और प्लेटफार्म कामगारों के लिए, निम्नलिखित विषयों से संबंधित उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा स्कीमें, बना सकेगी और अधिसूचित कर सकेगी,—

(क) जीवन और दिव्यांगता कवर ;

(ख) दुर्घटना बीमा ;

(ग) स्वास्थ्य और मातृत्व प्रसुविधाएं ;

(घ) वृद्धावस्था संरक्षा ;

(ङ) क्रेच ; और

(च) कोई अन्य फायदा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई और अधिसूचित प्रत्येक स्कीम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेगी,—

(क) स्कीम के प्रशासन की रीति ;

(ख) स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अभिकरणों या अभिकरण ;

(ग) स्कीम में संकलनकर्ता की भूमिका ;

(घ) स्कीम के निधियों के स्रोत ; और

(ङ) कोई अन्य विषय, जो स्कीम के दक्ष प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली कोई स्कीम, जो,—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित हो ; या

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा भागतः वित्तपोषित या राज्य सरकार द्वारा भागतः वित्तपोषित हो; या

(ग) संकलनकर्ताओं के अंशदानों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित हो ; या

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा भागतः वित्तपोषित, राज्य सरकार द्वारा भागतः

वित्तपोषित हो और स्कीम के फायदाग्राहियों या संकलनकर्ताओं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई गई स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, से एकत्रित अंशदानों के माध्यम से भागतः वित्तपोषित हो ; या

2013 का 18

(ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थान्तर्गत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से वित्तपोषित हो ; या

(च) कोई अन्य स्रोत ।

(4) धारा 141 की उपधारा (1) के खंड (ii) में निर्दिष्ट वित्तपोषण के लिए संकलनकर्ताओं द्वारा संदत्त किए जाने वाला अंशदान ऐसी दर पर होगा, जो ऐसे प्रत्येक संकलनकर्ता, जो संकलनकर्ताओं के प्रवर्ग के अंतर्गत आते हैं और जो सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, के वार्षिक आवर्त का दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, किंतु जो एक प्रतिशत से कम का नहीं होगा, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए :

परंतु किसी संकलनकर्ता द्वारा अंशदान संकलनकर्ता द्वारा गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों को संदत्त या संदेय रकम का पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, संकलनकर्ता के वार्षिक आवर्त में केंद्रीय सरकार को संदत्त या संदेय कोई कर, उदग्रहण और उपकर सम्मिलित नहीं होगा ।

(5) इस धारा के अधीन संकलनकर्ता से अंशदान के प्रारंभ की तारीख केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी ।

(6) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, इस संहिता के उपबंधों के अधीन गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों के कल्याण के प्रयोजनों के लिए एक बोर्ड होगा :

परंतु जब ऐसा बोर्ड गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों के कल्याण के प्रयोजनों या उनसे संबंधित विषयों की पूर्ति करता है तो निम्नलिखित सदस्य, धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के स्थान पर, बोर्ड का गठन करेंगे, अर्थात् :—

(क) संकलनकर्ताओं के पांच प्रतिनिधि, जिन्हें केंद्रीय सरकार नामनिर्दिष्ट करे ;

(ख) गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों के पांच प्रतिनिधि, जिन्हें केंद्रीय सरकार नामनिर्दिष्ट करे ;

(ग) निगम का महानिदेशक ;

(घ) केंद्रीय बोर्ड का केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ;

(ङ) ऐसे विशेषज्ञ सदस्य, जिन्हें केंद्रीय सरकार समुचित समझे ;

(च) ऐसे चक्रानुक्रम द्वारा राज्य सरकार के पांच प्रतिनिधि, जो केंद्रीय सरकार समुचित समझे ;

(छ) श्रम और रोजगार मंत्रालय में भारत सरकार का संयुक्त सचिव, जो बोर्ड का सदस्य सचिव होगा ।

(7) (i) केंद्रीय सरकार यह उपबंध कर सकेगी कि,--

(क) एकत्रित अंशदान के आगमों को एकत्रित करने और खर्च करने का प्राधिकार ;

(ख) अंशदान के निलंबित संदाय, कम संदाय या असंदाय की दशा में, सकंलनकर्ता द्वारा संदत्त किए जाने वाले ब्याज की दर ;

(ग) संकलनकर्ताओं द्वारा अंशदान का स्व:निर्धारण ;

(घ) गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकार की समाप्ति की शर्तें ;

(ङ) इस धारा के अधीन अधिसूचित सामाजिक सुरक्षा स्कीम के सहज कार्यकरण से संबंधित कोई अन्य विषय,

वे होंगे, जो सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(ii) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे शर्तों, जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपधारा (4) को अधीन अंशदान का संदाय करने से ऐसे संकलनकर्ता या संकलनकर्ताओं के प्रवर्ग के अधिसूचना द्वारा छूट प्रदान कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसा संकलनकर्ता, जिसका एक से अधिक कारबार है, को पृथक् कारबार अस्तित्व या संकलनकर्ता समझा जाएगा ।

अध्याय 10

वित्त और लेखा

लेखा ।

115. प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संगठन अपने आय और व्यय का ऐसे रूप में और ऐसी रीति में, जो भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श के पश्चात्, समुचित सरकार विनिर्दिष्ट करे, उचित लेखा रखेगा ।

संवीक्षा ।

116. (1) प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संगठन के लेखे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वार्षिक रूप से संविक्षित किए जाएंगे और ऐसी संवीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को संबंधित सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा देय होगा ।

(2) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन के लेखे की संवीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संवीक्षा के संबंध में वही प्राधिकार, अधिकार और विशेषाधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सरकार के लेखों की संवीक्षा के संबंध में होते हैं और विशेष रूप से पुस्तकों, खातों, उससे संबंधित वाउचरों, दस्तावेजों और कागजों को प्रस्तुत करने और मांग करने का अधिकार होगा और सामाजिक सुरक्षा संगठन के किसी कार्यालय को निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(3) किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन के लेखे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा या उसकी ओर से इसके लिए नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित उसपर संवीक्षा रिपोर्ट के साथ सामाजिक सुरक्षा संगठन को अग्रेषित की जाएगी जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की संवीक्षा रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियों के साथ समुचित सरकार को भेजेगा ।

बजट प्राक्कलन ।

117. (1) प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संगठन प्रत्येक वर्ष संभाव्य प्राप्ति और व्यय दर्शित करने वाला एक बजट बनाएगा जिसे वह आगामी वर्ष के दौरान उपगत करने का प्रस्ताव करता है और बजट की एक प्रति ऐसी तारीख के पूर्व जो इसके लिए नियत की जाए समुचित सरकार के अनुमोदन के लिए भेजेगा ।

(2) बजट में ऐसे पर्याप्त उपबंध होंगे जो समुचित सरकार की राय में सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए और कार्यरत अतिशेष के रखरखाव के लिए पर्याप्त हो ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

118. (1) प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संगठन समुचित सरकार को अपने कार्यों और क्रियाकलापों की, सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा अंतिम रूप से अंगीकृत बजट के साथ, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(2) समुचित सरकार वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति , बजट और संवीक्षित लेखा रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ तथा उस पर संबंधित सामाजिक सुरक्षा संगठन की टिप्पणियों के साथ यथास्थिति, संसद् या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगा ।

आस्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन ।

119. इस संहिता के अधीन किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन या किसी स्थापन द्वारा रखी जाने वाली प्रत्येक निधि का सामाजिक सुरक्षा संगठन या स्थापन द्वारा समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त, यथास्थिति, किसी मूल्यांकक या बीमांकक द्वारा, उसकी आस्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन, निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) केन्द्रीय बोर्ड की दशा में, वार्षिक ;

(ख) निगम की दशा में, प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार ;

(ग) किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा संगठन या स्थापन की दशा में ;

समुचित सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रूप में, आदेश द्वारा :

परंतु समुचित सरकार, यदि यह समीचीन समझे, इस धारा में उपबंधित से अन्यथा ऐसे अंतरालों पर ऐसा मूल्यांकन किए जाने का निदेश कर सकेगी ।

सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा संपत्ति आदि धृत करना ।

120. (1) कोई सामाजिक सुरक्षा संगठन, निगम के सिवाय ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएं संपत्तिअर्जित और धृत जंगम और स्थावर संपत्ति दोनों का, विक्रय या जंगम या स्थावर संपत्तिका अन्यथा अंतरण जो उसमें निहित हो गई है या इसके द्वारा अर्जित की गई है और ऐसे प्रयोजन के लिए सभी कृत्यों जो आवश्यक है करेगा और ऐसे प्रयोजन के लिए जिसके लिए उक्त सामाजिक सुरक्षा संगठन स्थापित किया गया है, करेगा ।

(2) ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएं कोई सामाजिक सुरक्षा संगठन उसमें निहित किसी धन जिसकी व्ययों के लिए तुरंत अदा करने के लिए आवश्यकता नहीं है का समय-समय पर विनिधान कर सकेगा या ऐसे विनिधानों को वसूल कर सकेगा :

परंतु भविष्य निधि की दशा में, पेंशन निधि या बीमा निधि, ऐसा विनिधान, पुनर्विधान या वसूली, यथास्थिति, भविष्य निधि स्कीम या पेंशन स्कीम या बीमा स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संगठन, निगम के सिवाय समुचित सरकार की पूर्व मंजूरी से और ऐसे निबंधनों पर, जो ऐसी सरकार द्वारा विहित की जाएं, उधार ले सकेगा और ऐसे उधार को वापस देने के उपाय कर सकेगा ।

(4) प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संगठन, निगम के सिवाय समुचित सरकार की पूर्व मंजूरी से और ऐसे निबंधनों पर जो ऐसी सरकार द्वारा विहित की जाए अपने अधिकारियों और कर्मचारिवृंद या उनके किसी वर्ग के लिए ऐसा भविष्य निधि या अन्य फायदा निधि जो वह ठीक समझे, का गठन कर सकेगा :

परंतु केंद्रीय बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की दशा में, ऐसे निबंधन भविष्य निधि स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

हानियों का बट्टे खाते में जाना ।

121. ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएं, जहां किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन की यह राय है कि अभिदाय, उपकर, ब्याज या नुकसानी जो इसे देय है, की रकम इस संहिता के अधीन वसूल न किए जाने योग्य हों, संबद्ध सामाजिक सुरक्षा संगठन उक्त रकम का ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, बट्टे खाते में जाना मंजूर कर सकेगा :

परंतु भविष्य निधि, पेंशन निधि या बीमा निधि की दशा में, ऐसा अपलिखित किया जाना, यथास्थिति, भविष्य निधि स्कीम या पेंशन स्कीम या बीमा स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

अध्याय 11

प्राधिकारी, निर्धारण, अनुपालन और वसूली

निरीक्षक-सह-सुकरकर्ताओं की नियुक्ति और उनकी शक्तियां ।

122. (1) केंद्रीय सरकार, अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा उन अध्यायों से संबंधित इस संहिता के अन्य उपबंधों के प्रयोजनों के लिए और समुचित सरकार इस संहिता के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा निरीक्षक-सह-सुकरकर्ताओं की नियुक्ति कर सकेगी, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट निरीक्षण स्कीम के अनुसरण उपधारा (6) के अधीन इस संहिता के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

(2) केंद्रीय सरकार, अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा उन अध्यायों से संबंधित इस संहिता के अन्य उपबंधों के प्रयोजनों के लिए और समुचित सरकार इस संहिता के उपबंधों के संबंध में अधिसूचना द्वारा एक निरीक्षण स्कीम अधिकथित कर सकेगी, जो वेब आधारित निरीक्षण का सृजन करने का और इस संहिता के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप से निरीक्षण से संबंधित सूचना मंगाने का उपबंध कर सकेगी और ऐसी स्कीम में, अन्य बातों के साथ, निरीक्षणों को प्रदान करने के लिए विशेष परिस्थितियों के लिए और स्थापन या किसी अन्य व्यक्ति से सूचना की मांग करने के उपबंध होंगे ।

(3) केंद्रीय सरकार, उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा उन अध्यायों से संबंधित इस संहिता के अन्य उपबंधों के प्रयोजनों के लिए और समुचित सरकार इस संहिता के उपबंधों के संबंध में अधिसूचना द्वारा इस संहिता के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक-सह-सुकरकर्ताओं को यादृच्छिक रूप से निरीक्षण का चयन करने के लिए ऐसी अधिकारिता प्रदत्त कर सकेगी, जो ऐसी

अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(4) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या समुचित सरकार की इस धारा के अधीन शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निरीक्षण स्कीम को, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित कारकों को गणना में लेने के लिए डिजाइन किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) केंद्रीय सरकार, प्रत्येक स्थापन (जो उस स्थापन को आबंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या के समान होगा), प्रत्येक निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता और प्रत्येक निरीक्षण को विशिष्ट संख्या ऐसी रीति में अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा उन अध्यायों से संबंधित इस संहिता के अन्य उपबंधों के प्रयोजनों के लिए और समुचित सरकार इस संहिता के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए प्रदान करेगी ;

(ख) केंद्रीय सरकार, अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा उन अध्यायों से संबंधित इस संहिता के अन्य उपबंधों के प्रयोजनों के लिए और समुचित सरकार इस संहिता के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए और इस संहिता के अन्य उपबंधों की बाबत समुचित सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति में निरीक्षण रिपोर्टों को समय पर अपलोड करेगी ;

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा उन अध्यायों से संबंधित इस संहिता के अन्य उपबंधों के प्रयोजनों के लिए और समुचित सरकार द्वारा इस संहिता के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए ऐसे पैरामीटरों के आधार पर, जो अधिसूचित किए जाएं, विशेष निरीक्षण का उपबंध करेगी ; और

(घ) केंद्रीय सरकार, अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा उन अध्यायों से संबंधित इस संहिता के अन्य उपबंधों के प्रयोजनों के लिए और इस संहिता के अन्य उपबंधों की बाबत समुचित सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे पैरामीटरों के आधार पर नियोजन संबंधों की विशेषताएं, कार्य की प्रकृति और कार्य स्थान की विशेषताएं ।

(5) निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता, समय-समय पर समुचित सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन रहते हुए--

(क) इस संहिता के उपबंधों की अनुपालना के संबंध में नियोक्ताओं और कर्मचारियों को सलाह दे सकेगा ; और

(ख) इस संहिता के उपबंधों के अधीन उसे सौंपे गए स्थापनों का निरीक्षण कर सकेगा ।

(6) निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता, उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,--

(क) किसी ऐसे व्यक्ति की जांच कर सकेगा, जो किसी स्थापन के परिसर में पाया जाता है, जिसके संबंध में निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह स्थापन का कोई कर्मचारी है ;

(ख) किसी व्यक्ति से, जिसके बारे में निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह स्थापन का कोई कर्मचारी है, जो उन प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन से संबंधित, जिसके लिए निरीक्षण किया गया है, उसकी शक्ति में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने या कोई ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा

कर सकेगा ;

(ग) ऐसे रजिस्टर, मजदूरी के अभिलेख या सूचना या उसके भागों की तलाशी, अभिग्रहण या उनकी प्रतियां ले सकेगा, जैसा कि निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता इस संहिता के अधीन किसी अपराध के संबंध में सुसंगत समझे और जिसके संबंध में निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह किसी नियोक्ता द्वारा किया गया है ;

(घ) समुचित सरकार की जानकारी में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन न आने वाली त्रुटियों या दुरुपयोग को लाना ; और

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(7) कोई व्यक्ति, से जिससे उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता द्वारा किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या किसी सूचना की अपेक्षा की गई है, वह व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 175 और धारा 176 के अर्थांतर्गत ऐसा करने के लिए विधिपूर्वक आबद्ध समझा जाएगा । 1860 का 45

(8) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध लिए, जहां तक वह उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं, वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी किसी अधिदेश के प्राधिकार के अधीन तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे । 1974 का 2

अभिलेख, रजिस्टर, विवरणी आदि का रखा जाना ।

123. किसी स्थापन का नियोक्ता—

(क) समुचित सरकार द्वारा विहित प्ररूप में इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा अभिलेखों और रजिस्टरों को रखेगा, जिनमें नियोजित व्यक्तियों, मस्टर रोल, मजदूरी के संबंध में ऐसी विशिष्टियां और ब्यौरे तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां और ब्यौरे ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, होंगे, जिसके अंतर्गत—

(i) कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य दिवसों की संख्या ;

(ii) कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य के घंटे ;

(iii) संदत्त मजदूरी ;

(iv) छुट्टी, छुट्टी मजदूरी, समयोपरि कार्य के लिए मजदूरी और उपस्थिति ;

(v) कर्मचारियों की पहचान संख्या, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो ;

(vi) खतरनाक घटनाओं, दुर्घटनाओं, क्षतियों की संख्या, जिनके संबंध में नियोक्ता द्वारा प्रतिकर का संदाय किया गया है तथा क्रमश: अध्याय 4 और अध्याय 7 से संबंधित ऐसे प्रतिकर की रकम ;

(vii) अध्याय 3 और अध्याय 4 के संबंध में किसी कर्मचारी की मजदूरी में से नियोक्ता द्वारा की गई कानूनी कटौतियां ;

(viii) भवन और अन्य संनिर्माण कार्य के संबंध में संदत्त उपकर के

ब्यौरे ;

(ix) विनिर्दिष्ट दिन को कर्मचारियों (नियमित, ठेके पर या नियत अवधि नियोजन) की संख्या ;

(x) किसी विशिष्ट अवधि के दौरान भर्ती किए गए व्यक्ति ;

(xi) कर्मचारियों की उपजीविका ब्यौरे ; और

(xii) रिक्तियां, जिनके लिए विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे ।

(ख) कर्मचारियों के कार्य स्थल पर सूचनाएं ऐसी रीति में और ऐसे प्ररूप में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएं प्रदर्शित करेगा ।

(ग) कर्मचारियों को इलैक्ट्रानिक रूप में या अन्यथा मजदूरी पर्चियां जारी करना ; और

(घ) ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के लिए, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, इलैक्ट्रानिक रूप में या अन्यथा विवरणी फाइल करना :

परंतु अध्याय 3 से संबंधित इस धारा के अधीन बनाए जाने के लिए अपेक्षित नियमों के अधीन उपबंधित किए जाने वाले विषयों का केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया जाने वाले नियमों में उनका उपबंध करने के बजाए, यथास्थिति, भविष्य निधि स्कीम या पेंशन स्कीम या बीमा स्कीम के उपबंध किया जाएगा :

परंतु यह और कि अभिलेखों और रजिस्टरों के प्ररूप और अध्याय 4 के अधीन फाइल की जाने वाली विवरणियों के प्ररूप का इन नियमों में उनका उपबंध करने की बजाए विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

नियोक्ता द्वारा मजदूरी आदि में कटौती आदि न किया जाना ।

124. किसी स्थापन के संबंध में कोई नियोक्ता, जिसको यह संहिता या उसके तदधीन विरचित कोई स्कीम लागू होती है, इस संहिता के अधीन किसी अंशदान का संदाय करने के लिए केवल उसके दायित्व के कारण या उसके अधीन किसी प्रभार के कारण चाहे प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी ऐसे कर्मचारी की मजदूरी या ऐसे फायदों की मात्रा कुल में, जिसका ऐसा कर्मचारी अपने नियोजन के निबंधनों के अधीन अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से हकदार है, में कटौती नहीं करेगा, जिसको इस संहिता या उसके तदधीन विरचित किसी स्कीम के उपबंध लागू होते हैं ।

नियोक्ता से शोध्यों का निर्धारण और अवधारण ।

125. (1) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, केंद्रीय बोर्ड या निगम के, उस सरकार के समूह 'क'की पंक्ति से अन्यून ऐसे अधिकारियों को, यथास्थिति, अध्याय 3 या अध्याय 4 के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में कृत्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो आदेश द्वारा—

(क) ऐसे मामले में, जहां, यथास्थिति, अध्याय 3 या अध्याय 4 के किसी स्थापन को लागू होने के संबंध में कोई विवाद उदभूत होता है, ऐसे विवाद का विनिश्चय करेगा ; और

(ख) यथास्थिति, अध्याय 3 या अध्याय 4 या ऐसे अध्याय के अधीन बनाई गई स्कीम या नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन किसी नियोक्ता से शोध्य

रकम का अवधारण करेगा ; और

(ग) खंड (क) और खंड (ख) से संबंधित किसी भी प्रयोजन के लिए ऐसी जांच करेगा, जो वह ऐसे प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही उस तारीख से पांच वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् आरंभ नहीं की जाएगी, जिसको, यथास्थिति, खंड (क) में निर्दिष्ट विवाद या खंड (ख) में निर्दिष्ट रकम के किसी नियोक्ता से शोध्य होने का कथन किया गया है ।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यावत साध्य, उपधारा (1) के अधीन जांच दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि जांच को दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाए : 1908 का 5

परंतु जहां जांच दो वर्ष की उक्त अवधि के भीतर समाप्त नहीं की जाती है, ऐसी जांच संचालित करने वाला प्राधिकृत अधिकारी ऐसा न करने की परिस्थितियों और कारणों को अभिलिखित करेगा और इस प्रकार अभिलिखित परिस्थितियों और कारणों को, यथास्थिति, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम के महानिदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और कि, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई परिस्थितियों और कारणों पर विचार करने के पश्चात् उक्त जांच को समाप्त करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए विस्तार अनुदत्त कर सकेगा :

परंतु यह भी कि इस संहिता के प्रारंभ होने की तारीख से ठीक पूर्व लंबित जांच प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर पूरी की जाएंगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन जांच संचालित करने वाले प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी जांच के प्रयोजनों के लिए वहीं शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद का विचारण करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित होती है, अर्थात् :— 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ; और

(घ) किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना,

और ऐसी जांच को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 तथा धारा 196 के अर्थांतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा । 1860 का 45

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश सिवाए संबंधित कर्मचारी को उसके मामले में अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।

(5) जब किसी नियोक्ता, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति से उपधारा (1) के अधीन

जांच में उपस्थित होने लेने की अपेक्षा की जाती है, वह बिना किसी वैध कारण से ऐसी जांच में भाग लेने में असफल रहता है या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या किसी रिपोर्ट या विवरणी को फाइल करने में जांच करने वाले प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए कहने पर असफल रहता है, तब ऐसा जांच अधिकारी इस संहिता के सुसंगत उपबंधों के लागू होने का विनिश्चय करेगा या यथास्थिति, किसी कर्मचारी से शोध्य रकम का ऐसी जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों के आधार पर अवधारण करेगा ।

(6) जब किसी नियोक्ता के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित किया जाता है, वह ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन करेगा और यदि प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि हेतुक दर्शित करने वाले नोटिस की सम्यकत: तामील नहीं की गई थी या ऐसा नियोक्ता पर्याप्त कारणों से जांच किए जाने के समय उपस्थित होने से निवारित हुआ था, तब प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्व के आदेश को अपास्त करने का आदेश करेगा और जांच के साथ अग्रसर होने के लिए एक तारीख नियत करेगा :

परंतु ऐसा कोई आदेश केवल इस आधार पर अपास्त नहीं किया जाएगा कि हेतुक दर्शित करने वाले नोटिस की तामील में कोई अनियमितता है यदि प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि नियोक्ता को सुनवाई की तारीख की सूचना प्राप्त हो गई थी और उसके पास प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का पर्याप्त समय था ।

स्पष्टीकरण—जहां इस संहिता के अधीन एकपक्षीय रूप से किए गए किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील की जाती है और ऐसी अपील का अपीलार्थी द्वारा अपील को वापस लेने के आधार से भिन्न किसी आधार पर निपटान किया जाता है, एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए इस उपधारा के अधीन कोई आवेदन नहीं होगा ।

(7) इस धारा के अधीन कोई आदेश उपधारा (6) के अधीन किसी आवेदन पर तब तक अपास्त नहीं किया जाएगा, जब तक विपक्षी पक्षकार को उसकी सूचना की तामील नहीं कर दी जाती है ।

अध्याय 4 से संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील ।

126. यदि कोई नियोक्ता धारा 125 में निर्दिष्ट आदेश से संतुष्ट नहीं है वह अध्याय 4 से संबंधित है तो वह निगम के संयुक्त निदेशक से अनिम्न पंक्ति के अपील प्राधिकारी, जिसका विनियमों द्वारा उपबंध किया जाए, वह ऐसा आदेश किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर इस प्रकार आदेश किए गए अभिदाय का पच्चीस प्रतिशत जमा करने पर या अपने स्वयं की संगणना के अनुसार, जो भी अधिक हो, निगम के पास जमा करके अपील कर सकेगा :

परंतु अपील प्राधिकारी, अपील का विनिश्चय अपील करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर करेगा :

परंतु यह और कि यदि नियोक्ता की अंतिम रूप से अपील सफल होती है तो निगम ऐसे जमा को नियोक्ता को ऐसे ब्याज सहित, जो विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए, वापस लौटाएगा ।

शोध्य रकम पर ब्याज ।

127. सिवाय वहां जहां इस संहिता में अभिव्यक्त रूप में अन्यथा उपबंधित है, नियोक्ता उस तारीख से, जिसको कोई रकम इस संहिता के अधीन शोध्य होती है, उसके वास्तविक संदाय की तारीख तक केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ऐसी दर पर साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

नुकसानी वसूल करने की शक्ति ।

128. जब कोई नियोक्ता किसी अभिदाय का संदाय करने में व्यतिक्रम करता है, जिसका संदाय करने के लिए वह, यथास्थिति, अध्याय 3 या अध्याय 4 या तदधीन विरचित किसी स्कीम के उपबंधों के अनुसार या अध्याय 3 के अधीन संचयन का अंतरण करने या इस संहिता के किसी अन्य उपबंध के अधीन किन्हीं प्रभारों का संदाय करने का दायी है, यथास्थिति, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसा कोई अन्य अधिकारी, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया जाए, नियोक्ता पर उदग्रहण कर सकेगा और नियोक्ता से नुकसानी के के रूप में बकाया की रकम से अनधिक रकम ऐसी रीति में, जो अध्याय 4 के प्रयोजनों के लिए विनियमों में और भविष्य निधि स्कीम, पेंशन स्कीम तथा बीमा स्कीम के संबंध में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसा उद्ग्रहण और वसूली, ऐसी रीति में की जाएगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई गई संबंधित स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, :

परंतु ऐसी नुकसानी उदग्रहीत और वसूल करने से पूर्व नियोक्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा :

परंतु यह और कि, यथास्थिति, केंद्रीय बोर्ड या निगम किसी स्थापन के संबंध में इस धारा के अधीन उदगृहीत नुकसानी को कम कर सकेगा या अधित्यजन कर सकेगा, जिसके लिए ऐसे अधित्यजन की सिफारिश करते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए किसी संकल्प योजना या पुनर्संदाय योजना का दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन स्थापित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किया गया है । 2016 का 31

शोध्य रकम की वसूली ।

129. (1) किसी स्थापन के संबंध में किसी नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति से शोध्य कोई रकम, जिसके अंतर्गत कोई अभिदाय या संदेय उपकर, प्रभार, ब्याज, नुकसानी या कोई फायदा या कोई अन्य रकम है, यदि रकम बकाया की है, को धारा 130 से धारा 132 में विनिर्दिष्ट रीति में वसूला जाएगा ।

शोध्य रकम की वसूली ।

(2) जहां इस संहिता के अधीन कोई रकम बकाया है, यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी उपधारा (4) में निर्दिष्ट वसूली अधिकारी को इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा बकाया की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और वसूली अधिकारी ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर उसमें विनिर्दिष्ट रकम को, यथास्थिति, स्थापन या नियोक्ता से नीचे दिए गए एक या अधिक तरीकों से वसूल करने के लिए अग्रसर होगा, अर्थात् :—

(क) यथास्थिति, स्थापन या नियोक्ता की जंगम या स्थावर संपत्तिकी कुर्की और विक्रय ;

(ख) नियोक्ता की गिरफ्तारी और कारागार में उसको निरुद्ध रखना ;

(ग) व्यतिक्रमी की जंगम या स्थावर संपत्तियों का प्रबंध करने के लिए किसी

रिसीवर की नियुक्ति :

परंतु इस धारा के अधीन किसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय सबसे पहले स्थापन की संपत्तियों का किया जाएगा और जहां प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट संपूर्ण रकम या बकाया रकम की वसूली करने के लिए ऐसी कुर्की और विक्रय पर्याप्त नहीं है, वसूली अधिकारी ऐसे संपूर्ण बकाया या उसके किसी भाग की वसूली के लिए नियोक्ता की संपत्तिके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही आरंभ कर सकेगा ।

(3) यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी किसी अन्य विधि द्वारा बकाया की वसूली के लिए की गई कार्यवाहियों के होते हुए भी उपधारा (2) के अधीन प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा ।

(4) यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी इस धारा के अधीन जारी प्रमाणपत्र को उस वसूली अधिकारी को अग्रेषित कर सकेगा, जिसकी अधिकारिता के अधीन नियोक्ता--

(क) अपना कारबार या वृत्ति चलाता है या जिसकी अधिकारिता के अधीन उसके स्थापन का प्रधान स्थान स्थित है ; या

(ख) निवास करता है या स्थापन या नियोक्ता की जंगम या स्थावर संपत्तिस्थित है ।

(5) जहां स्थापन या नियोक्ता की एक या अधिक वसूली अधिकारियों की अधिकारिता में संपत्तिहै और वसूली अधिकारी, जिसे, यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र भेजा गया है,--

(क) उसकी अधिकारिता के भीतर जंगम या स्थावर संपत्तिके विक्रय से संपूर्ण रकम को वसूल करने में समर्थ नहीं होता है, या

(ख) उसकी यह राय है कि संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग की वसूली में शीघ्रता करने या वसूल करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना समीचीन है,

तो वह प्रमाणपत्र को भेज सकेगा या जहां रकम के किसी एक भाग की ही वसूली की जानी है, प्रमाणपत्र की एक प्रति को स्वयं द्वारा प्रमाणित करते हुए वसूली अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता के भीतर स्थापन है या नियोक्ता की संपत्तिहै या नियोक्ता निवास करता है, वसूल की जाने वाली रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए भेज सकेगा और तत्पश्चात् वसूली अधिकारी इस धारा के अधीन शोध्य रकम को वसूल करने के लिए ऐसे अग्रसर होगा मानो प्रमाणपत्र या उसकी प्रति, यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे भेजा गया प्रमाणपत्र था ।

प्रमाण पत्र की वैधता और उसका संशोधन।

130. (1) यथास्थिति, जब प्राधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी धारा 129 के अधीन किसी वसूली अधिकारी को प्रमाण पत्र जारी करता है, तो नियोक्ता के पास वसूली अधिकारी के समक्ष रकम के सही होने के संबंध में कोई विवाद करने का विकल्प नहीं होगा और वसूली अधिकारी द्वारा किसी अन्य आधार पर प्रमाण पत्र के संबंध में कोई आक्षेप ग्रहण किया जाएगा ।

(2) किसी वसूली अधिकारी को किसी प्रमाणपत्र के जारी होते हुए भी, यथास्थिति प्राधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी के पास प्रमाण पत्र को वापस लेने की या प्रमाण

पत्र में किसी लिपिकीय या गणितीय भूल का वसूली अधिकारी को सूचना भेजकर सुधार करने की शक्ति होगी ।

(3) यथास्थिति प्राधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी वसूली अधिकारी को उपधारा (2) के उक्त प्रमाण के संबंध में उसके द्वारा किए गए वापस लेने के आदेश या प्रमाण पत्र को रद्द करने के आदेश या उसके द्वारा कि गई किन्हीं शुद्धियो से वसूली अधिकारी को संसूचित करेगा ।

(4) इस बात के होते हुए भी किसी रकम की वसूली के लिए वसूली अधिकारी को कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया है, यथास्थिति प्राधिकृत प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी प्रमाण के अधीन वसूलीनीय रकम का संदाय करने के लिए नियोजता को समय अनुदत्त कर सकेगा और तत्पश्चात् वसूली अधिकारी इस प्रकार अनुदत्त समय के अवसान तक कार्यवाहियों को रोक देगा ।

(5) जब रकम की वूसली के लिए कोई प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, यथास्थिति प्राधिकृत प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी वसूली अधिकारी को ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात् संदत्त किसी रकम या संदाय करने के लिए अनुदत्त समय से संसूचित रखेगा ।

(6) जब किसी रकम की मांग करते हुए कोई आदेश जारी किया गया है, जिसके लिए धारा 129 के अधीन वसूली के लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसका इस संहिता के अधीन किसी अपील या अन्य कार्यवाही में जिसे उपातंरित कर दिया गया है जिसका परिमाण मांग में कटौती के रूप में हुआ है, किंतु आदेश इस संहिता के अधीन और कार्यवाही की विषय वस्तु है, यथास्थिति प्राधिकृत प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी प्रमाण पत्र की रकम के ऐसे भाग की वसूली पर रोक लगाएगा जो उक्त कटौती से संबंधी उस अवधि के लिए है जिस के लिए अन्य कार्यवाही लंबित रहती है ।

(7) जहां रकम की वसूली के लिए कोई प्रमाणपपत्र जारी किया जाता है पश्चातवर्ती रूप बकाया मांग की रकम को इस संहिता के अधीन किसी अपील या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरुप कम कर दिया जाता है तो, यथास्थिति, प्राधिकृत प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी, जब आदेश किसी अपील या अन्य कार्यवाही की विषय-वस्तु है, के अंतिम और निश्चायक हो जाने पर, ऐसे अंतिम हो जाने या निश्चायक हो जाने के अनुसार, यथास्थिति, प्रमाण पत्र को संशोधित करेगा या वापस लेगा ।

वसूली के अन्य ढंग ।

131. (1) धारा 129 के अधीन वसूली अधिकारी को किसी प्रमाण पत्र का जारी किया जाना होते हुए भी यथास्थिति केंद्रीय भविष्य नीति आयुत या निगम का निदेशक या ऐसे समाजिक सुरक्षा संगठन का इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस धारा में उपबंधित एक या अधिक ढंग से रकम की वसूली कर सकेगा ।

(2) यदि किसी व्यक्ति से किसी नियोक्ता को कोई रकम शोध्य है जो बकाया की है, यथास्थिति केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार शोध्य बकाया की रकम की कटौती करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा तथा इस प्रकार कटौती की गई राशि को यथास्थिति, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के खाते में जमा करेगा :

1908 का 5

परंतु इस धारा की कोई बात सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60 के अधीन किसी सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त रकम के किसी भाग को लागू नहीं होगी ।

(3) (क) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी किसी भी समय या समय-समय पर लिखित सूचना द्वारा किसी व्यक्ति से जिससे यथास्थिति, धनराशि शोध्य है या किसी नियोक्ता को शोध्य हो जाएगी या ,कोई व्यक्ति जो यथास्थिति, नियोक्ता के लिए धनराशि धारण करता है या पश्चातवर्ती रूप से धारण करेगा स्थापन केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी या तो तुरंत धनराशि को शोध्य हो जाने पर या धृत किए जाने पर या सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर (धनराशि को शोध्य हो जाने पर या धृत किए जाने से पूर्व नहीं) उतनी धनराशि को जो बकाया के संबंध में नियोक्ता से रकम का संदाय करने के लिए पर्याप्त हो या संपूर्ण धनराशि को जब वह उस रकम के समतुल्य हो या कम हो का संदाय करेगा ।

(ख) इस उपधारा के अधीन कोई सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जा सकेगी जो अपने नियोक्ता के निमित्त संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी धनराशि को धृत करता है या पश्चातवर्ती रूप से धृत करेगा और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसी रकम में संयुक्त धारकों के भाग को तब तक धृत रख सकेगा जब तक समतुल्य होने के लिए प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है ।

(ग) सूचना की एक प्रति नियोक्ता के अंतिम ज्ञात पते पर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी द्वारा इस निमित्त अग्रेषित की जाएगी और संयुक्त खाते की दशा में सभी संयुक्त धारकों को उनके अंतिम ज्ञात पते पर अग्रेषित की जाएगी ।

(घ) इस उपधारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस उपधारा के अधीन कोई सूचना जारी की गई है ऐसी सूचना का अनुपालन करने के लिए आबद्धकर होगा और विशिष्टतया जब ऐसी सूचना किसी डाकघर, बैंक या किसी बीमाकर्ता को जारी की जाती है तो किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या सदृश का संदाय करने से पूर्व करने के लिए किसी पासबुक, जमापर्ची, पालिसी या किसी अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए इस बात के होते हुए भी कि तत्प्रतिकूल कोई नियम, पद्धति या अपेक्षा है, अपेक्षा नहीं होगी ।

(ङ) किसी संपत्तिके संबंध में कोई दावा जिसके लिए इस उपधारा के अधीन कोई सूचना जारी की गई है सूचना की तारीख के पश्चात् उद्भूत होता है, तो वह उस सूचना में अंतर्विष्ट किसी मांग के प्रति शून्य होगा ।

(च) जब कोई व्यक्ति जिसे इस उपधारा के अधीन कोई सूचना जारी की गई है उसके प्रति शपथ-पत्र पर विवरण द्वारा आक्षेप भेजता है कि मांग की गई धनराशि या उसका कोई भाग नियोक्ता से शोध्य नहीं है या उसके पास नियोक्ता के निमित्त या उसके लिए किसी खाते में कोई धनराशि नहीं है तब इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे व्यक्ति से यथास्थिति ऐसी राशि या उसके किसी भाग की मांग करने वाली नहीं समझी जाएगी,

किंतु यदि यह पता चलता है कि ऐसा कथन किसी तात्विक विशिष्टता में मिथ्या था तो ऐसा व्यक्ति केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के प्रति उसके सूचना की तारीख को इस संहिता के अधीन नियोक्ता के प्रति स्वयं के उत्तरदायित्व तक या नियोक्ता के उत्तरदायित्व तक शोध्य किसी धनराशि इनमें से जो भी कम हो, के परिमाण तक उत्तरदायी होगा ।

(छ) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी किसी भी समय या समय-समय पर इस उपधारा के अधीन जारी किसी सूचना का संशोधन कर सकेगा या प्रतिसंहरण कर सकेगा या ऐसी सूचना के अनुसरण में संदाय करने के लिए किसी समय सीमा का विस्तार कर सकेगा ।

(ज) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस उपधारा के अधीन जारी किसी सूचना की अनुपालना में संदत्त किसी रकम की रसीद अनुदत्त करेगा और इस प्रकार संदाय करने वाला व्यक्ति इस प्रकार संदत्त रकम की सीमा तक नियोक्ता के प्रति अपने उत्तरदायित्व से पूर्णतया निर्मुक्त हो जाएगा ।

(झ) इस उपधारा के अधीन किसी सूचना की प्राप्ति के पश्चात् नियोक्ता के प्रति किसी उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाला व्यक्ति केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी के प्रति इस निमित्त व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार निर्मोचित स्वयं के नियोक्ता के प्रति उत्तरदायित्व से इस संहिता के अधीन किसी धनराशि के लिए नियोक्ता के उत्तरदायित्व तक इनमे से जो भी कम हो तक, स्वयं के उत्तरदायित्व से निर्मुक्त होगा ।

(ञ) यदि कोई व्यक्ति जिसे इस उपधारा के अधीन कोई सूचना भेजी जाती है उसके अनुसरण में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को संदाय करने में असफल रहता है तो उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में नियोक्ता का व्यतिक्रमी समझा जाएगा और रकम की वसूली करने के संबंध में उसके विरुद्ध धारा 129 से धारा 132 में उपबंधित रीति में ऐसी और कार्रवाई की जा सकेगी मानो कि वह उससे बकाया रकम थी और सूचना का वही प्रभाव होगा जो वसूली अधिकारी द्वारा धारा 129 के अधीन उसकी शास्तियों के निर्वहन में बकाया रकम की कुर्की का होता है ।

(4) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उस न्यायालय को आवेदन कर सकेगा जिसकी अभिरक्षा में नियोक्ता से संबंधित संपूर्ण धनराशि उसे संदाय के लिए है, या यदि यह रकम शोध्य रकम से अधिक है शोध्य रकम का निर्मोचन करने के लिए किसी पर्याप्त रकम के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(5) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी यदि जिसे केन्द्रीय

सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया है, यथास्थिति किसी नियोक्ता से या किसी स्थापन से आयकर अधिनियम, 1961 की तीसरी अनुसूची में यथाकथित रीति में करस्थम और उसकी या उनकी जंगम संपत्तिका विक्रय द्वारा बकाया की रकम की वसूली कर सकेगा ।

1961 का 43

आयकर अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना ।

132. आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची तथा आयकर (प्रमाण पत्र कार्यवाहियां) नियम, 1962 के उपबंध समय-समय पर यथा प्रवृत्त आवश्यक उपांतरणों सहित लागू होंगे मानों इस संहिता की धारा 129 में वर्णित बकाया की रकम उक्त उपबंधों और नियमों में निर्दिष्ट आयकर की रकम है :

1961 का 43

परंतु उक्त उपबंधों और नियमों में, "निर्धारिती"के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन यथास्थिति नियोक्ता या स्थापन के प्रति निर्देश के रूप में किया जाएगा ।

अध्याय 12

अपराध और शास्तियां

अभिदाय का संदाय करने में असफलता के लिए शास्ति ।

133. यदि कोई व्यक्ति,—

(क) एक नियोक्ता होने के नाते किसी अभिदाय का संदाय करने में असफल रहता है जिसके लिए वह इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों, विनियमों या स्कीम के अधीन संदाय करने का दायी है ; या

(ख) किसी कर्मचारी की मजदूरी से नियोक्ता के संपूर्ण अभिदाय या उसके किसी भाग की कटौती करता है या कटौती करने का प्रयास करता है ; या

(ग) इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में किसी कर्मचारी की मजदूरी या किसी विशेषाधिकार या अनुज्ञेय फायदों की कटौती करता है ; या

(घ) अध्याय 4 या अध्याय 6 या इस संहिता के अधीन बनाए गए या विरचित नियमों, विनियमों या स्कीमों के उपबंधों के उल्लंघन में क्रमशः इन अध्यायों से संबंधित उपबंधों के उल्लंघन में किसी महिला को पदच्यूत करता है, पद से निर्मुक्त करता है, पद को कम करता है या अन्यथा दंडित करता है ; या

(ङ) इस संहिता या तद्धीन बनाए गए या विरचित किंही नियमों, विनियमों या स्कीमों के अधीन अपेक्षित कोई विवरणी, रिपोर्ट, कथन या कोई अन्य सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है या इंकार करता है ; या

(च) निरिक्षक-सह-सुकरकर्ता या अन्य अधिकारी या केन्द्रीय बोर्ड या निगम या अन्य सामाजिक सुरक्षा संगठन या किसी सक्षम प्राधिकारी के कर्मचारिवृंद को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाता है ; या

(छ) उपदान की किसी रकम का संदाय करने में असफल रहता है जिसके लिए कोई कर्मचारी इस संहिता के अधीन हकदार है ; या

(ज) प्रतिकर की किसी रकम का संदाय करने में असफल रहता है जिसके लिए कोई कर्मचारी इस संहिता के अधीन हकदार है ; या

(झ) मातृत्व फायदे का उपबंध करने में असफल रहता है जिसके लिए कोई

महिला इस संहिता के अधीन हकदार है ; या

(ञ) सक्षम प्राधिकारी को कोई विवरण भेजने में असफल रहता है जिसके द्वारा अध्याय 7 के अधीन भेजने की अपेक्षा है ; या

(ट) निरीक्षक सह सुकरकर्ता द्वारा मांग किए जाने पर किसी रजिस्टर या दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असफल रहता है जो उसकी अभिरक्षा में इस संहिता या तद्धीन बनाए गए या विरचित नियमों, विनियमों या स्कीम के अनुसरण में रखा गया है ; या

(ठ) भवन कर्मकारों को उपकर का संदाय करने में असफल रहता है जिसका संदाय करने में वह इस संहिता के अधीन दायी है ; या

(ड) इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए या विरचित नियमों या विनियमों या स्कीम की किसी भी अपेक्षा का जिनके संबंध में इस अध्याय के अधीन विशेष शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है के उल्लंघन या अननुपालन का दोषी है ; या

(ढ) अध्याय 8 के अधीन कार्यपालक अधिकारी को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में बाधा पहुंचाता है ; या

(ण) बेईमानीपूर्वक कोई मिथ्या विवरणी, रिपोर्ट, विवरण बनाता है या उसके अधीन कोई सूचना प्रस्तुत करता है, या

(त) जिसकी धारा 143 के अधीन दूर प्राप्त थी, के अधीन रहते हुए किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहता है या यतिक्रम करता है;

(थ) अध्याय ड के अधीन विरचित किसी स्कीम के अधीन किसी प्रशासनिक या निरीक्षण देय प्रभार को संदाय करने में असफल रहता है ।

वह निम्नलिखित से दंडनीय होगा—

(i) जब वह खंड (क) के अधीन कोई अपराध कारित करता है कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा किंतु—

(क) कर्मचारी का अभिदाय संदाय करने में जिसकी उसने कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की है का संदाय करने में असफलता की दशा में एक वर्ष से कम नहीं होगी और वह एक लाख रुपए तक के जुर्माने का भी दायी होगा ;

(ख) किसी अन्य मामले में दो मास से कम नहीं होगा लेकिन छह मास तक बढ़ाया जा सकता है और वह पचास हजार रुपए के जुर्माने का भी दायी होगा :

परंतु न्यायालय अपने निर्णय में पर्याप्त और विशेष कारणों को लेखबद्ध करते हुए कम अवधि का कारावास का दंड अधिरोपित कर सकेगा ।

(ii) जब वह खंड (छ), के अधीन कोई अपराध कारित करता है जो कारावास से एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

(iii) जब वह खंड (घ.), खंड (च), खंड (झ) या खंड (ट), खंड (ट), खण्ड (ठ) या खण्ड (ण) इनमें से किसी भी खण्ड के अधीन कोई अपराध कारित करता है तो वह कारावास से जो छह माह तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा;

(iv) जब वह खंड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (ङ), (ज), खण्ड (ञ), खण्ड (ड), खण्ड (ढ), खण्ड (त), खण्ड (थ), के अधीन कोई अपराध कारित करता है, तो वह जुर्माने से जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् कतिपय मामलों में बढ़ा हुआ दंड ।

134. जो भी किसीन्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषसिद्ध होने पर उसी अपराध को कारित करता है दूसरे या प्रत्येक पश्चात्वर्ती ऐसे अपराध के लिए कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और दो लाख रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा:

परंतु जब दूसरा या पश्चात्वर्ती अपराध नियोक्ता द्वारा किसी अभिदाय, प्रभाव, उपकर, मातृत्व फायदा, उपदान या प्रतिकर जो इस संहिता के अधीन संदाय करने के लिए वह दायी है का संदाय करने में नियोक्ता की असफलता के लिए है, वह ऐसे दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से दंडनीय होगा जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा किंतु जो दो वर्ष से कम का नहीं होगा और वह तीन लाख रुपए के जुर्माने का भी दायी होगा ।

कंपनियों द्वारा अपराध ।

135. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसानिदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी"से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या अन्य व्यष्टि-संगम भी है;और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक"सेउस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अपराधों का संज्ञान ।

136. (1) कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध का तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा उन अध्यायों से संबंधित इस संहिता के अधीन बनाए गए या विरचित नियमों, विनियमों या स्कीमों से संबंधित अपराधों के प्रयोजनों के लिए और तद्धीन उससे संबंधित बनाए गए या विरचित नियमों, विनियमों या स्कीमों के अन्य उपबंधों से संबंधित अपराधों के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित व्यथित व्यक्ति या ऐसे अधिकारी द्वारा कोई शिकायत नहीं की जाए ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस संहिता के अधीन कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा सिवाय अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा उन अध्यायों से संबंधित इस संहिता के अधीन बनाए गए या विचरचित नियमों या विनियमों या स्कीमों से संबंधित अपराधों के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित और तद्धीन उससे संबंधित बनाए गए या विरचित नियमों, विनियमों या स्कीमों के अन्य उपबंधों से संबंधित अपराधों के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्रदान न कर दी जाए ।

(3) मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से अनिम्न किसी न्यायालय में इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं होगा ।

(4) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एक से अधिक पीड़ित व्यक्तियों द्वारा उस उपखण्ड के अधीन एकल परिवाद फाइल किया जा सकता है चाहे वे न्यायालय की अधिकारिता के भीतर या भिन्न स्थानों में वही या वैसे ही अपराध कारित होने से पीड़ित हुए हों ।

अभियोजन से पहले पूर्व अवसर ।

137. इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निरीक्षक सह सुकरकर्ता या अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा इस संहिता के अधीन उन अध्यायों से संबंधित बनाए गए या विरचित नियमों, नियमों या स्कीमों से संबंधित अपराधों के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा और इस संहिता और इस संहिता के अधीन बनाए गए या विरचित नियमों, विनियमों या स्कीमों के अन्य उपबंधों से संबंधित अपराधों के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए किसी नियोक्ता के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाहियों को आरंभ करने से पूर्व नियोक्ता को पूर्वोक्त सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करने के लिए लिखित निदेश के माध्यम से एक अवसर प्रदान करेगा जिसमें ऐसी अनुपालना के लिए समयावधि अधिकथित होगी और यदि नियोक्ता ऐसी अवधि के भीतर निदेशों का अनुपालन करता है तब नियोक्ता के विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी; किंतु किसी नियोक्ता को ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा यदि उसी प्रकृति का ऐसे उपबंधों का अनुपालन उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है जिसको पहला उल्लंधन किया गया था और ऐसी दशा में अभियोजन इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार आरंभ किया जाएगा ।

1974 का 2

अपराधों का उपशमन ।

138. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अध्याय के अधीन दंडनीय कोई अपराध, जो पहली बार कारित किया जाता है,—

(i) जो केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध है या कारावास और जुर्माने से दंडनीय अपराध है, या

(ii) कारावास से दण्डनीय होगा जो कि एक वर्ष से अधिक का नहीं हो सकेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय हो,

किसी अभियोजन को प्रारंभ करने से पूर्व या पश्चात् किए गए आवेदन पर अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा इस संहिता के अधीन, उन अध्यायों से संबंधित केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए या विरचित नियमों, विनियमों या स्कीमों से संबंधित अपराधों के प्रयोजनों और इस संहिता के अन्य उपबंधों तथा समुचित सरकार द्वारा इस संहिता के अधीन उनसे संबंधित बनाए गए या विरचित नियमों, विनियमों या स्कीमों के अन्य उपबंधों से संबंधित अपराधों के प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अपराधी द्वारा समुचित सरकार को उपशमन किया जा सकेगा ; ऐसी रकम—

(i) केवल जुर्माने से दण्डनीय अपराध की दशा मे, उस अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के आधे से ;

(ii) ऐसे अपराधों की दशा में जो एक वर्ष ऐसे कारावास से दण्डनीय हो, जो एक वर्ष से अधिक न हों तथा जुर्माने से भी दण्डनीय हों, इस अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने को तीन चौथाई से दण्डनीय होगा ।

(2) इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति द्वारा अपराध कारित किए जाने की तारीख से या तत्पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के भीतर दूसरी बार कारित अपराध को लागू नहीं होगी--

(i) पूर्व में उपशमन किए गए वैसे ही अपराध को कारित करने पर ; या

(ii) वैसे ही अपराध को कारित करने पर, जिसके लिए व्यक्ति को पहली बार दोषसिद्ध किया गया था ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी किसी अपराध का उपशमन करने के लिए शक्तियों का प्रयोग अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा इस संहिता के अधीन उन अध्यायों से संबंधित बनाए गए या विरचित नियमों, विनियमों या स्कीमों से संबंधित अपराधों के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार और इस संहिता के अन्य उपबंधों तथा इस संहिता के अधीन उनसे संबंधित बनाए गए या विरचित नियमों, विनियमों या स्कीमों के अन्य उपबंधों से संबंधित अपराधों के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार के निदेशों नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए करेगा ।

(4) किसी अपराध का उपशमन करने के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में किया जाएगा, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(5) जब किसी अपराध का उपशमन किसी अभियोजन को प्रारंभ करने से पूर्व किया जाता है, अपराधी के विरुद्ध ऐसे अपराध के संबंध में, जिसकी बाबत इस प्रकार अपराध का उपशमन किया गया है, कोई अभियोजन प्रारंभ नहीं किया जाएगा ।

(6) जब किसी अपराध का उपशमन किसी अभियोजन को प्रारंभ करने के पश्चात् किया जाता है, ऐसे उपशमन को उस न्यायालय की जानकारी में उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा लिखित सूचना में लाया जाएगा, जिसमें अभियोजन लंबित है और न्यायालय

को अपराध के उपशमन की ऐसी सूचना पर व्यक्ति, जिसके विरुद्ध इस प्रकार अपराध का उपशमन किया गया है, निर्मुक्त हो जाएगा ।

(7) कोई व्यक्ति, जो उपधारा में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, ऐसे जुर्माने के अतिरिक्त अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के बीस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय करने का दायी होगा ।

अध्याय 13

नियोजन सूचना और मानीटरी

व्यवसाय केंद्रों को रिक्तियों की रिपोर्ट करना ।

139. (1) समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसी तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रत्येक स्थापन या स्थापनों के किसी वर्ग या श्रेणी का नियोक्ता, यथास्थिति, उस स्थापन या स्थापनों के ऐसे वर्ग या श्रेणी में किसी व्यवसाय में किसी रिक्ति को भरने से पूर्व ऐसे व्यवसाय केंद्रों को, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, उस रिक्ति की रिपोर्ट करेगा या रिपोर्ट करना कारित करेगा और तत्पश्चात् नियोक्ता ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा ।

(2) समुचित सरकार, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित विहित कर सकेगी, अर्थात् :—

(i) वह रीति, जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिक्तियों की इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा व्यवसाय केंद्रों को रिपोर्ट की जाएगी ;

(ii) वह प्ररूप, जिसमें ऐसी रिक्तियों की व्यवसाय केंद्रों को रिपोर्ट की जाएगी ; और

(iii) संबंधित व्यवसाय केंद्र को नियोक्ता द्वारा विवरणी फाइल करने की रीति और प्ररूप ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) की कोई बात नियोक्ता पर व्यवसाय केंद्र के माध्यम से किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी रिक्ति को भरने की बाध्यता अधिरोपित करने वाली केवल इस कारण से नहीं समझी जाएगी कि ऐसी रिक्ति की रिपोर्ट की गई है ।

(4) कार्यपालक अधिकारी किसी नियोक्ता के कब्जे में किसी अभिलेख या दस्तावेज तक पहुंच कर सकेगा, जिसकी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई सूचना या विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा है और वह युक्तियुक्त समय पर किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा, जहां उसके पास ऐसे अभिलेख या दस्तावेज होने का विश्वास है और वह अभिलेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा या प्रति ले सकेगा या अपेक्षित कोई सूचना अभिप्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रश्न पूछ सकेगा ।

इस अध्याय के लागू होने से अपवर्जन ।

140. (1) धारा 139—

(क) बागान में नियोजन से भिन्न प्राइवेट क्षेत्र में किसी स्थापन में कृषि (जिसके अंतर्गत बागान कृषि है) में किसी नियोजन में रिक्तियों के संबंध में ; या

(ख) घरेलू सेवा में किसी नियोजन में ; या

(ग) संसद् या किसी राज्य विधान मंडल के कर्मचारिवृंद के साथ संबद्ध किसी

नियोजन में, जिसकी कुल अवधि नब्बे दिन से अनधिक है ; या

(घ) स्थापनों के किसी वर्ग या श्रेणी में, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ; या

(ङ) स्थापनों के किसी वर्ग या श्रेणी में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ; और

(च) किसी स्थापन (सरकारी स्थापन से अन्यथा), बीस या ऐसी संस्था के कर्मचारियों से कम जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, और

(छ) किसी अन्य नियोजन में जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

के संबंध में लागू नहीं होगी ।

(2) जब तक केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश न दे तब तक इस अध्याय के उपबंध निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होंगे—

(क) रिक्तियां, जिनको उसी स्थापन की किसी शाखा या विभाग के अधिशिष्ट कर्मचारिवृंद की पदोन्नति या आमेलन के माध्यम से या स्वतंत्र भर्ती अभिकरणों, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग या किन्हीं अन्य अभिकरणों, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, से भरने का प्रस्ताव है ; या

(ख) किसी नियोजन में रिक्तियां, जिनका मासिक पारिश्रमिक किसी रकम से कम है, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

अध्याय 14

प्रकीर्ण

सामाजिक सुरक्षा निधि ।

141. (1) असंगठित कर्मकारों, नाव/ टमटम कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों और निधि के स्रोत के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा फंड स्थापित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होगाः-

(i) धारा 109 की उपधारा (3) के अधीन प्राप्त निधि ;

(ii) धारा 114 की उपधारा (3) के अधीन प्राप्त निधि ;

(iii) धारा केन्द्रीय सरकार से संबंधित इस संहिता के अधीन अपराधों के शामन से प्राप्त निधि और कोई अन्य केन्द्रीय श्रम विधि के अधीन स्थापित कोई अन्य सामाजिक सुरक्षा विधि ।

(2) खण्ड (i), (ii) और (iii) इनमें से प्रत्येक के अधीन उल्लिखित निधि के लिए अलग खाता स्थापित और पोषित किया जाएगा ।

(3) उपखण्ड (1) में उल्लिखित सामाजिक सुरक्षा निधि, उपखण्ड (2) के अधीन स्थापित और पोषित, प्रत्येक पृथक खाते के प्रयोजनों के लिए व्यय किया जाएगा ।

(4) सामाजिक सुरक्षा निधि को, केनद्रीय सरकार द्वारा विहित ढ़ंग से स्थापित और प्रशासित किया जाएगा ।

(5) अंसगठित कर्मकार के कल्याण के लिए राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा फंड

स्थापित करेगी, जिसमें निम्नलिखित से प्राप्त रकम जमा की जाएगी—

(i) राज्य सरकार से संबंधित इस संहिता के अधीन अपराधों के शमन से; और

(ii) ऐसे अन्य स्रोत जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए,

और निधि को ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए असंगठित कर्मकारों के कल्याण के लिए प्रशासित और खर्च की जाएगी ।

आधार का लागू होना ।

142. (1) यथास्थिति, कोई कर्मचारी या असंगठित कर्मकार या कोई अन्य व्यक्ति—

(क) किसी सदस्य या फायदाग्राही के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए ; या

(ख) किस्म या नकद में या चिकित्सा रुग्णता फायदा या पेंशन, उपदान या मातृत्व फायदा या कोई अन्य फायदा किसी निधि से रकम निकालने की ईप्सा करने के लिए ; या

(ग) कैरियर केन्द्र की सेवाओं का लाभ उठाना ; या

(घ) स्वयं बीमाकृत व्यक्ति या अपने आश्रितों के लिए कोई संदाय चिकित्सा खर्च प्राप्त करने के लिए,

इस संहिता या तदधीन बनाए गए या विरचित नियमों, विनियमों या स्कीमों के अधीन, यथास्थिति, अपनी या अपने कुटुंब के सदस्यों या आश्रितों की आधार संख्या के माध्यम से ऐसी रीति में पहचान स्थापित करेगा, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए विहित किया जाए, "आधार"पद का वही अर्थ होगा, जो उसका आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में है : 2016 का 18

परन्तु कोई विदेशी कर्मचारी आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (v) के अर्थान्तर्गत निवासी होने पर यथाशीघ्र, अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या अभिप्राप्त और प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए किसी व्यष्टि को आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार जारी किया जाएगा । 2016 का 18

स्थापन को छूट देने की शक्ति ।

143. (1) इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिनके अंतर्गत छूट प्रदान करने से पूर्व पूरी की जाने वाली पात्रता शर्तें तथा छूट प्रदान करने के पश्चात् पूरी की जाने वाली शर्तें, जैसा इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार इस निमित्त किसी स्थापन या स्थापनाओं के वर्ग (जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के नियंत्रणाधीन कारखाना या अन्य स्थापन है) या कर्मचारियों या कर्मचारियों के वर्ग को इस संहिता के किसी या सभी उपबंधों से, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, छूट प्रदान कर सकेगी और उसका ऐसी और अवधि के लिए ऐसी छूट का सदृश अधिसूचना द्वारा नवीकरण कर सकेगी :

परंतु ऐसी कोई छूट,—

(i) केंद्रीय बोर्ड के पूर्व परामर्श के बिना भविष्य निधि स्कीम, पेंशन स्कीम,

बीमा स्कीम के संबंध में ; और

(ii) निगम के पूर्व परामर्श के बिना अध्याय 4 के संबंध में,

अनुदत्त या नवीकृत नहीं की जाएगी और यथास्थिति, केंद्रीय बोर्ड या निगम ऐसा परामर्श करने पर अपने विचार को समुचित सरकार को ऐसी समय-सीमा के भीतर, जो उस सरकार द्वारा विहित की जाए, अग्रेषित करेगा :

(2) समुचित सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में उन शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनका यथास्थिति, छूट प्राप्त स्थापन या स्थापन का वर्ग या नियोक्ता या कर्मचारियों का वर्ग ऐसी छूट के पश्चात् अनुपालन करेगा ।

परंतु भविष्य निधि स्कीम, पेंशन स्कीम, बीमा स्कीम के संबंध में छूट अनुदत्त करने के प्रयोजन के लिए छूट के निर्बंधन और शर्तें ऐसा संबंधित स्कीम में विनिर्दिष्ट होगी ।

(3) यथास्थिति, किसी स्थापन या स्थापन के वर्ग या कर्मचारियों के वर्ग को उपधारा (1) के अधीन अनुदत्त छूट प्रारंभ में ऐसी अधिूसचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी और उसका समुचित सरकार द्वारा ऐसी अवधि के लिए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, तक विस्तार किया जा सकेगा ।

परंतु भविष्य निधि स्कीम, पेंशन स्कीम, बीमा स्कीम के संबंध में छूट अनुदत्त करने के प्रयोजन के लिए छूट का विस्तार ऐसी अवधि के लिए किया जा सकेगा जैसा संबंधित स्कीम में यथाविनिर्दिष्ट हो ।

(4) उपधारा (1) के अधीन अनुदत्त छूट केवल तभी अनुदत्त की जाएगी यदि इस प्रकार छूट प्राप्त स्थापन या स्थापनाओं के वर्ग या कर्मचारी या कर्मचारियों का वर्ग अन्यथा संहिता के इस प्रकार छूट दिए जाने वाले उपबंधों में उपबंधित वैसे ही फायदों या उससे बेहतर सारवान् फायदें प्राप्त कर रहे हैं ।

(5) निधि का प्रशासन, निवेश का प्रबंधन, अभिदायों के खातों का प्रबंधन, प्रत्याहरण, प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में सृजित निधि के ब्याज के प्रत्यय के प्रयोजन के लिए और कोई अन्य मामला जो किसी छूट प्राप्त स्थापन या स्थापन का वर्ग या कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग जो स्कीम में विनिर्दिष्ट हो के लिए नियोक्ता द्वरा गठित किया जाएगा । जो एक विधिक इकाई होगी जो वाद ला सकती है और जिसके लिए वाद लाया जा सकता है और न्यास के प्रबंध की शर्तें छूट के लिए शर्तों के भाग के रुप में समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएगी :

परंतु निधि का प्रशासन, निवेश का प्रबंधन, अभिदायों के खातों का प्रबंधन, प्रत्याहरण, प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में सृजित निधि के ब्याज के प्रत्यय के प्रयोजन के लिए, भविष्य निधि स्कीम, पेंशन स्कीम और बीमा स्कीम से छूट के संबंध में शर्तें संबंधित स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

(6) जहां इस धारा के अधीन किसी स्थापन, स्थापन के वर्ग, कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग को इस संहिता के किंहीं या सभी उपबंधों या अध्याय 3 के अधीन किसी स्कीम के प्रचालन से छूट प्रदान की जाती है, तो ऐसे स्थापन के संबंध में नियोजक इलेक्ट्रानिक रुप से विवरणीय नियोजित व्यक्तियों, कर्मचारियों के संबंध में अनुरक्षित लेखाओं, निधि से किए गए विनिधान के संबंध में प्रस्तुत करेगा । निरीक्षण

के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण के लिए प्रभार संदत्त करेगा जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देश किया जाए ।

(7) किसी स्थापन या स्थापनों के वर्ग से संबंधित नियोक्ता या कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग जिनके संबंध में उपधारा (1) के अधीन छूट दी गई है, यदि इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों में से कोई भी अनुपालन करने में असफल होते है, तब ऐसी असफलता पर समुचित सरकार, ऐसी अनुदत्त छूट को रद्द कर सकती है

(8) जहां उपधारा (1) के अधीन दी गई कोई छूट रद्द की जाती है वहां प्रत्येक कर्मचारी को जिसको ऐसी छूट लागू होती है उस स्थापन की जिसमें वह नियोजित है अधिशेष और आरक्षितों की कुल निधि यदि कोई है, और खाते में संचित राशि, यथास्थिति, इस संहिता के अधीन सृजित कानूनी निधि में ऐसे समय के अंदर और ऐसी रीति में अंतरित की जाएगी जो छूट के अनुदानों की शर्तों में विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु भविष्य निधि स्कीम, पेंशन स्कीम और बीमा स्कीम से किसी छूट के रद्दकरण के संबंध में, छूट प्राप्त कर्मचारी के संचयों को छूट प्राप्त निधियों से ऐसी संबंधित निधियों में अंतरण की समय सीमा प्ररुप और रीति ऐसी संबंधित स्कीम में विनिर्दिष्ट होगी ।

(9) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का नियोजक स्थापन के न्यासी बोर्ड के उस प्रभाव को संकल्प के पश्चात् समुचित सरकार को एक आवेदन, आवेदन में विनिर्दिष्ट तारीख से कर सकेगा, उस उपधारा के अधीन प्रदान की गई छूट को अभ्यार्पित करने के लिए और उस आवेदन की प्राप्ति पर समुचित सरकार आवेदन में विनिर्दिष्ट तारीख से इस संहिता के अधीन नियोजक को कानूनी निधि में अभिदाय विप्रेषित करना अनुज्ञात कर सकेगी और छूट के रद्द करण के लिए आवेदन कार्यवाही कर सकेगी तथा ऐसे रद्दकरण पर, नियोजक और न्यासी बोर्ड, प्रत्येक कर्मचारी के संचयन और अधिशेष तथा आरक्षिति को उपधारा 7 में निर्दिष्ट निधि से इस संहिता के अधीन संबंधित कानूनी निधि में ऐसी समय और ऐसी रीति में जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अंतरित करेंगे ।

परंतु भविष्य निधि स्कीम, पेंशन स्कीम और बीमा स्कीम से छूट के किसी अभ्यार्पण के संबंध मे छूट प्राप्त कर्मचारियों के संचयन और उपधारा (5) में निर्दिष्ट निधि से अधिशेष और आरक्षिती की इस संहिता के अधीन संबंधित कानूनी निधियों से अंतरण की समय-सीमा और प्ररूप और रीति वह होगी जो अध्याय 3के अधीन विरचित संबंधित स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए ।

स्थागित या कम करने की शक्ति ।

144. अध्याय 3 या अध्याय 4 में किसी बात के होते हुए भी, केनद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, यथास्थिति, अध्याय 3चा अध्याय 4 के अधीन संदेय नियोजक का अभिदाय या कर्मचारी का अभिदाय या दोनो को ऐसे स्थापन के संबंध मे, जिसको वैश्विक महामारी, महामारी या राष्ट्रीय आपदा की दशा में सम्पूर्ण भारत या उसके किसी भाग को यथास्थिति अध्याय 3 या अध्याय 4 लागू होते हैं एक समय पर तीन मास की अवधि के लिए अस्थगित या अवगत कर सकेगी ।

स्थापन के अंतरण की दशा में

145. जब कोई नियोक्ता अपने संपूर्ण स्थापन का या उसके किसी भाग का विक्रय, दान, पट्टा या अनुज्ञप्ति या किसी अन्य रीति में, चाहे जो भी हो, अंतरण कर देता है,

नियोक्ता और व्यक्ति, जिसे इस प्रकार स्थापन अंतरित किया गया है, संयुक्त रूप से और पृथक्: किन्हीं दायित्वों, उपकर या कोई अन्य रकम, जो इस संहिता के अधीन ऐसे अंतरण की तारीख तक की अवधियों के संबंध में संदाय करने के लिए दायी है, के संबंध में दायी होंगे : दायित्व ।

परंतु अंतरिती का दायित्व ऐसे अंतरण द्वारा उसके द्वारा अभिप्राप्त आस्तियों के मूल्य तक सीमित होगा ।

146. किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन का प्रत्येक सदस्य और उसके अधिकारी और कर्मचारिवृंद, कोई निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता, सक्षम प्राधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी, वसूली अधिकारी और कोई अन्य व्यक्ति, जो इस संहिता के अधीन किसी कृत्य का निर्वहन कर रहा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा । सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारिवृंद का लोक सेवक होना ।

1860 का 45

147. किसी बात के लिए कृत्यों का निर्वहन करने या शक्तियों का उपयोग करने के लिए— सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

(i) केंद्रीय सरकार ;

(ii) राज्य सरकार ;

(iii) सामाजिक सुरक्षा संगठन ;

(iv) सक्षम प्राधिकारी ;

(v) किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन का कोई अधिकारी या सदस्य ; या

(vi) कोई अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी,

के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई इस संहिता या तदधीन बनाए गए या विरचित नियमों, विनियमों या स्कीम के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

148. यदि समुचित सरकार का उसके द्वारा विहित रीति में यह समाधान हो जाता है कि कोई स्थापन या किसी अन्य व्यक्ति ने इस संहिता या तदधीन बनाए गए या विरचित नियमों, विनियमों या स्कीम के अधीन उपबंधित किसी फायदे का दुरुपयोग किया है तो ऐसी सरकार अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसे स्थापन या अन्य व्यक्ति को ऐसे समय के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे फायदे से वंचित कर सकेगी : फायदों का दुरुपयोग ।

परंतु ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक, यथास्थिति, ऐसे स्थापन या अन्य व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है ।

परंतु यह और कि अध्याय 3 से संबंधित इस धारा के अधीन किसी फायदे के दुरुपयोग को सुनिशचित करने की रीति यथास्थिति भविष्य निधि स्कीम, या पेंशन स्कीम या बीमा स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

149. केंद्रीय सरकार, — केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

(i) किसी राज्य सरकार को या धारा 12 के अधीन गठित किसी राज्य बोर्ड को उस राज्य बोर्ड को उस राज्य में इस संहिता के किन्हीं उपबंधों को निष्पादित

करने; या

(ii) किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन को, इस संहिता के कार्यान्वयन से संबंधित किसी विषय के संबंध मे निदेश दे सकेगी ।

स्कीम बनाने की शक्ति ।

150. समुचित सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए इस संहिता से संगत स्कीमें बना सकेगी ।

कुर्की आदि के विरुद्ध संरक्षण ।

151. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सदस्य की इस संहिता के अधीन या किसी छूट प्राप्त कर्मचारी की अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 या अध्याय 7 के अधीन नियोक्ता के पक्ष में उसके नियोक्ता द्वारा अनुरक्षित भविष्य निधि में प्रत्यय की जाने वाली रकम पर किसी भी तरीके से उसे समनुदेशित नहीं किया जाएगा या प्रभारित नहीं किया जाएगा और वह, यथास्थिति, ऐसे कर्मचारी या छूट प्राप्त कर्मचारी द्वारा उपगत किसी ऋण या दायित्व के संबंध में किसी न्यायालय में किसी डिक्री या आदेश के अधीन कुर्की की दायी नहीं होगी ।

(2) निधि में किसी सदस्य के प्रत्यय में या किसी छूट प्राप्त कर्मचारी की उसके नियोक्ता द्वारा अनुरक्षित भविष्य निधि के प्रत्यय में, यथास्थिति, ऐसे सदस्य या छूट प्राप्त कर्मचारी की कोई रकम और जो निधि की स्कीम या नियमों के अधीन उसके नामनिर्देशिती को संदेय है, यथास्थिति ऐसी स्कीम या नियमों द्वारा प्राधिकृत किसी कटौती के अधीन रहते हुए नामनिर्देशिती या ऐसे कुटुंब में विहित की जाएगी और वह मृतक या उसके नामनिर्देशिती द्वारा उसकी मृत्यु से पूर्व किसी ऋण या उपगत अन्य दायित्व से मुक्त होगी और वह किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन कुर्की की दायी भी नहीं होगी ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अध्याय के अधीन उपधारा (1) में निर्दिष्ट सम्यक् कोई रकम उस स्थापन की आस्तियों पर प्रभारित होगी, जिससे वह संबंधित है और उसका दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 53 के उपबंधों के अनुसार पूर्विकता के आधार पर संदाय किया जाएगा । 2016 का 31

अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति ।

152. (1) यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची, पाचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची का उसमें वर्धन या लोप के माध्यम से संशोधन कर सकेगी और ऐसे वर्धन या लोप पर अनुसूची तदनुसार संशोधित हो जाएगी ।

(2) यदि समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची का उसमें वर्धन या लोप के माध्यम से संशोधन कर सकेगी और ऐसे वर्धन या लोप पर अनुसूची तदनुसार संशोधित हो जाएगी ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

153. इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए धारा 164 के अधीन निरसित अधिनियमिततियों के अधीन गठित या स्थापित निम्नलिखित संगठन, अर्थात् :-

(i) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5

क के अधीन गठित केंद्रीय बोर्ड

1952 का 19

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5कक के अधीन गठित कार्यकारिणी समिति

1948का 34

(iii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन स्थापित निगम;

(iv) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अधीन गठित चिकित्सा प्रसुविधा परिषद ;

(v) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 8 के अधीन गठित निगम की स्थायी समिति;

1996 कर 37

(vi) भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनिमयमन) अधिनियम, 1996 की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित बोर्ड,

इस संहिता के अधीन तत्स्थानी संगठनों के गठित होने तक या निरसित अधिनियमितियों के अधीन क्रमशः उनकी समयावधि की समाप्ति तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो धारा 4 के अधीन गठित कर्मचारी भविष्य निधि के लिए संबंधित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, धारा 4की उपधारा (3) के अधीन गठित स्थायी समिति, धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन गठित भवन 'कर्मकार' कल्याण बोर्ड, इस संहिता के अधीन तत्स्थानी संगठनों की शक्तियों का उपयोग और कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे करते रहेंगे मानो ऐसे निरसित अधिनियमितियों के अधीन, यथास्थिति, गठित या स्थापित ऐसे संगठन इस संहिता के संबंधित ऐसे उपबंधों के अधीन गठित किए गए हों ।

समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

154. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए उससे संगत नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 7 की उपधारा (6) के खंड (ग) के अधीन फायदाग्राहियों की समूह बीमा योजना के प्रीमियम के संबंध में रकम, खंड (घ) के अधीन फायदाग्राहियों के बालकों के लिए शैक्षिक स्कीमें, खंड (ङ) के अधीन फायदाग्राही या उसके आश्रितों की मुख्य बीमारियों के उपचार के लिए चिकित्सा व्यय ;

(ख) धारा 37 की उपधारा (7) के अधीन वह समय और रीति जिसके अंदर बीमाकृत व्यक्ति या निगम द्वारा कर्मचारी बीमा न्यायालय में द्वितीय अपील फाइल की जा सकती है ;

(ग) कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के प्रारंभ की रीति धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन शुल्क और उसकी प्रक्रिया ;

(ध) बैंक या अन्य वित्तीय संस्था जिनमें धारा 53 की उपधारा (1) के तीसरे परन्तुक अधीन अवयस्क की प्रसुविधाओं के लिए उपदान का विनिधान किया

जाएगा ;

(ङ) धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशन का समय, प्ररूप और रीति, उपधारा (4) के अधीन नया नामनिर्देशन करने का समय,उपधारा (5) के अधीन नामनिर्देशन में उपांतरण का प्ररूप और रीति और उपधारा (6) के अधीन नया नामनिर्देशन करने का प्ररूप;

(च) ऐसा समय जिसके भीतर और प्ररूप जिसमें धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन लिखित आवेदन किया जाएगा और उसकी उपधारा (5) के खंड (ख) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करने का प्ररूप ;

(छ) धारा 57 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत नियोजक द्वारा स्थापन के रजिस्ट्रीकरण की रीति और अनुमोदित उपदान निधि के न्यासी बोर्ड की संरचना की रीति और ऐसी रीति जिसमें सक्षम प्राधिकारी उपधारा (4) के अधीन बीमाकर्ता से कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम वसूली कर सकेगा ;

(ज) धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की अर्हताएं और अनुभव;

(झ) धारा 72 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकारी ;

(ञ) धारा 82 की उपधारा (4) के अधीन कर्मचारियों का वर्ग और सूचना पुस्तिका का प्ररूप ;

(ट) धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा रजिस्टर में ज्ञापन अभिलिखित करने की रीति ;

(ठ) धारा 91 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए ऐसा अनुभव और अर्हताएं ;

(ड) धारा 101 के अधीन उपकर की रकम का संदाय करने की समय-सीमा ;

(ढ) धारा 105 की उपधारा (2) के अधीन अपील के लिए फीस ;

(ण) धारा 120 की उपधारा (1) के अधीन किसी जंगम या स्थावर संपत्तिका अर्जन, धारण, विक्रय या अन्यथा अंतरण करने के लिए शर्तें, उपधारा (2) के अधीन धनराशियां विनिधान करने, पुन: विनिधान करने या विनिधानों को वसूलने की शर्तें, उपधारा (3) के अधीन उधार लेने और ऐसे उधारों को चुकाने के लिए किए जाने वाले उपाय और उपधारा (4) के अधीन भविष्य निधि या अन्य फायदा निधि गठित करने के निबंधन;

(त) धारा 121 के अधीन अप्रतिसंहरणीय शोध्य को बट्टे खाते में डालने की शर्तें और रीति ;

(थ) धारा 122 की उपधारा (6) के खंड (ङ) के अधीन निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता की अन्य शक्तियां ;

(द) धारा 123 के खंड (क) के अधीन अभिलेखों और रजिस्टरों का प्ररूप

तथा अनुरक्षण करने की रीति औरअन्य विशिष्टियां तथा ब्यौरे, खंड (ख) के अधीन कर्मचारियों के कार्यस्थलों पर सूचनाएं प्रदर्शित करने की रीति और प्ररूप और खंड (घ) के अधीन अधिकारी या प्राधिकारी को विवरणी फाइल करने की रीति और अवधि ;

(ध) धारा 138 की उपधारा (4) के अधीन किसी अपराध के शमन के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति ;

(न) धारा 139 की धारा (2) के अधीन रिक्तियों को रिपोर्ट करने की रीति और प्ररूप और संबद्ध केन्द्र करियर को नियोजक द्वारा विवरणी फाइल करने का प्ररूप;

(प) ऐसा समय जिसके भीतर, यथास्थिति, केन्द्रीय बोर्ड या निगम धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन समुचित सरकार को अपने विचार अग्रेषित करेगी, ऐसी शर्तें जिनका यथास्थिति, छूट प्राप्त स्थापन या स्थापनों का वर्ग या कर्मचारी या कर्मचारियों का वर्ग उपधारा (2) के अधीन ऐसी छूट के पश्चतात् पालन करेंगे और उपधारा (5) के अधीन न्यास के प्रबंध की शर्तें ;

(फ) धारा 148 के अधीन स्थापन द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी कायदे के दुरुपयोग को अवधारित करने की रीति; और

(ब) कोई अन्य विषय, जिसकी संहिता के उपबंधों के अधीन समुचित सरकार द्वारा अपेक्षा हो या विहित किया जाए ।

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

155. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए उससे संगत नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति : धारा 1 की उपधारा 5 के अधीन रीति और शर्तें जिसके अधीन रहते हुए अध्याय 3 के उपबंध केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा स्थापन पर अप्रभावी होंगे और उपधारा 7 के अधीन रीति और शर्तें जिसके अधीन रहते हुए अध्याय 4 के उपबंध निगम के महानिदेशक द्वारा स्थापन पर अप्रभावी होंगे ;

(ख) धारा 2 के खंड 9 के अधीन व्यवसाय केन्द्र और व्यवसाय सेवाओं की स्थान की रीति और अनुरक्षण खंड 33 के उपखंड (5) के अधीन आश्रित माता-पिता (जिसके अंतर्गत महिला कर्मचारी के ससुर और सास सम्मिलित है) की आय और खंड 53 के उपखंड (ग) के अधीन अन्य प्राधिकरण जो अधिभोगी समझे जाएंगे और खंड 53 के उपखंड (ग) के परंतु के अधीन मामले जो प्रत्यक्षतः जहाज की स्थिति से संबंधित है उसके लिए जहाज का स्वामी अधिभोगी समझा जाएगा ;

(ग) धारा 3 के अधीन स्थापन के रजिस्ट्रीकृत करने का समय और रीति रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन की रीति, शर्तें जिसके अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण रद्द होगा और रद्दकरण की प्रक्रिया और उससे संबंधित अन्य मामले

स्थापन के संबंध में जिस पर अध्याय 3 और अध्याय 4 लागू होता है और जिसकी व्यवसायिक गतिविधियां बंद होने प्रक्रिया में है ;

(घ) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड में विहित निधियों का प्रशासन करने की रीति, उपधारा (3) के अधीन कार्यपालक समिति द्वारा कृत्यों का निष्पादन करने की रीति, उपधारा (5) के अधीन केंद्रीय बोर्ड और कार्यपालक समिति के सदस्यों के निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत उनकी पदावधि और उनके कर्तव्य सम्मिलित है और उपधारा (6) के अधीन ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करने की रीति;

(ङ) धारा 5 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा का प्रशासन करने की रीति,उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन राज्यों का प्रतिनिधित्व करने की रीति, उपधारा (3) के अधीन स्थायी समिति के गठन की रीति, उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन निगम के कार्यों का प्रशासन करने, स्थायी समिति की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निष्पादन करने की रीति, उपधारा (5) के अधीन चिकित्सा फायदा समिति की संरचनाऔर निबंधन और शर्तें, जिनके अंतर्गत पदावधि, जिनके अधीन रहते हुए निगम और स्थायी समिति का सदस्य धारा 5 की उपधारा (7) के अधीन क्रमश: अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ;

(च) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निष्पादन करने की रीति,उपधारा (6) के अधीन सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, उनकी पदावधि, उनकी सेवा के निबंधन, उनके कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उपधारा (4) के अधीनरिक्तियों को भरने की रीति तथा उपधारा (6) के अधीन कारबार का संव्यवहार करने की प्रक्रिया से संबंधित समय, स्थान और नियम ;

(छ) धारा 7 की उपधारा (6) के खंड (ञ) के अधीन कल्याणकारी उपाय और सुविधाएं;

(ज) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन बैठकें और बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया औरउपधारा (4) के अधीन सामाजिक सुरक्षा संगठन या किसी समिति के सदस्यों की फीस और भत्ते;

(झ) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन निगम या केंद्रीय बोर्ड या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड या भवन कार्मिक कल्याण बोर्ड या समितियों के पुनर्गठन की रीति और उपधारा (2) के अधीन इस संहिता के सुसंगत उपबंधों के प्रशासन के प्रयोजन के लिए वैकल्पिक प्रबंध;

(ञ) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन स्थापन के संबंध में भविष्य निधि खाते के अनुरक्षण की रीति ;

(ट) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन अपील फाइल करने का प्ररूप, रीति, समय-सीमाएं और फीस ;

(ठ) धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन महानिदेशक या वित्तीय आयुक्त के वेतन और भत्ते और उपधारा (4) के अधीन उनकी शक्तियां और कर्तव्य और

उपधारा (7) के परंतुक के अधीन अधिकतम मासिक वेतन की सीमा ;

(ड) धारा 25 की उपधारा (4) के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निधि या कोई अन्य धन राशि जो निगम द्वारा धारित है के विनिधान की रीति ;

(ढ) धारा 26 के खंड (ट) के अधीन व्यय चुकाने की सीमाएं ;

(ण) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन संपत्तिअर्जित करने की शर्तें, किसी जंगम या स्थावर संपत्तिका विक्रय या अन्यथा अंतरण, उपधारा (2) के अधीन निगम द्वारा धनराशियों का विनिधान करने की शर्तें और उपधारा (3) के अधीन उधार लेने की शर्तें और ऐसे उधारों को चुकाने के उपाय ;

(त धारा 28 के अधीन कर्मचारियों का बीमा करने की रीति ;

(थ) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन अभिदायों की दर और उपधारा (4) के अधीन वह दिवस, जिनको अभिदाय शोध्य होता है, जब कोई कर्मचारी किसी मजदूरी अवधि के भाग के लिए नियोजित किया जाता है या समान मजदूरी अवधि के दौरान एक या अधिक नियोक्ताओं के अधीन नियोजित होता है ;

(द) धारा 30 के अधीन आय का प्रतिशत, जिसका व्ययों के लिए खर्च किया जा सकता है और ऐसे खर्च की सीमाएं ;

(ध) धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (च) के परंतुक के अधीन संदाय की रकमऔर उपधारा (3) के अधीन दावा फायदा लेने की अर्हता, शर्तें, दर और उसकी अवधि;

(न) वे सीमाएं, जिनके भीतर धारा 33 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निधि से व्यय उपगत किया जा सकता है ;

(प) ऐसी रीति और समय जिसके भीतर बीमाकृत व्यक्ति या निगम धारा 37 की उपधारा (7) के खंड (क) अधीन अपील फाइल कर सकेगा ;

(फ) धारा 38 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन आश्रित फायदा संदाय करने की दर, अवधि और शर्तें ;

(ब) धारा 39 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक के अधीन किसी बीमाकृत व्यक्ति और उसके कुटुंब की चिकित्सा फायदे के दावा करने की अर्हता तथा शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए ऐसा फायदा दिया जा सकता है तथा उसका परिमाण और अवधि तथा उपधारा (3) के अधीन अभिदाय का संदाय और अन्य शर्तें;

(भ) धारा 40 की उपधारा (6) के अधीन कर्मचारियों को बीमारी, प्रसूति और नियोजन क्षति की दशा में कतिपय प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संगठन की संरचना, कृत्य, शक्तियां और क्रियाकलाप ;

(म) धारा 42 की उपधारा (1) अधीन बीमा की विस्तारित अवधि, समाधान की रीति और कर्मचारियों को संदेय प्रसुविधा की पूंजीकृत मूल्य की संगणना की रीति ;

(य) धारा 44 के अधीन निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए स्कीम का प्रचालन किया जा सकेगा ;

(यक) धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार

के नियंत्रणाधीन या उसके किसी नियोजक या स्थापन से भिन्न प्रत्येक नियोजक द्वारा बीमा अभिप्राप्त करने की रीति और उपधारा (2) के अधीन अनुमोदित उपदान निधि को छूट देने की शर्तें और रीति तथा उपधारा (3) के अधीन नियोजक द्वारा स्थापन को रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए समय ;

(यख) धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन सूचना का प्ररूप और उपधारा (5) के अधीन गर्भावस्था का सबूत और प्रसव का सबूत ;

(यग) धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन या गर्भपात का सबूत, उपधारा (2) के अधीन नलबंदी का सबूत और उपधारा (3) के अधीन बीमारी का सबूत ;

(यघ) धारा 66 के अधीन व्यवधान की अवधि ;

(यङ) धारा 67 की उपधारा (1) के अधीनकर्मचारी की संख्या और शिशु सुविधा की दूरी ;

(यच) धारा 68 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन घोर अवचार ;

(यछ) धारा 77 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन नियोक्ता द्वारा संदत्त ब्याज दर ;

(यज) धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की रीति और उपधारा (3) के अधीन धनराशि पारेषित करने की रीति ;

(यझ) धारा 93 की उपधारा (3) के अधीन प्ररूप, रीति और फीस दावे या समझौते के लिए आवेदन;

(यञ) धारा 100 की उपधारा (2) के अधीन उपकर के संग्रहण की रीति और समय तथा धारा 100 की उपधारा (3) के अधीन इस प्रकार संग्रहित उपकर को जमा करने की रीति और उपधारा (4) के अधीन एक समान दर या दरें ;

(यट) धारा 101 के अधीन उपकर के विलम्बित संदाय के मामले में ब्याज दर;

(यठ) धारा 103 की उपधारा (1) के अधीन उपकर के स्वमूल्यांकन की रीति ;

(यड) धारा 104 के अधीन प्राधिकारी द्वारा जांच और शास्ति अधिरोपित करना ;

(यढ) धारा 105 की उपधारा (1) के अधीन अपील करने के लिए समय-सीमा, अपील प्राधिकारी, अपील का प्ररूप और रीति ;

(यण) धारा 106 के अधीन फायदाग्राही के रूप में रजिस्ट्रीकरण की रीति ;

(यत) धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन फायदाग्राही के फायदे ;

(यथ) धारा 113 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र आयु और खण्ड (ख) के अधीन प्ररूप, सूचना की रीति और उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप, रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेज और स्वयं रजिस्ट्रीकरणके लिए रीति ;

(यद) धारा 114 की उपधारा (7) के खंड (i) में विनिर्दिष्ट व्यवहार को

कार्यान्वित करना;

(यध) धारा 138 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों के शमन की रीति ;

(यन) धारा 141 की उपधारा (4) के अधीन सामाजिक सुरक्षा निधि के स्थापन और प्रशासन की रीति;

(यप) धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन छूट प्रदान करने के पहले पूरी की जाने वाली पात्रता शर्तें और छूट के पश्चात अनुपालन की जाने वाली शर्तें और उपधारा (3) के अधीन छूट के विस्तार अवधि ; और

(यफ) कोई अन्य विषय जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित हो या विहित किए जाएं ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

156. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए ऐसे नियम बना सकेगा जो इस संहिता से असंगत न हो ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात :—

(क) धारा 6 की उपधारा (9) के अधीन राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन की रीति, बोर्ड के सदस्यों के नामनिर्देशन की रीति, उपधारा (12) के अधीन उनके पद के निबंधन और सेवा की अन्य शर्तें, उनके द्वारा उनके कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, और बोर्ड के सदस्यों के बीच रिक्तियों को भरने की रीति और उपधारा (14) के अधीन बैठकों का समय, स्थान और कारबार के समव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया के नियम ;

(ख) भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें तथा उन्हें संदय वेतन और अन्य भत्ते, तथा उपधारा (4) के अधीन ऐसे सदस्यों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति ; धारा 7 की उपधारा (5) के खंड (ग) के अधीन उक्त बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें और उन्हें संदेय वेतन और भत्ते ;

(ग) धारा 50 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन नियमों के अधीन कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(घ) धारा 76 की उपधारा (7) के अधीन नियोजक द्वारा सक्षम प्राधिकारी के साथ कर्मचारी की अन्त्येष्टि के व्यय हेतु रकम का जमा कराना;

(ङ) धारा 79 की उपधारा (1) के अधीन शर्तें जब चिकित्सा व्यवसायी के प्रमाणपत्र के बिना पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जाता है ;

(च) धारा 84 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन चिकित्सा परीक्षा के लिए बारंबार अंतराल;

(छ) धारा 88 की उपधारा (1) के अधीन नियोजक द्वारा प्रस्तुत किए गए कथन का प्ररूप;

(ज) धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसके

समक्ष किसी विषय पर कार्रवाई किए जाने की रीति ;

(झ) धारा 93 की उपधारा (4) के अधीन कार्यवाहियों की समय सीमा आवेदन का निपटारा और उनकी लागत ;

(ञ) धारा 97 के अधीन ज्ञापन के अधिप्रमाणन की रीति ;

(ट) धारा 141 की उपधारा (5) के अधीन निधि के ऐसे अन्य स्रोत और प्रशासन करने की रीति तथा निधि का व्यय करना; और

(ठ) कोई अन्य विषय, जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित करना अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

निगम की विनियम बनाने की शक्ति ।

157. (1) निगम, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए, निगम के मामलों के प्रशासन तथा अध्याय 4 के उपबंधों और उसके अध्याय से संबंधित इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए ऐसे नियम बना सकेगा जो इस संहिता से और उसके अधीन बनाये गये नियमों या विरचित स्कीमों से असंगत न हो ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगें, अर्थात:—

(क) धारा 5 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन निगम के विनिश्चय के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले मामले और विषय, उपधारा (6) के अधीन समितियों की संरचना ;

(ख) वह क्षेत्र जिसके संबंध में निगम क्षेत्रीय बोर्डों और स्थानीय समितियों की नियुक्ति कर सकता है और धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति जिसमें ऐसे बोर्ड तथा समितियां शक्तियों के प्रयोग का पालन कर सकेंगे;

(ग) धारा 24 की उपधारा (4) के अधीन महानिदेशक और वित्त आयुक्त के ऐसे अन्य कृत्य, धारा 24 की उपधारा (8) के खण्ड (क) के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति, वेतन और भत्ते, अनुशासन तथा सेवाओं की अन्य शर्तें और उपधारा (9) के दूसरे परंतुक के अधीन अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा;

(घ) धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन ऐसी इकाई जिसके संबंध में सभी अभिदाय का संदाय किया जाएगा, उपधारा (4) के अधीन ऐसे दिन जब अभिदाय देय होगा;

(ङ) धारा 31 की उपधारा (7) के अधीन ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से कर्मचारियों का रजिस्ट्रर का रखरखाव तथा उपधारा (9) के अधीन अभिदाय के संदाय और संग्रहण के से संबंधित या उसके आनुषंगित कोई अन्य विषय ;

(च) धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन रोग को प्रमाणित करने वाले व्यक्ति की अर्हताएं और अनुभव, खंड (ख) के अधीन स्त्री की पात्रता प्रमाणित करने वाला प्राधिकारी, उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन संदाय की पात्रता प्रमाणित करने वाला प्राधिकारी, उपधारा (2) के अधीन चिकित्सा प्रसुविधाओं के विस्तार के लिए शर्तें और उपधारा (4) के अधीन प्रसुविधाओं के उद्भूत तथा संदाय होने से संबंधित तथा उनके आनुषंगिक कोई अन्य विषय ;

(छ) धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन वह निरंतर अवधि जिसमें कर्मचारी के उपजीविकाजन्य रोग लग जाता है ;

(ज) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन चिकित्सा बोर्ड का गठन और उपधारा (5) के अधीन चिकित्सा अपील अधिकरण का गठन ;

(झ) धारा 39 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन चिकित्सा फायदा की अवधि तथा उसकी प्रकृति जो किसी व्यक्ति को अनुज्ञात की जा सके, दूसरे परंतुक के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए शर्तें, तीसरे परंतुक के अधीन चिकित्सा फायदों को प्राप्त करने की पात्रता हेतु अभिदाय का संदाय तथा अन्य शर्तें तथा चौथे परंतुक के अधीन नियोजन क्षति के दौरान बीमाकृत व्यक्ति को चिकित्सा फायदा प्रदान करने हेतु शर्तें, उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन वह समय जिसके लिए चिकित्सा शिक्षा संस्थान के छात्र निगम की सेवा करेंगे तथा वह रीति जिसमें बंधपत्र तैयार किया जाएगा और उपधारा (6) के अधीन बीमाकृत व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा कार्यदशा के निर्धारण हेतु उपजीविका जन्य और मरक –विज्ञान का सर्वेक्षण कराए जाने की रीति और अध्ययन;

(ञ) धारा 41 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन वह क्षेत्र छोड़ने जिसमें चिकित्सीय उपचार प्रदान किया गया है, अनुज्ञा देने के लिए अन्य प्राधिकारी, उपधारा (6) के अधीन नामांकन का प्ररूप, और उपधारा (9) के अधीन प्रसुविधाओं के अवधारण के लिए प्राधिकारी ;

(ट) धारा 44 के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के अधीन चिकित्सा प्रसुविधाओं के लिए अन्य प्राधिकारी द्वारा संदत्त किए जाने वाले उपयोक्ता प्रभार ;

(ठ) धारा 51 के उपखंड (1) के दूसरे परंतुक के अधीन वह समय जिसके भीतर निगम द्वारा नियोजक से दावे, वसूली या अभिदाय तथा ठेकेदार से निोजक द्वारा अभिदाय की वसूली की जाएगी;

(ड) धारा 123 के खंड (घ) के दूसरे परंतुक के अधीन अभिलेखों और रजिस्टरों के प्ररूप तथा उनकी विवरणी का फाइल किया जाना;

(ढ़) धारा 126 के अधीन निगम के संयुक्त निदेशक की पंक्ति से अन्यून ऐसा अपील प्राधिकरण जिसके समक्ष अपील प्रस्तुत की जाएगी था निगम द्वारा नियोजक को ब्याज प्रतिदाय किया जाएगा;

(ण) धारा 128 के अधीन नियोजक जिसने किसी अभिदाय के संदाय में व्यतिक्रम किया है जिसे संदाय करने के लिए वह दायी है, से नुकसानी के उदग्रहण और वसूली की रीति ;

(त) परिस्थितियां जिसमें तथा उसके अधीन शर्त जिसमें किसी विनियम से छूट प्रदान की जा सकती है, ऐसी छूट का बढ़ाना, तथा वह प्राधिकरण जिसके द्वारा ऐसी छूट प्रदान की गई है; और

(थ) कोई अन्य विषय, जिसके संबंध में इस संहिता द्वारा विनियम बनाये जाना अपेक्षित हो या अनुज्ञात हो ।

नियमों, विनियमों आदि का पूर्व

158. इस संहिता के अधीन अध्याय 3 के अधीन विरचित की जाने वाली स्कीमों के सिवाय नियम, विनियम और स्कीम बनाने की शक्ति निम्नलिखित रीति में उनके पूर्व

प्रकाशन की शर्तें के अधीन होगी, अर्थात :— प्रकाशन ।

(क) ऐसे नियमों, विनियमों और स्कीमों के प्रारूप के विचाराधीन होने के पश्चात विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख उस तारीख से पैंतालीस दिन से कम नहीं होगी जिसको प्रस्तावित नियमों, विनियमों और स्कीमों का प्ररूप राजपत्र में जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ;

(ख) ऐसे नियम, विनियम और स्कीमें अन्त में राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी और ऐसे प्रकाशन पर उनका वही प्रभाव होगा मानो उन्हें इस संहिता में अधिनियमित किया गया हो:

परंतु केन्द्रीय सरकार, महामारी, विश्वमारी या आपदा की परिस्थितियों में इस धारा के अधीन पूर्व प्रकाशन की शर्तों के साथ अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी ।

प्रतिकर के रूप में संदत धन के अन्तरण के लिए अन्य देशों के साथ ठहराव को प्रभावी करने के लिए नियम ।

159. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा अध्याय 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पास जमा धन के किसी दूसरे देश में अन्तरण के लिए नियम बना सकेगी जो ऐसे देश में निवास कर रहे या निवास करने वाले किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया है या शोध्य है, और किसी दूसरे देश में कर्मचारियों के प्रतिकर से संबंधित विधि के अधीन जमा किसी धन की प्राप्ति, वितरण और प्रशासन के लिए है, जो किसी राज्य में निवास कर रहे या निवास करने वाले किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया है या शोध्य है ;

परंतु घातक दुर्घटनाओं के संबंध में अध्याय 7 के अधीन जमा कोई राशि, धारा 81 के अधीन इसका वितरण और प्रभाजन अवधारित करने का आदेश पारित करने वाले राशि को प्राप्त करने वाले सक्षम प्राधिकारी के अधीन संबंधित नियोजक की सहमति के बिना इस प्रकार अन्तरित नहीं की जाएगी ।

(2) जहां सक्षम अधिकारी के पास जमा धन इस धारा के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार इस प्रकार अन्तरित कर दिया गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके पास जमा राशि को प्रतिकर के रूप में वितरित करने के संबंध में संहिता में अन्यत्र अन्तर्विष्ट उपबंध ऐसे किसी धन के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

नियमों, विनियमों और स्कीमों आदि का रखा जाना ।

160. (1) इस संहिता के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या निगम द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, विनियम, अधिसूचना या विरचित स्कीम बनाये जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम, विनियम, अधिसूचना या स्कीम मे परिर्वतन करने के लिए सहमत हो जाए तो वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनो सदन सहमत हो जाए कि, यथास्थिति, वह नियम, विनियम, अधिसूचना या स्कीम नहीं बना जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निस्प्रभाव हो जाएगा किन्तु, यथास्थिति उस नियम, विनियम, अधिसूचना या स्कीम के ऐसे परिवर्तित या निस्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा ।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस संहिता के अधीन, बनाया गया प्रत्येक नियम और बनाई गई या विरचित स्कीम, और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, इसे बनाए जाने या विचरित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र जहां राज्य विधानमंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहाँ राज्य विधानमंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

इस संहिता से असंगत विधियों और करारों का प्रभाव ।

161. (1) इस संहिता के उपबंध, किसी अन्य विधि में या इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात किये गये किसी अधिनिर्णय, करार या सेवा संविदा के निबंधनों में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगें :

परंतु जहां कोई व्यक्ति ऐसे किसी अधिनिर्णय, करार या सेवा संविदा के अधीन या अन्यथा किसी विषय के संबंध में ऐसे फायदों का हकदार है जो उसके लिए उनसे अधिक अनुकूल है जिनका वह इस संहिता के अधीन हकदार तो वह व्यक्ति उस विषय के संबंध में उन अधिक अनुकूल फायदों का इस बात के होते हुए भी हकदार बना रहेगा कि वह अन्य विषयों के संबंध मे फायदे के संहिता के अधीन प्राप्त करता है ।

(2) इस संहिता की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी व्यक्ति को किसी विषय के संबंध में उसको ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार, जो उसके लिए उनसे अधिक अनुकूल है जिनका वह इस संहिता के अधीन हकदार है, अनुदत्त कराने के लिए किसी नियोजक के साथ कोई करार करने से रोकती है ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

162. समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि ऐसे सभी या कोई शक्तियां और कृत्य जिनका समूचित सरकार प्रयोग या निष्पादन करे, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, जो केन्द्रीय बोर्ड, निगम, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड, भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड अथवा केन्द्रीय बोर्ड, निगम, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड, भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगा ।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति ।

163. (1) यदि इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस संहिता के उपबंधों से असंगत न हो, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस संहिता के प्रारम्भ से 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसे किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

164. (1) निम्नलिखित अधिनियमितियों का निरसन किया जाता है, अर्थात :—

1923 का 8 — 1. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 ;

1948 का 34 — 2. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

1952 का 19 — 3. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

1959 का 31 — 4. नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959

1961 का 53 5. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

1972 का 39 6. उपदान संदाय अधिनियम 1972

1981 का 33 7. सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981

8. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 1996 का 28

9. असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 2008 का 33

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी—

(क) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई, जिसके अन्तर्गत उसके अधीन बनाया गया कोई नियम, विनियम, अधिसूचना (जिसके अन्तर्गत राज्यों द्वारा जारी कोई अधिसूचना भी है), स्कीम, नियुक्ति, आदेश या निर्देश या ऐसी अधिनियमितियों के उपबंधों या किसी प्रयोजन के लिए उनके अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं या स्कीमों के उपबंधों के अधीन उपबंधित या प्रदत्त कोई फायदा, इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों, जिसके अन्तर्गत उनके अधीन बनाया गया कोई नियम, विनियम, अधिसूचना, स्कीम, नियुक्ति, आदेश या निदेश भी है, के अधीन ऐसे प्रयोजन के लिए किया गया या उपबंधित किया गया समझा जाएगा और उस सीमा तक प्रवर्तन में होगा, जहां तक वे इस संहिता के उपबंधों से असंगत नहीं है, जिसके अन्तर्गत उसके अधीन बनाये गये कोई नियम, विनियम, अधिसूचना, स्कीम, नियुक्ति, आदेश या निदेश भी है, जब तब की उन्हें इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन निरसित नहीं कर दिया जाता, जिसके अन्तर्गत समूचित सरकार द्वारा उसके अधीन बनाया गया कोई नियम, विनियम, अधिसूचना, स्कीम, नियुक्ति, आदेश या निदेश भी है ।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन 1952 का 19
विरचित या बनाए गए कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, कर्मचारी जमा बीमा स्कीम, 1976 तथा कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1955, कर्मचारी भविष्य निधि अपील अभिकरण प्रक्रिया नियम 1977 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के 1948 का 34
अधीन किए गए या विरचित नियमों, विनियमों और स्कीमों का विस्तार प्रवृत्त होगा जब तक इस संहिता के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए इस संहिता के उपबंध असंगत न हों;

(ग) इस प्रकार निरसित किन्हीं अधिनियमितियों के अधीन दी गयी कोई छूट प्रवर्तन में रहेगी जब तक इसकी वैधता समाप्त नहीं हो जाती या वह इस संहिता के उपबंधों के अधीन या ऐसे प्रयोजन के लिए उसके अधीन किये गये किसी निदेश के अधीन प्रचालन में नहीं रह जाती ।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के उपबंध ऐसी अधिनियमितियों के निरसन पर लागू होंगे । 1897 का 10

पहली अनुसूची

[धारा 1(4), (8) और 152 (1) देखिए]

लागू होना

अध्याय संख्या	अध्याय शीर्षक	लागू होना
(1)	(2)	(3)
3.	कर्मचारी भविष्य निधि	प्रत्येक स्थापन, जिसमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित हैं
4.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	मौसमी कारखाने से भिन्न प्रत्येक स्थापन जिसमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित हैं ; परंतु अध्याय 4 उस स्थापन को भी लागू होगा जो ऐसा जोखिम पूर्ण या जीवन को संकट में डालने वाला व्यवसाय करता है जैसा की केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए जिसमें केवल एक कर्मचारी भी नियोजित है परंतु यह और कि किसी बागान का नियोजक बागान के संबंध में अध्याय 4 के लागू होने का विकल्प निगम को अपनी सहमति देकर ले सकेगा जहां कर्मचारियों को उस अध्याय के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से बेहतर है नियोजक उन्हें प्रदान कर रहा है परंतु यह भी कि किसी स्थापन के नियोजकों और कर्मचारियों से अभिदाय धारा 29 के अधीन उस तारीख से संदेय होगा जिसको कर्मचारी राज्य बीमा निगम से संबंधित कोई फायदे अध्याय 4 के अधीन निगम द्वारा स्थापन के कर्मचारियों को प्रदान किये जाते है और ऐसी तारीख केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी ।
5.	उपदान	(क) प्रत्येक कारखाना, खान, तेल क्षेत्र, बागान, पत्तन और रेल कम्पनी; और (ख) प्रत्येक दुकान या स्थापन जिसमें पिछले बारह महीनों के किसी दिन को दस या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित है या नियोजित थे; और ऐसी दुकाने या स्थापन जो समूचित सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए ।
6.	प्रसूति प्रसुविधा	(क) प्रत्येक स्थापन जो कारखाना, खान या बागान है, जिसके अन्तर्गत सरकार का कोई ऐसा स्थापन भी है ; और

(1)	(2)	(3)
		(ख) प्रत्येक दुकान या स्थापन जिसमें पिछले 12 महीनों के किसी दिन को 10 या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित है या नियोजित थे; और ऐसी अन्य दुकाने या स्थापन जो समूचित सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए ।
7.	कर्मचारी प्रतिकर	दूसरी अनुसूची के उपबंधों के अधीन, यह उन नियोजकों और कर्मचारियों को लागू होता है जिनको अध्याय 4 लागू नहीं होता ।
8.	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और उपकर	प्रत्येक स्थापन जो भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य के अन्तर्गत आता है।
9.	असंगठित कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	असंगठित सेक्टर, असंगठित कर्मकार, नाव कर्मकार, प्लेटफार्म कर्मकार ।
13.	रोजगार सूचना और मॉनीटरी	केरियर केन्द्र, रिक्तियां और नियोजक ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 2(26), धारा 74(3) और (5), धारा 132 और धारा 152(2) देखिए]

उन व्यक्तियों की सूची जो धारा 2 के खंड (26) के तीसरे परन्तुक के अर्थान्तर्गत कर्मचारी हैं

निम्निलिखित व्यक्ति धारा 2 के खंड (26) के दूसरे परन्तुक के अर्थान्तर्गत कर्मचारी हैं और उक्त परंतुक के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति, जो—

(i) रेल में नियोजित, किसी लिफ्ट या वाष्प या अन्य यांत्रिक शक्ति या विद्युत द्वारा नोदित यान को चलाने, उसकी मरम्मत करने या उसके अनुरक्षण के संबंध में या ऐसे किसी यान पर लदाई या उस पर से उतराई के संबंध में नियोजित है; अथवा

(ii) उस परिसर में जिसमें या जिसकी परिसीमाओं के भीतर कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (ट) मे यथापरिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही है, या ऐसे किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य में, जो ऐसी किसी विनिर्माण प्रक्रिया या निर्मित वस्तु का आनुषंगिक या उससे संबद्ध है और जिसमें वाष्प, जल या अन्य यांत्रिक शक्ति या विद्युत शक्ति प्रयुक्त होती है, नियोजित है, चाहे ऐसे किसी काम मे नियोजन ऐसे परिसर में या प्रसीमाओं के भीतर हो या न हो; अथवा 1948 का 63

(iii) वस्तु या किसी वस्तु के भाग के निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, अलंकरण, परिरूपण के प्रयोजन के लिए, अथवा उपयोग, परिवहन या विक्रय के लिए उसे अन्यथा अनुकूलित करने के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे परिसर में नियोजित है ।

स्पष्टीकरण—ऐसे परिसर या प्रसीमाओं के बाहर, किन्तु ऐसे किसी कार्य में जो किसी वस्तु या किसी वस्तु के भाग के निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, अलंकरण या परिरूपण से अथवा उपयोग, परिवहन या विक्रय के लिए उसे अन्यथा अनुकूलित करने से संबंधित किसी कार्य का आनुषंगिक या उससे संबंधित है, नियोजित व्यक्ति इस खंड के प्रयोजनों के लिए ऐसे परिसर या प्रसीमाओं के अन्दर नियोजित समझे जाएंगे ; अथवा

(iv) नियोजक के व्यवसाय या कारबार के संबंध में विस्फोटकों के विनिर्माण या हथालने में नियोजित हैं; अथवा

(v) खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 के खंड (ञ) में यथापरिभाषित किसी खान में किसी खनन संक्रिया में अथवा किसी खनन संक्रिया के या अभिप्राप्त खनिज के आनुषंगिक या उससे संसक्त किसी प्रकार के काम में, या भूमि के नीचे किसी भी प्रकार के काम में नियोजित है; अथवा 1952 का 35

(vi) (क) पूर्णतः या भागतः वाष्प द्वारा या अन्य यांत्रिक शक्ति या विद्युत द्वारा नोदित पोत के, या ऐसे पोत के, जो इस प्रकार नोदित पोत द्वारा अनुकर्षित किया जाता है, या जिसका ऐसे अनुकर्षित किया जाना आशयित है, अथवा

(ख) उपखंड (क) के अन्तर्गत न आने वाले किसी ऐसे समुद्रगामी पोत के, जिसके लिए केवल पालों द्वारा नौचालन के लिए पर्याप्त क्षेत्र उपबन्धित है,

मास्टर या नाविक के रूप मे नियोजित है ; अथवा

(vii) (क) किसी ऐसे पोत पर, जिसका वह मास्टर या कर्मीदल का सदस्य

नहीं है, लदाई, उससे उतराई, उसमें ईंधन डालने, उसका सन्निर्माण करने, उसकी मरम्मत करने, उसे तोड़ डालने, साफ करने या उसका रंग-रोगन करने के प्रयोजन के लिए, या जो माल किसी जलयान से उतारा गया है, या किसी जलयान में लादा जाना है, उस माल को, पत्तन अधिनियम, 1908 या महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अध्यधीन रहते हुए, किसी पत्तन की सीमाओं के अन्दर हथालने या उसका परिवहन करने के प्रयोजन के लिए, अथवा 1908 का 15 1963 का 36

(ख) पोत को जलबन्ध से होकर खींचने के प्रयोजन के लिए, अथवा

(ग) बन्दरगाह भित्तिबर्थों पर या प्रस्तंभों में पोतों के लंगर डालने या उठाने के प्रयोजनों के लिए, अथवा

(घ) जब जलयान सूखे डॉक में प्रवेश करे या उसे छोड़े तब सूखे डॉक के केसूनों को हटाने या पुनः रखने के प्रयोजन के लिए, अथवा

(ङ) किसी जलयान को आपात की दशा में डॉक में लाने या वहां से ले जाने के प्रयोजन के लिए, अथवा

(च) कयर की पलास रसियां और रोक-तार तैयार करने, जलबन्धों पर गहराई चिह्न रंगने, जब कभी आवश्यक हो तब चपलानों को हटाने या पुनः रखने, सीढ़ियां लगाने, मानक पर्यन्त रक्षाबोयों या तद्रूप किसी अन्य अनुरक्षण-संकर्म या वैसे ही किसी अन्य अनुरक्षण कर्म को बनाए रखने के प्रयोजन के लिए, अथवा

(छ) पोत की रस्सी को घाट तक लाने के लिए डोंगियों पर किसी काम के प्रयोजन के लिए नियोजित है;

(viii) (क) किसी ऐसे भवन के, जो भूमि के ऊपर ऊंचाई में एक मंजिल से अधिक या भूमि तल से लेकर छत के शिखाग्र तक बारह फुट या उससे अधिक होने के लिए परिकल्पित है या रहा है, अथवा

(ख) किसी ऐसे बांध या तटबन्ध के, जो अपने निम्नतम बिन्दु से लेकर उच्चतम बिन्दु तक ऊंचाई में बारह फुट या उससे अधिक है, अथवा

(ग) किसी सड़क, पुल, सुरंग या नहर के, अथवा

(घ) किसी घाट, पोतघाट, समुद्र-भित्ति या अन्य समुद्री संकर्म के, जिसके अन्तर्गत पोतों के लंगर डालने का स्थान आता है, सन्निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत या तोड़ने में नियोजित है; अथवा

(ix) किसी टेलीग्राफ टेलिफोन लाइन या उसके खम्बे या किसी शिरोपरि विद्युत लाइन या केबिल या खम्बे या दण्ड या उनके लिए फिटिंग और फिक्सचर को स्थापित करने, अनुरक्षित रखने, उनकी मरम्मत करने, या उतार लेने में नियोजित है; अथवा

(x) किसी आकाशी रज्जु-मार्ग, नहर, पाइप लाइन या मलनाली के सन्निर्माण, उसको क्रियाशील रखने, उसकी मरम्मत करने, या उसे तोड़ने में, नियोजित है; अथवा

(xi) किसी अग्नि-शामक दल की सेवा में नियोजित है; अथवा

(xii) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (31) और धारा 197 की 1989 का 24

उपधारा (1) में यथापरिभाषित रेल में ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो रेल प्रशासन के साथ किसी संविदा की पूर्ति कर रहा है, सीधे या किसी उप ठेकेदार के माध्यम से नियोजित है; अथवा

(xiii) निरीक्षक, डाक-रक्षक, डाक छांटने वाले या वैन पियन के रूप में रेल डाक-सेवा में या तार संकेतक के रूप में या डाक या रेल के सिर-नेलर के रूप में नियोजित है, या भारतीय डाक और तार विभाग में किसी ऐसी उपजीविका में, जिसमें मामूली तौर पर बाहर का काम अन्तर्वलित हो, नियोजित है; अथवा

(xiv) प्राकृतिक पैट्रोलियम या प्राकृतिक गैस निकालने की क्रियाओं के सम्बन्ध में, नियोजित है; अथवा

(xv) ऐसी किसी उपजीविका में, जिसमें विस्फोटक संक्रियाएं अन्तर्वलित हों, नियोजित है; अथवा

(xvi) ऐसे उत्खन्न करने में नियोजित है, या विस्फोटक प्रयुक्त किए गए हैं या जिसकी गहराई उसके उच्चतम बिन्दु से लेकर निम्नतर बिन्दु तक बारह फुट से अधिक हैं; अथवा

(xvii) दस व्यक्तियों से अधिक को वहन करने योग्य पार नौका चलाने में नियोजित है; या

(xviii) किसी भू-संपदा में नियोजित, जिसका अनुरक्षण इलायची, सिनकोना, कॉफी, रबड़ या चाय उगाने के प्रयोजन के लिए किया जाता है; या

(xix) विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, रूपान्तरण, पारेषण या वितरण में अथवा गैस के उत्पादन या प्रदाय में नियोजित है; अथवा

(xx) भारतीय दीपस्तंभ अधिनियम, 1927 की धारा 2 के खण्ड (घ) में यथापरिभाषित दीपस्तंभ में नियोजित है; अथवा 1927 का 17

(xxi) लोक-प्रदर्शन के लिए आशयित चलचित्रों के निर्माण में, या ऐसे चित्रों को प्रदर्शित करने में नियोजित है; अथवा

(xxii) हाथियों या जंगली जीव-जन्तुओं के प्रशिक्षण, पालने या उनसे काम लेने में, नियोजित है; अथवा

(xxiii) ताड़ के पेडों से रस निकालने या वृक्षों को गिराने या उनसे लट्ठे बनाने में या अन्तर्देशीय जल द्वारा काष्ठ के परिवहन में, या दावानल के नियंत्रण या बुझाने में नियोजित हैं; अथवा

(xxiv) हाथियों या अन्य जंगली जीव-जन्तुओं को पकड़ने या उनका शिकार करने की संक्रियाओं में नियोजित है; अथवा

(xxv) गोताखोर के रूप से नियोजित है; अथवा

(xxvi) (क) किसी ऐसे भण्डागार या अन्य स्थान की, जिसमें माल भंडारित किया जाता है; अथवा

(ख) किसी ऐसे बाजार की, प्रसीमाओं में, या के अन्दर माल हथालने या उसका परिवहन करने में नियोजित है; अथवा

(xxvii) किसी ऐसी उपजीविका में, जिसमें रेडियम या एक्स-रे साधित्र को

हथालाना या उसका अभिचालन या रेडियों ऐक्टिव पदार्थों का संस्पर्श अन्तर्वलित है, नियोजित है; अथवा

(xxviii) भारतीय वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 2 में यथापरिभाषित वायुयान के सन्निर्माण, बनाने, खोल डालने, चालन या अनुरक्षण में या उसके संबंध में नियोजित है; अथवा 1934 का 22

(xxix) ट्रेक्टरों या अन्य यंत्रों द्वारा, जो वाष्प या अन्य यांत्रिक शक्ति द्वारा या विद्युत द्वारा चलते हैं, उद्यान-कृषि संक्रियाओं, बनोद्योग, मधुमक्खी पालन या खेती करने में नियोजित है; अथवा

(xxx) नलकूप के निर्माण, चालन, मरम्मत या अनुरक्षण में, नियोजित है; अथवा

(xxxi) किसी भवन में विद्युत फिटिंग के अनुरक्षण, मरम्मत या नवीकरण में नियोजित है; अथवा

(xxxii) सरकस में नियोजित है; अथवा

(xxxiii) किसी कारखाने या स्थापन में चौकीदार के रूप में नियोजित है; अथवा

(xxxiv) समुद्र में मछली पकड़ने की किसी संक्रिया में नियोजित है; अथवा

(xxxv) किसी ऐसे रोजगार में नियोजित है जिसमें विष निकालने के प्रयोजन के लिए या सांपों की देखभाल करने के प्रयोजन के लिए सांपों को हथालने अथवा किसी विषैले जीव-जन्तु या कीट को हथालने की अपेक्षा की जाती है; अथवा

(xxxvi) घोड़ों, खच्चरों और सांड जैसे जीव-जन्तुओं के हथालने संबंधी काम में नियोजित है; अथवा

(xxxvii) किसी यंत्रनोदित यान में लदाई या उससे उतराई के प्रयोजन के लिए अथवा ऐसे माल की, जिसकी ऐसे यानों में लादाई की गई है, उठाई-धराई करने में या उसका परिवहन करने में नियोजित है; अथवा

(xxxviii) किसी स्थानीय प्राधिकारी की सीमाओं के भीतर मल नालियों या सेप्टिक टैंकों की सफाई में नियोजित है; अथवा

(xxxix) सर्वेक्षण और अन्वेषण, खोज अथवा नदियों के मापन या निस्सारण प्रेक्षण में नियोजित है, जिसके अंतर्गत संवर्धन संक्रियाएं, जल विज्ञानीय प्रेक्षण तथा बाढ़ पूर्वानुमान क्रियाकलाप भूगर्भ-जल सर्वेक्षण और खोज भी हैं;

(xl) ऐसे जंगलों के साफ करने में अथवा भूमि या तालाबों के ठीक करने में नियोजित है;

(xli) ऐसी भूमि पर खेती करने में या पशु धन के पालन-पोषण तथा अनुरक्षण या वन संक्रियाओं या मछली पकड़ने में नियोजित है;

(xlii) कूपों, नलकूपों, तालाबों, झीलों, जल धाराओं तथा वैसे ही स्त्रोतों से

जल उत्थापन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पंपिंग उपस्कर के संस्थापन, अनुरक्षण या मरम्मत में नियोजित हैं ;

(xliii) किसी खुले कूप या खोदे गए कूप, बोर कूप, बोर तथा खोदे गए बूथ फिल्टर पाइंट और वैसे ही बोरिंग संन्निर्माण, या उन्हें गहरा करने में नियोजित हैं ;

(xliv) कृषि संक्रियाओं या बागानों में कीटनाशी या नाशक जीव मार के फुहारन करने और उसके धूल झाड़न में नियोजित हैं;

(xlv) यांत्रिक फसल कटाई और गहाई संक्रियाओं में नियोजित हैं;

(xlvi) बुलडोजरों, ट्रेक्टरों, पावर टिलरों तथा वैसी ही मशीनों के चालन या मरम्मत या अनुरक्षण में नियोजित हैं;

(xlvii) भूमि तल से 3.66 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर विज्ञापन बोर्डों पर चित्र बनाने के लिए कलाकार के रूप में नियोजित हैं;

(xlviii) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 में परिभाषित किसी समाचारपत्र स्थापन में नियोजित हैं और बाह्य कार्य में लगे हैं; अथवा

1955 का 45

(xlix) पानी के भीतर कार्य के लिए गोताखोरों के रूप में नियोजित ; अथवा

(xlx) किसी स्थापन या स्थापनों के वर्ग मे नियोजित कोई अन्य कर्मचारी या कर्मचारियों का वर्ग, जिसे इस संहिता के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी राज्य में कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 लागू था ।

1923 का 8

तीसरी अनुसूची

(धारा 2(51), धारा 36(1), धारा 74(1),(3) और (5), धारा 131(5), धारा 132 और धारा 152(2) देखिए)

उपजीविकाजन्य रोगों की सूची

क्र.सं.	उपजीविकाजन्य रोग	नियोजन
(1)	(2)	(3)
	भाग क	
1.	संक्रामक और परजीवी रोग, जो उस उपजीविका से हुआ हो जहां संदूषण की विशिष्ट जोखिम हो ।	(क) सभी कार्य जो स्वास्थ्य या प्रयोगशाला कार्य के लिए उच्छन्न करते हों; (ख) सभी कार्य जो पशु-चिकित्सा कार्य के लिए उच्छन्न करते हों । (ग) जीव-जन्तुओं, जीव-जन्तु शवों, ऐसे शवों के भागों या व्यापारिक माल के; जो जीव-जन्तुओं या जीव-जन्तु शवों द्वारा संदूषित हो गया हो, हथालने से संबंधित कार्य ; (घ) अन्य कार्य जिसमें संदूषण की विशिष्ट जोखिम हो ।
2.	संपीड़ित वायु में कार्य द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
3.	सीसा या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
4.	नाइट्रस धूमों द्वारा विषाक्तता ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
5.	कार्बनिक फास्फोरस सम्मिश्रणों द्वारा विषाक्तता ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
	भाग ख	
1.	फास्फोरस या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
2.	पारद या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
3.	बैंनजीन या उसके विषैले समजातों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
4.	नाइट्रो और बैंनजीन के एमिडो विषैले व्युत्पन्नों या उसके समजातों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
5.	क्रोमियम या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।

6.	संखिया या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
7.	रेडियो एक्टिव पदार्थों और आयनकारी विकिरणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो रोडियोएक्टिव पदार्थों या आयतकारी विकिरणों के लिए उच्छन्न करते हों ।
8.	तारकोल, डामर, बिटूमेन, खनिज तेल, एन्थ्रसीन या इन पदार्थों के सम्मिश्रणों; उत्पादों या अवशेषों द्वारा कारित त्वचा का प्राथमिक उपकला-बुंदयुक्त कैंसर ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
9.	(ऐलिफैटिक एनडेरोमेटिक आवलियों के) हाइड्रोकार्बनों के विषैले हैलोजेन व्युत्पन्नों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
10.	कार्बन डाइसल्फाइड द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
11.	अवरक्त विकिरणों से उत्पन्न उपजीविका जन्य मोतियाबिन्द ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
12.	मैंगनीज या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
13.	शारीरिक, रासायनिक या जैविक कारकों द्वारा, जो अन्य मदों में सम्मिलित नहीं हैं; कारित त्वचा रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
14.	शोर द्वारा कारित श्रवण हानि ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
15.	प्रतिस्थापी डाइनाट्रोफीनॉल या ऐसे पदार्थों के लवणों द्वारा विषाक्तता ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
16.	बेरिलियम या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
17.	कैडमियम या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
18.	कार्य प्रक्रिया में अन्तर्विष्ट मान्यताप्राप्त सुग्राही कारकों द्वारा कारित उजीविका-जन्य दमा ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
19.	फ्लुओरीन या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।

(1)	(2)	(3)
20.	नाइट्रोग्लिसरीन या अन्य नाइट्रोएसिड ऐस्टरों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
21.	एलकोहॉलों और कीटोनों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
22.	श्वासरोध, कार्बनमोनोक्साइड और उसके विषैले व्युत्पन्नों, हाईड्रोजन सल्फाइड द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
23.	एस्बैस्टॉस द्वारा कारित फेफड़ा कैंसर और मीजिथीलिओमा ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
24.	मूत्राशय या वृक्क या मूत्रवाहिनी की एपिथिलिअल लाइनिंग का प्राथमिक अर्बुद ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
25.	बरफ से घिरे क्षेत्रों में हिमांधता ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
26.	अत्यंत गरम जलवायु में गर्मी के प्रभाव से उत्पन्न रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
27.	अत्यंत ठंडी जलवायु में ठंड के प्रभाव से उत्पन्न रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।]
	भाग ग	
1.	स्क्लेरोजेनिक खनिज धूल (सिलिकोसिस एन्थ्रासिलिकोसिस एस्बेस्टौसिस) द्वारा कारित फुफ्फुस-धूलिमयता और सिकता यक्षमा परन्तु यह कि सिकतामयता परिणामी निर्योग्यता या मृत्यु कारित करने में आवश्यक घटक हो ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
2.	इक्षुधूलिमयता ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
3.	रूई, फ्लैक्स हैम्प और सीसल धूलि (बिसिनोसिस) द्वारा कारित श्वासनी फुफ्फुस रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
4.	कार्बनिक धूल के अभिश्वसन द्वारा कारित बहिरस्थ एलर्जी एल्बियोलाइटीज	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
5.	कठोर धातुओं द्वारा कारित श्वसनी-फुफ्फुस ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
6.	गम्भीर फुफ्फुस उच्च उन्नतांश शोफ	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।

चौथी अनुसूची

[धारा 2(55), (56), धारा 76(1) और धारा 152(1) देखिए]

भाग 1

उन क्षतियों की सूची जिनके बारे में समझा जाता है कि उनके परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण निःशक्तता हुई है

क्रम संख्यांक	क्षति का वर्णन	उपार्जन सामर्थ्य की हानि का प्रतिशत
1.	दोनों हाथों की हानि या उच्चतर स्थानों पर विच्छेदन	100
2.	एक हाथ और एक पाद की हानि	100
3.	टांग या उरू से दोहरा विच्छेदन, या एक ओर टांग या उरू से विच्छेदन और दूसरे पाद की हानि	100
4.	दृक् शक्ति की इस विस्तार तक हानि कि दावेदार ऐसा कोई काम करने में असमर्थ हो जाता है जिसके लिए दृक् शक्ति आवश्यक है	100
5.	चेहरे की बहुत गम्भीर विद्रूपता	100
6.	पूर्ण बधिरता	100

भाग 2

उन क्षतियों की सूची जिनके बारे में समझा जाता है कि उनके परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक निःशक्तता हुई है

1.	स्कंध-संधि से विच्छेदन	90
2.	स्कंध से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक अंसकूट के सिरे के 20.32 सेंटीमीटर से कम हो	80
3.	अंसकूट के सिरे से 20.32 सेंटीमीटर से कूर्पर के सिरे के नीचे 11.43 सेंटीमीटर से कम तक विच्छेदन	70
4.	एक हाथ की या एक हाथ के अंगूठे और चारों अंगुलियों की हानि, या कूर्पर के सिरे से 11.43. सेटीमीटर नीचे विच्छेदन	60
5.	अंगूठे की हानि	30
6.	अंगूठे की और उसकी करम-अस्थि की हानि	40
7.	एक हाथ की चार अंगुलियों की हानि	50
8.	एक हाथ की तीन अंगुलियों की हानि	30

9.	एक हाथ की दो अंगुलियों की हानि	20
10.	अंगूठे की अन्तिम अंगुलि-अस्थि की हानि	20
11.	अस्थि की हानि के बिना अंगुठे के सिरे का गिलोटिन विच्छेदन.	10

विच्छेदन के मामले—अध:शाखा

12.	दोनों पादों का विच्छेदन जिसके परिणामस्वरूप अन्तांग मात्र रह जाए	90
13.	प्रपदांगुलि-अस्थि संधि के निकट से दोनों पादों का विच्छेदन	80
14.	प्रपदांगुल-अस्थि संधि के पादों की सब अंगुलियों की हानि	40
15.	निकटस्थ अंतरांगुलि-अस्थि संधि के निकट दोनों पादों की सब अंगुलियों की हानि	30
16.	निकटस्थ अंतरांगुलि-अस्थि संधि के दूर दोनों पादों की सब अंगुलियों की हानि	20
17.	नितम्ब पर विच्छेदन	90
18.	नितम्ब से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक वृहत उरू-अस्थि के सिरे से नापे जाने पर 12.70 सेंटीमीटर से अधिक लम्बा न हो	80
19.	नितम्ब से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक वृहत उरू-अस्थि के सिरे से नापे जाने पर 12.70 सेंटीमीटर से अधिक लम्बा हो, किन्तु मध्योरू से आगे न हो	70
20.	मध्योरू के नीचे से घुटने के 8.89 सेंटीमीटर नीचे तक विच्छेदन	60
21.	घुटने से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक 8.89 संटीमीटर से अधिक हो, किन्तु 12.70 सेंटीमीटर से अधिक न हो	50
22.	घुटने से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक 12.70 सेंटीमीटर से अधिक हो	50
23.	एक पाद का विच्छेदन जिसके परिणामस्वरूप अन्तांग मात्र रह जाए	50
24.	प्रपदांगुलि-अस्थि संधि के निकट से एक पाद का विच्छेदन	50
25.	प्रपदांगुलि-अस्थि संधि से एक पाद की सब अंगुलियों की हानि	20

अन्य क्षतियां

26.	एक नेत्र की हानि, जब कि कोई अन्य जटिलता न हो और दूसरा नेत्र प्रसामान्य हो	40
27.	एक नेत्र की दृष्टि की हानि, जबकि नेत्रगोलक में जटिलता या विद्रूपता न हो और दूसरा नेत्र प्रसामान्य हो	30
28.	एक नेत्र की दृष्टि की आंशिक हानि	10

निम्नलिखित की हानि क—दाएं या बाएं हाथ की अंगुलियां

तर्जनी

29.	संपूर्ण	14
30.	दो अंगुलि-अस्थियां	11
31.	एक अंगुलि-अस्थि	9
32.	अस्थि की हानि के बिना सिरे का गिलोटिन विच्छेदन	5

मध्यमा

33.	संपूर्ण	12
34.	दो अंगुलि-अस्थियां	9
35.	एक अंगुलि-अस्थि	7
36.	अस्थि की हानि के बिना सिरे का गिलोटिन विच्छेदन	4

अनामिका या कनिष्ठिका

37.	संपूर्ण	7
38.	दो अंगुलि-अस्थियां	6
39.	एक अंगुलि-अस्थि	5
40	अस्थि की हानि के बिना सिरे का गिलोटिन विच्छेदन	2

ख—दाएं या बाएं पाद की अंगुलियां

अंगूठा

41.	प्रपदांगुलि-अस्थि सन्धि से	14
42.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	3

कोई अन्य अंगुलि

43.	प्रपदांगुलि-अस्थि सन्धि से	3
44.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	1

अंगूठे को छोड़कर एक पाद की दो अंगुलियां

45.	प्रपदांगुलि-अस्थि सन्धि से	5
46.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	6

अंगूठे को छोड़कर एक पाद की तीन अंगुलियां

47.	प्रपदांगुलि-अस्थि सन्धि से	3
48.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	

अंगूठे को छोड़कर एक पाद की चार अंगुलियां

49.	प्रपदांगुलि-अस्थि सन्धि से	9
50.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	3

पांचवी अनुसूची

(धारा 15(2) और धारा 152(1) देखिए)

वे विषय जिनके लिए स्कीमों में उपबंध किया जा सकेगा

धारा 15 के अधीन विरचित कोई स्कीम निम्नलिखित यथा विनिर्दिष्ट या सभी विषयों के लिए उपबंध कर सकेगी--

भाग क

क्र० सं०	**वे विषय जिन पर भविष्य निधि स्कीम उपबंध कर सकेगी**
(1)	**(2)**
1.	वे कर्मचारी या कर्मचारियों का वर्ग जो निधि में सम्मिलित होंगे, और वे शर्तें जिनके अधीन कर्मचारियों को निधि में सम्मिलित होने या कोई अभिदाय करने से छूट दी जा सकेगी ।
2.	वह समय और रीति जिसमें नियोजक द्वारा (चाहे उसके द्वारा सीधे अथवा ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हो)या कर्मचारियों द्वारा अथवा उनकी ओर से निधि में अभिदाय किये जा सकेगें, वे अभिदाय जिन्हें कोई कर्मचारी धारा 16 के अधीन, यदि वह ऐसी वांछा करता है, कर सकेगा और वह रीति जिसमें ऐसे अभिदाय वसूल किये जा सकेंगे ।
3.	वह रीति जिसमें कर्मचारियों के अभिदाय ठेकेदार द्वारा या ऐसे ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों से वसूल किये जा सकेंगे ।
4.	नियोजक द्वारा धन की ऐसी राशियों का संदाय जो निधि के प्रशासन की लागत को पूरा करने के लिए आवश्यक हों और वह दर जिस पर और वह रीति जिसमें संदाय किया जाएगा ।
5.	न्यासियों के किसी बोर्ड को सहायता करने के लिए किसी समिति का गठन
6.	न्यासियों के किसी बोर्ड के क्षेत्रीय या अन्य कार्यालयों को खोलना
7.	वह रीति जिसमें लेखे रखे जाएंगें, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किन्हीं निदेशों या विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार निधि के धन का निवेश, बजट, संपरीक्षा लेखे तैयार करना और केन्द्रीय सरकार को अथवा किसी विनिर्दिष्ट राज्य सरकार को रिपोर्टें प्रस्तुत करना
8.	वे शर्तें जिनके अधीन निधि से धन निकासी अनुज्ञात की जा सकेगी और कोई कटौती या समपहरण की जा सकेगी तथा ऐसी कटौती या समपहरण की अधिकतम रकम
9.	सदस्यों को संदय ब्याज दर को संबंधित बोर्ड के न्यासियों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत करना
10.	वह प्ररूप जिसमें कोई कर्मचारी स्वयं के तथा अपने परिवार के बारे में विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा, जब कभी अपेक्षित हो

(1)	(2)
11.	किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात उसके नाम जमा रकम को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित करना तथा ऐसे नामांकन का निरस्तीकरण या परिवर्तन
12.	कर्मचारियों के संबंध में रखे जाने वाले रजिस्टर और अभिलेख तथा नियोजकों और ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां
13.	किसी कर्मचारी की पहचान के प्रयोजन के लिए किसी पहचान पत्र, टोकन या डिस्क तथा उसको जारी करने, अभिरक्षा में रखने तथा बदलने के लिए प्ररूप और डिजाइन
14.	इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किन्हीं प्रयोजनों के लिए उद्ग्रहित की जाने वाली फीस
15.	वे उल्लंघन या त्रुटियां जो धारा 135 के अधीन दण्डनीय होंगी
16.	और शक्तियां, यदि कोई हों, जो निरीक्षक सह सुकारक द्वारा प्रयोग की जा सकेंगीं ।
17.	वह रीति जिसमें किसी विद्यमान भविष्य निधि में संचय, निधि में अन्तरित की जाएंगी और किन्हीं आस्तियों के मूल्यांकन का ढ़ग जो नियोजकों द्वारा इस निमित अंतरित की जा सकेंगीं
18.	वे शर्तें जिनके अधीन निधि से प्रिमियम या जीवन बीमा को संदाय करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा
19.	कोई अन्य विषय जिसका स्कीम में उपबंध किया जाना हो या जो स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए आवश्यक या उचित हो ।

भाग – ख

वे विषय, जिनके लिए पेंशन स्कीम में उपबंध किया जा सकेगा

1. – वे कर्मचारी या कर्मचारियों का वर्ग जिसे पेंशन स्कीम लागू होगी ।

2. भविष्य निधि में कर्मचारियों के अभिदाय का हिस्सा, जो पेंशन निधि में जमा किया जाएगा तथा वह रीति जिसमें इसे जमा किया जाएगा ।

3. वह रीति जिसमें और वह सेवा की अवधि जिसके लिए कोई अभिदाय प्राप्त नहीं हुआ है, का विनियमन ।

4. वह रीति जिसमें नियोजक द्वारा अभिदाय के संदाय में व्यतिक्रम के विरूद्ध कर्मचारियों का हित सुरक्षित किया जाएगा ।

5. निवेश के ऐसे पैटर्न के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, वह रीति जिसमें पेंशन निधि के लेखे रखे जाएंगे और पेंशन निधि के धन का निवेश किया जाएगा ।

6. वह प्ररूप जिसमें कोई कर्मचारी स्वयं के तथा अपने परिवार के सदस्यों के बारे में विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा, जब कभी अपेक्षित हो ।

7. पेंशन स्कीम के प्रशासन के लिए अपेक्षित, कर्मचारियों के संबंध में रखे जाने वाले प्ररूप, रजिस्टर और अभिलेख ।

8. पेंशन और पेंशनकारी फायदों का पैमाना तथा कर्मचारियों को ऐसे फायदे देने के संबंध में शर्तें

9. वह रीति जिसमें छूट प्राप्त स्थापनों को पेंशन स्कीम में अभिदाय का संदाय करना पडेगा तथा उससे संबंधित विवरणियां प्रस्तुत करना ।

10. पेंशन के वितरण का ढंग तथा ऐसे वितरण करने वाले अभिकरणों के साथ किये जाने वाले ठहराव, जो इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किये जाएं ।

11. वह रीति जिसमें पेंशन स्कीम के प्रशासन के लिए व्ययों को पेंशन निधि की आय से पूरा किया जाएगा ।

12. कोई अन्य विषय जिसका पेंशन स्कीम में उपबंध किया जाना हो या जो पेंशन स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए आवश्यक या उचित हो ।

भाग – ग

वे विषय, जिनके लिए कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा स्कीम में उपबंध किया जा सकेगा

1. वे कर्मचारी या कर्मचारियों का वर्ग जिसे बीमा स्कीम लागू होगी ।

2. निवेश के ऐसे पैटर्न के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, वह रीति जिसमें बीमा निधि के लेखे रखे जाएंगे और बीमा निधि के धन का निवेश किया जाएगा ।

3. वह प्ररूप जिसमें कोई कर्मचारी स्वयं के तथा अपने परिवार के सदस्यों के बारे में विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा, जब कभी अपेक्षित हो ।

4. किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात उसके नाम जमा रकम को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित करना तथा ऐसे नामांकन का निरस्तीकरण या परिवर्तन

5. कर्मचारियों के संबंध में रखे जाने वाले रजिस्टर और अभिलेख; किसी कर्मचारी या उसके नामिती या बीमा रकम को प्राप्त करने के हकदार उसके परिवार के सदस्य की पहचान के प्रयोजन के लिए किसी पहचान पत्र, टोकन या डिस्क तथा उसको जारी करने, अभिरक्षा में रखने तथा बदलने के लिए प्ररूप और डिजाइन

6. पेंशन और पेंशनकारी फायदों का पैमाना तथा कर्मचारियों को ऐसे फायदे देने के संबंध में शर्तें

7. वह रीति जिसमें स्कीम के अधीन नामिती या कर्मचारी के परिवार के सदस्य को शोध्य रकम संदत्त की जानी है, जिसके अन्तर्गत यह उपबंध है कि बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी तत्स्थानी नये बैंक में ऐसे नामिती या परिवार के सदस्य के नाम में बचत खाता अकाउंट में निक्षेप के रूप में जमा से अन्यथा, रकम संदत्त नहीं की जाएगी ।

8. कोई अन्य विषय जिसका कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा स्कीम में उपबंध किया जाना हो या जो उस स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए आवश्यक या उचित हो ।

छठी अनुसूची

(धारा 75, धारा 76(1) और धारा 152(1) देखें)

स्थायी निःशक्तता और मृत्यु की दशा में प्रतिकर को रकम के एकमुश्त समतुल्य रकम निकालने के लिए गुणक

	कर्मचारी को प्रतिकर देय होने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती उसके अन्तिम जन्म दिवस को पूर्ण हुए वर्षों की संख्या	गुणक
(1)	(2)	(3)
16	से अधिक नहीं	228.54
17	से अधिक नहीं	227.49
18	से अधिक नहीं	226.38
19	से अधिक नहीं	225.22
20	से अधिक नहीं	224.00
21	से अधिक नहीं	222.71
22	से अधिक नहीं	221.37
23	से अधिक नहीं	219.95
24	से अधिक नहीं	218.47
25	से अधिक नहीं	216.91
26	से अधिक नहीं	215.28
27	से अधिक नहीं	213.57
28	से अधिक नहीं	211.79
29	से अधिक नहीं	209.92
30	से अधिक नहीं	207.98
31	से अधिक नहीं	205.95
32	से अधिक नहीं	203.85
33	से अधिक नहीं	201.66
34	से अधिक नहीं	199.40
35	से अधिक नहीं	197.06
36	से अधिक नहीं	195.64
37	से अधिक नहीं	192.14
38	से अधिक नहीं	189.56
39	से अधिक नहीं	186.90
40	से अधिक नहीं	184.17
41	से अधिक नहीं	181.37
42	से अधिक नहीं	178.49
43	से अधिक नहीं	175.49

44	से अधिक नहीं	172.52
(1)	**(2)**	**(3)**
45	से अधिक नहीं	169.44
46	से अधिक नहीं	166.29
47	से अधिक नहीं	163.70
48	से अधिक नहीं	159.80
49	से अधिक नहीं	156.47
50	से अधिक नहीं	153.09
51	से अधिक नहीं	159.67
52	से अधिक नहीं	146.20
53	से अधिक नहीं	142.68
54	से अधिक नहीं	139.13
55	से अधिक नहीं	135.56
56	से अधिक नहीं	131.95
57	से अधिक नहीं	128.33
58	से अधिक नहीं	124.70
59	से अधिक नहीं	121.05
60	से अधिक नहीं	117.41
61	से अधिक नहीं	113.77
62	से अधिक नहीं	110.14
63	से अधिक नहीं	106.52
64	से अधिक नहीं	102.93
65	या अधिक	99.37

सातवीं अनुसूची

(धारा 114(4) देखें)

संकलकों का वर्गीकरण

क्रम संख्या	संकलक का वर्गीकरण
1.	साझा सवारी सेवाएं
2.	खाद्य और ग्रोसरी परिदान सेवाएं
3.	संभार-तंत्र सेवाएं
4.	माल और /या सेवाओं थोक/खुद्रा विक्रय के लिए इ-बाजार स्थान (जिसमें बाजार स्थान इन्वेंटरी मोडल दोनों सम्मिलित हैं) (बी2बी/बी2सी)
5.	वृत्तिक सेवा प्रदाता
6	स्वास्थ्य देख-रेखे
7.	यात्रा और सतकार
8.	अन्तरवस्तु और मीडिया सेवाएं
9.	कोई अन्य माल और सेवा प्रदाता मंच

उद्देश्यों और कारणों का कथन

दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग, जिसने जून, 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, ने सिफारिश की थी कि विद्यमान श्रम विधियों का मुख्यतः निम्नलिखित समूहों में समामेलन किया जाना चाहिए, अर्थात् :--

(क) औद्योगिक संबंध ;

(ख) मजदूरी ;

(ग) सामाजिक सुरक्षा ;

(घ) सुरक्षा ; और

(ङ) कल्याण और कार्य स्थितियां ।

2. उक्त आयोग की सिफारिशों और सरकार, नियोक्ताओं और उद्योग के प्रतिनिधियों की त्रिपक्षीय बैठक में किए गए विचार-विमर्श के अनुसरण में सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019 को लोक सभा में 11 दिसंबर, 2019 को निम्नलिखित नौ केंद्रीय श्रम अधिनियमितियों के सुसंगत उपबंधों का समामेलन, सरलीकरण और सुव्यवस्थितिकरण करने के लिए आशयित है, अर्थात् :--

(i) कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 ;

(ii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ;

(iii) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ;

(iv) रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 ;

(v) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 ;

(vi) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 ;

(vii) सिने कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 ;

(viii) भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 ; और

(ix) असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

3. उक्त विधियों का समामेलन कल्याण की मूल अवधारणा और कर्मकारों के फायदे से समझौता किए बिना कार्यान्वयन को सुकर बनाएगा और परिभाषाओं और प्राधिकारियों की बहुलता को दूर करेगा । इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए तथा अनुपालना को सुकर बनाने की दृष्टि से विधेयक के उपबंधों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की ईप्सा की गई है । नियत अवधि कर्मचारियों के फायदों के परिमाण को व्यापक करना समानता की ओर एक बड़ा कदम होगा ।

4. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019, श्रम पर संसदीय स्थायी समिति को 24 दिसंबर, 2019 को निर्दिष्ट किया गया था और समिति ने कतिपय सिफारिशों के साथ 31 जुलाई, 2020 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । समिति के मूल्यवान सुझावों को सम्मिलित करने के पश्चात् अब लंबित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019 को वापस लेने का

और एक नया विधेयक अर्थात् सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का प्रस्ताव करने का विनिश्चय किया गया है ।

5. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की, अन्य बातों के साथ, विशेषताएं इस प्रकार हैं—

(i) संगठित या असंगठित या किन्हीं अन्य क्षेत्रों में, सभी कर्मचारियों और कर्मकारों पर सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने के उद्देश्य के साथ सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन ;

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से संबंधित अध्याय 3 के अधीन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से संबंधित अध्याय 4 के अधीन स्वैच्छिक आधार पर किसी स्थापन को कवर करना, जहां तक कि उस स्थापन में कर्मचारियों की संख्या ऊपरी सीमा से कम है । यह उन अध्यायों को ऐसे स्थापनों पर कतिपय शर्तों को पूरा करने पर लागू नहीं करने की ईप्सा भी करता है ;

(iii) विधेयक में उपयोग किए गए विभिन्न पदों, जैसे ''कैरियर केंद्र'', ''समूहक'', "प्लेटफार्म कर्मकार", "मजदूरी अधिकतम सीमा"आदि को परिभाषित करने के लिए है ; इसके अतिरिक्त, "कर्मचारी"की परिभाषा को समग्र रूप से विस्तृत किया गया है ताकि उसके अधीन अधिकतम संख्या में कर्मचारियों और कर्मकारों को लाया जा सके ;

(iv) प्रत्येक स्थापन, जिसको विधेयक लागू होता है, इलैक्ट्रानिकी रूप से या अन्यथा रजिस्ट्रीकरण काऐसे समय और ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारानियमों द्वारा विहित की जाए,उपबंध करने के लिए है। यह किसी स्थापन के रजिस्ट्रीकरण को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं,रद्द करने के विकल्प का भी उपबंध करता है, जिसके कारबार कार्यक्रलाप बंद होने की प्रक्रिया में है;

(v) विधेयक के प्रशासन के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा संगठनों का गठन, अर्थात्, (क) कर्मचारी भविष्य निधि न्यासी केंद्रीय बोर्ड (केंद्रीय बोर्ड), (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (निगम), (ग) असंगठित कर्मकार राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड), (घ)असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड), (ङ) राज्य भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड ;

(vi) यह उपबंध करने के लिए कि चिकित्सा शिक्षा संस्थाएं और कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्रशिक्षण संस्थाएं निगम द्वारा स्वयं ही या निगम के अनुरोध पर केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार,केंद्रीय सरकार के या राज्य सरकार केकिसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य निकाय द्वारा चलाई जा सकेंगी ;

(vii) केंद्रीय सरकार को असंगठित कर्मकारों, जिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों तथा उनके कुटुंब के सदस्यों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम से संबंधित फायदों का उपबंध करने के लिए सशक्त करने के लिए है ;

(viii) प्रसूतिफायदा, जैसे कतिपय अवधियों के दौरान कार्य का प्रतिषेध, स्तनपान अवधि का उपबंध, शिशु कक्ष सुविधा, प्रसूति फायदों के लिए दावा आदि का उपबंध करने के लिए है ;

(ix) अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार को अतिरिक्त कार्य समनुदेशित करने के लिए, जिसके अंतर्गत किन्हीं सामाजिक सुरक्षा संगठनों को सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अन्य अधिनियमिती या स्कीम का प्रशासन है, विरचित करने के लिए सशक्त करना और ऐसे अतिरिक्त कार्य के व्यय को केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ;

(x) स्व:नियोजित कर्मकारों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा फायदों का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए स्कीमें विरचित करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करना ;

(xi) केंद्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में अभिदाय के लिए कर्मचारियों की दर तथा वह अवधि, जिसके लिए ऐसी दरें कर्मचारी के किसी वर्ग को लागू होंगी, विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करना ;

(xii) किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित देय का अवधारण और निर्धारण तथा नुकसानी का उद्ग्रहण केवल संबंधित सामाजिक सुरक्षा संगठन के पास प्राधिकारी द्वारा अवधारित देय रकम का पच्चीस प्रतिशत जमा करने के पश्चात् उस प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, अपील करने का उपबंध;

(xiii) यह उपबंध करने के लिए कि यदि किसी कर्मचारी को नियत अवधि नियोजन पर नियुक्त करने या किसी मृतक कर्मचारी की दशा में नियोक्ता समानुपाती आधार पर उपदान का संदाय करेगा और न कि पांच वर्ष की सतत सेवा के आधार पर ;

(xiv) स्व:निर्धारण के आधार पर अध्याय 8 के अधीन संदेय भवन और अन्य संनिर्माण संकर्म की दशा में नियोक्ता द्वारा उपकर के संदाय के लिए उपबंध करना ;

(xv) प्रत्येक असंगठित कर्मकार, जिग कर्मकार या प्लेटफार्म कर्मकार के स्वय: घोषणा के आधार पर इलैक्ट्रानिकी रूप से या अन्यथा ऐसे दस्तावेजों, जिसके अंतर्गत आधार नंबर है, सहित ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में ऐसी सूचना सहित, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध करना ;

(xvi) आदेश द्वारा केंद्रीय सरकार को, यथास्थिति, अध्याय 3 या अध्याय 4 के अधीन संदेय नियोक्ता के अभिदाय या कर्मचारियों के अभिदाय या दोनों को स्थगित या कम करने के लिए सशक्त करना;

(xvii) असंगठित कर्मकारों, जिग कर्मकारों या प्लेटफार्म कर्मकारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि के अधीन पृथक् लेखाओं की स्थापना और

अनुरक्षण ; तथा विधेयक या किन्हीं अन्य केंद्रीय श्रम विधियों के अधीन अपराधों के उपशमन से प्राप्त रकम के लिए एक पृथक् लेखा का उपबंध करना ;

6. खंडों पर टिप्पण विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तार से स्पष्ट करते हैं ।

7. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
15 सितम्बर, 2020

संतोष कुमार गंगवार

खंडो का टिप्पण

विधेयक का खंड 1, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ और प्रस्तावित विधेयक के लागू किए जाने का उपबंध किए जाने के लिए है ।

विधेयक का खंड 2, विधेयक में प्रयुक्त कतिपय पदों को परिभाषित करने के लिए है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ''समुचित सरकार'', ''भवन निर्माण कर्मकार'', ''नियोजन क्षति'', ''कारखाना'', ''स्थायी आंशिक नि:शक्तता'', ''स्थायी पूर्ण नि:शक्तता'' आदि सम्मिलित है ।

विधेयक का खंड 3, ऐसे स्थापन के रजिस्ट्रीकरण और रद्दकरण के लिए है, जिसको प्रस्तावित विधेयक केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में उपबंधित रीति में लागू होती है ।

विधेयक का खंड 4, अध्याय 3 और इस अध्याय से संबंधित प्रस्तावित विधेयक के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के गठन की रीति और संरचना का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 5, अध्याय 4 और उस अध्याय से संबंधित विधेयक के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के गठन की रीति और संरचना का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 6, असंगठित कर्मकारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करने की रीति, संरचना और कृत्यों तथा राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड का भी गठन करने हेतु उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 7, राज्य भवन निर्माण और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के गठन की रीति, संरचना और कृत्यों का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 8, ऐसी शर्तों का उपबंध करने के लिए है, जो किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन के सदस्य की निरर्हता और हटाए जाने के लिए है ।

विधेयक का खंड 9, सामाजिक सुरक्षा संगठन की बैठकों, कृत्यों और भत्तों से संबंधित उसकी प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 10, यह उपबंध करने के लिए है कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त और महानिदेशक, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जो उसके पद से संबंधित नहीं है ।

विधेयक का खंड 11, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा निगम, केंद्रीय न्यासी बोर्ड, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य असंगठित कर्मकार या भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड का अधिक्रमण करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 12, राज्य बोर्ड, क्षेत्रीय बोर्ड, स्थानीय समितियों आदि का गठन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 13, केंद्रीय सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा संगठनों को अतिरिक्त कृत्यों को न्यस्त करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 14, केंद्रीय बोर्ड के अधिकारियों की नियुक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 15, कर्मचारी भाविष्य निधि स्कीम, कर्मचारी पेंशन स्कीम और कर्मचारी

बीमा से संबद्ध निक्षेप स्कीम जैसी स्कीम विरचित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 16, स्कीम के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा भविष्य निधि, पेंशन निधि और डिपाजट लिंक्ड बीमा निधियों की स्थापना का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 17, कर्मचारियों और ठेकेदारों के संबंध में अभिदाय करने संबंधी उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 18, आय-कर अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त निधि का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 19, अन्य शोध्यों पर अभिदायों के संदाय की पूर्विकता का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 20, कतिपय स्थापनों के लिए अध्याय 3 के लागू न होने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 21, कतिपय कर्मचारियों को भविष्य निधि खाते बनाए रखने हेतु प्राधिकृत करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 22, उस दशा में खातों के अंतरण का उपबंध करने के लिए है, जहां कर्मचारी अपना नियोजन छोड़ देता है और किसी अन्य स्थापन में नियोजन अभिप्राप्त कर लेता है ।

विधेयक का खंड 23, इसमें विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में अधिकरण को अपील करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 24, निगम के प्रधान अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद की नियुक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 25, कर्मचारी राज्य बीमा निधि में दिए गए सभी अभिदायों और अन्य धन के संदायों का और उसके प्रशासन का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 26, ऐसे प्रयोजनों का, जिनके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निधि का विस्तार किया जा सकेगा, उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 27, निगम द्वारा संपत्ति के अर्जन और धारण करने, जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की संपत्ति का विक्रय या अन्यथा अंतरण का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 28, ऐसे स्थापनों में, जिसके अध्याय 4 लागू होता है, सभी कर्मचारियों के बीमा करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 29, नियोजक और कर्मचारी द्वारा संदेय अभिदाय का निगम को संदत्त किए जाने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 30, प्रशासनिक व्यय और निगम की आय की ऐसी प्रतिशतता, जो ऐसे व्ययों के लिए खर्च की जा सकेगी, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 31, नियोजक द्वारा अभिदाय के संदाय और ठेकेदार से अभिदाय की, यदि उसके द्वारा संदत्त किया गया है, वसूली और निगम को अभिदाय प्रेषित करने का व्यय वहन करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 32 इस खंड में विनिर्दिष्ट वर्णित फायदों के बीमाकृत व्यक्तियों, उनके आश्रितों आदि का उपबंध करता है जिसके अंतर्गत उसकी बीमारी की दशा में बीमाकृत व्यक्तियों

को कालिक संदाय, प्रसवावस्था की या गर्भपात की या गर्भावस्था प्रसवावस्थासमयपूर्व शिशि-,जन्म या गर्भपात से उद्भूत बीमारी की दशा में किसी ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को जो एक स्त्री है, कालिक संदाय, ऐसी स्त्री को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसे संदायों के लिए पात्र होने का प्रमाणपत्र देना होगा।

विधेयक का खंड 33 निगम को बीमाकृत व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारने के लिए तथा पुनर्वास तथा पुनर्नियोजन के लिए उपायों का संवर्धन करने की शक्ति का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 34 यह उपबंध करने के लिए है कि इसमें वर्णित कतिपय दुर्घटनाओं के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वह नियोजन के दौरान हुई है ।

विधेयक का खंड 35 यह उपबंध करने के लिए है कि इस बात के होते हुए भी कर्मारी दुर्घटना के समय विधि के उल्लंघन में कार्य कर रहा था, उसमें विनिर्दिष्ट मामलों में दुर्घटना को उसके नियोजन से उद्भूत और उसके दौरान हुई समझी जाएगी ।

विधेयक का खंड 36 यह उपबंध करने के लिए है कि उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में नियोजित किसी कर्मचारी को हुए रोग को , जब तक कि उस खंड में विनिर्दिष्ट रीति में तत्प्रतिकूल साबित न हो जाए, नियोजन से उद्भूत और उसके दौरान हुई नियोजन क्षति समझा जाएगा ।

विधेयक का खंड 37 बीमाकृत व्यक्तियों से संबंधित कतिपय मामलों को विनिर्दिष्ट करने के लिए है जिन्हें चिकित्सीय बोर्ड को निर्दिष्ट किए जा सकेंगे और चिकित्सा बोर्ड द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट मामलों में अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन किया जा सकेगा। इसमें चिकित्सा अपील अधिकरण को या सीधे कर्मचारी बीमा न्यायालयों को अपील करने के बारे में भी उपबंध है, यदि, यथास्थिति, बीमाकृत व्यक्ति या निगम चिकित्सा बोर्ड के किसी विनिश्चय से व्यथित है ।

विधेयक का खंड 38 धारा 2 के खंड 24 के उपखंड (क) और उपखंड (ख) में विनिर्दिष्ट बीमाकृत व्यक्ति के आश्रितों को, चाहे उसमें क्षति के संबंध में अस्थायी निशक्तता के लिए कोई कालिक संदाय प्राप्त किया हो या नहीं, ऐसी दरों पर और ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु की दशा में, जो अध्याय 4 के अधीन कर्मचrरी के रूप में नियोजन क्षति के परिणामस्वरूप है, विहित की जाएं ।

विधेयक का खंड 39 किसी बीमाकृत व्यक्ति और उसके कुटुंब को, ऐसी अर्हताओं, शर्तों, ऐसी प्रसुविधा के पैमाने और ऐसी अवधि के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, चिकित्सा प्रसुविधा का उपबंध करने के लिए है । इसमें निगम द्वारा, उसके अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के लिए, कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अधीन उपबंधित सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि से, चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं, जिसके अंतर्गत महाविद्यालय, दंत महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय और प्रशिक्षण संस्थान भी हैं, की स्थापना करने का उपबंध करने के लिए भी है ।

विधेयक का खंड 40 यह उपबंध करने के लिए है कि राज्य सरकार या निगम राज्य में बीमाकृत व्यक्तियों और उनके कुटुंब को उचित चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और प्रसूति चिकित्सा उपलब्ध करवाएगा । इसमें यह भी उपबंधित है कि राज्य सरकार, निगम के

अनुमोदन से चिकित्सा व्यवसायियों के क्लीनिकों में ऐसे पैमाने पर और ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए जो करार में पाई जाए, चिकित्सा उपचार की व्यवस्था करेगा ।

विधेयक का खंड 41 अध्याय 4 के अधीन दी गई प्रसुविधाओं के बारे में साधारण उपबंध अधिकथित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 42 ऐसे नियोजक द्वारा उसके उपखंड (1) में विनिर्दिष्ट असफलता या उपेक्षा की दशा में नियोजक के प्रति निगम के अधिकारों के बारे में है । इसमें यह और उपबंधित है कि इस खंड के अधीन वसूलनीय रकम को इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानो यह भू-राजस्व का बकाया खंड 129 से खंड 132 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में वसूल की गई थी ।

विधेयक का खंड 43 कारखानों या अन्य स्थापनों के स्वामी या अधिभोगी या वासगृह या वास का स्वामी को, बीमारी प्रसुविधा के रूप में निगम द्वारा उपगत अतिरिक्त व्यय की रकम के संदाय हेतु दायी बनाने के लिए है जहां निगम यह समझता है कि बीमाकृत व्यक्तियों में हुई बीमारी की घटना अनन्य रूप से, यथास्थिति, कारखाने या अन्य स्थापन के स्वामी या अधिभोगी या वासगृह या वास के स्वामी की गलती या उपेक्षा के कारण हुई है ।

विधेयक का खंड 44 किसी ऐसे क्षेत्र में निगम द्वारा स्थापित किसी अस्पताल में अन्य हिताधिकारियों और उनके कुटुंब के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु स्कीम का उपबंध करने के लिए है जिसका उपयोक्ता प्रभारों के संदाय पर उपयोग किया जाएगा और स्कीम के प्रचालन के निबंधन और शर्तें केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होंगे ।

विधेयक का खंड 45 निगम द्वारा असंगठित कर्मकारों, गिग कर्मकारों और लेटफार्म कर्मकारों और उनके कुटुंब के सदस्यों के लिए अध्याय 4 के अधीन अनुज्ञेय प्रसुविधाओं का उपबंध करने हेतु स्कीम का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 46 किसी कारखाने या अन्य ऐसे स्थापन को जो किसी स्थानीय प्राधिकारी का है, अध्याय 4 के प्रवर्तन से छूट देने के लिए है, यदि ऐसे कारखाने या अन्य स्थापन के कर्मचारी अन्यथा उस अध्याय के अधीन उपबंधित समान प्रकृति के या उससे अधिक सारवान प्रसुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं ।

विधेयक का खंड 47 निगम को शोध्य अभिदाय आदि को अन्य ऋणों से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी ।

विधेयक का खंड 48 राज्य सरकार द्वारा, अदिसूचना द्वारा कर्मचारी बीमा न्यायालय के गठन का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 49 ऐसे विषयों को विनिर्दिष्ट करने के लिए है जिनका विनिश्चय कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा किया जाएगा । यह इस प्रकार विनिर्दिष्ट किसी ऐसे प्रश्न या विवाद का विनिश्चय करने या उस पर कार्रवाई करने की या किसी से दायित्व को अधिनिर्णीत करने की सिविल न्यायालय की अधिकारिता को अपवर्जित करने के लिए भी है जिनका विनिश्चय इस अध्याय से संबंधित विधेयक द्वारा या उसके अधीन चिकित्सीय बोर्ड द्वारा या चिकित्सा अपील अधिकरण द्वारा या कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा किया

जाना है ।

विधेयक का खंड 50 यह उपबंध करने के लिए है कि कर्मचारी बीमा न्यायालय को उसके उपखंड (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायासय की सभी शक्तियां होंगी ।

विधेयक का खंड 51 यह उपबंध करने के लिए है कि उस न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के प्रारंभ की रीति, उसकी फीस और प्रक्रिया वह होगी, जो राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंधित की जाए ।

विधेयक का खंड 52 कर्मचारी बीमा न्यायालय के आदेशों से उच्च न्यायालय को अपील करने का उपबंध करने के लिए है यदि उसमें विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है ।

विधेयक का खंड 53 किसी कर्मचारी को उसके नियोजन के पर्यवसान पर उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों और दरों के अध्ययधीन रहते हुए उपदान के संदाय के लिए उपबंध बनाने के लिए है ।

विधेयक का खंड 54 किसी कर्मचारी को उपदान के संदाय के प्रयोजन के लिए उस अवधि को जिसमें कर्मचारी ने उस अवधि के लिए निर्बाध सेवा की हो लगातार सेवा के रूप में परिभाषित करने के लिए है, जिसके अंतर्गत वह सेवा भी है जो छुट्टी बिना सेवा से किसी बीमारी, दुर्घटना, छुट्टी अनुपस्थित होने पर (अनुपस्थित नहीं होने के संबंध में जिसमें कोई आदेश सेवा में व्यवधान के रुप में अनुपस्थिति को देखने के लिए स्थापन के नियोजन के शासित करने वाले मानक आदेशों, नियमों अथवा विनियमों के अनुसरण में कोई आदेश पारित किया गया हो) कामबंदी, कर्मचारियों के हड़ताल या तालाबंदी या किसी त्रुटि के कारण कार्य के नहीं करने पर चाहे ऐसी निर्बाध या विघ्नकारी सेवा इस विधेयक के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात की गई थी ।

विधेयक का खंड 55 प्रत्येक कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशन के लिए उपबंध करने के लिए है । जिसने एक वर्ष की सेवा ऐसे समय के भीतर, उस प्ररुप में तथा उस रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा बनाये गए नियमों द्वारा उपबंधित की जाए पूर्ण कर ली हो ।

विधेयक का खंड 56 उपदान की रकम का अवधारण का उपबंध करने के लिए है। यह उपबंध करने के लिए है कि नियोजक उस तारीख से 30 दिनों के भीतर उपदान का संदाय करने की व्यवस्था करेगा जिस तारीख को उस व्यक्ति को संदाय की जानी है जिसको उपदान देय होता है ।

विधेयक का खंड 57 प्रत्येक नियोजक, किसी नियोजक से भिन्न अथवा उससे संबंधित स्थापन, या उसके नियंत्रण के अधीन, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथा परिभाषित प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी बीमा कंपनी से अध्याय 5 के अधीन उपदान के संदाय के लिए उसके दायित्व हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमों हेतु उपबंध रीति में अनिवार्य बीमा का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 58 उपबंध करता है कि समुचित सरकार अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे क्षेत्र के लिए अध्याय 5 में किसी उपबंध के कार्यान्वयन हेतु सक्षम प्राधिकारी के लिए सरकार द्वारा नियमों हेतु यथाउपबंधित ऐसी अर्हता और अनुभव रखने

वाले किसी उस सरकार के अधिकारी को अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकेगी।

विधेयक का खंड 59 किसी स्त्री को उसके प्रसव, गर्भपात या गर्भावस्था के चिकित्सीय पर्यवसान दिन से तत्काल छः सप्ताह के दौरान किसी स्थापन में नियोजक द्वारा नियोजित करने से प्रतिषिद्ध करने अथवा किसी स्त्री के कार्य किये जाने को प्रतिषिद्ध करने का उपबंध करता है। इसके अतिरिक्त इस संबंध में स्त्री द्वारा किए गए अनुरोध पर पूर्व उल्लिखित छह सप्ताह की अवधि के अव्यवहित एक मास पूर्व की अवधि के दौरान या छह सप्ताह की उक्त अवधि जिसके लिए गर्भवती स्त्री ने धारा 62 के अधीन अनुपस्थिति छुट्टी नही ली है, के दौरान नियोजक द्वारा उससे ऐसा कार्य जो उसमें विनिर्दिष्ट प्रकृति का है करने की उपेक्षा को प्रतिषिद्ध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 60 प्रत्येक स्त्री को वास्तविक अनुपस्थिति की अवधि अर्थात यह कह सकते है कि उसके प्रसव के दिन के तत्काल उत्तरवर्ती अवधि और उस दिन की तत्काल कोई अवधि है, यदि वह उस नियोजक के किसी स्थापन में वास्तविक रुप से कार्य करती है के लिए औसत दैनिक मजदूरी की दर पर मातृत्व फायदा के संदाय का अधिकार का उपबंध करने के लिए है । ऐसी स्त्री छब्बीस सप्ताह की अधिकतम अवधि के अध्ययधीन रहते हुए जिसमें से उसके प्रत्याशित प्रसव की तारीख से पूर्व अवधि आठ सप्ताह की अवधि से अधिक नही होगी उसके प्रसव की प्रत्याशित तारीख से अव्यवहित पूववर्ती बारह मास में अस्सी दिवस से अन्यून अवधि के लिए मातृत्व फायदे की हकदार होगी । यह और उपबंध करता है कि कोई स्त्री जो 3 मास की आयु से नीचे किसी बालक को विधितः दत्तकग्रहण करती है या जन्म देने वाली माता है वह 12 सप्ताह की अवधि हेतु मातृत्व फायदा के लिए हकदार होगी। यह भी उपबंध करता है कि स्त्री के समनुदेशित कार्य ऐसी प्रकृति का है कि वह घर से ऐसा कार्य कर सकती है तो नियोजक उसे ऐसी अवधि के लिए मातृत्व लाभ लेने के पश्चात् ऐसी शर्तों पर जिन पर नियोजक और स्त्री पारस्परिक रूप से सहमत हो , ऐसा करना अनुज्ञात कर सकेगा ।

विधेयक का खंड 61 प्रसूति प्रसुविधा पाने की हकदार हर स्त्री को उस कारखाने या अन्य स्थापन को जिसमें वह नियोजित है, अध्याय 4 के लागू होते हुए भी, मातृत्व फायदे के संदाय के जारी रहने का उपबंध करता है जब तक वह उस अधिनियम की धारा 32 के अधीन प्रसूति प्रसुविधा का दावा करने के लिए अर्हित न हो जाए ।

विधेयक का खंड 62 किसी स्त्री द्वारा जो किसी स्थापन में नियोजित और अध्याय 6 के अधीन मातृत्व फायदे के लिए हकदार है उसके नियोजक को मातृत्व फायदे के दावे और उसके संदाय के लिए लिखित सूचना देने के लिए उपबंध करने के लिए है । यह और उपबंध करता है कि इस खंड के अधीन सूचना देने में विफलता उक्त अध्याय के अधीन मातृत्व फायदा देने के लिए कोई स्त्री हकदार नहीं होगी यदि उसने ऐसे फायदा या रकम के लिए अन्यथा हकदार होती है।

विधेयक का खंड 63 ऐसे मातृत्व फायदा या रकम को प्राप्त करने से पूर्व किसी स्त्री की मृत्यु के मामले में अथवा जहां नियोजक मातृत्व फायदा के लिए दायी होता है मातृत्व फायदा का संदाय करने का उपबंध करता है । यह और उपबंध करता है कि नियोजक धारा 62 में दी गई सूचना में किसी स्त्री द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति तथा ऐसे मामलें में जहां ऐसा कोई नामनिर्देशिती नहीं है उसके विधिक प्रतिनिधत्व को ऐसे

फायदा या रकम का संदाय करेगा।

विधेयक का खंड 64 किसी स्त्री के नियोजक से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाअधिसूचित दो हजार पांच सौ रुपए या ऐसी रकम के चिकित्सीय बोनस का संदाय करने का उपबंध करता है, यदि निशुल्क रुप से नियोजक द्वारा कोई प्रसव पूर्व प्रसवास्था और प्रसव पश्चात सुविधा नहीं प्रदान की गई है।

विधेयक का खंड 65 गर्भपात, गर्भावस्था के चिकित्सीय समाप्ति पर, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन, टयूबेकटोमी आपरेशन गर्भावस्था के कारण उत्पन्न बीमारी, प्रसव, समय पूर्व शिशु जन्म, गर्भपात या ऐसे सबूत के प्रस्तुत किए जाने पर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम हेतु विहित किए जाए, के लिए मातृत्व फायदे की दर पर मजदूरी के साथ छुट्टी देने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 66 प्रत्येक ऐसी स्त्री जो बालक को जन्म देती है वह ऐसे प्रसव के पश्चात डयूटी पर वापस होती है उसे आराम करने के लिए इसके अतिरिक्त ऐसे अंतराल के लिए पोषणार्थ विराम अनुज्ञात का उपबंध करने के लिए है जो उस बालक के 15 माह की आयु प्राप्त कर लेने तक देखभाल के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमों हेतु यथाविहित ऐसी अवधि के दो विराम को उसके दैनिक कार्य के क्रम में अनुज्ञात किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 67 प्रत्येक स्थापन में जहां 15 कर्मचारीवृंद या कर्मचारियों की ऐसी संख्या जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, नियोजित किए जाते है शिशुकक्ष के लिए उपबंध करने के लिए है । यह और उपबंध करता है कि नियोजक स्त्री द्वारा शिशुकक्ष में एक दिन में चार बार जाने के लिए अनुज्ञात करेगा जिसमें उसके लिए अनुज्ञात आराम करने का अंतराल भी संम्मिलित है। यह भी उपबंध करता है कि नियोजक मातृत्व फायदा से संबंधित अध्याय 6 के अधीन प्रत्येक फायदा संबंधी ऐसे स्थापन में उसके आरंभिक नियुक्ति के समय प्रत्येक स्त्री को लिखित और इलैक्ट्रॉनिक रुप से सूचित करेगा ।

विधेयक का खंड 68 जब कोई स्त्री अध्याय 6 उपबंधों के अनुसरण में कार्य से स्वयं अनुपस्थित रहती है तब ऐसी अनुपस्थित के कारण सिवाय उस दशा के जहां हटाया जाना किसी किसी घोर अवचार जो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाये गए नियमों द्वारा विहित किया जाए के कारण है, विधि विरुद्ध होने का उपबंध करने के लिए है । यह और उपबंध करता है कि कोई स्त्री जिसे मातृत्व फायदे या चिकित्सा बोनस अथवा दोनो से वंचित किया जाता है या उन्मोचित अथवा हटाया जाता है, सक्षम प्राधिकारी को अपील कर सकेगी और ऐसी अपील पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।

विधेयक का खंड 69 कोई स्त्री जो अध्याय 6 के उपबंधों के अधीन मातृत्व लाभ फायदा के लिए हकदार है उसे अभिहित के किए गए कार्य की प्रकृति के कारण या सुसंगत उपबंधों के अधीन उसे अनुज्ञात बालक की पोषण के लिए विराम के लिए साधारण और सामान्य दैनिक मजदूरी से कतिपय मामलों में मजदूरी की कटौती किए जाने को प्रतिषिद्ध किए जाने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 70 स्त्री को मातृत्व फायदा के समपहरण का उपबंध करने के लिए है जो ऐसी अवधि के दौरान पारिश्रमिक के लिए कार्य करती है जो किसी नियोजक

द्वारा मातृत्व फायदा प्राप्त करने हेतु उसके अनुपस्थित होने पर अनुज्ञात किया गया हो।

विधेयक का खंड 71 अध्याय 6 के उपबंधों और इससे संबंधित नियमों के सार को स्थापन के प्रत्येक भाग में जिसमें स्त्री नियोजित है, नियोजक द्वारा सहजदृश्य स्थान में परिक्षेत्र की भाषा या भाषाओं में प्रदर्शित कि्ए जाना अपेक्षित करने के लिए है।

विधेयक का खंड 72 जहां कोई महिला दावा करती है कि वह अध्याय 6 के अधीन मातृत्व फायदे या किसी अन्य रकम की हकदार है और कोई व्यक्ति यह दावा करता है उक्त अध्याय के अधीन शोध्य संदाय अनुचित रूप से विधारित किया गया है या उसके नियोजक ने उक्त अध्याय के उपबंधों के अनुसरण में उसकी कार्य से अनुपस्थिति के कारण उन्मोचित या पदच्युत कर दिया है, निरीक्षक-सह-सुकारक को शिकायत करने के लिए उपबंध बनाने के लिए है । यह और उपबंध करता है कि वह निरीक्षक-सह-सुकारक शिकायत प्राप्त होने पर जांच करेगा या करायेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित और न्यायोचित समझे । यह और कि समुचित सरकार द्वारा बनाये गए नियमों द्वारा विहित प्राधिकारी को अपील करने के लिए उपबंध बनाने लिए है ।

विधेयक का खंड 73 सक्षम प्राधिकारी लिए घातक दुर्घटना और गंभीर शारीरिक क्षति की रिपोर्ट के लिए उपबंध करने के लिए है। यह और अपेक्षा करता है कि किसी प्राधिकारी को उसके परिसर पर अदभूत किसी दुर्घटना के कारण, किसी नियोजक या उसकी ओर से सूचना दिया जाना अपेक्षित है, जिसका परिणाम मृत्यु अथवा गंभीर शारीरिक क्षति होता है, ऐसे मृत्यु अथवा गंभीर शारीरिक क्षति के सात दिन के भीतर मृत्यु अथवा गंभीर शारीरिक क्षति प्राप्त करने की परिस्थिति के कारणों को देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा। यह भी उपबंध करने के लिए है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उक्त अपेक्षा का विस्तार परिसर के किन्ही वर्गों कर सकेगी और ऐसे व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजेगे । यह इस खंड का उन स्थापनों को लागू नहीं होना बनायेगी जिन पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम से संबंधित अध्याय 6 के उपबंध लागू होते है ।

विधेयक का खंड 74 अध्याय 7 के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर के लिए नियोजक के दायित्व का उपबंध करने के लिए है यदि किसी कर्मचारी को हुई वैयक्तिक क्षति उसके नियोजन से और उसके दौरान उद्भूत तीसरी अनुसूची में सूचीबद्ध दुर्घटना या किसी उपजीविकाजन्य रोग द्वारा हुई है । यह केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को दूसरी अनुसूची के विनिर्दिष्ट नियोजनों हेतु नियोजन में और तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपजीविकाजन्य रोगों में के किसी वर्णन को ऐसा करने के उसके आशय की कम से कम तीन मास की सूचना देने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा करने हेतु सशक्त करता है । यह किसी दुर्घटना या रोग के संबंध में किसी कर्मचारी के प्रतिकर के अधिकार को उस दशा में वर्जित करता है यदि उसने कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध दुर्घटना या रोग के संबंध में नुकसानी के लिए कोई वाद सिविल न्यायालय में संस्थित किया है, और ऐसी दुर्घटना या रोग के संबंध में किसी नियोजक द्वारा नुकसानी के लिए कोई वाद न्यायालय में संधार्य नहीं होगा ।

विधेयक का खंड 75 नियोजन द्वारा प्रतिकर के संदाय का उपबंध करने के लिए है यदि किसी कर्मकार या उसके कुटुंब के सदस्य की मृत्यु या क्षति, किसी बागान में

नियोजक द्वारा उपलब्ध मकान के गिर जाने के परिणामस्वरूप हुई है और उसका गिर जाना मकान के किसी अधिभोगी की ओर से हुई एकमात्र और प्रत्यक्ष गलती या कोई प्राकृतिक और प्राकृतिक आपदा नहीं मानी जा सकती है ।

विधेयक का खंड 76 क्षति से पारिणामिक मुत्यु, स्थाई कुल दिव्यांगता, स्थाई भागतःदिव्यांगता या अस्थायी दिव्यांगता के मामले में प्रतिकर की रकम की गणना की रीति का उपबंध करने के लिए है। इसमें यह भी उपबंधित है कि कर्मचारी को नियोजक द्वारा नियोजन के दौरान क्षति के उपचार के लिए उसे उपगत उसे वास्तविक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की जाएगी । इसमें यह भी उपबंधित है कि यदि कर्मचारी की क्षति का परिणाम उसकी मृत्यु है, इसके अतिरिक्त, नियोजक ऐसे कर्मचारी के दाहसंस्कार के व्यय के मद्दे कर्मचारी के सबसे बडे उत्तरजीवी आश्रित को उसके संदाय के लिए पंद्रह हजार रुपये से अन्यून रकम या ऐसी रकम जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए को सक्षम प्राधिकारी के पास जमा कराएगा।

विधेयक का खंड 77 शोध्य हो जाने पर प्रतिकर के दिए जाने तथा व्यतिक्रम के लिए यह जैसे ही शोध्य हो यथा शीघ्र नुकसानी का उपबंध करने के लिए है। इसमें यह और उपबंधित है कि उन दशाओं में नियोजक प्रतिकर के लिए दायित्व दावाकृत विस्तार तक प्रतिगृहित नहीं करता उनमें जिस प्रकार विस्तार तक का दायित्व वह प्रतिगृहीत करता है उस पर आधृत अनन्तिम संदाय करने के लिए वह आबद्ध होगा। जहां कोई नियोजक शोध्य प्रतिकर को उसके शोध्य हो जाने की तारीख से एक मास के भीतर देने में व्यतिक्रम करता है, वहां सक्षम प्राधिकारी यह निदेश देगा कि नियोजक, बकाया रकम के अतिरिक्त उस दर से ब्याज का संदाय करे ,जो नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए। यदि विलम्ब के लिए कोई न्यायोचित्य कारण नहीं है तो, नियोजक, बकाया रकम और उस पर ब्याज के अतिरिक्त ऐसी रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक अतिरिक्त राशि का नुकसानी के रुप में संदाय करेगा।

विधेयक का खंड 78 प्रतिकर के प्रयोजनों के लिए मासिक मजदूरी की गणना का उपबंध करने के लिए है। इसके अतिरिक्त यह पद "मासिक मजदूरी" पद से एक मास की सेवा के लिए संदेय समझी जाने वाली मजदूरी की रकम (चाहे वह मजदूरी मास के हिसाब से या किसी भी अन्य कालावधि के हिसाब से या मात्रानुपाती दरों से संदेय हो) अभिप्रेत है, परिभाषित करने के लिए है।

विधेयक का खंड 79 कर्मचारी प्रतिकर से संबन्धित अध्याय-7 के अधीन संदेय अर्ध-मासिक संदाय के पुनर्विलोकन का उपबंध करने के लिए है। इस अध्याय के अधीन संदेय किसी अर्ध-मासिक संदाय या तो पक्षकारों के मध्य किसी करार के अधीन या सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अधीन किसी चिकित्सा व्यवसायी के प्रमाण पत्र से सहयुक्त या तो कर्मचारी या नियोजक के आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन किया जा सकेगा।

विधेयक का खंड 80 अर्धमासिक संदायों का संराशीकरण का उपबंध करने के लिए है। दोनों पक्षकारों में से किसी के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को किए गए आवेदन पर, अर्धमासिक संदाय का मोचन, ऐसी एकमुश्त रकम के संदाय द्वारा किया जा सकेगा, जो, पक्षकारों द्वारा करार पाई जाए या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए।

विधेयक का खंड 81 किसी ऐसे कर्मचारी के बारे में, जिसकी मृत्यु क्षति के परिणामस्वरुप हो गई है, प्रतिकर के वितरण का उपबंध करने के लिए है। किसी ऐसे कर्मचारी के बारे में, जिसकी मृत्यु क्षति के परिणामस्वरुप हो गई है, प्रतिकर का कोई भी संदाय और किसी स्त्री को या विधिक निःशक्तता के अधीन व्यक्ति को प्रतिकर के रुप में एकमुश्त राशि का कोई भी संदाय सक्षम प्राधिकारी के पास निक्षेप करने से अन्यथा नहीं किया जाएगा। नियोजक किसी भी आश्रित को ऐसे कर्मचारी की तीन मास की मजदूरी के बराबर रकम का अभिदाय प्रतिकर के मद्दे कर सकेगा और ऐसी रकम, जो आश्रितों का संदेय प्रतिकर से अधिक नहीं हो, ऐसे प्रतिकर में से सक्षम प्राधिकारी द्वारा काट ली जाएगी और नियोजक को संदत्त की जाएगी। यह, सक्षम प्राधिकारी किसी मृत कर्मकार के बारे में प्रतिकर के रुप में किसी धन के निक्षेप पर, आश्रितों को ऐसी तारीख को, जिसे वह प्रतिकर का वितरण अवधारित करने के लिए नियत करे अपने समक्ष उपसंजात होने के लिए अपेक्षित करने वाली सूचना का प्रकाशन या हर एक आश्रित पर उसकी तामील कराएगा, के लिए भी है।

विधेयक का खंड 82 दुर्घटना और दावे की सूचना का उपबंध करने के लिए है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर के लिए कोई दावा तब तक ग्रहीत नहीं किया जाएगा जब तक घटना के पश्चात यथा शीघ्र दुर्घटना की सूचना न दे दी गयी हो और जब तक कि, दुर्घटना के घटित होने के दो वर्ष के भीतर या मृत्यु की दशा में मृत्यु की तारीख से दो वर्ष के भीतर उसके समक्ष दावा नहीं किया गया हो। सक्षम अधिकारी इस बात के होते हुये भी कि नियत समय में नोटिस नहीं दी गई है या दावा नहीं किया गया है दावा को ग्रहीत तथा विनिश्चित कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि नोटिस का न दिया जाना या दावा का न किया जाना किसी पर्याप्त कारण से था।

विधेयक का खंड 83 भारतीय राज्यक्षेत्र के बाहर घटित होने वाले दुर्घटनाओं के संबंध में विशेष उपबंधों को करने के लिए है। ऐसी दशा में जब ऐसे कर्मचारी जो पोत के स्वामी हैं या नाविक या कैप्टन हैं या वायुयान के दल के सदस्य या भारत में रजिस्ट्रीकृत और उसी तरह से विदेशों में कार्य करते हों, कार्य के लिए व्यक्तियों को मोटर यान अधिनियम 1988 के अधीन रजिस्ट्रिकृत मोटर यानों के साथ चालक, सहायक, यांत्रिक या अन्य कर्मचारियों के रुप में विदेश भेजे जाते हैं।

विधेयक का खंड 84 निःशुल्क चिकित्सा परीक्षा उपबंध करने के लिए है। कोई कर्मचारी जिसने दुर्घटना की सूचना दिया है, नियोक्ता द्वारा, जिस समय पर नोटिस की तामीली प्रभावी हुई है उसके तीन दिन की समाप्ति के पूर्व चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा निःशुल्क परीक्षित किए जाने का प्रस्ताव किए जाने पर, वह स्वयं को ऐसी परीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा, और कोई कर्मचारी जिसने अध्याय 7 के अधीन अर्ध मासिक संदाय प्राप्त किया है, यदि ऐसा अपेक्षित है तो समय-समय पर स्वयं को परीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा। यह विधेयक उपबंध करता है कि किसी कर्मचारी को चिकित्सा परीक्षा के लिए चिकित्सा व्यवसायी के समक्ष राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित ऐसे बारंबार अंतराल से अधिक बार प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा ।

विधेयक का खंड 85 संविदा जन्य कार्य की दशा में प्रतिकर का उपबंध करने के लिए है। जहाँ कोई नियोजक अपने कारबार या व्यापार के प्रयोजनो के लिए या उसके अनुक्रम में किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई संविदा करता है, निष्पादन के लिए या

संविदाकर्ता के अधीन उसके किसी कार्य के संपूर्ण या उसके भाग के लिए नियोक्ता किसी प्रतिकर के लिए कार्य के निष्पादन में नियुक्त कोई कर्मचारी को संदाय करने के लिए दायी होगा, जिसमें वह संदत्त करने के लिए दायी हुआ था । जहां कोई नियोक्ता प्रतिकर के संदाय के लिए दायी है, वह संविदाकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति किए जाने का हकदार होगा।

विधेयक का खंड 86 अपरिचित के विरुध्द नियोक्ता के उपचार के उपबंध करने के लिए है। जहां किसी कर्मचारी ने ऐसे व्यक्ति से भिन्न जिसने प्रतिकर का संदाय किया गया था की विधिक दायित्व के सृजन की परिस्थितियों के अधीन किसी कारित क्षति के संबंध में क्षतिपूर्ति का संदाय किया था वहाँ ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा प्रतिकर का संदाय किया गया था ऐसे व्यक्ति से क्षतिपूर्ति पाने का हकदार होगा जो उपर्युक्त क्षतिपूर्तियों को संदाय करने के लिए दायी हैं।

विधेयक का खंड 87 उपबंध करता है कि जहां कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी के साथ इस अध्याय के अधीन किसी दायित्व के संबंध में कोई संविदा करता है, तब, नियोक्ता के दिवालिया होने की दशा में या प्रशमन करता है या उसके लेनदार के साथ ठहराव की स्कीम या यदि नियोक्ता कोई कंपनी है, कंपनी के नुकसान के आरंभ होने की दशा में, दायित्व के संबंध में नियोक्ता के अधिकार किसी दिवालिया से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी बात के होने पर भी या कंपनी के परिसमापन पर कर्मचारी को अंतरित होगी और उसमें निहित होगी, और ऐसे अंतरण पर बीमाकर्ता का वही अधिकार और उपचार होंगे और उसी उत्तरदायित्वों के अधीन होगा यदि वे नियोक्ता थे, तथापि बीमाकर्ता नियोक्ता के अधीन होता वह कर्मचारी उससे किसी गुरुतर दायित्व के अधीन नहीं होगा तथापि यदि बीमाकर्ताओं का दायित्व कर्मचारियों के प्रति नियोक्ता के दायित्व से कम है तो कर्मचारी, सबूत का भार दिवाला प्रक्रियाओं य़ा परिसमापन के संबंध में अतिशेष के लिए कर्मचारी पर होगा । यह भी उपबंध करता है कि उपधारा के उपबंध ऐसे लागू होंगे जैसे यदि संविदा शून्य या शून्यकरणीय नहीं थी, और बीमाकर्ता कर्मचारी को संदत्त रकम के लिए दिवाला प्रक्रियाओं या परिसमापन के संबंध में सबूत देने के लिए हकदार होगा।

विधेयक का खंड 88 उपबंध करता है कि जहां कोई सक्षम प्राधिकारी किसी स्रोत से सूचना प्राप्त करता है कि कोई कर्मचारी नियोजन के अनुक्रम में किसी दुर्घटना के होने से मृत हो गया है और, रजिस्ट्रीकृत डाक के द्वारा, यदि संभव है तो वह सूचना के तामील के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कर्मचारी के अपने अपेक्षित नियोक्ता को इलैक्ट्रानिक रुप से सूचना देकर वह भेज सकेगा एक कथन राज्य सरकार द्वारा विहित ऐसे प्ररुप में, कर्मचारी की मृत्यु की परिस्थितियों के संबंध में दे सकेगा और यह इंगित करते हुए कि क्या नियोक्ता की राय में मृत्यु के संबंध में प्रतिकर को निक्षेप करने के लिए दायी है या नहीं, और ऐसी सूचना की एक प्रति सक्षम पदाधिकारी द्वारा ऐसे कर्मचारी के आश्रितों को उसी रीति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भेजी भी जाएगी।

विधेयक का खंड 89 सक्षम प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा, समुचित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित रीति में करारों के रजिस्ट्रीकरण के लिए है जहां प्रतिकर के रूप में संदेय कोई एक मुश्त राशि करार के द्वारा तय है, चाहे अर्द्ध मासिक संदाय उन्मोचन के माध्यम से या अन्यथा, या कोई प्रतिकर किसी स्त्री, या विधिक निःशक्तता के अधीन किसी व्यक्ति, को संदेय होते हुए इस प्रकार तय किया गया

है वहां उसका ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियोक्ता को भेजा जाएगा, जो उसकी शुद्धता के बारे में समाधान होने पर रजिस्टर में ज्ञापन को अभिलिखित करेगा । प्रतिकर के संदाय के लिए कोई करार जिसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है, विधेयक के अधीन, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, तत्सयम प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रवर्तनीय होगा।

विधेयक का खंड 90 सक्षम अधिकारी को निर्देश का उपबंध करने के लिए है । यदि किसी व्यक्ति की देयता के बारे में किन्हीं कार्यवाहियों में प्रतिकर का संदाय करने के लिए या यह कि कोई क्षत व्यक्ति कर्मचारी है या नहीं या प्रतिकर की रकम या प्रतिकर की कालावधि के बारे में या निःशक्तता के विस्तार या स्वरूप के बारे में, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो वह प्रश्न सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी भी प्रश्न के बारे में कार्यवाही करने या विनिश्चय या तय करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसे तय करने, विनिश्चित करने या कार्यवाही करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अपेक्षित है।

विधेयक का खंड 91 सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति और अर्हता उपबंध करने के लिए उपबंध है । राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति को जो कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य है या रहा है या कम से कम पांच वर्ष तक अधिवक्ता है या रहा है या कम से कम पांच वर्ष तक एक राजपत्रित अधिकारी है या रहा है और जिसके पास ऐसी स्वैच्छिक अर्हताएं और कार्मिक प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, औद्योगिक संबंध और विधि कार्य में अनुभव हो या ऐसा अन्य अनुभव और अर्हताएं है जो केंद्रीय सरकार द्वारा कर्मचारियों के प्रतिकर के लिए सक्षम प्राधिकारी होने के लिए विहित की जाए।

विधेयक का खंड 92 कार्यवाहियों स्थान और अंतरण का उपबंध करने के लिए है। जहां प्रतिकार से संबन्धित कोई विषय सक्षम प्राधिकारी द्वारा या के समक्ष की जानी है, वहां वह उस क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा या के समक्ष लिए की जाएगी जिसमें वह दुर्घटना हुई ठीये जिसके परिणामस्वरूप क्षति हुई या कर्मचारी या उसकी मृत्यु की दशा में प्रतिकर के लिए दावा करने वाला आश्रित साधारण रूप से निवास करता हो या जहां नियोक्ता का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है। यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान है कि उसके समक्ष लंबित किन्हीं कार्यवाहियों सें कोई विषय उत्पन्न हुआ है उसे किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा और अधिक सुविधाजनक ढंग से निपटाया जा सकता है तब वह यह आदेश दे सकेगा कि ऐसा विषय ऐसे अन्य सक्षम प्राधिकारी को अंतरित किया जाए।

विधेयक का खंड 93 प्रतिकर के दावे के लिए आवेदन के प्ररूप का उपबंध करने के लिए है । सक्षम प्राधिकारी को समझौता या दावा के अधीन किया जाने वाला आवेदन इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तथा ऐसी फीस, यदि कोई हो, से सहयुक्त किया जा सकेगा, जो केंद्रीय सरकार नियमों के द्वारा विहित करे।

विधेयक का खंड 94 घातक दुर्घटना की दशा में संदेय प्रतिकर के रूप में नियोक्ता से अतिरिक्त निक्षेप की अपेक्षा करने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति का उपबंध करने हेतु है, यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी राशि अपर्याप्त है, तब सक्षम प्राधिकारी, कारणों को लेखबद्ध करते हुए नोटिस के द्वारा नियोक्ता को इस बात का कारण बताने के लिए कह सकेगा कि नोटिस में यथा उल्लिखित समय के भीतर अतिरिक्त निक्षेप क्यों

नहीं करना चाहिए।

विधेयक का खंड 95 सक्षम प्राधिकारी की प्रक्रिया और शक्तियों का उपबंध करने के लिए है । सक्षम प्राधिकारी को, ऐसी शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेजों और भौंतिक पदार्थों को पेश करने के लिए विवश करने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। इसके अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 26 और धारा 195 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा, का उपबंध करने के लिए भी है।

विधेयक का खंड 96 सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पक्षकारों की हाजिरी का उपबंध करने के लिए है । कोई हाजिरी, आवेदन या कार्य जो किसी व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष या उसे किए जाने के लिए अपेक्षित है, ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी विधि व्यवसायी द्वारा या बीमा कंपनी या रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के पदधारी द्वारा या निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी द्वारा जो ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत हो या सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा से, इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किया जा सकेगा।

विधेयक का खंड 97 सक्षम प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य अभिलिखित करने के ढंग का उपबंध करने के लिए है । जैसे-जैसे हर साक्षी की परीक्षा होती जाएगी वैसे-वैसे सक्षम प्राधिकारी उस साक्षी के साक्ष्य के सार का संक्षिप्त ज्ञापन बनाया जाएगा और ऐसा ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी या द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित रीति में हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित किया जाएगा और रिकॉर्ड का भाग बनेगा।

विधेयक का खंड 98 उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए विधि के किसी प्रश्न को प्रस्तुत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को सशक्त करता है, यदि वह ऐसा करता है तो ऐसा विनिश्चय प्रश्न के अनुरूप विनिश्चित करेगा, करने के लिए है।

विधेयक का खंड 99 जब तक उसमें अन्यथा उपबंधित न हो, उस खंड में विनिर्दिष्ट मामलों पर सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से अपील के लिए है। यह आदेश के पारित होने की तारीख से साठ दिन की सीमा अवधि किसी अपील के लिए होने का उपबंध करता है। यह भी उपबंध करता है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के उपबंध उक्त खंड के अधीन अपील को लागू होंगे।

विधेयक का खंड 100 अन्य निर्माण कार्यों और भवन के संबंध में उपकर के संग्रहण और उद्ग्रहण का उपबंध करने के लिए है। कोई भी उपकर सामाजिक सुरक्षा और भवन कामगारों के कल्याण के प्रयोजन के लिए नियोक्ता द्वारा उपगत निर्माण की लागत के दो प्रतिशत से अनधिक, किंतु कम से कम एक प्रतिशत की दर से संगृहीत और उद्गृहीत किया जाएगा।

विधेयक का खंड 101 समुचित सरकार द्वारा विहित ऐसे समय के भीतर भवन कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के प्रयोजनों के लिए संदेय उपकर की किसी रकम का संदाय करने में यदि नियोक्ता विफल रहता है तो ऐसा नियोक्ता, केंद्रीय सरकार द्वारा विहित ऐसी दर पर संदेय ब्याज का संदाय करने के लिए जो उपकर की रकम पर, ऐसी तारीख से, जो ऐसी रकम वास्तविक रूप में सदत्त करने के लिए देय थी, पर संदत्त की जाएगी।

विधेयक का खंड 102 किसी राज्य में किसी नियोक्ता या नियोक्ता के वर्ग को अध्याय 8 के अधीन संदेय उपकर के संदाय से छूट देने के लिए है जहां ऐसा उपकर उस राज्य में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के अधीन पहले ही संदेय और उद्ग्रह हुआ है।

विधेयक का खंड 103 नियोक्ता द्वारा उपकर के स्व-निर्धारण, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी अवधि या साठ दिन के भीतर का उपबंध करने के लिए है । नियोक्ता अपने प्रत्येक भवन और अन्य निर्माण कार्य के पूरा होने पर दस्तावेजों के आधार पर किए गए निर्माण की लागत पर उसके स्व-निर्धारण के आधार पर पहले ही संदत्त अग्रिम उपकर के समायोजन के द्वारा ऐसे उपकर का संदाय करता है और उपकर के ऐसे संदाय के पश्चात्, वह विवरणी फाइल करेगा।

विधेयक का खंड 104 विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपकर के असंदाय के लिए शास्ति का उपबंध करता है। यदि नियोजक द्वारा संदेय उपकर की कोई रकम, निर्धारण के आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर संदत्त नहीं की जाती है, तो इसे बकाया समझा जायेगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विहित प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे, ऐसे नियोजक पर उपकर की रकम से अनधिक शास्ति अधिरोपित कर सकेगी।

विधेयक का खंड 105 नियोजक द्वारा अपील के लिए उपबंध करता है। निर्धारण के आदेश या शास्ति अधिरोपित करने के आदेश से व्यथित कोई नियोजक ऐसे समय के भीतर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमों में उपबंधित किया जाए, ऐसे अपील प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमों में उपबंधित की जाए, अपील कर सकेगा। इस धारा के अधीन अपील में पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

विधेयक का खंड 106 फायदाग्राहियों के रूप में भवन कर्मकारों के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध करता है । प्रत्येक भवन कर्मकार जिसने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है किन्तु साठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है और जो किसी भवन या सन्निर्माण कार्य में पिछले बारह मासों के दौरान कम से कम नब्बे दिनों तक लगा हुआ है, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमों में उपबंधित रीति में भवन और अन्य सन्निर्माण से संबंधित अध्याय **8** फायदाग्राही के रूप में बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

विधेयक का खंड 107 फायदाग्राही के रूप में समाप्ति का उपबंध करता है। कोई भवन कर्मकार जिसे फायदाग्राही के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, ऐसे रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं रहेगा जब वह साठ वर्ष की आयु पूर्ण करता है या जब वह किसी वर्ष में कम से कम नब्बे दिन की अवधि तक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य नहीं करता है। यह और उपबंध करता है कि यदि कोई व्यक्ति साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के ठीक पहले लगातार कम से कम तीन वर्षों के लिए हिताधिकारी रह चुका था, तब, वह ऐसा फायदा प्राप्त करने का पात्र होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाए।

विधेयक का खंड 108 बोर्ड द्वारा, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन उपबंध करता है । धारा 100 के अधीन उद्ग्रहीत किसी उपकर की रकम; केन्द्रीय सरकार द्वारा भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड को दिए गए कोई अनुदान और ऋण; और भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाए प्राप्त की गई सभी राशियां; भवन

और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि, उसके कृत्यों के निर्वहन में भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड के व्यय और भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तें और पारिश्रमिक इस विधेयक द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और अन्य प्रयोजनों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए उपयोजित की जाएगी।

विधेयक का खंड 109 क्रमशः केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, असंगठित केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित मामलों के संबंध में, असंगठित कर्मकारों के लिए समय-समय पर, उपयुक्त कल्याण स्कीमें बनाने के लिए है। जीवन और निर्योग्यता समावेशित करना, स्वास्थ्य और मातृत्व फायदे, वृद्धावस्था संरक्षण, शिक्षा, और अन्य कोई फायदे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाए। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई स्कीमों के अन्तर्गत भविष्य निधि, नियोजन क्षति फायदा, आवासन, बालकों के लिए शैक्षिक स्कीमें, कर्मकारों का कौशल उन्नयन, अन्येष्टि सहायता; और वृद्धाश्रम के लिए हैं।

विधेयक का खंड 110 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीमों के वित्त पोषण का उपबंध करता है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई स्कीम राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित, राज्य सरकार द्वारा भागतः वित्त पोषित, स्कीम के फायदाग्राहियों या नियोजकों से संग्रहित अभिदायों के माध्यम से भागतः वित्त पोषित, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि समेत किसी अन्य स्त्रोत से वित्त पोषित की जा सकेगी । केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार को स्कीम के प्रयोजनों के लिए ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगी ।

विधेयक का खंड 111 यह उपबंध करता है कि इस अध्याय -9 के अधीन की सरकारी सूत्रीकरण और अधिसूचनाकरण से स्कीम से संबंधित अभिलेखों को इलेक्ट्रानिक ढंग से या अन्यथा प्ररुप और रीति से उसमें रखे तथा ऐसे प्राधिकारी जिसके द्वारा ऐसे अभिलेख रखे जाएं ।

विधेयक का खंड 112 यह उपबंध करता है कि समुचित सरकार उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा स्कीमों की जानकारी का प्रसार करने, फाइलकरण को सुकर बनाने ऐसे कर्मकारों के रजिस्ट्रीकरण के अभिप्राप्त करने में सहायता करने के लिए आवेदन पत्रों के प्रक्रमण और अग्रेषित करने और नामांकन को सुकर बनाने की दृष्टि से असगंठित कर्मकारों, गिग कर्मचारी और प्लेटफार्म कर्मकारों के लिए मुफ्त काल सेंटर या हेल्पलाइन या ऐसे ही कर्मकार सुविधा केन्द्र का गठन कर सकेगी ।

विधेयक का खंड 113, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए अंगठित कर्मकारों, गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध करता है । यह और उपबंध करता है कि कोई रजिस्ट्रीकृत असंगठित कर्मकार या प्लेटफार्म कर्मकार अध्याय 9 के अधीन विरचित संबध स्कीम के फायदे के उपभोग करने के लिए पात्र होगा । यह और भी उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, राज्य सरकार, स्कीम में ऐसे अभिदाय करेगी, जो उसमें विनिर्दिष्ट हो ।

विधेयक का खंड 114, जीवन और अक्षमता कवर ; दुर्घटना बीमा स्वास्थ्य और प्रसूति सुविधाएं, वृद्ध आयु संरक्षण, क्रेच और कोई अन्य फायदा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएं, से संबंधित मामलों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों के लिए स्कीमों को विरचित करने के लिए उपबंध करता है । यह और उपबंध करता है कि स्कीम केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः निधिक; या केन्द्रीय सरकार

द्वारा अंशतः निधिक या संकलक के, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं, हिताधिकारियों से संकलित अभिदायों के माध्यम से अंशतः निधिक ; या कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य स्त्रोत के अर्थातर्गत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से निधिक करेगा । यह और भी उपबंध करता है कि राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों के कल्याण के प्रयोजनों के लिए बोर्ड होगा और कल्याण के प्रयोजनों के लिए सेवा करते समय ऐसे बोर्ड या गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म से संबंधित मामले, बोर्ड से संबंधित ऐसे सदस्य जो उक्त खंड में विनिर्दिष्ट व्यक्तयों से मिलकर बनेगा ।

विधेयक का खंड 115 प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संगठनों के आय और व्यय के उचित लेखों के अनुरक्षण का, ऐसी रीति में जो समुचित सरकार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श के पश्चात विनिर्दिष्ट करे, उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 116 यह उपबंध करता है कि प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संगठन के लेखे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वार्षिक रुप से संपरीक्षित किए जाएंगे और ऐसे संपरीक्षा के संबंध में उसको उपगत कोई व्यय, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का संबंधित सुरक्षा संगठन द्वारा संदेय होगा ।

विधेयक का खंड 117 यह उपबंध करता है कि प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संगठन प्रत्येक वर्ष बजट विरचित करेगा जिसमें वे संभाव्य प्राप्तियां और व्यय होंगे जो वह अगले वर्ष के दौरान उपगत करने का प्रस्ताव करता है और उस तारीख के पूर्व जो जिसके द्वारा इस निमित्त नियत की जाए, समुचित सरकार के अनुमोदन के लिए बजट की एक प्रति प्रस्तुत करेगा ।

विधेयक का खंड 118 यह उपबंध करता है कि प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संगठन समुचित सरकार को अपने कार्य और क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा अंतिम रुप से अंगीकृत बजट के साथ प्रस्तुत करेगा । यह और उपबंध करता है कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट, बजट और संपरीक्षित लेखे की एक प्रति तथा उस पर संबंधित सामाजिक सुरक्षा संगठन की टिप्पणियां यथा स्थिति संसद के प्रत्येक सदन या राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जाएगी ।

विधेयक का खंड 119 यह उपबंध करता है कि किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन या विधेयक के अधीन स्थापन द्वारा अनुरक्षित प्रत्येक निधि का, यथास्थिति, मूल्यांकन या बीमांकक द्वारा किए गए इसकी आस्तियों और दायित्वो का मूल्यांकन, यथास्थिति, ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन या स्थापन द्वारा, समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त, यथास्थिति, किसी मूल्यांकक या बीमांकक द्वारा, उसकी आस्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन, यथास्थिति, केंद्रीय बोर्ड की दशा में वार्षिक रूप से वर्ष में एक बार, निगम की दशा में प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार तथा किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा संगठन या स्थापन की दशा में समुचित सरकार द्वारा, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट अवधि में किया जाएगा । यह और उपबंध करता है कि समुचित सरकार, यदि यह समीचीन समझती है, ऐसे अंतरालों पर ऐसा मूल्यांकन किए जाने का निदेश कर सकेगी ।

विधेयक का खंड 120 यह उपबंध करता है कि सामाजिक सुरक्षा संगठन ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएं, संपत्ति के अर्जन और

धारण, जंगम और स्थावर संपत्ति दोनों का, किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का विक्रय या अन्यथा अंतरण, जो उसमें निहित या इसके द्वारा अर्जित हो सकेगी और ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए उक्त सामाजिक सुरक्षा संगठन स्थापित किया गया है, सभी आवश्यक कार्य कर सकेगा । यह और उपबंध करता है कि प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संगठन, समुचित सरकार की पूर्व मंजूरी से और ऐसे निबंधनों पर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, अपने अधिकारियों और कर्मचारिवृंद या उनमें के किसी वर्ग के फायदे के लिए नियत करे, जो ऐसे भविष्य या अन्य फायदे निधियां, जो वह ठीक समझे और केंद्रीय बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की दशा में, ऐसी शर्तें भविष्य निधि स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

विधेयक का खंड 121 ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, हानियों को बट्टे खाते में डालने के लिए सामाजिक सुरक्षा संगठन को सशक्त करता है, जहां किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन की यह राय है कि उसे शोध्य अभिदाय, उपकर, ब्याज या क्षति की रकम विधेयक के अधीन वसूलनीय नहीं है । यह और उपबंध करता है कि भविष्य निधि, पेंशन निधि या बीमा निधि के ऐसे बट्टे खाते, यथास्थिति, भविष्य निधि स्कीम या पेंशन स्कीम या बीमा स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

विधेयक का खंड 122, अध्याय 3 और अध्याय 4 के प्रयोजनों के लिए तथा उन अध्यायों से संबंधित विधेयक के उपबंधों के लिए और समुचित सरकार द्वारा विधेयक के अन्य उपबंधों के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा निरीक्षक-सह-सुकरकर्ताओं की नियुक्ति करने के लिए उपबंध करता है । यह उक्त उपबंधों की बाबत क्रमश: केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को सशक्त करता है । निरीक्षक स्कीम को अधिकथित करने के लिए, जो इलैक्ट्रानिक रूप में विधेयक के अधीन निरीक्षण के संबंध में वेब आधारित निरीक्षण और सूचना की मांग के सृजन की मांग के लिए उपबंध करता है और ऐसी स्कीम, अन्य बातों के साथ-साथ, स्थापन या किसी अन्य व्यक्ति से अभिहित निरीक्षणों और सूचना मंगाने के लिए विशेष परिस्थितियों को पूरा करने का उपबंध होगा । यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों का भी उपबंध करता है, जहां तक हो सके, उपखंड (6) के अधीन निरीक्षक-सह-सुकरकर्ताओं द्वारा तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं, वैसे ही उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी वारंट के प्राधिकारी के अधीन बनाए गए तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 123, यह उपबंध करता है कि स्थापन का कर्मचारी, समुचित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित रूप में नियोजित व्यक्तियों के संबंध में इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा ऐसी विशिष्टियों और ब्यौरों का नियमों द्वारा विहित रीति में अभिलेख और रजिस्टर रखेगा । उस सरकार द्वारा, जिसके अंतर्गत उसमें विनिर्दिष्ट मामले भी हैं, बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाए, ऐसी रीति में, जो मस्टर रोल, मजदूरी और ऐसे अन्य के संबंध में विशिष्टियां और ब्यौरे रखे जाएं । यह निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विहित करे, यह ऐसी रीति में और ऐसी अवधि में, जो समुचित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को इलैक्ट्रानिक रूप में या अन्यथा ऐसी विवरणी फाइल करने के लिए नियोजक द्वारा और अपेक्षा करता है । यह भी उपबंध

करता है कि अध्याय 3 से संबंधित नियमों के अधीन उपबंध किए जाने वाले मामले केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में उन्हें उपबंध करने के बजाए, यथास्थिति, भविष्य निधि स्कीम या पेंशन स्कीम या बीमा स्कीम में उपबंध किए जाने के लिए उपबंध करता है । यह भी उपबंध करता है कि अभिलेखों और रजिस्टरों के प्ररूपों और अध्याय 4 के अधीन फाइल किए जाने वाली विवरणी नियमों में उन्हें उपबंध करने के बदले में विनियमों में विहित किए जाएंगे ।

विधेयक का खंड 124, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करने से नियोजक को प्रतिषेध करता है, ऐसे कर्मचारी, जिसको किसी कर्मचारी की मजदूरी या फायदे का कुल मात्रा उसके स्थापन के संबंध में उसका नियोजन, अभिव्यक्त या विवक्षित के अधीन हकदार है । विधेयक में या उसके अधीन कोई प्रभार किसी अभिदाय के संदाय के लिए उसको उत्तरदायी होगा ।

विधेयक का खंड 125, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या केंद्रीय बोर्ड या निगम के ऐसे अधिकारी को, जो केंद्रीय सरकार के समूह 'क' कर्मचारियों की पंक्ति से कम के न हों, प्राधिकृत करने के लिए अधिसूचना द्वारा सशक्त करता है, यथास्थिति, अध्याय 3 या अध्याय 4 के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए उसमें विनिर्दिष्ट रीति में कर्मचारी के शोध्य आदेश, निर्धारण और अवधारण द्वारा कर सकेगा । यह और उपबंध करता है कि उक्त खंड में विनिर्दिष्ट मामलों की बाबत वाद पर विचारण करने के लिए जांच करने वाले प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच के प्रयोजन के लिए ऐसी शक्तियों का वैसे ही प्रयोग करेगा, जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन न्यायालय में निहित हैं ।

विधेयक का खंड 126, खंड 125 के अधीन, यदि वह अध्याय 4 के आदेश के संबंध में है, प्राधिकृत अधिकारी के आदेश से नियोजक द्वारा अपील करने के लिए उपबंध करता है । यह और उपबंध करता है कि अपील प्राधिकारी, जो विनियमों में उपबंधित किया जाए, निगम के संयुक्त निदेशक की पंक्ति से कम के प्राधिकारी नहीं होंगे । यह भी उपबंध करता है कि ऐसी अपील इस प्रकार किए गए आदेश के अभिदाय के या अपनी गणना के अनुसार अभिदाय के, इनमें से जो भी उच्चतर हो, पच्चीस प्रतिशत निक्षेप करने के पश्चात् ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर कर सकेगा, निगम सहित अपील प्राधिकारी, अपील करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अपील पर विनिश्चय करेगा । यह भी उपबंध करता है कि अपील में अंतिम रूप से नियोजक उत्तरवर्ती है तो निगम ऐसे ब्याज, जो विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, नियोजक एक साथ ऐसे निक्षेप को वापस करेगा ।

विधेयक का खंड 127, यह उपबंध करता है कि नियोजक ऐसे दर पर, जो केंद्रीय सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे, ऐसी तारीख से, जिसको कोई रकम उसके वास्तविक संदाय की तारीख तक शोध्य है, साधारण ब्याज संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

विधेयक का खंड 128, यथास्थिति, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम के महानिदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी, जिसे प्राधिकृत किया जाए, समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा सशक्त करता है, नियोजन से हुई क्षति की भरपाई करने के लिए, जहां कोई नियोजक ऐसे किसी अभिदाय के संदाय करने में व्यतिक्रम करता है, तो,

यथास्थिति, अध्याय 3 या अध्याय 4 के उपबंधों के अनुसार या उसके अधीन विरचित किसी स्कीम या अध्याय 3 के अधीन संचयनों के अंतरण में या विधेयक के किसी अन्य उपबंध के अधीन संदेय किन्हीं प्रभारों का संदाय करने का दायी होगा । यह और उपबंध करता है कि ऐसी नुकसानी ऐसी रीति में, जो अध्याय 4 के प्रयोजनों के लिए विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, और भविष्य निधि स्कीम, पेंशन स्कीम या बीमा स्कीम की रकम से बकाया रकम से अधिक नहीं होगी । ऐसे उद्गृहीत और वसूली ऐसी रीति में की जाएगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित अपनी-अपनी स्कीमों में विनिर्दिष्ट किया जाए । खंड यह भी उपबंध करता है कि, यथास्थिति, केंद्रीय बोर्ड या निगम स्थापन के संबंध में उक्त खंड के अधीन उद्गृहीत कमी करने या वसूली छोड़ने, जिसके लिए समाधान योजना या ऐसी समाधान के सिफारिश करने संदाय योजना, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, स्थापित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है ।

विधेयक का खंड 129, किसी स्थापन के संबंध में किसी नियोजक या किसी अन्य व्यक्ति, जिसके अंतर्गत कोई अभिदाय या उपकर संदाय, प्रभार, हित, नुकसानी या फायदा या कोई अन्य रकम भी है, जिसमें बकाया भी सम्मिलित है, बकाया रकम की वसूली के लिए उपबंध करता है । यह और उपबंध करता है कि, यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी बकाया रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा वसूली प्रमाणपत्र जारी करेगा और वसूली अधिकारी ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर स्थापन से उसमें विनिर्दिष्ट रकम वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा या, यथास्थिति, उक्त खंड में विनिर्दिष्ट एक या अधिक पद्धतियों द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट रकम की वसूली के लिए कार्यवाही करेगा ।

विधेयक का खंड 130 यह उपबंध करने के लिए है कि जब, यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी, खंड 129 के अधीन किसी वसूली अधिकारी को प्रमाणपत्र जारी करता है, तो नियोजक रकम परिशुद्धता के संबंध में वसूली अधिकारी के समक्ष विवाद आरंभ नहीं करेगा और वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र के संबंध में किसी आधार पर कोई आक्षेप ग्रहण किया जाएगा । इसमें यह और उपबंधित है कि जहां किसी रकम की वसूली के लिए कोई प्रमाणपत्र जारी किया गया है और तत्पश्चात् बकाया मांग की रकम को विधेयक के अधीन किसी अपील या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप कम कर दिया गया है तो, यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी, जब आदेश, जो ऐसी अपील या कार्यवाही की विषयवस्तु है, अंतिम और निर्णायक हो जाएगा, ऐसी अनुरूपता या निष्कर्ष के अनुसार प्रमाणपत्र का, यथास्थिति, संशोधन करेगा या उसे वापस लेगा ।

विधेयक का खंड 131, यथास्थिति, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम के महानिदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन के किसी अन्य अधिकारी को, उक्त खंड में उपबंधित एक या अधिक पद्धतियों द्वारा रकम की वसूली के लिए सशक्त करके खंड 129 में निर्दिष्ट रकम की वसूली की अन्य पद्धतियों का उपबंध करने के लिए है, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति से, जिससे नियोजक के प्रति ऐसी रकम शोध्य है, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति, जिससे किसी नियोजक जिससे बकाया है, को शोध्य

रकम, ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार शोध्य उक्त बकाया की कटौती करने के लिए अध्यपेक्षा की है और ऐसा व्यक्ति ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा और इस प्रकार काटी गई राशि को, यथास्थिति, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम के महानिदेशक या इस संबंध में उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन के किसी अन्य अधिकारी को जमा कराएगा ।

विधेयक का खंड 132 यह उपबंध करने के लिए है कि आय-कर अधिनियम, 1962 और आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाहियां) नियम, 1962 की दूसरी और तीसरी अनुसूची आवश्यक उपांतरणों के साथ लागू होगी जैसे कि उक्त उपंबध और नियम विधेयक के खंड 129 के उल्लिखित रकम की बकाया रकम के संबंध में आयकर नियमों के बजाय लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 133 अपराध की गुरूता के अनुसार खंड में यथा विनिर्दिष्ट अभिदाय, आदि के संदाय में विफल होने पर शास्ति उपबंधित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 134 दूसरे या प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए वर्धित दंड के लिए उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 135 यह उपबंध करने के लिए है कि जहां अध्याय 12 के अधीन अपराध किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है वह प्रत्येक व्यक्ति जो अपरात कारित किए जाते समय कंपनीवहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे ।

विधेयक का खंड 136 यह उपबंधित करता है कि कोई न्यायालय इस विधेयक के अधीन दंडनीय किसी अपराध का तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा उन अध्यायों से संबंधित इस विधेयक के अधीन बनाए गए या विरचित नियमों, विनियमों या स्कीमों से संबंधित अपराधों के प्रयोजनों के लिए और तद्धीन उससे संबंधित बनाए गए या विरचित नियमों, विनियमों या स्कीमों के अन्य उपबंधों से संबंधित अपराधों के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित व्यथित व्यक्ति या ऐसे अधिकारी द्वारा कोई शिकायत नहीं की जाए ।

विधेयक का खंड 137 यह उपबंधित करता है कि अभियोजन कार्यवाहियों को आरंभ करने से पूर्व अध्याय 12 के अधीन किसी अपराध के लिए नियोक्ता को सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करने के लिए लिखित निदेश के माध्यम से एक अवसर प्रदान करेगा जिसमें ऐसी अनुपालना के लिए समयावधि अधिकथित होगी और यदि नियोक्ता ऐसी अवधि के भीतर निदेशों का अनुपालन करता है तब नियोक्ता के विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी; किंतु किसी नियोक्ता को ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा यदि उसी प्रकृति का ऐसे उपबंधों का अनुपालन उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है जिसको पहला उल्लंधन किया गया था ।

विधेयक का खंड 138 यह उपबंधित करता है कि उसमें विनिर्दिष्ट रीति और शर्तों के अधीन उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों का उपशमन करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 139 यह उपबंधित करता है कि समुचित सरकार को सशक्त करने

के लिए अधिसूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि प्रत्येक स्थापन या स्थापनों के किसी वर्ग या श्रेणी का नियोक्ता, यथास्थिति, उस स्थापन या स्थापनों के ऐसे वर्ग या श्रेणी में किसी व्यवसाय में किसी रिक्ति को भरने से पूर्व ऐसे व्यवसाय केंद्रों को, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, उस रिक्ति की रिपोर्ट करेगा या रिपोर्ट करना कारित करेगा और तत्पश्चात् नियोक्ता ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा ।

विधेयक का खंड 140 यह उपबंधित करता है कि उसमें विनिर्दिष्ट किसी नियोजन या स्थापन के लिए रिक्तियों के संबंध में अध्याय 13 के उपबंध लागू नहीं होंगे, रिक्तियां, जो भरने के लिए प्रस्तावित हैं, या स्वतंत्र भर्ती अभिकरणों के माध्यम से, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग या किन्हीं अन्य अभिकरणों, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, से भरने का प्रस्ताव है, किसी नियोजन में रिक्तियां, जिनका मासिक पारिश्रमिक किसी रकम से कम है, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

विधेयक का खंड 141 यह उपबंधित करता है कि केन्द्रीय सरकार, असंगठित कर्मकारों, नाव/टमटम कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों और निधि के स्रोत के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा फंड स्थापित करेगी, जिसमें समाविष्ट होगा, धारा 109 की उपधारा (3) के अधीन प्राप्त निधि, धारा 114 की उपधारा (3) के अधीन प्राप्त निधि, केन्द्रीय सरकार से संबंधित इस विधेयक के अधीन अपराधों के शमन से प्राप्त निधि और किसी अन्य केन्द्रीय श्रम विधि के अधीन स्थापित कोई अन्य सामाजिक सुरक्षा निधि । यह और उपबंधित करता है कि राज्य सरकार, असंगठित कर्मकारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित करेगी, जो राज्य सरकार से संबंधित विधेयक के अधीन अपराधों के शमन से प्राप्त रकम जमा करेगी ; और ऐसे अन्य स्रोत, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

विधेयक का खंड 142 यह उपबंधित करता है कि यथास्थिति, कोई कर्मचारी या असंगठित कर्मकार या कोई अन्य व्यक्ति, किसी सदस्य या फायदाग्राही के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए , किस्म या नकद में या चिकित्सा रुग्णता फायदा या पेंशन, उपदान या मातृत्व फायदा या कोई अन्य फायदा किसी निधि से रकम निकालने की ईप्सा करने के लिए, कैरियर केन्द्र की सेवाओं का लाभ उठाना, स्वयं बीमाकृत व्यक्ति या अपने आश्रितों के लिए कोई संदाय चिकित्सा खर्च प्राप्त करने के लिए, इस विधेयक या तदधीन बनाए गए या विरचित नियमों, विनियमों या स्कीमों के अधीन, यथास्थिति, अपनी या अपने कुटुंब के सदस्यों या आश्रितों की आधार संख्या के माध्यम से ऐसी रीति में पहचान स्थापित करेगा, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए विहित किया जाए, "आधार"पद का वही अर्थ होगा, जो उसका आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में है ।

विधेयक का खंड 143 यह उपबंधित करता है कि समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, और इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा विहित कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, विधेयक के सभी या किन्हीं उपबंधों या उसके अधीन विरचित स्कीम से, किसी स्थापन या स्थापनाओं के वर्ग या कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग को छूट देने के लिए, अधिसूचना द्वारा, ऐसी छूट का अतिरिक्त अवधि के लिए

नवीकरण कर सकेगी । यह भी उपबंधित करता है कि यह छूट तभी दी जाएगी, यदि इस प्रकार छूट पाये स्थापन या स्थापनों के वर्ग या कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग के कर्मचारी संहिता के उपबंधों में या इसके अधीन विरचित स्कीम में उपबंधित लाभों के लिए तदनुसार समान या ज्येष्ठ फायदों की प्राप्ति से अन्यथा है । यह इस प्रकार छूट प्राप्त किसी स्थापन के किसी नियोजक को विकल्प देता है कि उक्त खंड में विनिर्दिष्ट रीति में इस प्रकार दी गई छूट को अभ्यर्पित करे, नियोजक और न्यासी बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी के समामेलन को अंतरित करेगा और ऐसी अवधि के भीतर संबद्ध कानूनी निधियों के लिए निधि अधिशेष तथा संरक्षित रखेगा, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए । यह भी उपबंध करता है कि भविष्य निधि स्कीम, पेंशन स्कीम और बीमा स्कीम से छूट के अभ्यर्पण के संबंध में समय-सीमा, प्ररूप और कर्मचारियों के छूट के समामेलन का अंतरण और निधि से अधिशेष और संरक्षा संबद्ध कानूनी निधियों के लिए अध्याय 3 के अधीन विरचित संबद्ध स्कीमों में विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 144 यह उपबंधित करता है कि अध्याय 3 या अध्याय 4 में किसी बात के होते हुए भी, केनद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, यथास्थिति, अध्याय 3 या अध्याय 4 के अधीन संदेय नियोजक का अभिदाय या कर्मचारी का अभिदाय या दोनो को ऐसे स्थापन के संबंध मे, जिसको वैश्विक महामारी, महामारी या राष्ट्रीय आपदा की दशा में सम्पूर्ण भारत या उसके किसी भाग को यथास्थिति अध्याय 3 या अध्याय 4 लागू होते हैं एक समय पर तीन मास की अवधि के लिए अस्थगित या अवगत कर सकेगी ।

विधेयक का खंड 145 यह उपबंधित करता है कि जब कोई नियोक्ता अपने संपूर्ण स्थापन का या उसके किसी भाग का विक्रय, दान, पट्टा या अनुज्ञप्ति या किसी अन्य रीति में, चाहे जो भी हो, अंतरण कर देता है, नियोक्ता और व्यक्ति, जिसे इस प्रकार स्थापन अंतरित किया गया है, संयुक्त रूप से और पृथक्तः किन्हीं दायित्वों, उपकर या कोई अन्य रकम, जो इस विधेयक के अधीन ऐसे अंतरण की तारीख तक की अवधियों के संबंध में संदाय करने के लिए दायी है, के संबंध में दायी होंगे । यह और उपबंधित करता है कि अंतरिती का दायित्व ऐसे अंतरण द्वारा उसे प्राप्त आस्तियों के मूल्य तक सीमित होगा ।

विधेयक का खंड 146 यह उपबंधित करता है कि किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन का प्रत्येक सदस्य और उसके अधिकारी और कर्मचारिवृंद, कोई निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता, सक्षम प्राधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी, वसूली अधिकारी और कोई अन्य व्यक्ति, जो इस विधेयक के अधीन किसी कृत्य का निर्वहन कर रहा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

विधेयक का खंड 147 यह उपबंधित करता है कि इसमें विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति या प्राधिकारी, जो किसी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियों के संरक्षण के लिए उपबंध करता है, यदि प्रस्तावित विधेयक के अनुसरण में कोई कार्रवाई की जाती है ।

विधेयक का खंड 148 यह उपबंधित करता है कि यदि समुचित सरकार का उसके द्वारा विहित रीति में यह समाधान हो जाता है कि कोई स्थापन या किसी अन्य व्यक्ति ने इस विधेयक या तदधीन बनाए गए या विरचित नियमों, विनियमों या स्कीम के अधीन उपबंधित किसी फायदे का दुरुपयोग किया है तो ऐसी सरकार अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसे स्थापन या अन्य व्यक्ति को ऐसे समय के लिए, जो अधिसूचना में

विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे फायदे से वंचित कर सकेगी । यह समुचित सरकार को और प्रतिषिद्ध करता है कि ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक, यथास्थिति, ऐसे स्थापन या अन्य व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है । यह और उपबंधित करता है कि अध्याय 3 से संबंधित इस धारा के अधीन किसी फायदे के दुरुपयोग को सुनिशचित करने की रीति यथास्थिति भविष्य निधि स्कीम, या पेंशन स्कीम या बीमा स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

विधेयक का खंड 149 यह उपबंधित करता है कि केंद्रीय सरकार को, किसी राज्य सरकार को या धारा 12 के अधीन गठित किसी राज्य बोर्ड को उस राज्य बोर्ड को उस राज्य में इस विधेयक के किन्हीं उपबंधों को निष्पादित करने, किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन को, इस संहिता के कार्यान्वयन से संबंधित किसी विषय के संबंध मे निदेश देने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 150 यह उपबंधित करता है कि समुचित सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए सशक्त है कि इस विधेयक के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए इस विधेयक से संगत स्कीमें बना सकेगी ।

विधेयक का खंड 151 यह उपबंधित करता है कि किसी सदस्य की इस विधेयक के अधीन या किसी छूट प्राप्त कर्मचारी की अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 या अध्याय 7 के अधीन नियोक्ता के पक्ष में उसके नियोक्ता द्वारा अनुरक्षित भविष्य निधि में प्रत्यय की जाने वाली रकम पर किसी भी तरीके से उसे समनुदेशित नहीं किया जाएगा या प्रभारित नहीं किया जाएगा और वह, यथास्थिति, ऐसे कर्मचारी या छूट प्राप्त कर्मचारी द्वारा उपगत किसी ऋण या दायित्व के संबंध में किसी न्यायालय में किसी डिक्री या आदेश के अधीन कुर्की की दायी नहीं होगी । यह और उपबंधित करता है कि कोई रकम उस स्थापन की आस्तियों पर प्रभारित होगी, जिससे वह संबंधित है और उसका दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के अनुसार पूर्विकता के आधार पर संदाय किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 152 यह उपबंधित करता है कि यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची, पाचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची का उसमें वर्धन या लोप के माध्यम से संशोधन कर सकेगी और ऐसे वर्धन या लोप पर अनुसूची तदनुसार संशोधित हो जाएगी और समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची का उसमें वर्धन या लोप के माध्यम से संशोधन कर सकेगी और ऐसे वर्धन या लोप पर अनुसूची तदनुसार संशोधित हो जाएगी ।

विधेयक का खंड 153 यह उपबंधित करता है कि विधेयक के आरंभ के पश्चात् खंड 164 के अधीन निरसित अधिनियमिततियों के अधीन गठित या स्थापित निम्नलिखित संगठन, इस संहिता के अधीन तत्स्थानी संगठनों के गठित होने तक या निरसित अधिनियमितियों के अधीन क्रमशः उनकी समयावधि की समाप्ति तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इस विधेयक के अधीन तत्स्थानी संगठनों की शक्तियों का उपयोग और कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे करते रहेंगे मानो ऐसे निरसित अधिनियमितियों के अधीन, यथास्थिति, गठित या स्थापित ऐसे संगठन इस संहिता के संबंधित ऐसे उपबंधों के

अधीन गठित किए गए हों ।

विधेयक का खंड 154 यह उपबंधित करता है कि केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए प्रस्तावित विधेयक के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए उससे संगत नियम बना सकेगी ।

विधेयक का खंड 155 यह उपबंधित करता है कि केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस विधेयक के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए उससे संगत नियम बना सकेगी ।

विधेयक का खंड 156 यह उपबंधित करता है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस विधेयक के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए उससे संगत नियम बना सकेगी ।

विधेयक का खंड 157 यह उपबंधित करता है कि निगम, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए, निगम के मामलों के प्रशासन तथा अध्याय 4 के उपबंधों और उसके अध्याय से संबंधित इस विधेयक के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए ऐसे नियम बना सकेगा, जो इस विधेयक से और उसके अधीन बनाये गये नियमों या विरचित स्कीमों से असंगत न हो ।

विधेयक का खंड 158 यह उपबंधित करता है कि इस विधेयक के अधीन (अध्याय 3 के अधीन विरचित की जाने वाली स्कीमों के सिवाय, नियम, विनियम और स्कीम बनाने की शक्ति निम्नलिखित रीति में उनके पूर्व प्रकाशन की शर्ते के अधीन होगी । ऐसे प्रकाशन का प्रयोजन प्रभावित व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव प्राप्त करना है और नियमों, विनियमों के पूर्ण होने से पूर्व आक्षेपों और सुझावों पर विचार करना है ।

विधेयक का खंड 159 यह उपबंधित करता है कि केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा अध्याय 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पास जमा धन के किसी दूसरे देश में अन्तरण के लिए नियम बना सकेगी जो ऐसे देश में निवास कर रहे या निवास करने वाले किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया है या शोध्य है, और किसी दूसरे देश में कर्मचारियों के प्रतिकर से संबंधित विधि के अधीन जमा किसी धन की प्राप्ति, वितरण और प्रशासन के लिए है, जो किसी राज्य में निवास कर रहे या निवास करने वाले किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया है या शोध्य है ।

विधेयक का खंड 160 यह उपबंधित करता है कि केन्द्रीय सरकार या निगम द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, विनियम, अधिसूचना या विरचित स्कीम, बनाये जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा । यह और उपबंधित करता है कि राज्य सरकार द्वारा इस विधेयक के अधीन, बनाया गया प्रत्येक नियम और बनाई गई या विरचित स्कीम, और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, इसे बनाए जाने या विचरित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र जहां राज्य विधानमंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहाँ राज्य विधानमंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

विधेयक का खंड 161 यह उपबंधित करता है कि इस विधेयक के उपबंध, किसी अन्य विधि में या इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात किये गये किसी अधिनिर्णय, करार या सेवा संविदा के निबंधनों में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगें । यह भी उपबंध करता है कि इस विधेयक की किसी बात का यह अर्थ नहीं

लगाया जाएगा कि वह किसी व्यक्ति को किसी विषय के संबंध में उसको ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार, जो उसके लिए उनसे अधिक अनुकूल है जिनका वह इस विधेयक के अधीन हकदार है, अनुदत्त कराने के लिए किसी नियोजक के साथ कोई करार करने से रोकती है ।

विधेयक का खंड 162 यह उपबंधित करता है कि समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि ऐसे सभी या कोई शक्तियां और कृत्य, जिनका समुचित सरकार प्रयोग या निष्पादन करे, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, जो केन्द्रीय बोर्ड, निगम, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड, भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड अथवा केन्द्रीय बोर्ड, निगम, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड, भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगा ।

विधेयक का खंड 163 यह उपबंधित करता है कि यदि इस विधेयक के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस विधेयक के उपबंधों से असंगत न हो, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो । यह भी उपबंध करता है कि उक्त खंड के अधीन ऐसा कोई आदेश इस विधेयक के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 164 यह उपबंधित करता है कि खंड में विनिर्दिष्ट कतिपय अधिनियमितियों का निरसन किया जाता है । यह निरसित अधिनियमितियों के अधीन कतिपय कार्यवाहियों की व्यावृत्ति का भी उपबंध करता है । यह कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, कर्मचारी डिपोजिट लिंक्ड बीमा स्कीम, 1976, कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1955 और कर्मचारी भविष्य निधि अपील अधिकरण उपबंध नियम, 1977, जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन विरचित या बनाए गए हैं, और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन बनाए गए या विरचित किए गए नियम, विनियम और स्कीम का विस्तार प्रवृत्त होगा, जब तक इस विधेयक के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए इस विधेयक के उपबंध असंगत न हों । यह भी उपबंध करता है कि इस प्रकार निरसित किन्हीं अधिनियमितियों के अधीन दी गयी कोई छूट प्रवर्तन में रहेगी, जब तक इसकी वैधता समाप्त नहीं हो जाती या इस प्रयोजन के लिए विधेयक के उपबंधों के अधीन या इसके अधीन दिए किसी निदेश के अधीन प्रचालन में नहीं रह जाती ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 13, सामाजिक सुरक्षा संगठनों को अतिरिक्त कृत्यों को सौंपने के लिए उपबंध करता है । यह खंड नए अधिकारियों, यदि आवश्यक हो, की नियुक्ति या विनियोजन के लिए और उपबंध करता है और ऐसे कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक कार्मिकों की नियुक्ति या विनियोजन सहित अतिरिक्त कृत्यों का निर्वहन करने में उपगत व्यय केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।

2. विधेयक का खंड 109 और खंड 114 यह उपबंध करता है कि उक्त खंडों के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम पूर्णत: या भागत: केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित की जाएगी । इसलिए, पूर्वोक्त स्कीम को तैयार करते समय और उसे कार्यान्वित करते समय भविष्य में वित्तीय विवक्षाएं उत्पन्न हो सकती है ।

3. पूर्ववर्ती पैराओं में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, वर्तमान में ऐसे आवर्ती और अनावर्ती व्ययों का प्राक्कलन करना संभव नहीं है ।

4. अन्य व्यय, जो अंतवर्लित होंगे, यदि विधेयक अधिनियमित और प्रवर्तित हो जाता है, विद्यमान व्यय हैं और ऐसे प्रयोजन के लिए कोई अतिरिक्त व्यय अपेक्षित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

खंड 155 का उपखंड (1) केंद्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए सशक्त करता है । उक्त खंड का उपखंड (2) उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे । इन विषयों में सम्मिलित है : (क) वह रीति और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए अध्याय 3 के उपबंध उपखंड (5) के अधीन केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किसी स्थापन को लागू नहीं होंगे ; वह रीति और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए उस अध्याय 4 के उपबंध खंड 1 के उपखंड (7) के अधीन निगम के महानिदेशक द्वारा किसी स्थापन को लागू नहीं होंगे ; (ख) कैरियर केंद्र और कैरियर सेवाओं की स्थापना की रीति और उनका रखरखाव, आश्रित माता-पिताओं की आय और अन्य प्राधिकारी, जो खंड 2 के अधीन अधिष्ठाता समझा जाएगा ; (ग) उपखंड (1) के अधीन स्थापन के रजिस्ट्रीकरण का समय और रीति तथा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन करने की रीति, वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाएगा और खंड 3 के उपखंड (3) के अधीन रद्दकरण की प्रक्रिया और उससे संबंधित अन्य विषय ; (घ) खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन केंद्रीय बोर्ड में निहित निधियों के प्रशासन की रीति ; उपखंड (3) के अधीन कार्यकारी समिति द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन में केंद्रीय बोर्ड की सहायता करने की रीति ; उपखंड (6) के अधीन केंद्रीय बोर्ड और कार्यकारी समिति के सदस्यों की पदावधि सहित निबंधन और शर्तें और उपखंड (7) के अधीन अन्य कृत्य तथा ऐसे कृत्यों के निष्पादन की रीति ; (ङ) खंड 5 के उपखंड (1)(घ) के अधीन निगम के प्रशासन की रीति और राज्यों के प्रतिनिधित्व की रीति ; उपखंड (3) के अधीन स्थायी समिति के गठन की रीति ; उपखंड 4(क) के अधीन निगम के कार्यकलापों के प्रशासन की रीति ; स्थायी समिति द्वारा शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निष्पादन ; खंड (5)(ख) के अधीन चिकित्सा प्रसुविधा समिति के कर्तव्य और उसकी शक्तियां और निबंधन और शर्तें, जिनमें पदावधि भी हैं, जिनके अधीन रहते हुए निगम तथा स्थायी समिति का सदस्य उपखंड (7) के अधीन अपने-अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ; (च) खंड 6 के उपखंड (1) के अधीन राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा शक्तियों के प्रयोग की रीति और उसके द्वारा कृत्यों का निष्पादन ; उपखंड (4) के अधीन सदस्यों के नामांकन की रीति ; उनकी पदावधि तथा सेवा की अन्य शर्तें ; अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा रिक्तियों को भरने की रीति ; उपखंड (6) के अधीन कारबार संव्यवहार संबंधी प्रक्रिया का समय, स्थान तथा नियम ; (छ) खंड 7 के उपखंड 6(ञ) के अधीन अन्य कल्याणकारी उपाय तथा सुविधाएं ; (ज) खंड 9 के उपखंड (1) के अधीन ऐसे अंतराल, जिन पर सामाजिक सुरक्षा संगठन या इसकी कोई समिति बैठक कारेगी तथा उपखंड (4) के अधीन बैठकों में कारबार के संव्यवहार के बारे में प्रक्रिया तथा उपखंड (4) के अधीन सामाजिक सुरक्षा संगठन या समिति के सदस्यों की फीस तथा भत्ते ; (झ) खंड 11 के उपखंड (1) के अधीन निगम या केंद्रीय बोर्ड या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड या भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या किसी भी समिति के गठन की रीति तथा उपखंड (2) के अधीन विधेयक के सुसंगत उपबंधों के प्रशासन के प्रयोजन के लिए अनुकल्पी व्यवस्थाएं ; (ञ) खंड 21 के उपखंड (1) के अधीन स्थापन के संबंध में भविष्य निधि खाते के रखरखाव की रीति ;

(ट) खंड 23 के उपखंड (2) के अधीन अपील फाइल करने के लिए प्ररूप, रीति, समयसीमा और फीस ; (ठ) खंड 24 के उपखंड (3) के अधीन महानिदेशक या वित्तीय आयुक्त का वेतन तथा भत्ते ; उपखंड 4 के अधीन उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य और उपखंड (7) के परंतुक के अधीन अधिकतम मासिक वेतन सीमा ; (ड) खंड 25 के उपखंड (4) के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निधि या किसी अन्य धन, जो निगम द्वारा धारित किया जाता है, को विनिधान करने की रीति ; (ढ) खंड 26 के अधीन खर्च को चुकाने के लिए सीमाएं ; (ण) खंड 27 के उपखंड (1) के अधीन किसी चल या अचल संपत्ति को अर्जित करने, विक्रय करने या अन्यथा अंतरित करने के लिए शर्तें ; उपखंड (2) के अधीन निगम द्वारा धन के विनिधान करने की शर्तें और उपखंड (3) के अधीन ऋण लेने की शर्तें तथा ऐसे ऋणों को चुकाने के लिए उपाय करना ; (त) खंड 28 के अधीन कर्मचारियों के बीमा की रीति ; (थ) खंड 29 के उपखंड (2) के अधीन अभिदायों की दर ; (द) खंड 30 के अधीन प्रशासनिक खर्चों का प्रकार और आय का ऐसा प्रतिशत, जो व्ययों पर खर्च किया जा सकेगा और ऐसे खर्चों के लिए सीमाएं ; (ध) खंड 32 के उपखंड (1) (च) के परंतुक के अधीन संदाय की रकम की सीमा और उपखंड (3) के अधीन फायदों का दावा करने की अर्हताएं, शर्तें, दर और उसकी अवधि ; (न) खंड 33 के अधीन सीमाएं, जिनके भीतर निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निधि से व्यय उपगत कर सकेगा ; (प) खंड 37 के उपखंड (7)(क) के अधीन वह रीति और समय, जिसके भीतर बीमित व्यक्ति या निगम अपील फाइल कर सकेगा ; (फ) खंड 38 के उपखंड (1) के अधीन आश्रितों और उपखंड (2) के अधीन अन्य आश्रितों के फायदों के संदाय के लिए दरें, अवधियां और शर्तें ; (ब) खंड 39 के उपखंड (3) के अधीन ऐसी अर्हताएं और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए बीमित व्यक्ति और उसका कुटुंब चिकित्सा फायदे का दावा कर सकेंगे, उसका पैमाना और उसकी अवधि तथा अन्य शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए बीमित व्यक्ति ऐसा फायदा प्राप्त करता रहेगा ; (भ) खंड 40 के उपखंड (6) के अधीन रुग्णता, प्रसूति और नियोजन में क्षति की दशा में कर्मचारियों को कतिपय फायदे प्रदान करने के लिए संगठन की संरचना, कृत्य, शक्तियां और क्रियाकलाप ; (म) खंड 42 के उपखंड (1) के अधीन बीमा के लिए विस्तारित अवधि, कर्मचारी को संदेय फायदे के पूंजीकृत मूल्य को चुकाने की रीति और उसकी संगणना की रीति ; (य) खंड 44 के अधीन वे निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए स्कीम को चलाया जा सकेगा ; (यक) खंड 57 के उपखंड (1) के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से संबंधित या उसके नियंत्रण के अधीन किसी नियोजक या स्थापन से भिन्न प्रत्येक नियोजक द्वारा बीमा अभिप्राप्त करने की रीति, उपखंड (2) के अधीन अनुमोदित उपदान को छूट देने की शर्तें और उसको स्थापित करने की रीति तथा उपखंड (3) के अधीन नियोजक द्वारा स्थापन को रजिस्ट्रीकृत कराने की समय-सीमा ; (यख) खंड 62 के उपखंड (1) के अधीन सूचना का प्ररूप और उपखंड (5) के अधीन गर्भावस्था का सबूत और प्रसव का सबूत ; (यग) खंड 65 के उपखंड (1) के अधीन गर्भावस्था या गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन का सबूत, उपखंड (2) के अधीन स्त्री नसबंदी आपरेशन का सबूत और उपखंड (3) के अधीन रुग्णता का सबूत ; (यघ) खंड 66 के अधीन अवकाश की अवधि ; (यङ) खंड 67 के उपखंड (1) के अधीन क्रैच सुविधा के लिए कर्मचारियों की संख्या और दूरी ; (यच) खंड 68 के उपखंड (1) के दूसरे

परंतुक के अधीन घोर कदाचार ; (यछ) खंड 77 के उपखंड (3)(क) के अधीन नियोजक द्वारा संदत्त किए जाने वाले ब्याज की दर ; (यज) खंड 92 के उपखंड (1) के पहले परंतुक के अधीन सूचना की रीति और उपखंड (3) के अधीन धन पारेषण की रीति ; (यझ) खंड 93 के उपखंड (3) के अधीन दावे और परिनिर्धारण के लिए आवेदन का प्ररूप, रीति और फीस ; (यञ) खंड 100 के उपखंड (2) के अधीन उपकर के संग्रहण की रीति और समय, उपखंड (3) के अधीन इस प्रकार संगृहीत उपकर के जमा करने की रीति और उपखंड (4) के अधीन अग्रिम उपकर की एक समान दर या दरें ; (यट) खंड 101 के अधीन उपकर के विलंबित संदाय के मामले में ब्याज की दर ; (यठ) खंड 103 के उपखंड (1) के अधीन उपकर के स्व:निर्धारण की रीति ; (यड) खंड 104 के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने का प्राधिकार ; (यढ) खंड 105 के उपखंड (1) के अधीन अपील करने की समयसीमा, अपील प्राधिकारी, अपील का प्ररूप और रीति ; (यण) खंड 106 के अधीन फायदाग्राही के रूप में रजिस्ट्रीकरण की रीति ; (यत) खंड 107 के उपखंड (2) के अधीन फायदाग्राही के फायदे ; (यथ) खंड 113 के उपखंड (1)(क) और (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र आयु और सूचना का प्ररूप तथा रीति और उपखंड (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप और दस्तावेज तथा स्व:रजिस्ट्रीकरण की रीति ; (यद) खंड 114 के उपखंड (7)(i) में विनिर्दिष्ट विषयों को क्रियान्वित करना ; (यध) खंड 138 के उपखंड (1) के अधीन अपराधों के शमन करने की रीति ; (यन) खंड 141 के उपखंड (4) के अधीन सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना और प्रशासन की रीति ; (यप) खंड 143 के उपखंड (1) के अधीन छूट प्रदान करने से पूर्व पूरी की जाने वाली पात्रता शर्तें और छूट के पश्चात् अनुपालन की जाने वाली शर्तें तथा छूट के विस्तार की अवधि ; (यफ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विधेयक के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

2. खंड 156 का उपखंड (1) राज्य सरकार को, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, प्रस्तावित विधान के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है । उपखंड (2) उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है, जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे । इन विषयों के अंतर्गत हैं,--(क) खंड 6 के उपखंड (9) के अधीन राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन की रीति, उपखंड (12) के अधीन बोर्ड के सदस्यों के नामनिर्देशन की रीति, उनके पद के निबंधन और सेवा की अन्य शर्तें, उनके द्वारा उनके कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा बोर्ड के सदस्यों के बीच रिक्तियों को भरने की रीति तथा उपखंड (14) के अधीन उसकी अपनी बैठकों का समय, स्थान और कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया के नियम ; (ख) खंड 7 के उपखंड (4) के अधीन अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें तथा उन्हें संदेय वेतन और अन्य भत्ते तथा बोर्ड के सदस्यों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति, उपखंड (5)(ग) के अधीन उक्त बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें तथा उन्हें संदेय वेतन और भत्ते ; (ग) खंड 50 के उपखंड (2) के अधीन कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा उपखंड (3) के अधीन नियम ; (घ) खंड 76 के उपखंड (7) के अधीन कर्मचारी के दाह संस्कार के व्यय के मद्दे नियोजक द्वारा

सक्षम प्राधिकारी के पास जमा की जाने वाली रकमें ; (ङ) खंड 79 के उपखंड (1) के अधीन शर्तें, जब चिकित्सा व्यवसायी के प्रमाणपत्र के बिना पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जाता है ; (च) खंड 84 के उपखंड (1) के परंतुक के अधीन चिकित्सा परीक्षा के लिए बारंबार अंतराल ; (छ) खंड 88 के उपखंड (1) के अधीन नियोजक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी का प्ररूप ; (ज) खंड 92 के उपखंड (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसके समक्ष निपटाए जाने वाले मामलों की रीति ; (झ) खंड 93 के उपखंड (4) के अधीन कार्यवाहियों की समय-सीमा, आवेदन का निपटारा और उनकी लागत ; (ञ) खंड 97 के अधीन ज्ञापन के अधिप्रमाणन की रीति ; और (ट) खंड 141 के उपखंड (5) के अधीन ऐसे वित्तपोषण, अन्य स्रोत तथा निधि के प्रशासन तथा व्यय की रीति ; और (ठ) कोई ऐसा अन्य विषय, जो विधेयक के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

3. खंड 154 का उपखंड (1) समुचित सरकार को, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, प्रस्तावित विधान के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है । उपखंड (2) उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है, जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे । इन विषयों के अंतर्गत हैं,--(क) खंड 7 के उपखंड (6)(ग), (घ) और (ङ) के अधीन फायदाग्राहियों के समूह बीमा स्कीम के लिए प्रीमियम के संबंध में रकम, फायदाग्राहियों के बालकों के फायदे के लिए शैक्षणिक स्कीमें और किसी फायदाग्राही या ऐसे आश्रित की बड़ी बीमारियों के उपचार के लिए चिकित्सीय व्यय ; (ख) खंड 37 के उपखंड (7)(ख) के अधीन वह समय और रीति, बीमित व्यक्ति या निगम द्वारा द्वितीय अपील कर्मचारी बीमा न्यायालय के पास फाइल की जा सकेगी ; (ग) खंड 51 के उपखंड (1) के अधीन कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के प्रारंभ किए जाने की रीति तथा उसकी फीस एवं प्रक्रिया ; (घ) बैंक या अन्य वित्तीय संस्था, जिसमें खंड 53 के उपखंड (1) के दूसरे परंतुक के अधीन अप्राप्तवय के फायदे के लिए उपदान का विनिधान किया जाएगा ; (ङ) खंड 55 के उपखंड (1) के अधीन कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशन का समय, प्ररूप और रीति, उपखंड (4) के अधीन नया नामनिर्देशन करने के लिए समय, उपखंड (5) के अधीन नामनिर्देशन का प्ररूप और उसके उपांतरण की रीति तथा उपखंड (6) के अधीन नए नामनिर्देशन के लिए प्ररूप ; (च) खंड 56 के उपखंड (1) के अधीन वह समय, जिसमें लिखित आवेदन किया जाएगा और उस आवेदन का प्ररूप ; (छ) खंड 57 के उपखंड (3) के अधीन नियोजक द्वारा स्थापन के रजिस्ट्रीकरण की रीति और उपखंड (4) के अधीन अनुमोदित उपदान निधि के न्यासी बोर्ड की संरचना की रीति और वह रीति, जिसमें सक्षम प्राधिकारी बीमाकर्ता से किसी कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम वसूल कर सकेगा ; (ज) खंड 58 के उपखंड (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की अर्हताएं और अनुभव ; (झ) वह प्राधिकारी, जिसको खंड 72 के उपखंड (3) के अधीन अपील की जा सकेगी ; (ञ) खंड 82 के उपखंड (4) के अधीन नियोजकों का वर्ग और सूचना पुस्तिका का प्ररूप ; (ट) खंड 89 के उपखंड (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा रजिस्टर में ज्ञापन अभिलिखित करने की रीति ; (ठ) खंड 91 के उपखंड (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए ऐसे अन्य अनुभव और अर्हताएं ; (ड) खंड 101 के अधीन उपकर की रकम का संदाय करने के लिए समय-सीमा ; (ढ) खंड 105 के उपखंड

(2) के अधीन अपील के लिए फीस ; (ण) खंड 120 के उपखंड (1) के अधीन किसी चल या अचल संपत्ति को अर्जित करने, उसे धारित करने, उसका विक्रय करने या अन्यथा अंतरित करने के लिए शर्तें, उपखंड (2) के अधीन धनराशियों का विनिधान करने, पुनर्विनिधान करने या विनिधानों को वसूल करने की शर्तें, उपखंड (3) के अधीन ऋण लेने के लिए निबंधन और ऐसे ऋणों को चुकाने के लिए उपाय करना तथा उपखंड (4) के अधीन अधिकारी तथा कर्मचारिवृंद या उनके किसी वर्ग के फायदे के लिए, भविष्य निधि या अन्य फायदे निधि का गठन करने के लिए निबंधन ; (त) खंड 121 के अधीन अवसूलनीय शोध्यों को अपलिखित करने की शर्तें और रीति ; (थ) खंड 122 के उपखंड (6)(ङ) के अधीन निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता की अन्य शक्तियां ; (द) खंड 123(क), (ख) और (ग) के अधीन अभिलेखों और रजिस्टरों के रखरखाव का प्ररूप और रीति तथा अन्य विशिष्टियों और ब्यौरें, कर्मचारियों के कार्यस्थलों पर सूचनाओं के संप्रदर्शन के लिए रीति और प्ररूप तथा विवरणियों को फाइल करने की रीति और अवधि ; (ध) खंड 138 के उपखंड (4) के अधीन अपराधों के शमन करने के लिए आवेदन का प्ररूप और उसकी रीति ; (न) खंड 139 के उपखंड (2) के अधीन नियोजक द्वारा, संबंधित कैरियर केंद्रों को रिक्तियों के रिपोर्ट करने के लिए रीति और प्ररूप तथा विवरणी फाइल करने का प्ररूप ; (प) वह समय, जिसके भीतर, यथास्थिति, केंद्रीय बोर्ड या निगम खंड 143 के उपखंड (1) के अधीन समुचित सरकार को अपने विचार भेजेगा और वे शर्तें, जिनका उपखंड (2) के अधीन, यथास्थिति, छूट प्राप्त स्थापन या स्थापनों के वर्ग या नियोजकों या नियोजकों का वर्ग या कर्मचारी या कर्मचारियों का वर्ग छूट के पश्चात् अनुपालन करेंगे और उपखंड (5) के अधीन न्यास के प्रबंधन के लिए शर्तें ; (फ) खंड 148 के अधीन किसी स्थापन द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी फायदे के दुरुपयोग का अवधारण करने की रीति ; और (ब) कोई ऐसा अन्य विषय, जो विधेयक के उपबंधों के अधीन समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

4. खंड 157 का उपखंड (1) निगम को, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, अध्याय 6 के उपबंधों और इस अध्याय से संबंधित विधेयक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बनाने हेतु सशक्त करता है । उपखंड (2) उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है, जिनके संबंध में ऐसे विनियम बनाए जा सकेंगे । इन विषयों के अंतर्गत हैं,-- (क) खंड 5 के उपखंड (4)(ख) के अधीन निगम के विनिश्चय के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले मामले और विषय तथा उपखंड (6) के अधीन समितियों की संरचना ; (ख) खंड 12 के उपखंड (2) के अधीन वे क्षेत्र, जिनके संबंध में निगम क्षेत्रीय बोर्डों तथा स्थानीय समितियों की नियुक्ति कर सकेगा और वह रीति, जिसमें ऐसे बोर्ड कृत्यों का पालन करेंगे और शक्तियों का प्रयोग करेंगे ; (ग) खंड 24 के उपखंड (4) के अधीन महानिदेशक और वित्तीय आयुक्त के अन्य कृत्य, उपखंड (8)(क) के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति, उनके वेतन और भत्ते, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें तथा उपखंड (9) के दूसरे परंतुक के अधीन अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा ; (घ) खंड 29 के उपखंड (3) के अधीन ऐसी यूनिट, जिसके संबंध में सभी अभिदाय संदेय होंगे और उपखंड (4) के अधीन वे दिन, जिनको अभिदाय शोध्य हो जाएगा ; (ङ) खंड 31 के उपखंड (7) के अधीन संविदाकार द्वारा या उसके माध्यम से

कर्मचारियों के रजिस्टर का रखरखाव और उपखंड (9) के अधीन अभिदाय के संदाय और संग्रहण से संबंधित या उसके आनुषंगिक कोई विषय ; (च) खंड 32 के उपखंड (1)(क), (ख) और (ग) के अधीन बीमारी को प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की अर्हताएं और अनुभव, स्त्री की पात्रता को प्रमाणित करने का प्राधिकार तथा संदाय के लिए पात्रता प्रमाणित करने का प्राधिकार, उपखंड (2) के अधीन चिकित्सीय फायदों के विस्तार के लिए शर्तें और उपखंड (4) के अधीन फायदों के प्रोद्भवमान और संदाय से संबंधित या उसके आनुषंगिक कोई विषय ; (छ) खंड 36 के उपखंड (1) के अधीन वह निरंतर अवधि, जिसमें कर्मचारी उपजीविकाजन्य रोग से पीड़ित होता है ; (ज) खंड 37 के उपखंड (1) के अधीन चिकित्सा बोर्ड का गठन और उपखंड (5) के अधीन चिकित्सा अपील अधिकरण का गठन ; (झ) खंड 39 के उपखंड (3) के अधीन वह अवधि और चिकित्सा फायदे की प्रकृति, जो किसी व्यक्ति को अनुज्ञात की जा सकेगी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम, अभिदाय के संदाय के लिए शर्तें और नियोजन क्षति के दौरान बीमित व्यक्ति को चिकित्सा फायदों को प्राप्त करने की पात्रता के लिए अन्य शर्तें तथा चिकित्सा फायदों को प्रदान करने के लिए शर्तें, उपखंड (4)(ख) के अधीन वह समय, जिसके लिए चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं के छात्र निगम की सेवा करेंगे और वह रीति, जिसमें बंधपत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा उपखंड (6) के अधीन बीमित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कार्यदशाओं के निर्धारण के लिए उपजीविकाजन्य और महामारी विषयक सर्वेक्षण करने की रीति ; (ञ) खंड 41 के उपखंड (3)(ग) के अधीन उस क्षेत्र को, जिसमें चिकित्सा उपचार प्रदान किया गया है, छोड़ने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए अन्य प्राधिकारी, उपखंड (6) के अधीन नामनिर्देशन का प्ररूप और उपखंड (9) के अधीन फायदों का अवधारण करने के लिए प्राधिकारी ; (ट) खंड 44 के स्पष्टीकरण के अधीन चिकित्सा सुविधाओं के लिए अन्य फायदाग्राहियों द्वारा संदत्त किए जाने वाले उपयोक्ता प्रभार ; (ठ) खंड 51 के उपखंड (1) के अधीन वह समय, जिसके भीतर निगम द्वारा नियोजक से दावे वसूली या अभिदाय तथा ठेकेदार से नियोजक द्वारा अभिदाय की वसूली की जाएगी ; (ड) खंड 123(घ) के अधीन अभिलेखों तथा रजिस्टरों और फाइल की जाने वाली विवरणियों का प्ररूप ; (ढ) खंड 126 के अधीन अपील प्राधिकारी, जो निगम के संयुक्त निदेशक से अन्यून पंक्ति का न हो, जिसके समक्ष अपील की जाएगी और निगम द्वारा नियोजक को प्रतिदाय किए जाने वाला ब्याज ; (ण) खंड 128 के अधीन ऐसे नियोजक से उद्ग्रहण तथा नुकसानियों की वसूली की रीति, जो किसी ऐसे अभिदाय के संदाय में व्यतिक्रम करता है, जिसका वह संदाय करने का दायी है ; (त) वे परिस्थितियां, जिनमें और वह शर्त, जिसके अधीन रहते हुए, किसी विनियम को शिथिल किया जा सकेगा, ऐसे शिथिलीकरण का विस्तार और वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा ऐसे शिथिलीकरण को मंजूर किया जा सकेगा ; और (थ) कोई ऐसा विषय, जिसके संबंध में विधेयक द्वारा विनियम बनाए जाने अपेक्षित है या अनुज्ञात किए जाते हैं ।

5. वे विषय, जिनके संबंध में नियम या विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय है और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध कराना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।